VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material 2021

(September 2020 to September 2021)

www.visionias.in
+91 8468022022
DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

अर्थव्यवस्था

विषय सूची

1. रोजगार, कौशल विकास एवं श्रम सुधार (EMPLOYMENT, SKILL DEVELOPMENT AND LABOUR REFORMS)______ 6

1.1. रोजगार (Employment)______ 6

1.1.1. भारत में बेरोजगारी (Unemployment in India)______ 7

1.1.2. नियत कालिक रोजगार (Fixed Term Employment) ______ 8

1.1.3. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) ______ 9

1.2. कौशल विकास (Skill Development) 11

1.3. श्रम कानून में सुधार (Labour Laws Reform)______ 12

1.3.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020) ______ 13

1.3.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)______ 14

1.3.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020) ______ 15

2. आर्थिक सुधार और समावेशी विकास (ECONOMIC REFORMS AND INCLUSIVE GROWTH) ______ 17

2.1. आर्थिक सुधार (Economic Reforms) _ 17

2.1.1. वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष (30 years of 1991 Economic Reforms)______ 17

2.1.2. महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था (Post-Pandemic Economy) ______ 18

2.2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation) 19

2.3. मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति (Inflation and Money Supply)______ 20

2.3.1. थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index: WPI) ______ 20

2.3.2. लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता पाश (Liquidity Trap) ______ 22

2.4. आवास (Housing) ______ 23

2.4.1. मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) ______ 24

2.5. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) ______ 25

2.5.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना के सात वर्ष (Seven Years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) ______ 26

2.6. भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India)______ 28

2.6.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Land Record Digitisation) ______ 28

2.6.1.1. स्वामित्व योजना (SWAMITVA Scheme)______ 30

2.6.2. भूमि बैंक (Land Banks) ______ 31

2.7. शहरी संवृद्धि और विकास (Urban Growth and Development) ______ 33

2.7.1. शहरी रूपांतरण पहल (Urban Transformation Initiatives) ______ 34

2.7.2. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission: NUDM)______ 36

3. राजकोषीय नीति और संबंधित सुर्ख़ियां (FISCAL POLICY AND RELATED NEWS)______ 39

3.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances)______ 39

3.1.1. पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (Fifteenth Finance Commission Report) ______ 40

3.1.2. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of The Fiscal Deficit) ______ 41

3.1.3. राज्य वित्त (State Finances)______ 43

3.2. अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) 45

3.2.1. वस्तु एवं सेवा कर के 4 वर्ष (4 Years of GST)______ 46

3.3. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation)___ 48

3.3.1. पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) 49

3.3.2. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (Global Minimum Corporate Tax Rate)______ 49

3.3.3. भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation)______ 51

3.4. गैर-कर स्रोतों से वित्तीय संग्रहण (Financial Mobilization from Non-tax Sources) __ 53

3.4.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer) ______ 53

3.4.2. परिसंपत्ति का मुद्रीकरण (Asset Monetization)______ 55

3.4.2.1. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline: NMP) ____ 57

3.5. अन्य वित्तीय सुर्ख़ियां (Other Financial News) ____ 58

3.5.1. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting) ____ 58

3.5.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE) ____ 59

4. मौद्रिक नीति, बैंकिंग और भुगतान प्रणाली (MONETARY POLICY, BANKING AND PAYMENT SYSTEM) ____ 62

4.1. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) ____ 62

4.1.1. मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) ____ 63

4.1.2. बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields) ____ 65

4.1.3. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's Forex Reserves) ____ 66

4.2. बैंकिंग (Banking) ____ 68

4.2.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines} ____ 68

4.2.2. लोकपाल एकीकरण योजना (Integrated Ombudsman Scheme) ____ 69

4.2.3. बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन (Changes in Bank Licensing Framework) 70

4.2.3.1. बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (Banking License to Large Corporate Houses) ____ 71

4.2.3.2. NBFCs के लिए बैंकिंग लाइसेंस (Banking License for NBFCs) ____ 72

4.2.4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन (Regulation of NBFCs) ____ 73

4.3. परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्रचना (Asset Quality and Restructuring) ____ 75

4.3.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) ____ 76

4.3.1.1. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Pre-packaged Insolvency Resolution Process: PIRP) ____ 78

4.3.2. ऋणों की पुनर्रचना (Restructuring of Loans) ____ 79

4.3.3. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Co. Ltd: NARCL) ____ 80

4.4. भुगतान प्रणाली (Payment Systems) ____ 83

4.4.1. डिजिटल भुगतान तंत्र (Digital Payment Ecosystem) ____ 84

4.4.2. डिजिटल उधार (Digital Lending) ____ 85

4.4.3. न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (New Umbrella Entity) ____ 87

4.4.4. डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) ____ 88

4.5. अन्य गतिविधियां या घटनाक्रम (Other Developments) ____ 89

4.5.1. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (Microfinance Regulations) ____ 89

4.5.2. नियो बैंक (Neo Banks) ____ 91

4.5.3. खाता संग्राहक (Account Aggregator) ____ 92

5. व्यापार एवं निवेश (TRADE AND INVESTMENT) ____ 93

5.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) ____ 93

5.1.1. भारत का निर्यात (India's Exports) ____ 93

5.1.2. भारत और विश्व व्यापार संगठन (India and WTO) ____ 96

5.1.3. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) ____ 96

5.1.4. भारत एवं मुक्त व्यापार समझौते {India and Free Trade Agreements (FTAs)} ____ 98

5.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (International Investment) ____ 99

5.3. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPRs) ____ 100

5.3.1. कॉपीराइट या प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 {Copyright (Amendment) Rules, 2021} ____ 101

5.3.2. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (Covid-19 Vaccine and IP Waiver) ____ 102

6. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES) ____ 104

6.1. कृषि इनपुट या आगत प्रबंधन (Agricultural Input Management) ____ 104

6.1.1. भारत में पीड़कनाशी का उपयोग (Pesticide Usage in India) ____ 105

6.1.2. कृषि मशीनीकरण (Farm Mechanisation) ____ 106

6.2. सिंचाई प्रणालियां (Irrigation Systems) ____ 109

6.2.1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefits Programme: AIBP) ____ 109

6.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) ____ 111

6.3.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020} ____ 111
6.3.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020} ____ 113
6.3.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020} ____ 114
6.3.4. कृषि अवसंरचना कोष (Agricultural Infrastructure Fund: AIF) ____ 114

6.4. न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद (MSP and Procurement) ____ 116

6.5. कृषकों को वित्तीय समर्थन/सहायता (Financial Support to Farmers) ____ 118

6.5.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India) ____ 118
6.5.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) {Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)} ____ 120
6.5.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojna) ____ 121

6.6. कृषि एवं प्रौद्योगिकी (Agriculture and Technology) ____ 123

6.6.1. कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण (Digitisation in the Agricultural Sector) ____ 123
6.6.1.1. एग्रीस्टैक (Agristack) ____ 125

6.7. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector) ____ 127

6.7.1. भारत का पशुधन क्षेत्रक (Livestock Sector of India) ____ 128

6.8. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector) ____ 130

6.9. किसान उत्पादक संगठन (Farmer Produce Organizations: FPOs) ____ 131

6.10. कृषि निर्यात (Agricultural Export) 132

7. उद्योग और अवसंरचना (INDUSTRY AND INFRASTRUCTURE) ____ 134

7.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy) ____ 134

7.1.1. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) 135
7.1.2. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017) ____ 136
7.1.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme} ____ 137

7.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME Sector) ____ 140

7.3. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (Semiconductors Manufacturing in India) ____ 141

7.4. अवसंरचना वित्त पोषण (Infrastructure Financing) ____ 142

7.4.1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक {National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID)} ____ 143

8. सेवा क्षेत्रक (SERVICES SECTOR) ____ 145

8.1. ई वाणिज्यिक क्षेत्रक (E-Commerce Sector) ____ 145

8.1.1. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 {Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020} ____ 146

8.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) ____ 147

8.3. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector) ____ 150

8.3.1. महामारी जोखिम पूल (Pandemic Risk Pool) ____ 150

8.4. पर्यटन (Tourism) ____ 152

8.4.1. संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Sustainable Tourism) ____ 153
8.4.2. ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy and Roadmap for Development of Rural Tourism) ____ 154
8.4.3. चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (Draft National Strategy And Roadmap For Medical And Wellness Tourism) ____ 155
8.4.4. बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप {Draft National Strategy and Roadmap For MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)} ____ 155

9. परिवहन (TRANSPORT) ____ 157

9.1. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector) 157

9.2. सड़क मार्ग (Roadways) 159

9.2.1. सड़क सुरक्षा (Road Safety) 160

9.2.2. वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy: VSP) 161

9.3. रेलवे (Railways) 163

9.3.1. रेलवे में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation In Railways) 164

9.4. पोत परिवहन (Shipping) 166

9.4.1. भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति का प्रारूप (Draft Blue Economy Policy For India) 167

9.4.2. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम (Marine Aids to Navigation Act, 2021) 168

9.4.3. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (Major Port Authorities Act, 2021) 169

9.5. नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) 171

10. विद्युत क्षेत्रक (POWER SECTOR) 173

10.1. विद्युत वितरण (Power Distribution) 173

10.1.1. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Reforms-Based and Results-Linked, Revamped Distribution Sector Scheme) 174

10.1.2. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020} 176

10.2. कोयला, तेल और गैस (Coal, Oil and Gas) 178

10.2.1. व्यावसायिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining) 178

10.2.2. प्राकृतिक गैस का विपणन (Natural Gas Marketing) 180

10.3. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) 182

10.3.1. हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा (Hybrid Renewable Energy) 183

10.3.2. भारत में सौर विनिर्माण (Solar Manufacturing in India) 184

11. व्यापार और नवाचार (BUSINESS AND INNOVATION) 187

11.1. व्यापार नीति (Business Policy) 187

11.1.1. कंपनी {कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीति} संशोधन नियम, 2021 [Companies {Corporate Social Responsibility (CSR) Policy} Amendment Rules, 2021] 188

11.2. नवाचार और उद्यमशीलता (Innovation and Entrepreneurship) 190

11.2.1. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (Innovation Ecosystem: What, Why and How?) 191

11.2.2. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India) 193

12. विविध (MISCELLANEOUS) 196

12.1. एक राष्ट्र एक मानक (One Nation One Standard) 196

12.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics) 198

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013-2020 तक पूछे गए प्रश्नों (अर्थव्यवस्था खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

- जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

प्रिय छात्रों,

प्रति वर्ष मेंस–365 डॉक्युमेंट्स के साथ, हमारा उद्देश्य परीक्षा की मांग और छात्रों की संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कंटेंट प्रदान करना है। यह परीक्षा के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी की गति को बनाए रखने में सहायक है।

पिछले 3–4 वर्षों के दौरान, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव आया है, विशेष रूप से अर्थशास्त्र खंड में। प्रश्न प्रकृति में अधिक वैचारिक और अधिक समग्र होते जा रहे हैं। इनमें अब स्टेटिक और करेंट दोनों का संयोजन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए– मुख्य परीक्षा, 2020 में इंट्रा–जेनरेशनल इक्विटी (आंतर्पीढ़ी साम्या) और समावेशी विकास पर पूछा गया प्रश्न।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

- **टॉपिक एक नज़र में:** मेंस–365 के इस डॉक्यूमेंट में 40 से अधिक टॉपिक्स को **"टॉपिक – एक नज़र में"** के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। छात्रों के लिए **टॉपिक – एक नज़र में:**

- **इन्फोग्राफिक्स:** इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट, मैप्स आदि के माध्यम से परीक्षा में आसानी से याद करके लिखा/दर्शाया जा सकता है, जिससे उत्तर में कंटेंट की प्रस्तुति में सुधार होता है।
- **विगत वर्षों के प्रश्न:** छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है। ये बेहतर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

यह डॉक्यूमेंट न केवल अर्थशास्त्र से संबंधित करेंट अफेयर्स के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है बल्कि यह प्रभावी और अच्छी तरह से उत्तर लिखने के लिए आवश्यक एक सुसंगत थॉट प्रॉसेस विकसित करने का भी प्रयास करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट में शामिल आर्टिकल्स को न केवल कंटेंट के लिए बल्कि उत्तर लेखन की बेहतर शैली को समझने और उसे अपनाने के लिए भी पढ़ें।

हम आशा करते हैं कि इसमें ऑर्गनाईज्ड तरीके से शामिल कंटेंट सिविल सेसेवा मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करेगा।

शुभकामनाएं!

टीम VisionIAS

1. रोजगार, कौशल विकास एवं श्रम सुधार (EMPLOYMENT, SKILL DEVELOPMENT AND LABOUR REFORMS)

1.1. रोजगार (EMPLOYMENT)

मुख्य लक्ष्य

- महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाकर इसे कम से कम 30 प्रतिशत तक पहुँचाना।
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का प्रसार करना एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना।
- श्रम बल के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना।
- श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, काम करने की अच्छी स्थिति, उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2019–20 के PLFS के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर 40.1% थी।
- सक्रिय होकर रोजगार की तलाश करने के बावजूद 4.8% कार्यबल बेरोजगार था।
- भारत के कुल कार्यबल में 52 करोड़ श्रमिक शामिल हैं।
- कुल श्रमिकों का 45.6% भाग कृषि में कार्यरत है।
- महिला श्रम बल भागीदारी में 5.5% वृद्धि दर्ज की गई।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1948
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- संपूर्ण रोजगार योजना
- आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन योजना
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

रोज़गार – एक नज़र में

आगे की राह

- श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से **कौशल एवं प्रशिक्षुता को प्रोत्साहित करना।**
- वर्तमान समय को देखते हुए **श्रम कानूनों का सरलीकरण एवं उनमें संशोधन करना।**
- **महिला श्रम बल भागीदारी** को और बढ़ावा देना।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे साधनों के माध्यम से रोजगार के संबंध में **आंकड़े जुटाने की व्यवस्था में सुधार करना।**
- औपचारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए **औद्योगिक संबंधों को सुगम बनाना।**
- **वेतन नियमों और उच्चतम सीमा** को बेहतर ढंग से लागू करना।
- अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना।

बाधाएं

- भारत के कार्यबल का एक बड़ा भाग **निम्न उत्पादकता वाली गतिविधियों** में कार्यरत है।
- बड़ी संख्या में श्रमिक **सामाजिक सुरक्षा या श्रम नियमों के दायरे में शामिल नहीं** हैं।
- स्नातक व्यक्तियों में से आधे से भी कम के पास **अपेक्षित कौशल** है और वे रोजगार के योग्य हैं।
- कार्यबल और उनसे जुड़े रोज़गार के बारे में समय पर आंकड़े नहीं आते हैं और आवधिक आकलन का भी अभाव है।

1.1.1. भारत में बेरोजगारी (UNEMPLOYMENT IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों पर आई तीसरी वार्षिक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक संवृद्धि दर में गिरावट के बावजूद वर्ष 2019-20 में **बेरोजगारी दर कम होकर 4.8%** पर पहुँच गई थी।

बेरोजगारी दर में गिरावट के बावजूद चिंताएं क्यों बनी हुई हैं?

- 15-29 आयु वर्ग (15%) में **उच्च बेरोजगारी दर** विद्यमान है। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में **शहरी युवाओं में उच्च बेरोजगारी** मौजूद है।
- लगभग संपूर्ण कार्यबल में **वृद्धि का कारण कृषि कार्यबल में बढ़ोतरी** है।
- **कृषि में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि,** मुख्यतः अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में हुई है।
- **केवल 12.9% ग्रामीण परिवार** नियमित मजदूरी / वेतन अर्जित करने में लगे हुए थे (शहरी क्षेत्र में 43.1%)। इसके विपरीत, **53.2% ग्रामीण परिवार स्वरोजगार में लगे हुए थे** (शहरी क्षेत्र में 30.7%)।

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण

- भारत में बेरोजगारी में **पारंपरिक कारक** अधिक योगदान करते हैं (जैसा कि चित्र में दिया गया है)।
- धीमी आर्थिक संवृद्धि दर और कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और भी खराब कर दिया है:
  - **लगभग 90% कार्यबल** बिना किसी/कम सामाजिक सुरक्षा के **बुरी तरह से प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है।**
  - लॉकडाउन के कारण **डिजिटल रूप से डिस्कनेक्ट बिजनेस** या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना कर रहे व्यवसायों **का बंद होना।**
  - **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में छंटनी के साथ नौकरी देने में रुकावट वाली गतिविधियां कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी** को और बढ़ा रही हैं।
  - महामारी के बीच, तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के परिणामस्वरूप कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन जैसे मध्य पूर्व के देशों में **भारतीय समुदाय के लोगों को नौकरी की हानि हुई है।**

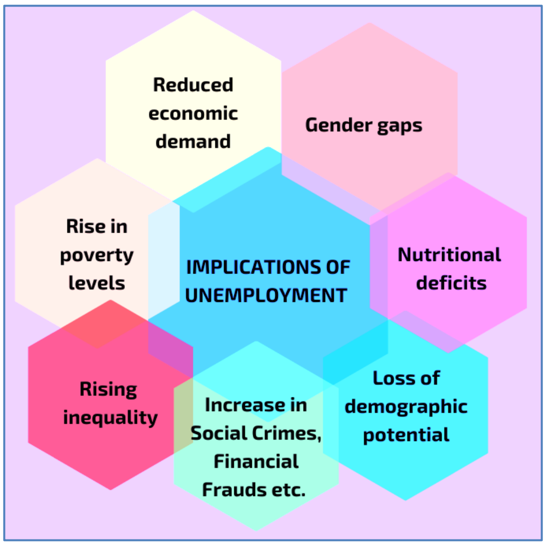

हाल ही में उठाए गए कदम

- **डिजी सक्षम (Digi Saksham):** यह एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी संचालित युग में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करने वाला एक **डिजिटल कौशल कार्यक्रम** है।
- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY):** ABRY को नए **रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु** लॉन्च किया गया था, ताकि **सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई के साथ** रोजगार प्रदान किया जा सके।
- **ई-श्रम (E-Shram) पोर्टल:** इसे **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण** के लिए बनाया गया है।
  - **सभी पंजीकृत श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा।** इससे वे सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे पीएम-श्रम योगी मान-धन योजना) का लाभ उठा सकेंगे।

पारंपरिक बेरोजगारी के कारकों को दूर करने के उपाय

- एक राष्ट्रीय रोजगार नीति को शामिल करते हुए व्यापक रोजगार नीति के माध्यम से **घटती मांग का समाधान करना और रिकवरी में तेजी लाना।**
- वृहद पैमाने पर रोजगार देने की **डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता का दोहन** करना।
- उच्च उत्पादकता और नेटवर्किंग क्षमता के लिए **बेहतर-अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का निर्माण** करना।
- सभी क्षेत्रों में बदलती मांगों को देखते हुए श्रमिकों को **पुन: कौशल (Reskilling) और कौशल में वृद्धि (upskilling)** करना।
- अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में **अर्थव्यवस्था के संक्रमण को सुगम बनाना।**
- सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एक **केंद्रीकृत बेरोजगारी बीमा** योजना शुरू करना।
- मौजूदा बेरोजगारी लाभ योजनाओं की बाधाओं को दूर करना।

1.1.2. नियत कालिक रोजगार (FIXED TERM EMPLOYMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र, सभी के लिए **आदर्श स्थायी आदेश, 2020 (Model Standing Orders, 2020)** के प्रारूप को अधिसूचित किया है। इस प्रारूप दस्तावेज में **कामगारों के वर्गीकरण में से एक के रूप में नियत कालिक रोजगार** का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

नियत-कालिक रोजगार क्या है?

मोटे तौर पर, नियत कालिक रोजगार एक अनुबंध है, जिसमें एक कंपनी (या एक उद्यम) किसी कामगार को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखती है। ज्यादातर मामलों में, यह एक वर्ष के लिए होता है, लेकिन आवश्यकता के आधार पर अवधि समाप्त होने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

इस आदर्श स्थायी आदेश में नियत कालिक रोजगार के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया गया है:

- **परिभाषा:** नियत कालिक रोजगार से अभिप्राय किसी निर्धारित अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा लिखित अनुबंध के आधार पर किसी कामगार को प्रदत्त रोजगार से है।
- **कार्यकाल की समाप्ति:** आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप किसी **कार्यकर्ता की सेवा को समाप्त करना छंटनी (retrenchment) नहीं माना जाएगा।**
- **मुआवज़ा:** प्रारूप यह प्रस्तावित करता है कि वेतन भुगतान अधिक पारदर्शी होगा और **एक कामगार की कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद अधिकतम सात दिनों के भीतर सभी पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाएगा।**
- **पारदर्शिता:** इसमें यह भी कहा गया है कि **वेतन दरों (wage rates) को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नोटिस बोर्ड और औद्योगिक प्रतिष्ठान की वेबसाइट या मानव संसाधन (HR) पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।** यह जानकारी उस भाषा (हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा) में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे अधिकांश श्रमिक परिचित हैं।
- **नवीनीकरण:** अधिकांश देशों के विपरीत, **भारत में निजी कंपनियों द्वारा नियत कालिक अनुबंधों के नवीनीकरण की कोई अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है।**

नियत कालिक रोजगार का विकल्प प्रदान करने की क्या आवश्यकता थी?

- **बदलती कार्य संस्कृति और रोजगार के नए स्वरूपों की मांग:** बढ़ती गिग-अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता की संस्कृति की प्रतिक्रिया में, इस वैधानिक लचीलेपन को (रोजगार की परिभाषा में विस्तार कर) अपनाया गया है।
- **मौसमी और मांग-आधारित उद्योगों की आवश्यकता:** कुछ औद्योगिक क्षेत्र, जैसे- चमड़ा-आधारित उद्योग, वस्त्र बाजार, भोजन उद्योग और अन्य कई प्रकृति में मौसमी या मांग-आधारित उद्योग हैं। **नियत कालिक रोजगार का विकल्प नियोक्ताओं को अल्पावधि के लिए प्रतिभाशाली कार्यबल का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।**
- कंपनियां नियत कालिक अनुबंध के माध्यम से बिचौलियों (मध्यस्थों) के बिना **सीधे अनुबंध श्रमिकों को काम पर रखने** में सक्षम होंगी।
- श्रमिकों को भुगतान में देरी की समस्या को ख़त्म करने हेतु।
- **संविदात्मक रोजगार का विकल्प:** नियत कालिक रोजगार के अंतर्गत, व्यक्ति उन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो संविदात्मक कार्य के विपरीत, समान कार्य के लिए एक स्थायी कामगार को प्राप्त होते हैं।

इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **नौकरी की सुरक्षा (job security) पर संभावित खतरा:** जहां उद्योग नियत कालिक रोजगार के पक्षधर हैं, वहीं ट्रेड यूनियन इसके विरुद्ध रहे हैं। उनका दावा है कि यह नौकरी की सुरक्षा की अवधारणा के विरुद्ध है।
    - उदाहरण के लिए, ट्रेड यूनियन वर्तमान में स्थायी कर्मचारियों को नियत कालिक रोजगार में परिवर्तित करने को लेकर संशयात्मक स्थिति से आशंकित हैं। यद्यपि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी स्थायी कर्मचारी की कार्मिक स्थिति को नियत कालिक रोजगार में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

- **समझौतों को लागू करने में कठिनाई:** नियत कालिक रोजगार का आधार एक लिखित अनुबंध है। इसे कामगारों के लिए यह लागू करना कठिन होगा, क्योंकि अधिकांश कार्यबल की वित्तीय क्षमता और अनुबंधों को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता सीमित है।

आगे की राह

यह अधिसूचना एक ऐसा कदम है जो श्रम हितों पर कोई समझौता किए बिना, भारत को विनिर्माण क्षेत्र के वैश्विक मानचित्र पर बनाए रखने के केंद्र सरकार के प्रयोजन को इंगित करता है। परंतु इसकी प्रभावशीलता **श्रम संहिताओं, आदेश** और **पूरक श्रम सुधारों के कार्यान्वयन** पर निर्भर करेगी।

1.1.3. गिग अर्थव्यवस्था (GIG ECONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 'अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में गिग नौकरियों में वृद्धि होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट का अनुमान है कि **गिग इकॉनमी** में भारत के गैर-कृषि क्षेत्रों में वर्ष 2028 तक **9 करोड़ नौकरियां प्रदान करने की क्षमता है।** इसमें अकेले दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से **भारत के GDP में 1.25% तक वृद्धि** करने की भी क्षमता है।

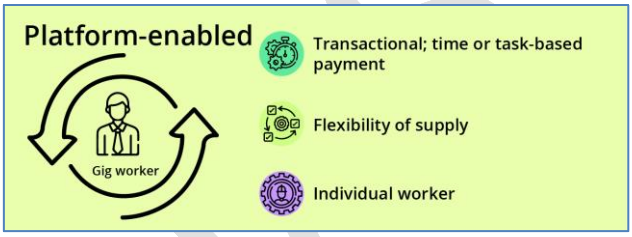

गिग वर्क या कार्य क्या है?

- **गिग वर्क** वह कार्य है, जिसमें संगठन प्रति-समय या प्रति-कार्य के आधार पर अल्पकालिक रोजगार के लिए स्वतंत्र कामगारों के साथ अनुबंध करते हैं। इसमें भविष्य में कार्य देने की किसी तरह की गारंटी या प्रतिबद्धता नहीं होती है।
  - इस प्रकार, गिग वर्कर के पास **काम के घंटे चुनने का लचीलापन होता है और कमाई पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है।**
- **गिग अर्थव्यवस्था में उभरते व्यवसाय मॉडल:**
  - **डिजिटल मार्केटप्लेस** सौंदर्य, फिटनेस, प्लंबिंग, विद्युत मरम्मत आदि जैसे आला (niche) क्षेत्रों में कुशल मांग-आधारित सेवा प्रदाताओं को एक अवधि के लिए नियोजित करते हैं। साथ ही, उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार अनुबंध के आधार पर ये सेवाएं प्रदान करते हैं। **उदाहरण के लिए- अर्बनकंपनी।**
  - **सर्विस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म** विभिन्न पेशेवर सेवाओं की मांग को सूचीबद्ध करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सूची का बाद में उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं के साथ मिलान किया जा सकता है। **उदाहरण के लिए- ट्रूलांसर (Truelancer)।**
  - **परिसंपत्ति/सेवा साझाकरण** एक परिसंपत्ति साझाकरण व्यवसाय मॉडल है। यह गिग कामगारों को परिवहन, आवास और डिलीवरी जैसी विशिष्ट सेवाओं की पेशकश करने के लिए काम पर लगाता है। **उदाहरण के लिए- उबर (Uber)।**

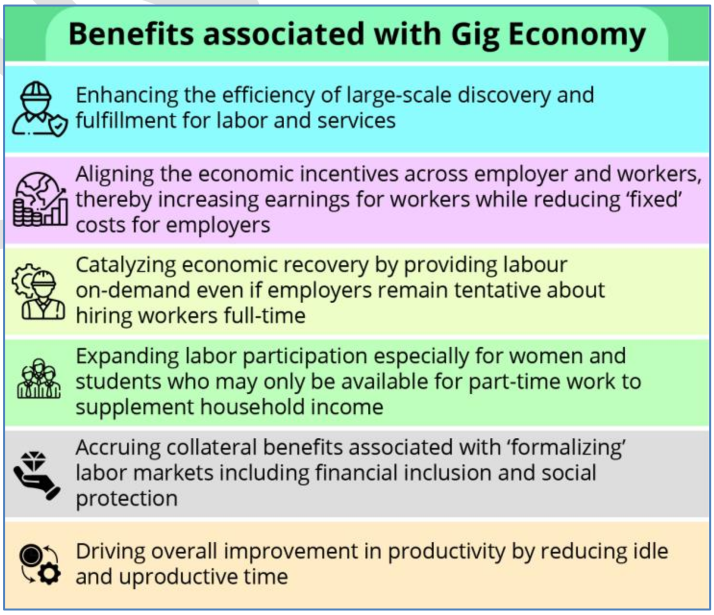

गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **रोजगार की अल्प सुरक्षा और अस्थिर आय:** गिग कामगारों द्वारा अर्जित की जाने वाली आय अप्रत्याशित या अनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विशेष रूप से **रोजगार की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं** होने का उच्च जोखिम भी होता है।
- **सामाजिक सुरक्षा लाभ का अभाव:** गिग अर्थव्यवस्था में नौकरियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आदि जैसे कोई सुरक्षा उपाय नहीं होते हैं।
- **कौशल में बढ़ोतरी और करियर की प्रगति के सीमित अवसर** होते हैं, जबकि ये पारंपरिक नौकरियों के साथ जुड़े होते हैं।

- **कामगारों का संभावित शोषण:** गिग कार्य की प्रकृति व्यक्तिगत होने के कारण, पारंपरिक कर्मचारियों के विपरीत, गिग वर्कर्स यूनियन नहीं बना सकते हैं और सामूहिक रूप से सौदेबाजी भी नहीं कर सकते हैं।
- **श्रम कानूनों को लागू करना:** अंतर्राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रों में डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म्स पर कार्य की बिखरी हुई प्रकृति के कारण **श्रम कानूनों के अनुपालन की निगरानी करना कठिन** हो जाता है।
- **शहरी-ग्रामीण असमानता:** वर्तमान में भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग रोजगार के अवसरों की पहचान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सहज हैं। इसी कारण गिग अर्थव्यवस्था में वे सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं।
- **कौशल की कमी:** भारतीय कार्यबल में उपयुक्त कौशल की कमी हो सकती है। विशेष रूप से व्हाइट कॉलर जॉब में मांग-आधारित गिग अर्थव्यवस्था की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में यह कमी स्पष्ट दिखाई दे सकती है।
  - **भारतीय स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम** श्रम बाजार की बदलती **कौशल मांगों को पूरा करने में विफल रहे हैं।**

आगे की राह

- **आधारभूत कार्यस्थल प्रशिक्षण:** पारंपरिक और गिग कार्य व्यवस्थाओं दोनों से जुड़े देखभाल के मानकों को समान करने के लिए गिग श्रमिकों को जरूरी बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- **सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा:** गिग कामगारों की आवश्यकताओं को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मौजूदा पात्रता और सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को अपडेट करने की जरूरत है।
  - उदाहरण के लिए, एक **सार्वभौमिक श्रम गारंटी को स्थापित किया जा सकता है जो सभी श्रमिकों या कामगारों को श्रमिक या कामगार सुरक्षा आधार प्रदान करती हो।** इसमें श्रमिकों के मौलिक अधिकार, पर्याप्त जीवनयापन-योग्य मजदूरी, काम के घंटों की सीमा आदि शामिल होनी चाहिए।
- **कौशल के अभाव को दूर करना:** इस कमी को त्रि-आयामी रणनीति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये रणनीतियां हैं-मांग आधारित कौशल के लिए **कुशलता प्रदान करना (Skilling),** संभावित नौकरी के नुकसान का सामना कर रहे कामगारों को **पुन:कौशल प्रदान करना (Reskilling)** तथा जीवन भर सीखने के हिस्से के रूप में **कौशल में वृद्धि (upskilling) करना।**
- **कार्य का आश्वासन:** कंपनियों को विशेष रूप से **आय और कार्य की मात्रा** के संबंध में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।

1.2. कौशल विकास (SKILL DEVELOPMENT)

कौशल विकास – एक नज़र में

मुख्य लक्ष्य

- भारत में औपचारिक रूप से कौशल प्राप्त श्रमिकों की संख्या कुल कार्यबल के मौजूदा **6.4% से बढ़ाकर कम से कम 16% करना।**
- कौशल विकास में **एकरूपता सुनिश्चित करना** और लिंग, स्थान, संगठित/असंगठित श्रम आदि के आधार पर विभाजन को न्यूनतम करना।
- भारत के कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को **वैश्विक मानकों के अनुरूप** लाया जाना चाहिए।
- कौशल विकास को **माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग** बनाया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति

- भारत की **54% आबादी की आयु 25 वर्ष से कम** है।
- **अगले 25 वर्षों तक** जनसांख्यिकीय लाभांश के इसी प्रकार बने रहने की उम्मीद है।
- भारत के कुल कार्यबल में से 5.4% ने **औपचारिक कौशल प्रशिक्षण** प्राप्त की है।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों से पास होने वाले **केवल 47% व्यक्ति अपेक्षित रोज़गार के योग्य** हैं।
- PMKVY के अंतर्गत लगभग **70 लाख अभ्यर्थियों द्वारा कौशल** प्राप्त किया गया है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को लागू करने के लिए **वर्ष 2014 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना** की गई थी
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- प्रधान मंत्री युवा (YUVA) योजना
- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प/SANKALP) और औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव / STRIVE)
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन हेतु **कौशल भारत मिशन**
- आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम
- कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन (स्मार्ट/SMART)

आगे की राह

- क्षेत्र–वार और भौगोलिक दृष्टि से मांग के अनुसार कौशल विकास परिवेश हेतु कौशल आवश्यकताओं का **मानचित्रण।**
- प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित मूल्यांकन करते हुए **प्रशिक्षण और गुणवत्ता** में सुधार करना।
- बाजार कौशल की मांग और आपूर्ति का आकलन करने में सक्षम होने के लिए नियमित **कौशल सर्वेक्षण** करना।
- उपयुक्त **प्रशिक्षुता कार्यक्रमों** की योजना बनाना।
- **कौशल विकास से संबंधित शिक्षा** में इस प्रकार सुधार करना कि वह आई.टी.आई. से तुलना योग्य बन सके।
- कौशल विकास के लिए **वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों** जैसे कि CSR, CAMPA, MPLAD फंड, मनरेगा आदि का उपयोग किया जा सकता है।

बाधाएं

- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का **अविकसित और खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा।**
- व्यावसायिक प्रशिक्षण की तुलना में **कम**
- **संख्या में छात्रों का आकर्षित होना।**
- कौशल की प्रक्रिया और शिक्षणशास्त्र दोनों में **उद्योग की भागीदारी का अभाव।**
- **कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी** अभी भी कम है।
- कम संख्या में रोज़गार मिलने और प्रशिक्षण संस्थानों तथा उद्योग के बीच कंजोर संबंधों के कारण **छात्रों के लिए उचित करियर मार्गदर्शन का अभाव।**
- यदि **"स्किल सेट"** (प्रदत्त प्रशिक्षण) उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तो जनसांख्यिकीय लाभ **जनसांख्यिकीय आपदा** में परिवर्तित हो सकता है।

1.3. श्रम कानून में सुधार (LABOUR LAWS REFORM)

श्रम कानून सुधार – एक नज़र में

श्रम कानून और उनकी भूमिका

- इसका आशय श्रम से जुड़े कानूनों, प्रशासनिक निर्णयों एवं इस मामले में पहले के निर्णयों से है, जो कामकाजी लोगों और उनके संगठनों के कानूनी अधिकारों तथा प्रतिबंधों से संबंधित होते हैं।
- श्रम कानून निम्नलिखित तीन प्रमुख भूमिका निभाते हैं:
  - श्रमिकों और कर्मचारियों के बीच **कानूनी शक्तियों का पुनर्वितरण।**
  - व्यक्तिगत और सामूहिक **रोजगार संबंधों** में सुगमता।
  - ये कार्यस्थल पर **मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों को याद दिलाते हैं तथा उनके लिए एक गारंटी** के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में श्रम कानूनों का विकास

- स्वतंत्र भारत के श्रम कानूनों को **महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों, संविधान सभा की बहसों, संविधान के प्रावधानों और ILO के सम्मेलनों तथा सिफारिशों** से जोड़ा जा सकता है।
- स्वतंत्रता के पश्चात्, श्रम कानून मुख्य रूप से **सरकार द्वारा निर्देशित "राष्ट्र–निर्माण" की आर्थिक नीति** से प्रेरित थे।
- 1990 के दशक में जब उदारीकरण आरंभ हुआ तो एक नई औद्योगिक नीति पर काम किया गया। इसके चलते श्रम बाजार का विनियमन ढीला पड़ने लगा।

भारत के श्रम कानूनों में सुधार और संहिताकरण

भारत के श्रम कानूनों में सुधार और संहिताकरण की आवश्यकता क्यों?

- श्रम कानून **अत्यधिक जटिल** और प्रकृति में अतिव्यापी हैं। इनकी **संख्या भी बहुत अधिक** है।
- श्रम से जुड़े विवादों को निपटान के लिए आगे बढ़ाने में देरी और दिए गए निर्णयों को लागू कराने के मामले में कानूनों का **खराब प्रवर्तन।**
- उच्च प्रशासनिक दबाव वाली फर्मों के **विकास में बाधा** और आसान एग्जिट (निकासी) विकल्प का अभाव।
- ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से **अधिक पूंजी प्रधान उद्योगों को बढ़ावा** दे रहे हैं।
- एक प्रतिष्ठान या कंपनी के भीतर बड़ी संख्या में श्रमिक संघों की मौजूदगी उनके **सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित** करती है।
- श्रमिकों के **अपर्याप्त कवरेज से अन्य सामाजिक मुद्दों (जैसे– गरीबी) को बढ़ावा** मिलता है।

इन मुद्दों पर श्रम संहिता का संभावित प्रभाव

- इससे **श्रम कानूनों के एकीकरण और सरलीकरण** को बढ़ावा मिलेगा।
- इसमें **श्रमिकों और प्रतिष्ठानों की अधिक से अधिक श्रेणियों को शामिल किया गया** है।
- यह **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन** जैसे प्रावधानों के साथ सभी को **समय पर न्यूनतम वेतन भुगतान की गारंटी** देती है।
- यह 300 से कम श्रमिकों वाली कंपनियों को आधिकारिक अनुमति के बिना श्रमिकों की छंटनी करने, उन्हें नौकरी से हटाने या व्यवसाय बंद करने की अनुमति प्रदान करती है। इससे **फर्मों के विकास और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।**
- यह वेब–आधारित निरीक्षणों और कुछ मामलों में अपराध शमन के माध्यम से **श्रम प्रशासन में सुधार** करती है।
- यह ठेकेदार की जिम्मेदारियों में वृद्धि कर **संविदा/निविदा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा** को बढ़ाती है।
- यह 51% सदस्यता वाले **वार्ता संघों (negotiation unions)** को मान्यता प्रदान करती है।
- यह उद्यमियों के लिए **'एक लेबर रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण'** नीति के साथ प्रक्रिया को आसान बनाती है।

नई एकीकृत संहिताओं के सामने मौजूद मुद्दे और चिंताएं

- **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है** और इससे **श्रम सस्ता होने की प्रक्रिया** शुरू हो सकती है।
- कुछ मामलों में सरकार का **क्षेत्राधिकार बढ़ गया** है।
- **विधि बनाते समय अति–प्रत्यायोजन** पर जोर देने के चलते कुछ कानूनों में विधायी संवीक्षा की उपेक्षा हुई है।
- इन संहिताओं से **छूट प्रदान करने** में केंद्र एवं राज्य सरकार के पास **व्यापक स्वतंत्रता** है।
- गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों की **परिभाषाओं के बीच दोहराव या अतिव्यापन।**
- सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक (उपजीविका) सुरक्षा जैसी कुछ संहिताएं सभी श्रमिकों पर लागू नहीं होती हैं।
- **अन्य उभरती हुई चुनौतियां:** "क्राउड–वर्क" या "ऑन–डिमांड" वर्क से जुड़े नए कार्यबल के साथ समन्वय स्थापित करना।

अन्य कदम जो उठाए जा सकते थे

- राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने **लघु इकाइयों के लिए एक अलग कानून की सिफारिश** की थी।
- श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020) ने सिफारिश की कि सुरक्षा संहिता को **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा** प्राप्त करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहिए।
- राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम से जुड़े सभी मामलों के निपटान के लिए **श्रम अदालतों, लोक अदालतों** और **लेबर रिलेशन कमीशन (LRC)** के रूप में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की एक व्यवस्था की सिफारिश की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2016 में इस बात पर बल दिया था कि कुल कार्यबल में **निश्चित अवधि (फिक्स्ड टर्म) वाले और एड–हॉक श्रमिकों** को रखने पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया जाए। इससे उनके अति–शोषण को रोका जा सकता है।
- राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने में सक्षम बनाने हेतु एक विशिष्ट प्रावधान** किया जा सकता है।

संसद ने श्रम सुधारों को बढ़ावा देने के लिए श्रम संहिता से जुड़े तीन विधेयक पारित किए हैं- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (इनके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है)।

1.3.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (CODE ON INDUSTRIAL RELATIONS, 2020)

- यह तीन पूर्ववर्ती कानूनों की अधिकांश विशेषताओं को संयुक्त करती है। ये कानून हैं:
  - व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926);
  - औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 {Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946}; तथा
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **श्रमिक (worker) की परिभाषा:** यह 'श्रमिक' को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारिश्रमिक या प्रतिफल (रिवॉर्ड) के लिए काम करता है। यह संहिता **18,000 रुपये** से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वाले उन लोगों को अपने दायरे से बाहर करती है जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता या पर्यवेक्षी क्षमता (supervisory capacity) की दृष्टि से नियोजित हैं।
- **बंदी (closure), कामबंदी और छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति:** कम से कम 300 श्रमिक रखने वाले किसी प्रतिष्ठान के लिए बंदी, कामबंदी और छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार को **अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है।**
- **वार्ताकारी संघ और परिषद (Negotiating Union and Council):** इसमें कहा गया है कि केवल एक वार्ताकार संघ को मान्यता दी जाएगी और उसके पास एक ट्रेड यूनियन के समान अधिकार होंगे।
- **विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण:** इसमें औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगा।
- **नियत अवधि का नियोजन (Fixed term employment):** नियत अवधि का नियोजन वस्तुतः श्रमिक और नियोक्ता के बीच हस्ताक्षरित संविदा के आधार पर नियत अवधि के लिए नियोजित श्रमिक को संदर्भित करता है। यह नियोक्ताओं को श्रमिकों को रखने की अनुमति दे सकता है, अभिकरण या ठेकेदार जैसे बिचौलिओं की भूमिका कम कर सकता है और साथ ही श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह संविदा श्रमिकों की तुलना में अस्थायी श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में सहायता कर सकता है, जिन्हें ऐसे लाभ नहीं प्रदान किए जा सकते हैं।
- **पुनर्कौशल फंड (Re-skilling fund):** नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों का पुनर्कौशल करने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड में अंशदान औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान के साथ-साथ छंटनी से तत्काल पहले श्रमिक द्वारा अंतिम रूप से आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर होगा।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं

- **यह श्रमिकों की हड़ताल करने और श्रमिकों को लॉक-आउट करने की नियोक्ताओं की क्षमता को प्रभावित कर सकती है:**
  - सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए इस संहिता का विस्तार किया गया है, तथा कानूनी तौर पर हड़ताल करने से पूर्व आवश्यक नोटिस देने और अन्य शर्तों को आरोपित किया गया है। इस प्रकार, इसमें हड़ताल या लॉक-आउट से पहले 14 दिनों की पूर्व सूचना को आवश्यक बनाया गया है। साथ ही, यह संहिता अनेक परिस्थितियों में हड़ताल और लॉक-आउट पर प्रतिबंध लगाती है।
  - **इससे पहले ये प्रावधान** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत **केवल सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं** (जैसे- रेलवे, एयरलाइंस तथा जल, विद्युत और दूरभाष सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों) के लिए लागू होते थे। इस प्रकार, **नोटिस संबंधी प्रावधान को सभी प्रतिष्ठानों के लिए विस्तार करने का औचित्य अस्पष्ट** है।
  - राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अधिकांश लोगों के जीवन पर इनके प्रभाव को देखते हुए ऐसे उद्योगों से अलग तरीके से व्यवहार करने के औचित्य को न्यायोचित ठहराया था।
- **कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:**
  - यह संहिता **सरकार को कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से अधिकरण के निर्णय (अवार्ड) को संशोधित या अस्वीकार करने की व्यापक शक्ति देती है। इस प्रकार, इससे हितों के टकराव का प्रश्न व्युत्पन्न होता है।**
  - इस संहिता में यह उल्लेख है कि एक अधिकरण द्वारा पारित निर्णय 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रवर्तनीय (लागू) होगा। हालांकि, सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के प्रवर्तन को स्थगित कर सकती है।
    - उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में भी इसी प्रकार के प्रावधान थे। हालांकि, वर्ष 2011 में मद्रास उच्च न्यायालय ने संवैधानिक आधार पर इन प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
- **व्यावसाय संघों (trade unions) के गठन पर प्रभाव:** यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में पंजीकृत व्यावसाय संघों (न्यूनतम 10% सदस्यों का समर्थन आवश्यक) की संख्या एक से अधिक है, लेकिन किसी भी संघ के पास वार्ताकारी परिषद में भाग लेने के लिए कम से कम 20% श्रमिकों का अपेक्षित समर्थन नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा।

- **इस संहिता में कई शब्द परिभाषित नहीं हैं:** यह संहिता 'प्रबंधक', 'पर्यवेक्षक', 'ठेकेदार' और 'प्रतिष्ठान' शब्दों को परिभाषित नहीं करती है। ऐसे में इनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है।

1.3.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020)

- यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। इनमें:
  - कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952;
  - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
  - असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के प्रमुख प्रावधान

- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह संहिता **सभी प्रतिष्ठानों पर लागू** होती है तथा प्रतिष्ठान के आकार-प्रकार का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social security fund):** इस संहिता में यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार **असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए** इस प्रकार के कोष की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन करेंगी।
- इसमें सभी तीनों श्रेणियों के श्रमिकों, यथा- असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के **पंजीकरण का प्रावधान है।**
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** उपर्युक्त तीन श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु और उनके लिए योजनाओं की अनुशंसा व निगरानी करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- **योजनाओं के लिए अंशदान:** गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं का वित्त-पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और समूहकों के संयुक्त अंशदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** इनमें (i) ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए 'कर्मचारियों', (ii) किसी अन्य राज्य से स्व-नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों", (iii) सेवाओं या गतिविधियों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों" (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है), (iv) फिल्मों, वेब-आधारित धारावाहिकों, टॉक शो, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स शो को सम्मिलित करने के लिए ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शंस की परिभाषाओं का विस्तार करना सम्मिलित है।
- **अपराध और अर्थदंड:** यह संहिता कतिपय अपराधों के लिए दंड में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए, किसी निरीक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए अधिकतम कारावास एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया है।
- **महामारी के दौरान अतिरिक्त शक्तियां:** इस संहिता के तहत कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है जिन्हें महामारी की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार सर्वव्यापी महामारी तथा स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में तीन महीने की अवधि तक नियोक्ता या कर्मचारी का अंशदान (PF और ESI के अंतर्गत) स्थगित या कम कर सकती है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं/मुद्दे

- **कोई सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा नहीं:**
  - **पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ केवल न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों (जैसे कि 10 या 20 कर्मचारी) को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य बने हुए हैं।** अन्य सभी श्रेणियों के श्रमिक (अर्थात् असंगठित श्रमिक), जैसे कि 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों को सरकार द्वारा अधिसूचित विवेकाधीन योजनाओं द्वारा अच्छादित किया जा सकता है। ऐसे में अत्यधिक संख्या में श्रमिक इन योजनाओं से बाहर बने रह सकते हैं।
  - **इस संहिता द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि के आधार पर एक ही प्रतिष्ठान के भीतर कर्मचारियों से अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है।** उदाहरण के लिए- भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ, पात्र प्रतिष्ठानों में केवल एक निश्चित सीमा (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) से ऊपर अर्जन करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हैं।
  - **यह संहिता सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए विद्यमान खंडित ढांचा बनाए रखना जारी रखे हुए है।** इनमें: (i) कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) और इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजनाओं का प्रशासन करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड तथा (ii) ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना का प्रशासन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम सम्मिलित हैं।
- **गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट हैं:** यह संहिता विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए परिभाषाओं का सूत्रपात करती है। हालांकि, **उनकी परिभाषाओं को लेकर कुछ अस्पष्टताएं विद्यमान हैं।** उदाहरण के लिए, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए काम करने वाला चालक अपनी रोजगार की प्रकृति के कारण एक ही समय में एक गिग श्रमिक, प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक और असंगठित श्रमिक हो सकता है। परिभाषाओं में इस प्रकार के अतिव्यापन के कारण, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रमिकों की इन श्रेणियों के लिए विशिष्ट योजनाएं कैसे लागू होंगी।

VISION IAS

* **आधार के साथ अनिवार्य लिंकिंग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर सकती है:** यह संहिता कर्मचारी या श्रमिक (असंगठित श्रमिक सहित) के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने या यहां तक कि करियर केंद्र से भी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। इससे पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन हो सकता है।

1.3.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (CODE ON OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS, 2020)

* यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करने वाले 13 वर्तमान अधिनियमों का समेकन करती है। इनमें:
    * कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948);
    * खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952);
    * ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 {Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970} आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

* **प्रतिष्ठानों के अच्छादन के लिए सीमा (Threshold for coverage of establishments):**
    * **कारखाना (Factory):** यह कारखाने को ऐसे किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करती है, जहां विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है और वह: (i) 20 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग करके विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, या (ii) 40 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग किए बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, से अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।
    * **खतरनाक गतिविधि में संलग्न प्रतिष्ठान (Establishments engaged in hazardous activity):** इसमें श्रमिकों की संख्या से निरपेक्ष ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है जहां कोई खतरनाक गतिविधि की जाती है।
    * **संविदा या ठेका श्रमिक (Contract workers):** यह संहिता 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित (विगत एक वर्ष में किसी भी दिन) करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों (केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित) पर लागू होगी। साथ ही, यह प्रमुख (कोर) गतिविधियों (इसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा) में संविदा या ठेका श्रम पर प्रतिबंध आरोपित करती है।
* **काम के घंटे और रोजगार की स्थितियां:**
    * **दैनिक काम के घंटों की सीमा:** यह संहिता काम के लिए प्रति दिन आठ घंटे की अधिकतम सीमा निश्चित करती है।
    * **महिलाओं का नियोजन:** महिलाएं **सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किए जाने हेतु अर्ह होंगी।** यदि उन्हें खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो **सरकार नियोक्ता के लिए उनके नियोजन से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक बना सकती है।**
* **छूट:** यह संहिता **राज्य सरकार** को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजित करने के लिए इस संहिता के प्रावधानों से **किसी भी नए कारखाने को छूट देने का अधिकार** देती है।
* **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक:**
    * **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा:** कोई भी व्यक्ति जो अपने आप दूसरे राज्य में जाता है और वहां रोजगार प्राप्त करता है तथा अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह, या ऐसी उच्चतर राशि अर्जित कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।
    * **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ:** इसमें सम्मिलित हैं: (i) या तो मूल राज्य में या रोजगार देने वाले राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प, (ii) रोजगार देने वाले राज्य में भवन और अन्य निर्माण उपकर निधि के अंतर्गत लाभों की उपलब्धता, तथा (iii) एक ही प्रतिष्ठान में अन्य श्रमिकों को उपलब्ध बीमा और भविष्य निधि लाभ।
    * इस संहिता में विस्थापन भत्ते (Displacement allowance) के प्रावधान को हटा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2019 के विधेयक में विस्थापन भत्ते का प्रावधान किया गया था। इसमें अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती के समय उन्हें विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान था, जो उनकी मासिक मजदूरी के 50% के बराबर था।
    * **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस:** केंद्र और राज्य सरकारों को एक पोर्टल में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण बनाए रखना या अभिलेखित करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा और आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं।
    * **असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि:** इस संहिता के अंतर्गत कतिपय अर्थदंड के आरोपण से एकत्रित राशि इस निधि में जमा की जाएगी। सरकार इस निधि में धन हस्तांतरित करने के लिए अन्य स्रोत भी निर्धारित कर सकती है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं:

* **कुछ विशेष प्रावधानों का औचित्य अस्पष्ट है:**
    * इसमें कुछ सामान्य प्रावधान किए गए हैं, जो सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। इनमें पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने और नियोक्ताओं के कर्तव्यों के प्रावधान सम्मिलित हैं। हालांकि, इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

पर लागू होते हैं, जैसे- कारखानों और खानों के श्रमिक, या दृश्य-श्रव्य श्रमिक, पत्रकार, बिक्री संवर्धन कर्मचारी, संविदा श्रमिक और निर्माण श्रमिक।

- जहां कुछ कारखानों और खानों जैसे खतरनाक प्रतिष्ठानों एवं संविदा श्रमिकों जैसे सुभेद्य श्रमिकों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान न्यायोचित प्रतीत होते हैं, वहीं अन्य श्रमिकों के लिए इन विशेष प्रावधानों को अनिवार्य बनाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

- **सिविल न्यायालय को इस संहिता के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने से अपवर्जित किया गया है:**
  - वर्तमान 13 स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत, मजदूरी, काम के घंटों व छुट्टी जैसे श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले दावों की सुनवाई श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों द्वारा की जाएगी।
  - हालांकि, इन मामलों में यह संहिता दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करती है। इस संबध में एकमात्र उपलब्ध उपाय यह है कि पीड़ित व्यक्ति को संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे रिट याचिका दायर करना होगा। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए सिविल न्यायालयों को अपवर्जित करने से पीड़ित व्यक्ति निचले न्यायालय के समक्ष कुछ मुद्दों को चुनौती देने के अवसर से वंचित हो सकता है।

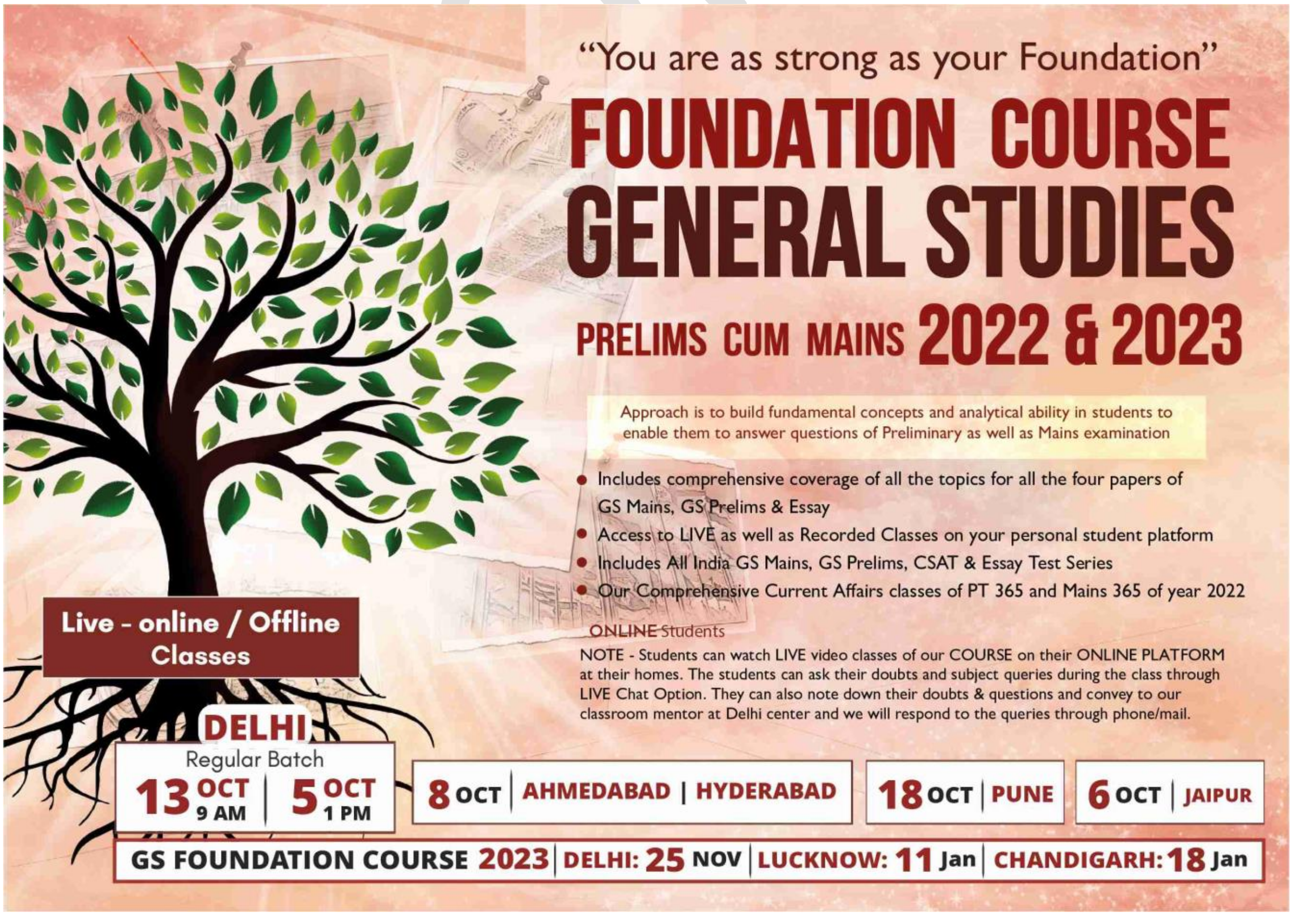

2. आर्थिक सुधार और समावेशी विकास (ECONOMIC REFORMS AND INCLUSIVE GROWTH)

2.1. आर्थिक सुधार (ECONOMIC REFORMS)

2.1.1. वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष (30 YEARS OF 1991 ECONOMIC REFORMS)

वर्ष 1991 के सुधारों के 30 साल– एक नज़र में

1991 के सुधारों की पृष्ठभूमि

संकट के मूल कारण

- **लाइसेंस राज:** उस समय व्यवसायों को स्थापित करने और चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था जिसे "लाइसेंस राज" या "परमिट राज" कहा जाता था। उस समय प्रचलित नियम–कानून के कारण पूरे सिस्टम पर लालफीताशाही का राज था।
  - इसे बड़े पैमाने पर MRTP अधिनियम, 1969 के माध्यम से लागू किया जाता था।
- **आयात प्रतिस्थापन की नीति:** उस समय की जो व्यापार नीति लागू थी, वह आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादों या उत्पादन पर बल देती थी। इससे भारतीय उद्योगों का एकतरफा एकाधिकार स्थापित हो गया था। साथ ही, उन्हें सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन भी मिलता था।
- **बंद अर्थव्यवस्था:** उस समय रुपया अपरिवर्तनीय था अर्थात् रुपये को अन्य विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने पर रोक लगा हुआ था। उच्च प्रशुल्क (या टैरिफ) और आयात के लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था के कारण विदेशी वस्तुओं का घरेलू बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। नौकरशाही के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण अक्सर अर्थहीन प्रतिबंध लगाए गए।

संकट का तत्कालिक कारण

संकट के तात्कालिक कारणों में अग्रलिखित को शामिल किया जा सकता है– बॉम्बे हाई में तेल की खोज के कारण संतोष, सोवियत संघ के विघटन के बाद रुपया–रूबल व्यापार का पतन और खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। इसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन (BoP) का संकट उत्पन्न हो गया:

- **1985:** आय और व्यय के बीच लगातार असंतुलन के कारण BoP की समस्याएं शुरू हुईं।
- **1990:** केंद्र सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान या ब्याज चुकाने में लगभग असमर्थ हो गयी थी।
- **1991:** आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक गिर गया।

इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां भारत विदेशी संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से मदद मांगने पर विवश हो गया था।

इस संकट के पैदा होने पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

- **उदारीकरण:** उदारीकरण विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना या कम से कम नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार (यथा– निजी बैंकों की स्थापना तथा विदेशी निवेश में वृद्धि) एवं कराधान से संबंधित सुधार।
- **निजीकरण:** इसके तहत उद्योगों के लिए 'अनारक्षित सूची' (डिरिजर्व्ड लिस्ट) का विस्तार किया गया। इस प्रकार निजी भागीदारी और विनिवेश को प्रोत्साहन मिला जिससे बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली।
- **वैश्वीकरण:** वैश्वीकरण का विचार अपनाया गया और इसे बढ़ावा भी दिया गया। इसके लिए व्यापार और निवेश नीति में सुधार किए गए, जैसे– मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, आयात प्रक्रियाओं को हटाना और निर्यात शुल्क को कम करना। साथ ही, विदेशी मुद्रा सुधार से संबंधित कदम भी उठाए गए, जैसे– रुपये का अवमूल्यन।

इन सुधारों का प्रभाव

- भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 140 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- FDI और FII में निरंतर उदारीकरण के चलते, दोनों का सामूहिक निवेश 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
- इस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल वस्तुओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं, आई.टी. सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल का एक सफल निर्यातक बन गया है। वर्ष 1991 के बाद सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई।
- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से एक जीवंत पूंजी और वित्तीय बाजार विकसित हुआ।
- अर्थव्यवस्था के खुलने से मांग–आपूर्ति संतुलन सकारात्मक हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोग में वृद्धि हुई है और मध्यम वर्ग का विकास हुआ है।

इन सुधारों ने स्वास्थ्य और शिक्षा, राजनीति की प्रकृति, संस्कृति तथा तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है।

चुनौतियां, जिनका समाधान नहीं हुआ

- जी.डी.पी. वृद्धि के असमान बने रहने और रोजगार के संतुलित स्तर पर न होने के कारण **सीमित समावेशिता और रोजगार विहीन विकास को बढ़ावा** मिला है।
- कराधान ढांचा अभी भी **जटिल और प्रतिगामी** है, क्योंकि कर राजस्व का लगभग आधा हिस्सा अप्रत्यक्ष कराधान से प्राप्त होता है।
- इन सुधारों से **कृषि क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं** मिला है।
- **नीतियों में अचानक बदलाव और नीतिगत स्तर पर निरंतरता का अभाव** भारतीय बाजार को अस्थिर और कम आकर्षक बनाते हैं।
- **बुनियादी ढांचे में स्थायी कमी** से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **भारत में वित्तीय क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है।** बैंक, बॉण्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार आदि का विकास अपर्याप्त है।
- **मानव संसाधन विकास पर कम ध्यान।**

आर्थिक नीतियों के भविष्य हेतु आगे की राह

- धन के संकेंद्रण को रोकने वाली नीतियों के अलावा निजीकरण को और बढ़ावा देने के लिए **निजीकरण में विविधता लाना।**
- विकास को और अधिक समावेशी बनाने हेतु शेयरधारक पूंजीवाद से स्टेकहोल्डर/हितधारक पूंजीवाद की ओर बढ़ना।
- **एकीकृत एवं प्रगतिशील कराधान प्रणाली** के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना।
- अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में स्पष्टता लाना।
- उद्योग से लेकर श्रम तक देश में आर्थिक माहौल को सरल एवं कारगर बनाने हेतु समग्र सुधार करना।
- बैंक, फिनटेक क्षेत्र, वित्तीय बाज़ार सहित वित्तीय क्षेत्रक हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना।
- भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास के चलते, राज्य को सुधार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है।
- आर्थिक व नीतिगत सुधारों में सतत विकास लक्ष्यों द्वारा प्रचारित विचारों और लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2.1.2. महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था (POST-PANDEMIC ECONOMY)

वर्तमान महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था – एक नज़र में

कोविड–19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित कमियों या दरारों को उजागर किया है:

- वर्तमान महामारी के कारण **स्थायी आर्थिक गिरावट (स्लोडाउन)** देखने को मिला। **NPA** संकट और **GST** के संक्रमण अवधि से जुड़े प्रभावों ने इसे और बढ़ा दिया था।
- सेवा क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के कारण **आर्थिक अस्थिरता की स्थिति** उजागर हुई है।
- पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने में असमर्थता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की **सीमित वित्तीय क्षमता** को उजागर किया है।
- **सरकार और निजी क्षेत्रक के बीच विश्वास की कमी** को शीघ्र रिकवरी में बाधा तथा निम्न मांग–आपूर्ति संतुलन सृजन करने वाले कारक के रूप में देखा जा सकता है।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर व्यवधान **आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की कमी** की दर्शाता है।
- अर्थव्यवस्था के **बहुत अधिक अनौपचारिक** होने के परिणामस्वरूप प्रवासी संकट उत्पन्न हुआ तथा बड़े पैमाने पर रोजगार की क्षति हुई है।
- इस महामारी ने अनेक लोगों को निर्धनता जाल में धकेल दिया है, जो **अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की गहरी जड़ों** को दर्शाता है।
- निर्धन वर्गों द्वारा सामना किए गए असंगत प्रभावों ने **असमानता की उलझी हुई प्रकृति और आर्थिक विकास के प्रचलित मॉडल को उजागर** किया।
- वन्यजीवों की बढ़ती उपस्थिति एवं पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक रूप से हुए सुधार ने **आर्थिक संवृद्धि की वर्तमान गैर–संधारणीय या नकारात्मक प्रकृति** को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है।

अर्थव्यवस्था की प्रकृति में आए परिवर्तन

- सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) और लॉकडाउन जैसे उपायों ने **'घर से काम किए जाने' (वर्क फ्रॉम होम) की अवधारणा को सामान्य कर** दिया है।
  - **वर्क फ्रॉम होम ने** इस दिशा में तकनीकी विकास को और भी प्रोत्साहित किया है तथा रिमोट वर्किंग व गिग आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण **आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित** किया गया।
- अधिकांश व्यवसायों और संस्थानों के डिजिटलीकरण में वृद्धि की गई।
- वैक्सीन नेशनलिज्म जैसी राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि के कारण **वैश्वीकरण के विपरीत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।**
- श्रम से संबंधित अनिश्चितता ने **प्रौद्योगिकी गहन और पूंजी गहन विकास को बढ़ावा दिया है।**
- टेस्टिंग या परीक्षण अवसंरचना के रूप में **स्वास्थ्य क्षमता का विकास** हुआ है। वेंटिलेटर जैसे प्रमुख उत्पादों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है।
- क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था के संतुलन में परिवर्तन आया है। अर्थव्यवस्था में एक साथ औपचारीकरण और अनौपचारीकरण में वृद्धि देखने को मिली है और कार्य के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन आया है।

अन्य क्षेत्रों में आए परिवर्तन

- **अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण** से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का और विकास हुआ है। इससे **समाज का भी डिजिटलीकरण हुआ है।**
  - साथ ही, बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण पहले से विद्यमान डिजिटल विभाजन में और वृद्धि होने की संभावना है।
- **वर्क फ्रॉम होम** से महानगरों पर कम दबाव पड़ेगा।
- सीमित कार्यालय स्थलों की आवश्यकताओं के कारण **शहरी–करण की पुनर्कल्पना की जा सकेगी।**
- ई–लर्निंग की लोकप्रियता के कारण **शिक्षा जगत में प्रौद्योगिकी की तीव्र पैठ बनी है।**
- महामारी के दौरान अनुपालन की जाने वाली सावधानियों और आदतों के परिणामस्वरूप लोगों में **स्वच्छता मानकों का समावेशन हुआ है।**
- घरेलू व देखभाल जिम्मेदारियों के असंगत रूप से उच्च बोझ, घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि आदि के रूप में **लैंगिक समानता पर प्रभाव पड़ा है।**
- बढ़ती बेरोजगारी ने **कुछ सामाजिक समस्याओं** जैसे बाल श्रम, श्रमिकों के शोषण आदि को **और भी तीव्र कर** दिया है।

सुचारू और जल्द रिकवरी सुनिश्चित करने के उपाय

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का अतिरिक्त विस्तार कर **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना।**
- महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु **प्रभावित आबादी को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करना।**
- **एक–दूसरे से पुनः जुड़ चुके आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेना,** क्योंकि कई देश चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से दूर हो रहे हैं।
- शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य तथा डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु **भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए।**
- **FRBM** अधिनियम के तहत तत्काल शर्तों में ढील देकर **अर्थव्यवस्था को राजकोषीय राहत उपलब्ध किया जाना चाहिए।**

वर्तमान महामारी के बाद एक बेहतर अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु दर्शन

आर्थिक विकास के एक नए और व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। इसमें **पर्यावरणीय संधारणीयता, जन कल्याण में वृद्धि, असमानता में कमी और आर्थिक विकास के साथ–साथ प्रणालीगत लचीलापन** शामिल होना चाहिए।

- आर्थिक निर्णयन को अधिक समावेशी बनाने हेतु **शेयरधारक पूंजीवाद से हितधारक पूंजीवाद की ओर बढ़ना।**
- स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने हेतु निवेश करके आगे बढ़ने के लिए **लचीलापन का निर्माण करना,** डिजिटल विभाजन के अंतर को कम करना तथा ग्रीन रिकवरी सुनिश्चित करना।
- **ट्रिपल बॉटम लाइन – लोग (पीपल), लाभ (प्रॉफिट) और ग्रह (प्लेनेट)** पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें शामिल हैं – आर्थिक वृद्धि, सामाजिक मापदंडों पर आगे निकलना (जैसे– असमानता के स्तर में कमी) और पर्यावरणीय संधारणीयता।
- **'एक सप्ताह में 4 दिन कार्य' (4–डे वीक), '24X7 अर्थव्यवस्था'** सहित अन्य विचारों के साथ प्रयोग कर **निरंतर नवाचार को प्रक्रिया का हिस्सा बनाना।**

2.2. गरीबी उन्मूलन (POVERTY ALLEVIATION)

मुख्य लक्ष्य

- **एक्सट्रीम पॉवर्टी (चरम निर्धनता) का उन्मूलन** कर इससे सभी को बाहर निकलना।
- भारत में निर्धनता रेखा के आकलन को उपभोग व्यय (कंजप्शन एक्सपेंडीचर) पर पूर्णतः आधारित किया जाना चाहिए, **न कि आय के स्तर पर।**
- **आर्थिक दायरे से बाहर के निर्धनता के सभी रूपों** की पहचान करना।
- **बहुआयामी निर्धनता को समग्र रूप से** दूर करना।

वर्तमान स्थिति

- भारत में **36.4 करोड़** लोग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- 2005–15 की अवधि में **27.1 करोड़** लोग निर्धनता से बाहर आए थे।
- **1.90 डॉलर** को चरम निर्धनता हेतु वैश्विक रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विश्व के **40%** निर्धन लोग युद्ध या संघर्ष से प्रभावित देशों में निवास करते हैं।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- पी.एम. किसान निधि योजना
- प्रधान मंत्री आवास योजना
- एकीकृत बाल विकास सेवा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना

निर्धनता उन्मूलन – एक नज़र में

आगे की राह

- सरकारी व बैंक कर्मचारियों को **पर्याप्त प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।**
- **स्थानीय सरकार एवं संस्थानों** की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- धन एवं आर्थिक संवृद्धि के लाभों का **प्रभावी वितरण।**
- नीतिगत कार्रवाई में **निर्धनों के बदलते प्रोफाइल को शामिल करने की आवश्यकता है।**
- **संघर्ष के हॉट स्पॉट, जलवायु परिवर्तन और कोविड–19** को ध्यान में रखते हुए नीतिगत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- सभी हितधारकों के बीच व राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर **सहयोग एवं समन्वय का विस्तार करना।**

बाधाएं

- **भूमि एवं अन्य संपत्तियों के असमान वितरण** के कारण फ्री राइडर (बिना किसी प्रयास या लागत के मुफ्त में लाभ उठाना) की समस्या उत्पन्न होती है।
- आबंटित **संसाधनों की मात्रा पर्याप्त नहीं है।**
- **कार्यान्वयन करने वाले अधिकांश अधिकारी अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित,** भ्रष्टाचार से युक्त और स्थानीय अभिजात वर्ग के दबाव के प्रति सुभेद्य होते हैं।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में **स्थानीय स्तर की संस्थाओं की निम्न भागीदारी।**

2.3. मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति (INFLATION AND MONEY SUPPLY)

मुख्य लक्ष्य

- यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था में **समग्र मूल्य वृद्धि** उचित सीमा के भीतर रहे।
- **CPI आधारित** मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे **4% (+ / – 2%)** के आसपास बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण इस प्रकार से हो कि आर्थिक संवृद्धि भी संतुलित रहे।

वर्तमान स्थिति

- 2020–21 (अप्रैल–दिसंबर) में हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति औसतन **6.6%** थी।
- मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति के कारण अधिकांश राज्यों में चालू वर्ष में **CPI-C मुद्रास्फीति में वृद्धि** हुई थी।
- अधिकांश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में **ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में उच्च शहरी मुद्रास्फीति** देखी गई थी।
- वैश्विक व भारत दोनों स्तरों पर कोविड महामारी के दौरान मुद्रास्फीति में **स्थायी वृद्धि** देखी गई थी।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
- प्याज के **निर्यात पर प्रतिबंध लगाना,** प्याज पर **भंडारण की सीमा** लागू करना, दालों के **आयात पर प्रतिबंध में ढील देना** आदि।
- **दालों के बफर स्टॉक / भण्डार** का निर्माण करना।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना** तथा **मूल्य समर्थन योजना।**
- ईंधन मुद्रास्फीति और अस्थिरता पर अंकुश लगाने हेतु **रणनीतिक बफर का निर्माण करना।**

मुद्रास्फीति– एक नज़र में

आगे की राह

- **प्रति–चक्रीय राजकोषीय नीति** का **अत्यधिक प्रभावी** कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- **वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति पैदा करने वाली संवृद्धि को सहन करना तथा समायोजक रुख अपनाना,** जब तक कि आर्थिक संकट से निपटने और GDP को वापस पटरी पर लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।
- विकेंद्रीकृत कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास कर और फसल कटाई के बाद क्षति को कम कर **खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने** हेतु दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना।
- **प्याज के बफर स्टॉक / भंडारण नीति** की समीक्षा की जानी चाहिए।

बाधाएं

- भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए **मुद्रास्फीति के उचित स्तर का अनुमान करना।**
- वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का मंद होना।
- महामारी द्वारा प्रेरित **आपूर्ति बाध्यताएं** जैसे कि "उल्टा प्रवासन" के कारण श्रमिकों की कमी, कारखानों में सामाजिक दूरी तथा उत्पादन और वितरण नेटवर्क में अन्य लेन–देन संबंधी लागतें।
- **उच्च खाद्य मुद्रास्फीति** में 'सब्जियों', 'मांस एवं मछली', 'तेल एवं वसा' तथा 'दालों और अन्य उत्पादों' का अधिक योगदान है।

2.3.1. थोक मूल्य सूचकांक (WHOLESALE PRICE INDEX: WPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2021 में देश का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) दर बढ़कर 7.39% पर पहुंच गया। यह **अक्टूबर 2012 के पश्चात्** अब तक का **उच्चतम थोक मुद्रास्फीति दर** है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में

- थोक मूल्य सूचकांक **थोक स्तर पर वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है-** अर्थात् इसमें उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं की जगह थोक में विक्रय की जाने वाली और व्यवसाय या संस्थाओं के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं।

* **इसमें सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है** तथा साथ ही यह देश में उपभोक्ता मूल्य की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
* **जारीकर्ता:** आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
* **आधार वर्ष: वर्ष 2011-12** को इसके आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है (पूर्व में यह **वर्ष 2004-05** था, किंतु वर्ष 2017 में इसे संशोधित कर दिया गया)।
* **WPI के घटक:** यह सूचकांक तीन समूहों (यथा- प्राथमिक सामग्री, ईंधन और विद्युत तथा विनिर्मित उत्पाद) के अंतर्गत वर्गीकृत **697 वस्तुओं** के बास्केट के थोक मूल्यों पर आधारित है।

WPI का महत्व

* सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ विभिन्न सांकेतिक समष्टिगत आर्थिक चरों (nominal macroeconomic variables) के **अपस्फीतिकारक (deflator)** के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
* WPI को कच्चे माल की आपूर्ति, मशीनरी और निर्माण कार्य में **वृद्धि खंड (escalation clauses)** के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।
* वैश्विक निवेशक अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए **प्रमुख समष्टि संकेतकों** में से एक के रूप में WPI का उपयोग करते हैं।
* WPI आधारित **मुद्रास्फीति अनुमान** व्यापार, राजकोषीय और सरकार द्वारा अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में काम करता है।
* **WPI खाद्य सूचकांक** WPI का एक उप-सूचकांक है। यह उप-सूचकांक खाद्य उत्पादों (विनिर्मित उत्पादों के अंतर्गत) और खाद्य मदों (प्राथमिक वस्तु समूह के अंतर्गत) के लिए थोक मूल्य सूचकांक का योगफल है। यह उप-सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office: CSO) द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI) के खाद्य मूल्य सूचकांक के साथ एकीकृत होकर **खाद्य मुद्रास्फीति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने** में सहायता करता है।

WPI में वृद्धि के कारण

* **आपूर्ति संबंधी व्यवधान:** महामारी के कारण घोषित स्थानीय लॉकडाउन और आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के परिणामस्वरूप आपूर्ति बाधित हुई है, जिसके कारण कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
* **रुपये का अवमूल्यन:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकारी बॉण्ड्स पर ब्याज दर कम रखने के उपायों के कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। साथ ही, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किए गए बहिर्प्रवाह ने रुपये पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न किया है।
  * रुपये के बाह्य मूल्य में गिरावट से भारत का आयात विशेषकर कच्चा तेल, धातु और खाद्य तेल अत्यधिक महंगा हो जाता है।
* **वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि:** मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और आधारभूत धातु की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है।
* **उत्पादों की मौसमी प्रकृति:** ग्रीष्म काल का आरंभ होते ही, शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पादों (विशेष रूप से सब्जियों) में साधारणतः उच्च मुद्रास्फीति दृष्टिगोचर होती है।
* **आंकड़ों की अविश्वसनीयता:** मार्च माह में WPI दर में होने वाली तीव्र वृद्धि के लिए निम्न आधार (low base) को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्योंकि मार्च 2020 के लिए आंकड़ों की संगणना निम्न अनुक्रिया दर (low response rate) के साथ की गई थी, जिससे एकांगी परिणाम प्राप्त हुए हैं।
  * फरवरी 2021 की तुलना में मार्च 2021 में मुद्रास्फीति की दर 1.57% रही है।

निहितार्थ

* **खुदरा मुद्रास्फीति (retail inflation) में वृद्धि:** इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि थोक पक्ष पर उच्च मुद्रास्फीति संभवतः आगामी महीनों में खुदरा स्तर पर अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ये प्रभाव विशेषकर नए लॉकडाउन और प्रतिबंधों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की स्थिति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगे।
  * खुदरा मुद्रास्फीति पहले ही मार्च में बढ़कर 5.52% तक पहुँच गई थी क्योंकि खाद्य बास्केट (food basket) के भीतर कुछ श्रेणियों के साथ ईंधन और परिवहन लागत में वृद्धि हुई है।
* **नीतिगत दर में कटौती:** हालांकि WPI के आंकड़े मौद्रिक नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सर्वाधिक प्रमुखता नहीं रखते हैं, फिर भी इसमें तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों में बहुत अधिक कटौती नहीं कर सकती है।
* **उच्च मुद्रास्फीति की अटकलें:** भावी मुद्रास्फीति के संबंध में संशय, समय पूर्व खरीद हेतु प्रेरित कर सकता है तथा साथ ही यह वास्तविक या वर्तमान मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है।
* **अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव:** उच्च मुद्रास्फीति और कोविड-19 के कारण लागू किए जाने वाले प्रतिबंध भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में और कमजोर कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी जैसे विभिन्न व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष

यद्यपि WPI की तुलना में CPI, मुद्रास्फीति को अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखता है, तथापि WPI में वृद्धि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। WPI में वृद्धि भविष्य में होने वाली वास्तविक मुद्रास्फीति वृद्धि का संकेतक हो सकती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर विघटनकारी प्रभाव पड़ सकता है।

2.3.2. लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता पाश (LIQUIDITY TRAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संभवत: तरलता पाश या चलनिधि जाल की ओर अग्रसर हो रही है।

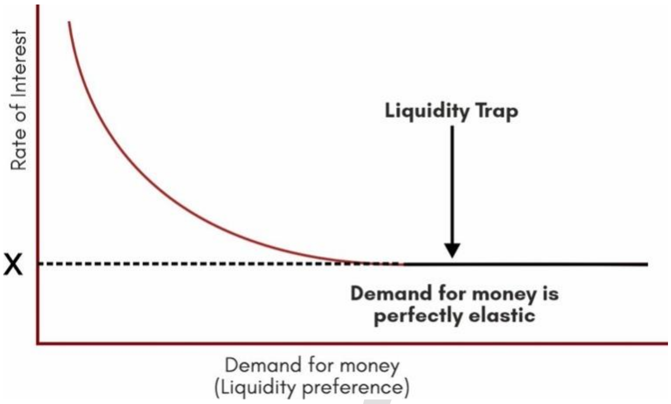

तरलता पाश (लिक्विडिटी ट्रैप) क्या है?

तरलता पाश एक ऐसी विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत निम्न होती हैं और बचत की दर बहुत उच्च होती है, फलस्वरूप मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। इसके कारण एक ऐसे आर्थिक परिवेश का सृजन होता है, जहाँ अर्थव्यवस्था में सृजित अतिरिक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति से निवेश को बल नहीं मिलता है। इसके स्थान पर उक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति को बचत (सेविंग्स) के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलतः अर्थव्यवस्था पहले की भांति समान तरलता स्तर पर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में, तरलता पाश के कारण नए निवेश को बल नहीं मिलता है।

क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था तरलता पाश या जाल में फंस गई है?

वर्तमान महामारी द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक स्थिति ने निम्नलिखित आर्थिक परिणामों को सामने लाया है, जो तरलता पाश का संकेत करते हैं:

- **अत्यधिक निम्न ब्याज दरें (Very low interest rates):** विश्व स्तर पर लगभग 60 प्रतिशत देशों (या अर्थव्यवस्थाओं) में – जिसमें 97 प्रतिशत उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं – केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों को नीचे लाकर 1 प्रतिशत से भी कम कर दिया है। साथ ही, विश्व के 1/5 अर्थव्यवस्थाओं में ये दरें ऋणात्मक हैं। ऐसे में, यदि निकट भविष्य में एक और आर्थिक झटका सामने आए, तो केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दरों में और अधिक कटौती करने का शायद ही कोई अवसर होगा।
- **वैश्विक मांग अब भी सुस्त है:** अत्यधिक निम्न ब्याज दरों के बावजूद कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक मांग अब भी सुस्त है।
- **संभावित मुद्रा युद्ध (currency war) का खतरा:** ब्याज दरों में कमी के कारण पूरे विश्व में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, जो व्यापार क्षेत्र में, विनिमय दरों के नीचे गिरने के कारण, मुद्रा युद्ध को शुरू कर सकता है।
- **विकासशील देशों तक पहुंचने वाला प्रभाव:** सामान्यत: उच्च औसत ब्याज दरों (high average interest rates) के कारण विकासशील देशों में इस समस्या के उभरने की संभावना नहीं होती है। लेकिन हाल ही में, पेरू और चिली जैसे विकासशील देशों ने अपनी ख़राब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उधार लेने की लागत (अर्थात् ब्याज दरों) को लगभग शून्य कर दिया है, जो तरलता जाल का संकेत कर रहा है।

क्या भारत को चिंतित होना चाहिए?

लॉकडाउन के प्रभावों के दूसरे चरण में भारत को आगे चलकर मांग में पुनः कमी देखना पड़ सकता है जो भारत की अर्थव्यस्था में गिरावट लाएगा। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि, यदि अगले एक तिमाही (उसके कुछ समय बाद तक) के अंदर मुद्रास्फीति 6% से नीचे आने में नाकाम रहती है तो भारत के समक्ष **तरलता जाल में फंसने का खतरा विद्यमान होगा।** ज्ञातव्य है कि नीतिगत दरों (रेपो रेट आदि) को 4% के करीब लाया गया है। अतः वर्तमान समय भारत के लिए इसकी राजकोषीय और मौद्रिक नीति के संदर्भ में एक सतर्क दृष्टिकोण की मांग करता है।

उपचारात्मक उपायों (remedial measures) के रूप में क्या किया जा सकता है?

- **वैश्विक तालमेल से राजकोषीय प्रोत्साहन:** राजकोषीय नीति निर्माताओं को नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) के माध्यम से सक्रिय तौर पर उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं, डिजिटल अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का समर्थन करना चाहिए।
- **मौद्रिक नीति के क्षेत्र में समन्वय और सामूहिक तौर पर इसे सरल बनाना:** बढ़ा हुआ वैश्विक समन्वय संभावित रूप से वैश्विक अपस्फीतिकारी (deflationary) परिदृश्य को रोक सकता है। अन्यथा लंबे समय तक जारी रहने से यह मंदी (recession) का कारण बन सकता है। यह क्वांटिटेटिव इजिंग (QE) के समान हो सकता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था।
- **वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाओं को पुनर्बहाल करना:** वैश्विक व्यवस्थाओं, जैसे- व्यापार समझौते और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करने से तरलता को बढ़ाने और बेहतर निवेश का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिल सकती है।

2.4. आवास (HOUSING)

मुख्य लक्ष्य

- प्रत्येक परिवार के लिए **पेय जल कनेक्शन, शौचालय की सुविधा** तथा **24x7 विद्युत से युक्त पक्का घर और कनेक्टिविटी या सड़क संपर्क की सुविधा को सुनिश्चित करना।**
- **झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता** को पूरा करना।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी के **साथ किफायती आवास को बढ़ावा देना।**

वर्तमान स्थिति

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः **3 करोड़ तथा 1.2 करोड़** घरों की आवश्यकता है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत **52 लाख** मकान बनाए जा चुके हैं।
- इस क्षेत्र में पहले से ही **7.5 लाख करोड़ रुपया** निवेश किया जा चुका है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास'।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** को **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** तथा **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)** के साथ अभिसरित (कन्वर्ज) किया गया है।

आवास– एक नज़र में

आगे की राह

- किफायती आवास को वरीयता देने से स्टील तथा सीमेंट **जैसे अन्य दबाव वाले क्षेत्रकों को अधिक लाभ मिल सकता है।**
- **संस्थागत वित्त** तथा वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- निर्माण तथा निर्माण सामग्री के लिए **नई तकनीक** का इस्तेमाल करना।
- स्विस चैलेंज जैसे नवोन्मेषी मॉडलों के माध्यम से **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**
- आवास क्षेत्रक के साथ **कौशल विकास एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना।**

बाधाएं

- **औपचारिक** वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त **धन न मिलना।**
- नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में वृद्धि तथा शहरी क्षेत्रों घर बनाने या अन्य आवसीय प्लान को **मंजूरी मिलने में देरी तथा लंबी व बहु–स्तरीय प्रक्रिया।**
- शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास योजनाओं में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी।
- **पारंपरिक निर्माण प्रथाओं** की प्रबलता होती है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में **विकास में देरी होती है।** साथ ही, **पूर्वनिर्मित एवं पूर्व–इंजीनियरिंग सामग्रियों का सीमित उपयोग होता है।**
- किफायती आवास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त **भूमि बैंकों** तक सीमित पहुंच।
- वर्ष 2013 से निर्माण क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद के संचालन के बावजूद **कुशल राजमिस्त्री** की अपर्याप्त संख्या।
- व्यापक पैमाने पर आवास परियोजनाओं को तैयार एवं डिजाइन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में **क्षमता का अभाव।**

2.4.1. मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 (MODEL TENANCY ACT, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा प्रस्तावित **मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021** पारित किया है।

किरायेदारी कानून की आवश्यकता

- **ठोस किराया नीति का अभाव:** क्योंकि आवास की भारी कमी के बावजूद, देश के शहरी क्षेत्रों में 1.10 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं।
- **भूमि राज्य सूची का एक विषय है:** चूंकि भूमि राज्य सूची की एक प्रविष्टि है, इसलिए इसके संबंध में कई राज्यों में लंबे-चौड़े कानूनी प्रावधान हैं। इसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी एवं विवादों का समाधान करने में वर्षों लग जाते हैं।
- **मकान मालिक अर्थात् स्वामी पक्ष की चिंताएं:**
  - आवासीय परिसंपत्तियों से बहुत कम किराया प्राप्त होता है। यह प्रमुख शहरों में औसतन 3% से अधिक नहीं है।
  - किराए पर अधिकतम सीमा आरोपित करने वाले वर्तमान किराया नियंत्रण कानूनों की प्रकृति प्रतिबंधात्मक हैं।
- **किरायेदार पक्ष की चिंताएं:**
  - विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए किराये पर घर लेना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
    - ज्ञातव्य है कि किफायती आवास की अनुपलब्धता कोविड-19 महामारी के आरंभ में प्रवासियों के शहर छोड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण थी।
  - प्रत्येक वर्ष किराये में अत्यधिक वृद्धि और मकान मालिक द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप विवाद के प्रमुख कारण बने हुए हैं।
- उपर्युक्त कारणों के चलते **किराया वाले आवास आर्थिक रूप से अनाकर्षक बन गए हैं, जिससे अनौपचारिक व घटिया गुणवत्ता वाला किराया बाजार अस्तित्व में आया है,** जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 के बारे में

- इसमें **मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करने** की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इसमें अनुशासित और कुशल ढंग से परिसर/घर को किराये पर देने के लिए एक उत्तरदायी एवं पारदर्शी तंत्र का निर्माण करने की भी परिकल्पना की गई है।
- यह मॉडल अधिनियम सम्पूर्ण राज्य अर्थात् राज्य के **शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों** में लागू होगा।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - इसमें **किराया न्यायालयों और अधिकरणों (Rent courts and Tribunals)** की स्थापना के प्रावधान हैं।
    - **किराया प्राधिकरण** (Rent Authority) आवश्यक आपूर्ति बाधित करने या काटने या रोकने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह क्षतिपूर्ति प्रदान करे।
    - यह अधिनियम विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए **फास्ट ट्रैक अर्ध-न्यायिक तंत्र** का प्रावधान करता है। **डिप्टी-कलेक्टर या इससे उच्च रैंक** का अधिकारी किराया संबंधी विवाद से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का न्यायनिर्णय करने के लिए **किराया प्राधिकरण** के रूप में कार्य करेगा।
  - **किराया:** सभी परिसरों (आवासीय या वाणिज्यिक) को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर व लिखित समझौते के बाद ही किराये पर उठाया जाएगा।
  - **जमानत राशि (Security Deposits):** इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आवासीय संपत्तियों की स्थिति में जमानत राशि **अधिकतम दो महीने के किराये के बराबर** होगी। इसके अतिरिक्त, परिसर को खाली करने के समय उक्त जमानत राशि को किरायेदार को वापस लौटाना होगा।
  - **मरम्मत और रखरखाव:** यदि मकान मालिक या भूस्वामी आवश्यक मरम्मत कार्य कराने से मना कर देता है, तो किरायेदार वह काम स्वयं करवा सकता है और आवधिक किराए से उसकी कटौती कर सकता है।

इस अधिनियम के कारण उत्पन्न हो सकने वाली समस्याएं

- चूंकि यह अधिनियम वर्तमान व्यवस्थाओं को औपचारिक स्वरूप प्रदान करता है, अतः इससे **किराये में भी वृद्धि हो सकती है।**
- यह **अधिनियम राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है**, क्योंकि यह एक मॉडल अधिनियम है। अतः यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि राज्य इस मॉडल अधिनियम के सार को कमजोर करते हुए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ज्ञातव्य है कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) के मामले में ऐसा ही देखा गया है।

मॉडल किरायेदारी कानून कैसे लाभप्रद होगा?

- यह देश भर में आवास की भारी कमी को दूर करने के लिए **किराया आवास के क्षेत्र में निजी भागीदारी** को प्रोत्साहित करेगा।
- यह **किरायेदारों और भूस्वामियों दोनों को राहत** प्रदान करता है तथा **बोझ से दबी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया** से कुछ भार कम करने में सहायता करता है।
- यह प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त मात्रा में **किराये के आवास की उपलब्धता** सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

VISION IAS

2.5. वित्तीय समावेशन (FINANCIAL INCLUSION)

वित्तीय समावेशन – एक नज़र में

मुख्य लक्ष्य

- सभी नागरिकों को **सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना** और उन्हें वहनीय बनाना।
- **वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच** – जो लोग बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं (बैंक खाते, डिजिटल भुगतान सेवाओं के माध्यम से) उनके लिए बैंकिंग से जुड़ने की व्यवस्था करना तथा असुरक्षित (बीमा और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से) को सुरक्षित करना।
- वर्तमान में बहिष्कृत लोगों के लिए **उचित लागत पर ऋण तक बेहतर पहुंच।**
- **आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच।**
- **वित्तीय साक्षरता और शिक्षा**
- **ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण**
- प्रभावी समन्वय

वर्तमान स्थिति

- प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत 42.2 करोड़ खाते (मार्च 2021 तक)।
- PMJDY खातों के अंतर्गत 1.45 लाख करोड़ रुपये जमा (मार्च 2021 तक)।
- पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 10.65 करोड़ नामांकन (जुलाई 2021 तक)।
- पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 24.03 करोड़ नामांकन (जुलाई 2021 तक)।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- पी.एम. जन धन योजना
- NPCI - UPI और रुपे कार्ड
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट
- अटल पेंशन योजना
- पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना
- पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना
- पी.एम. मुद्रा योजना
- स्टैंड अप इंडिया योजना

आगे की राह

- **वित्तीय सशक्तीकरणः** आगे चलकर ऋण प्रदान कर वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- वित्तीय साक्षरता को नियमित स्कूली पाठ्यक्रम व मास मीडिया अभियान में एकीकृत करने के लिए एक नई योजना शुरू करना।
- ऑनलाइन और पेपरलेस बैंकिंग के विकास को सुगम बनाना।
- परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए ऋण–योग्यता के आकलन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- अल्पसेवित क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने के लिए भुगतान बैंकों और अन्य प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाना।
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के प्रदर्शन का आकलन करना और उन्हें बेहतर प्रोत्साहन देना।
- परिवारों को आकर्षित करने के लिए औपचारिक वित्तीय उत्पादों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करना।

बाधाएं

- कम आय वाले परिवारों और छोटे अनौपचारिक व्यवसायों में वित्तीय साक्षरता का अभाव।
- पारंपरिक बैंकिंग मॉडल के संचालन की उच्च लागत।
- उत्पादों पर अत्यधिक नियामक आवश्यकताएं और बाजार में प्रवेश और नई प्रौद्योगिकियों के लिए रूढ़िवादी नियामक दृष्टिकोण।

2.5.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना के सात वर्ष (SEVEN YEARS OF PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2014 में घोषित **प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने हाल ही में, अपने कार्यान्वयन के सात वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।**

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के बारे में

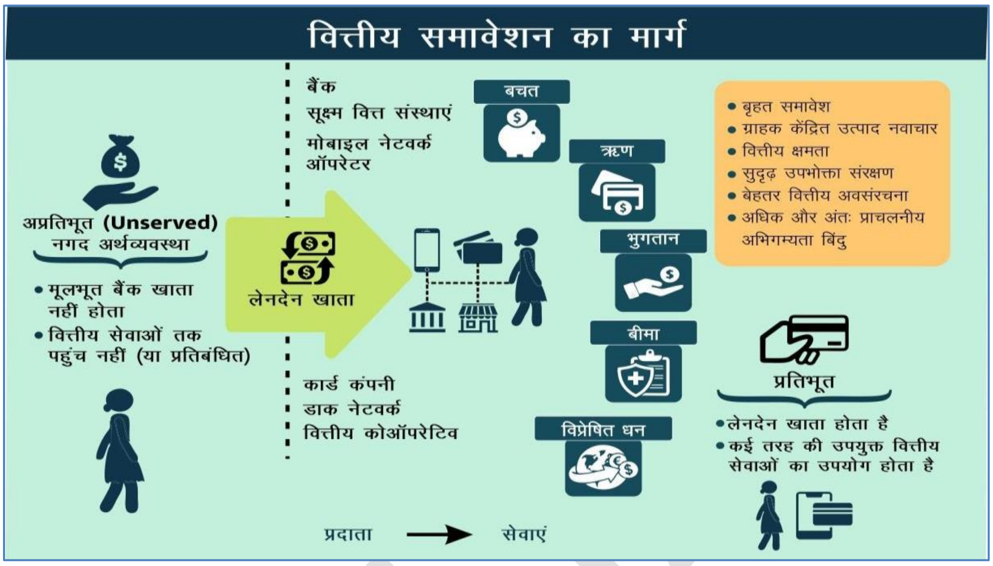

- यह बैंकिंग / बचत और जमा खाते, विप्रेषण (remittance), क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं के लिए लागत-प्रभावी तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है।**
  - **वित्तीय समावेशन,** संस्थागत प्रतिभागियों द्वारा सुभेद्य समूहों के लिए पारदर्शी तरीके से आवश्यक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक लागत-प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यह समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
  - भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को **प्रथम बार वर्ष 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया** गया था।

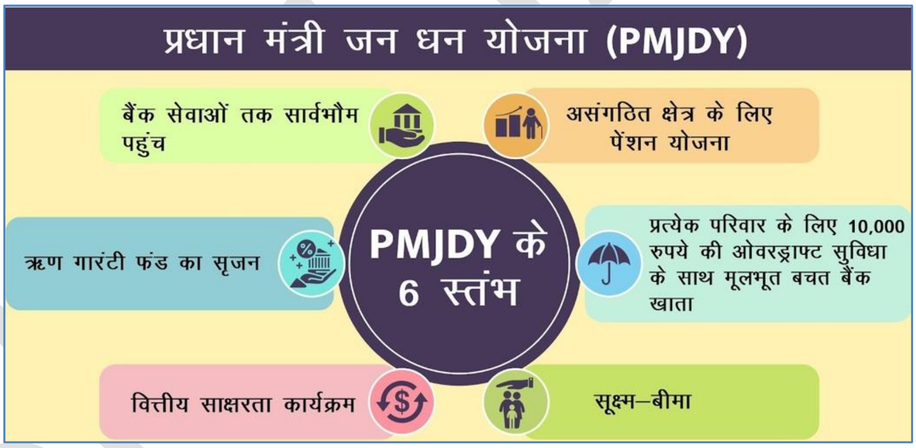

- **इस योजना के उद्देश्य:**
  - **समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़े वर्गों अर्थात्** सुभेद्य वर्ग और कम आय वाले समूहों को **आवश्यकता आधारित ऋण, बीमा और पेंशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित** करना।
  - लागत कम करने और वित्तीय क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के लिए **प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना।

वित्तीय प्रणाली पर प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का प्रभाव

- **रिसाव की रोकथाम**: प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने समाज के **सुभेद्य वर्गों को सशक्त बनाया है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की** है और साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक रुपया इच्छित लाभार्थी तक पहुँचे।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) **जन-केंद्रित आर्थिक पहलों** की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो या कोविड-19 वित्तीय सहायता, पी.एम.-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन या स्वास्थ्य बीमा कवर हो। इन सभी पहलों का प्रथम चरण **प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है,** जिसे प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने लगभग पूरा कर लिया है।
- **वित्तीय प्रणाली का औपचारीकरण**: जन धन, **निर्धनों को अपनी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के लिए एक साधन प्रदान करता है,** गांवों में रहने वाले अपने परिवारों को पैसे भेजने के लिए विकल्प प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त, यह उन्हें सूदखोर साहूकारों के दुष्चक्र से बाहर निकालता है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के सम्मुख मौजूद चुनौतियां

- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे:**
  - **कनेक्टिविटी:** पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार आदि जैसे दूरदराज के इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।
  - **तकनीकी मुद्दे:** खराब कनेक्टिविटी, नेटवर्क संबंधी बाधाएं, विद्युत की कमी और बैंडविड्थ की समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों से लेकर अवसंरचना को बनाए रखने की प्रबंधन लागत जैसे पहलू बैंकों को प्रभावित करते हैं।
- **खातों को 'लाइव' रखना:** ग्रामीण लोग, दूर स्थित शाखाओं में **छोटी राशि जमा करने से हिचकते हैं क्यों कि शाखाओं तक पहुँचने में काफी** समय लगता है और उस पूरे दिन की आय का नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर बैंकों को आवश्यक कागजी कार्रवाई, शिविर आयोजित करने की लागत और खाता खोलने के लिए अधिकृत किए जाने वाले बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BC) को भुगतान किए जाने वाले कमीशन के रूप में प्रति खाता 100-150 रुपये व्यय करने पड़ रहे हैं।
  - जब तक प्रौद्योगिकी या बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स के माध्यम से प्रति खाता लेन-देन नहीं बढ़ता, तब तक सरकार के लिए इस योजना का संचालन **आर्थिक रूप से वहनीय नहीं है।**
- **वित्तीय और प्रौद्योगिकी निरक्षरता**: बचत, उधार, निवेश और व्यय के विषय में समुचित ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के लिए **ग्रामीण लोगों में वित्तीय साक्षरता, जागरूकता, ज्ञान और कौशल की कमी है।**
  - वीज़ा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि **65 प्रतिशत भारतीय वित्तीय साक्षरता से वंचित है।**
- **खातों का दोहराव:** बड़ा बीमा कवर, आकस्मिक मृत्यु लाभ कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने का लोभ, लोगों को अलग-अलग पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों में कई खाते खोलने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि खाते के दोहराव का पता लगाने के लिए एक भी केंद्रीकृत सूचना साझाकरण प्रणाली नहीं है।
- **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स के परिवेश का प्रबंधन**: बैंकों के लिए निम्नलिखित कारणों से यह एक **जटिल और बोझिल कार्य** है।
  - बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स द्वारा ग्रामीणों को सब्सिडी तथा मनरेगा के तहत दिए गए पारिश्रमिक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पेंशन आदि के भुगतान में विलंब।
  - बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स के द्वारा किए जाने वाले कार्य संचालन की निगरानी करने के लिए बैंकों में प्रतिबद्धता की कमी।
  - प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव।
  - वित्तीय उत्पादों के संबंध में और ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण की क्षमता के संबंध में बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स को उचित प्रशिक्षण का अभाव।

आगे की राह

- **वित्तीय सशक्तीकरण**: ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) को समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों के लिए **बैंक ऋण तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की संकल्पना पर आधारित प्रधान मंत्री जन धन वृद्धि** योजना के रूप में विकसित होना चाहिए।
- **अवसंरचना:**
  - **क्रेडिट हिस्ट्री का मॉडल**: इसके लिए **नकद लेनदेनों में कमी करने और डिजिटल लेनदेनों की ओर बढ़ने** तथा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों के बीच रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का उपयोग करके क्रेडिट मॉडल का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।
  - लागत प्रभावी, तकनीकी रूप से सहज और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल को लागू करने की आवश्यकता है।
- **खाताधारकों की पहुंच:** सूक्ष्म वित्त और फ्लेक्सी-आवर्ती जमा जैसे सूक्ष्म निवेश आदि तक प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों की पहुंच में सुधार करना।
- **डेटाबेस का निर्माण करना:** एक ऐसा डेटाबेस निर्मित करने की आवश्यकता है, जिससे जन धन खाताधारकों की आय, पुराने लेनदेन के विवरण का पता लगाया जा सके, जिसके आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट डिलीवरी मॉडल तैयार किए जा सके।
  - अभी तक, हमारे पास केवल समग्र डेटा है। नया डेटाबेस बनाने के लिए बैंक और फिनटेक और अधिक डेटा विश्लेषण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करती है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से अधिक व्यापक है, अधिक लाभ प्रदान करती है, प्रौद्योगिकी को अपनाती है और महत्वपूर्ण हितधारकों अर्थात् सरकार, बैंकों और नियामकों से अधिक समर्थन प्राप्त करती है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) **समग्र संवृद्धि और समावेशी विकास के लिए ठोस आधार हो सकती है।** दृढ़ इरादे और सकारात्मक दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

2.6. भारत में भूमि सुधार (LAND REFORMS IN INDIA)

मुख्य लक्ष्य

- **लैंड लीज़िंग (भूमि को पट्टे पर देना)** को वैध एवं आसान बनाना।
- दक्षता तथा समानता बढ़ाने के लिए किसानों के खंडित भूखंडों को समेकित करना।
- **डिजिटल एवं एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली बनाना,** जो सभी राज्यों में आसानी से उपलब्ध हो।
- **वन भूमि के प्रबंधन** में दक्षता बढ़ाना।
- **बंजर एवं परती भूमि** को उत्पादक उपयोग में **बदलना।**
- **संपत्ति के अधिकारों,** विशेष रूप से वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को सशक्त करना।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2010–11 में, औसत खेत का आकार **1.15 हेक्टेयर** था।
- 10% से कम भूमि का गैर–कृषि कार्यों में उपयोग हो रहा है।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23.3% भाग पर वनों का विस्तार है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
- सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया (स्वामित्व /SVAMITVA) योजना।

भूमि सुधार– एक नज़र में

आगे की राह

- **मॉडल लैंड लीज़िंग एक्ट, 2016** पर राज्य विचार कर सकते हैं।
- **उत्पादकता बढ़ाने के लिए लैंड पूलिंग** के माध्यम से भूमि के छोटे भूखंडों को समेकित करना।
- वन अधिकार अधिनियम आदि के **कार्यान्वयन द्वारा वन भूमि प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों की दक्षता बढ़ाना।**
- **भू–अभिलेखों प्रणालियों का** अद्यतनीकरण और **आधुनिकीकरण करना।**
- बंजर भूमि के विकास के लिए **सार्वजनिक निजी भागीदारी** की शुरुआत करना।
- शहरी वित्तपोषण के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करना।

बाधाएं

- **कृषि काश्तकारी कानून अभी भी प्रतिबंधात्मक हैं।** इनके कारण
- भू–जोत को लीज पर देने के लिए शर्तें लागू हैं, जिससे और अधिक अनौपचारिक काश्तकारी को बढ़ावा मिलता है।
- **भू–जोतों के छोटे आकार,** अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करते हैं।
- **खराब उत्पादकता** और **वनभूमि में निरंतर कमी।**
- **मालिकाना हक़ या भू–स्वामित्व के संदर्भ में संशय तथा भू–अभिलेखों का अभाव।**

2.6.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (LAND RECORD DIGITISATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा बैंकों से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और समतुल्य बंधकों (equitable mortgage) के ऑनलाइन निर्माण पर स्थिति रिपोर्ट की मांग की गई है। यह कृषि संबंधी ऋणों के तीव्र वितरण में सहायता प्रदान करेगी।

लैंड रिकॉर्ड्स या भूमि अभिलेख क्या हैं और उनके डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- भूमि अभिलेख एक प्रकार का दस्तावेज़ होता है। **इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं (संपत्ति के नक्शे, बिक्री विलेख)** शामिल होती हैं और इन्हें जिला या ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये विभाग अलग-अलग काम करते हैं और साथ ही

इन विभागों द्वारा सम्बंधित आकड़ों को ठीक से अपडेट नहीं किया जाता है। इसलिए, भूमि अभिलेखों में खामियों की संभावना अक्सर बनी रहती है।

- उदाहरण के लिए, भारत में सभी **दीवानी मुकदमों में भूमि संबंधी विवाद की हिस्सेदारी लगभग 60-70%** है।
- **व्यापक और अपडेटेड भूमि अभिलेखों की कमी के कारण** भूमि विवादों से संबंधित कई लाख मामले अदालतों में लंबित हैं।

- **कर्नाटक, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** ने अपने भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है। इससे बैंकों के लिए भूमि रिकॉर्ड पर ऑनलाइन बैंक चार्ज जारी करना आसान हो गया है, जो **ऋण वितरण प्रक्रिया को मजबूत** करने में सहायता करता है। लेकिन कई राज्यों और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों के जिलों ने अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की क्षमता को साकार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

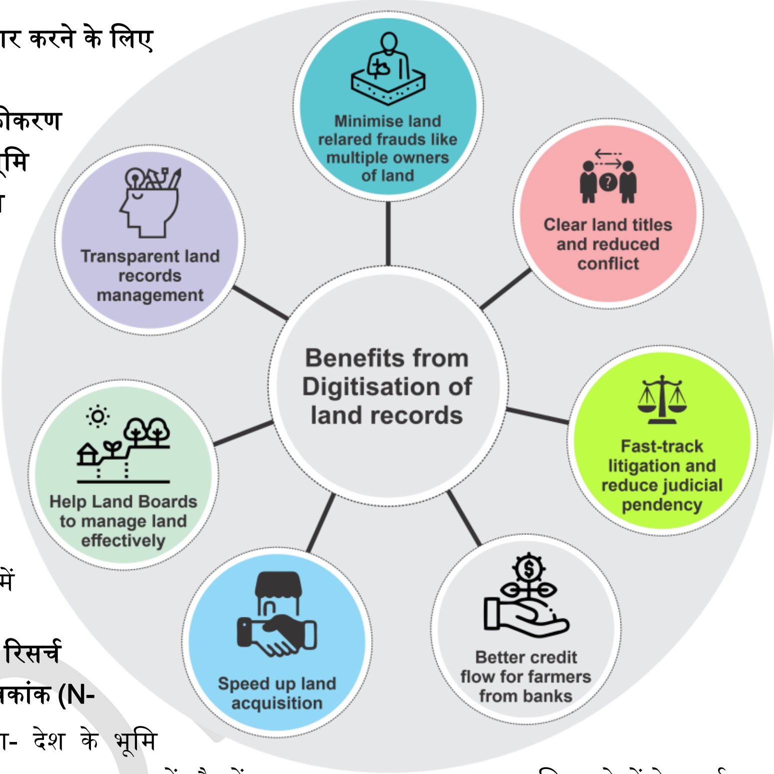

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP): इसे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) को प्रतिस्थापित करने के लिए** वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दाखिल खारिज (नामांतरण) सहित सभी भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत करना था। साथ ही, इसका उद्देश्य भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, मानचित्र और सर्वेक्षण का डिजिटलीकरण करना है। यह सभी निपटान अभिलेखों को अपडेट करता है और भूमि विवादों की संभावना में कमी करता है।
- **नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) का भूमि अभिलेख और सेवा सूचकांक (N-LRSI):** इसको दो व्यापक आयामों, यथा- देश के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और गुणवत्ता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, यह भारत में भूमि अर्जन, आवास और संपत्ति के अधिकार की दिशा में साक्ष्य-आधारित समाधानों को बढ़ावा देने हेतु भी तैयार किया गया था।
- **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) योजना:** यह प्रत्येक भूखंड के लिए जारी एक 14-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या (आई.डी.) है।
- **"स्वामित्व" अर्थात् 'ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण'** (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology In Village Areas: SVAMITVA) **योजना:** यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण अधिवासित क्षेत्रों में अमानचित्रित भूखंडों का सर्वेक्षण और ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड विकसित करना तथा संपत्ति संबंधी विवादों को भी कम करना है।
- **राज्य स्तरीय पहल:**
  - कर्नाटक अपनी **"भूमि परियोजना"** (भूमि अभिलेखों के प्रबंधन और पहुंच के लिए ऑनलाइन डेटाबेस तथा देखने की प्रणाली) के तहत वर्ष 2001 में **भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य** बन गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है।
  - राजस्थान विधायिका ने राज्य सरकार को भूमि के मालिकाना हक के गारंटर के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में **राजस्थान शहरी भूमि (स्वामित्व का प्रमाणन) अधिनियम** को पारित किया था।
  - **आंध्र प्रदेश सरकार** द्वारा भी संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के क्रम में **ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए एक स्वीडिश कंपनी के साथ करार** किया गया है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में आने वाली चुनौतियाँ

- **एकीकृत कानूनी ढांचे का अभाव:** भूमि अभिलेखों की व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से विरासत में मिली थी। भारत में गारंटीकृत स्वामित्व प्रदान करने वाले कानूनी ढांचा की अनुपस्थिति है। साथ ही, जिस तरह से भूमि अभिलेखों से संबंधित जानकारी एकत्र और उसका रखरखाव किया जाता है वह इन अभिलेखों में और कमियों को उत्पन्न करते हैं।

- **आधारभूत संरचना के विकास हेतु भूमि की अनुपलब्धता:** इसमें निम्नलिखित के कारण देरी होती है:
  - विवाद रहित व्यापक भूमि की अनुपलब्धता,
  - भूमि अभिलेखों का अपडेट न होना,
  - भूमि अभिलेखों के संयुक्त माप सर्वेक्षण का विरोध करना,
  - भूस्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग और
  - भूस्वामियों द्वारा भूमि से संबंधित बड़ी संख्या में मध्यस्थता के मामले दर्ज कराना।
- **जनशक्ति की कमी:** भूमि अभिलेखों के निरंतर अपडेट को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाओं में से एक राज्यों के भूमि अभिलेख विभागों में कुशल जनशक्ति का अभाव है।
- **भूमि अभिलेख विभागों में खराब तालमेल:** मूल अभिलेखों के संरक्षक के रूप में राजस्व विभाग, स्थानिक अभिलेखों का प्रबंधन करने वाले सर्वेक्षण और निपटान विभाग और भूमि लेनदेन के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार पंजीकरण विभाग के मध्य कामकाज संबंधी तालमेल की कमी है।
  - डेटा की निजता संबंधी कानूनों के अभाव में, भूमि अभिलेखों के दुरुपयोग की संभावना अधिक होती है।
- **डिजिटल अंतराल:** ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, डिजिटल निरक्षरता, डिजिटल और लैंगिक अंतराल की उच्च स्थिति बनी हुई है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** भूमि रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन में भौगोलिक सूचना प्रणाली, डेटा वेयरहाउस और वेब जैसी प्रौद्योगिकियां बहुत उपयोगी होती हैं। साथ ही, ये प्रौद्योगिकियां भूमि रिकॉर्ड से संबंधित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना बनाने और उत्पादक मॉडलिंग के संबंध में भी बहुत सहायक होती हैं।
- **डिजिटल रिकॉर्ड विभाग:** ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड रखरखाव की बेहतरी के लिए एक ऑनलाइन या डिजिटल रिकॉर्ड विभाग स्थापित किया जा सकता है। साथ ही, इसके रखरखाव में सहायता करने के लिए तीसरे पक्ष को भी आउटसोर्स किया जा सकता है।
- **आवधिक सर्वेक्षण:** भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए नियमित अंतराल पर भूमि के प्रत्येक भू-खंड का एक नया सर्वेक्षण करना चाहिए। यह सभी को जमीन खरीदने, उसको हस्तांतरित करने और बेचने, भूमि से संबंधित क़ानूनी दस्तावेज (विलेख) प्रदान करने के साथ-साथ सभी प्रकार के भूमि लेनदेन को आसान बनाने में मदद करेगा।
- **भूमि पर मालिकाना हक या निर्णायक मालिकाना हक प्रणाली: वित्तीय क्षेत्रक सुधार समिति (FSRC) ने वर्ष 2009 में** अनुमानित मालिकाना हक प्रणाली से एक निर्णायक मालिकाना हक प्रणाली (वास्तविक स्वामित्व प्रदान करने वाले भूमि अभिलेख) की ओर बढ़ने की सिफारिश की थी, जो भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी को काफी कम करते हैं। साथ ही, नीति आयोग द्वारा भी निर्णायक भूमि मालिकाना हक पर मॉडल विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

2.6.1.1. स्वामित्व योजना (SWAMITVA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गयी थी।

स्वामित्व योजना के बारे में

- **"स्वामित्व"** अर्थात् 'ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण' (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology In Village Areas: SVAMITVA) वस्तुतः **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (अबादी) भूमि का सीमांकन करने के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण भारत के लिए **एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान** प्रदान करना है।

इस योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध मुद्दे/समस्याएं

- **ग्रामीण समुदाय में अनिच्छा:** भूमि और उससे जुड़ी सीमाएं ग्रामीण लोगों के बीच संवेदनशील विषय हैं, जो उन्हें ऐसे नीतिगत सुधारों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित कर सकता है।
- **सुभेद्य लोगों तक लाभ न पहुँचने की आशंका या उनका बहिष्करण:** दलितों, महिलाओं, काश्तकार किसानों और आदिवासी समुदायों को प्रायः भूमि तक मालिकाना पहुँच से अलग रखा जाता है, भले ही उनका दावा वैध हो।
- सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बाजार नहीं होते हैं, जहाँ भूमि को संस्थागत रूप से गिरवी रखा जा सके।
- **नव-सृजित भू-अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट करना:** भू-अभिलेखों के निर्माण (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) और रखरखाव (राज्यों का राजस्व विभाग) के कार्य में अलग-अलग प्राधिकरण कार्यरत हैं, जिससे इन भू-अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय का मुद्दा:** केंद्र के नोडल एजेंसी होने और राज्यों के कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण इस योजना की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दे विद्यमान हैं।
- **कानूनी खामियां:** यह योजना अपने कार्यान्वयन के लिए राजस्व कानूनों में उचित संशोधन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के राजस्व विभागों पर डालती है। हालांकि, इन कानूनों की लापरवाह समीक्षा कानूनी खामियां पैदा कर सकती है।

आगे की राह

- **शुरूआत से ही ग्रामीण समुदाय को जोड़ना:** समुदाय को शामिल करने और पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने से प्रक्रिया की अधिक स्वीकार्यता का माहौल बन सकता है और विवादों की संभावना कम हो सकती है।
- **सर्वाधिक सुभेद्य लोगों की रक्षा करना:** सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के दावे की वैधता सुनिश्चित करने के लिए, कार्यान्वयन प्रक्रिया में रक्षोपायों का समावेश करना महत्वपूर्ण होगा।
- **शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना:** शिकायत निवारण प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से लोगों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करेगी।
- **बाजारों को काम करने में सक्षम बनाना:** उपभोक्ताओं में विश्वास का निर्माण करने और इन क्षेत्रों में गिरवी या जमानत गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों को विधायी और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।
- **राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** यह योजना के अंतर्गत प्रगति में तेजी ला सकता है। इसके लिए प्राप्त उपलब्धि को सत्यापित करने और राज्यों की रैंकिंग करने के लिए विश्वसनीय प्रणाली या सूचकांक को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- **उचित निगरानी प्रणाली तैयार करना:** यह देखते हुए कि जिस तरह से राज्य इस योजना का कार्यान्वयन करने का विकल्प चुनेंगे, उसमें काफी स्वायत्तता है, वांछित परिणामों पर योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
- **ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना:** मजबूत और सुसंगत राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए भू-अभिलेख अद्यतन करते समय उन्हें संपत्ति कर रिकॉर्ड्स को संशोधित करने के लिए भी अधिकृत किया जाना चाहिए।
    - संपत्ति और कराधान रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए पंचायतों को भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- **महिलाओं को स्वामित्व अधिकार:** राज्य एकल महिलाओं के लिए कब्जा आधारित स्वामित्व अधिकारों को मान्यता देने पर विचार कर सकते हैं।

2.6.2. भूमि बैंक (LAND BANKS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM) ने **भूमि बैंक कंपनी** की संरचना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इसे सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के स्वामित्व वाले **भूखंडों का विक्रय करने** का कार्यभार सौंपा जाएगा।

भूमि बैंक क्या है?

- भूमि बैंक एक सरकारी निकाय या गैर-लाभकारी निगम होते हैं जो खाली अप्रयुक्त परिसंपत्तियों, अप्रयुक्त भूमि, या विलंबी कर-दाता (tax-delinquent) परिसंपत्तियों (अर्थात् कर न चुकाने के आधार पर जब्त की गई परिसंपत्तियों) के प्रबंधन और निपटान में सहायता करता है ताकि अधिक उत्पादक उपयोग के लिए इन परिसंपत्तियों का पुनर्विकास किया जा सके।
- **न्यू इंडिया @ 75** की नीति आयोग की रणनीति ने विनिर्माण सुविधाओं के लिए **पूर्व-स्वीकृत भूमि बैंक** सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS) आधारित मानचित्रों का उपयोग करने की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया।

भूमि बैंक के लाभ

- **भूमि उपयोग दक्षता:** भूमि बैंक वस्तुतः **अप्रयुक्त सरकारी भूमि के बेहतर उपयोग** को सुगम बनाते हैं। इसमें अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) भी शामिल है, जिसमें लगभग 52% भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

VISIONIAS

- **सरकारी भूमि के निपटान में अत्यधिक देरी को संबोधित करना:** यह पर्याप्त भूमि अभिलेखों के अभाव और एक व्यापक भूमि डेटाबेस की अनुपस्थिति, ट्रेड यूनियनों के विरोध, अवैध अतिक्रमण तथा विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी के कारण होता है। एक समर्पित भूमि बैंक अप्रयुक्त भूमि का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करेगा।
- **निवेश को बढ़ावा:** नीति अनुसंधान केंद्र (Centre for Policy Research: CPR) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में अनुमानित 7.7 मिलियन लोग **25 लाख हेक्टेयर भूमि पर जारी संघर्ष** से प्रभावित हैं, जिस कारण **200 अरब डॉलर का निवेश जोखिम** की स्थिति में है।
    - भूमि बैंक **सभी संबंधित औद्योगिक सूचनाओं की निःशुल्क और आसान पहुंच हेतु वन-स्टॉप समाधान** उपलब्ध करा सकते हैं, जो निवेशकों द्वारा दक्षतापूर्ण निर्णय लेने में सहायता के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा भी प्रदान करेंगे।
- **व्यापार करने में सुगमता:** LARR अधिनियम, 2013 (बॉक्स देखें) को प्रायः भूमि अधिग्रहण के संबध में बाधा के रूप में देखा जाता है। अक्सर बड़ी परियोजनाएं, जैसे- ओडिशा के नियमगिरि में **वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना** का प्रस्ताव और **सिंगूर (पश्चिम बंगाल) में टाटा मोटर्स की परियोजना,** भूमि संबंधी मुद्दों के कारण रद्द हो गईं। सभी संबद्ध परमिटों की उपलब्धता और भूमि संबंधी मुकदमेबाजी की लगभग नगण्य स्थिति से परियोजना संबंधी लागत में वृद्धि को कम करने में सहायता मिलेगी, जो कॉर्पोरेट दिवालियापन को कम करने में सहायक होगा।
- **अन्य लाभ:** इसमें भूमि संबंधी बाजार लेन-देन में पारदर्शिता, समेकित भूमि की उपलब्धता, न्यायतंत्र पर बोझ का कम होना और विभिन्न हितधारकों द्वारा सूचित निर्णय लेना शामिल हैं।

भूमि बैंकों से संबद्ध चिंताएं

- **भूमि बैंक स्वामित्व और अधिकारों से संबंधित प्रश्न उठाते हैं:** भूमि बैंक रणनीतिक रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी वैध प्रक्रियाओं का अनुसरण करने वाली विधिक बाधाओं से बचते हैं। राज्य सरकारें आम लोगों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए निजी और साझा भूमि दोनों का उपयोग करके भूमि बैंक का सृजन करने में जल्दबाजी कर रही हैं।
- **विधिक खामियां: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के अनुसार, सरकार को वनेत्तर प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग करने के लिए **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन मंजूरी** प्राप्त करना अनिवार्य होता है। हालांकि, इस अधिनियम के तहत **'भूमि बैंक' के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं** है।
- **भविष्य के संघर्षों की संभावना:** कई रिपोर्टों ने सचेत किया है कि भूमि बैंक में शामिल वे भूखंड जिन पर पहले भी विरोध कर नियोजित परियोजनाओं को रोका गया था, उन पर भविष्य में निवेश करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भूमि उपयोग के संबंध में विधिवत् अभिलेख और बैंक पर स्वामित्व तथा भूमि के वास्तविक उपयोग के संबंध में **विधिक रिकॉर्ड** सुमेलित नहीं होते हैं।
- **एकमुश्त समाधान:** ऐसे भूमि बैंक एकमुश्त समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि लगातार नई खाली भूमि खोजना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं के लिए विशेष क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके अनुपलब्ध होने पर फिर से भूमि अधिग्रहण की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- भूमि बैंकों को एक सुदृढ़ रणनीति बनाने के लिए **संबंधित मुद्दों** पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसके तहत अनिवार्य सुधारों में स्वामित्व (SVAMITVA) जैसी योजनाओं के माध्यम से **भूमि अभिलेख भंडार** का निर्माण करना, स्वामित्व से संबंधित सभी अभिलेखों का **डिजिटलीकरण और एकीकरण करना,** संपत्ति विवादों का **समय पर समाधान** करने के लिए एक व्यवस्थित समय-सीमा को परिभाषित करना तथा स्वामित्व **भूमि विवाद डेटा आदि को सार्वजनिक करना** इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए।
- साथ ही, **लैंड पूलिंग (भूमि के बदले भूमि) को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।** आंध्र प्रदेश में अमरावती के विकास के लिए सरकार ने **25,000 किसानों से 13,000 हेक्टेयर भूमि को विकसित भूमि के एक छोटे हिस्से के बदले में खरीदा,** जिसका मूल्य कम से कम उतना ही होगा जितना उनकी अधिग्रहित की गई भूमि का था।
    - इस विचार को व्यापक पैमाने पर दोहराया जा सकता है। भूमि के बदले में भू-स्वामियों को **स्वामित्व में हिस्सा (अर्थात् इक्विटी के रूप में) प्रदान करने का वादा** किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, भू स्वामी अपनी भूमि को बेच नहीं रहे होंगे, बल्कि उसे निवेश कर रहे होंगे। इस प्रकार वे **उद्यम में भागीदार** बन जाएंगे।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

2.7. शहरी संवृद्धि और विकास (URBAN GROWTH AND DEVELOPMENT)

शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग – एक नज़र में

शहरी नियोजन

एक दृष्टिकोण के रूप में शहरी नियोजन किसी शहर के सभी पहलुओं (जैसे– आर्थिक विकास, जनसंख्या विविधता और सामाजिक संपर्क) को ध्यान में रखता है ताकि शहरी इलाकों या परिवेश के मुख्य और सुसंगत दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके।

स्तर	घटक
नगरीय स्तर (नगरों के लिए मास्टर प्लान, स्थानीय क्षेत्र स्तरीय योजना और आवास स्तरीय कार्यक्रमों या योजनाओं को प्रोत्साहित करना आदि)।	भूमि उपयोग योजना (लैंड यूज़ प्लानिंग), गतिशीलता योजना, पर्यावरण संबंधी अवसरंचना योजना, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, सार्वजनिक पहुंच।
क्षेत्रीय स्तर (जिला/महानगरीय विकास योजनाएँ, औद्योगिक क्षेत्र योजनाएँ आदि)।	भूमि उपयोग योजना और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की योजना बनाना (जैसे राजमार्ग आदि)।
राष्ट्रीय/राज्य स्तर (केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विकसित दीर्घकालिक योजनाएं)।	नीतिगत ढांचा, कार्यक्रमों/मिशनों का डिजाइन करना और सामरिक/परियोजना प्लानिंग।

भारत में शहरी नियोजन का क्रमविकास

कांस्य युगः हड़प्पा सभ्यता

- **विशेषताएंः** कुशल जल आपूर्ति प्रणाली, वर्षा जल संचयन और सीवरेज प्रणाली और गलियों के लिए ग्रिड–आयरन पैटर्न।
- **प्रसिद्ध शहरः** हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा एवं लोथल।

प्राचीन भारतः मानसार के **शिल्पशास्त्र** और कौटिल्य के **अर्थशास्त्र** में नगर नियोजन के सिद्धांतों का उल्लेख है।

- **विशेषताएंः** बस्तियों की योजना धर्म, क्षेत्र और सुरक्षा से प्रभावित थी।
- **प्रसिद्ध शहरः** पाटलिपुत्र, अयोध्या, वाराणसी, मदुरै, कांचीपुरम आदि।

मुगल कालः

- **विशेषताएंः** नगरीय योजना में पूजा स्थल और स्थानीय बाजारों (मंडी) पर काफी ध्यान दिया गया।
- **प्रसिद्ध शहरः** फतेहपुर सीकरी, शाहजहांनाबाद आदि।

औपनिवेशिक काल

- बंदरगाह शहर, देशी रियासतों में निवास क्षेत्र, छुट्टी के लिए 'पर्यटन स्थल (हिल स्टेशन)' आदि का विकास।
  - वर्ष 1915 का बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट, पहली ऐसी टाउन प्लानिंग थी, जिसे भारत में लागू किया गया था।
- **प्रसिद्ध शहरः** कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता), मद्रास (वर्तमान चेन्नई) और बॉम्बे (वर्तमान मुम्बई)।
- **प्रख्यात योजनाकारः** सर पैट्रिक गेडेस तंजौर, मदुरै जैसे शहरों के योजना निर्माता और ब्रिटिश वास्तुकार सर एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स नई दिल्ली के योजना निर्माता हैं।

आजादी के बाद

- **पहला नियोजित शहर** – चंडीगढ़
- 1960 के दशक में नियोजित औद्योगिक टाउनशिप नामतः राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, आदि का विकास।
- तत्कालीन योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित शहरी नियोजन।
- वर्ष 1996 – पहली बार **शहरी विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन** (UDPFI) के दिशा–निर्देश तैयार किय गया।

शहरी नियोजन का वर्तमान ढांचा

- **सरकारों की भूमिकाः** 7वीं अनुसूची राज्यों को शहरी नियोजन की शक्ति प्रदान करती है। जबकि, केंद्र सरकार 'सलाहकारी' भूमिका निभाती है तथा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **विधायी ढांचाः**
  - **राज्य स्तर परः** राज्य नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम आदि।
  - **क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों परः** उदाहरण के लिए, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957
  - **भूमि आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण आदि से संबंधित अधिनियम,** जैसे– रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; आदि।
- **संस्थागत ढांचाः**
  - **संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से बनाई गई संस्थाएंः** जैसे– शहरी स्थानीय निकाय तथा महानगर / जिला योजना समितियां।
  - **अन्य संस्थाएंः** राज्य 'नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राज्य सरकारों की एजेंसियां/निकाय, सुधार ट्रस्ट।

भविष्य के शहरी क्षेत्रों के विकास में शहरी नियोजन की भूमिका

- शहरी आबादी में त्वरित वृद्धि को समायोजित करना और अनियोजित विकास जैसे मलिन बस्तियों, यातायात की भीड़ आदि से उत्पन्न मुद्दों सें निपटना।
- शहरी वितरण और शहरीकरण की गति के संदर्भ में अंतरराज्यीय असमानताओं पर नियंत्रण स्थापित करना।
- आपदा प्रतिरोधी शहरों का निर्माण करना।
- भारत के आर्थिक संवृद्धि के बुनियादी ढांचे और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कुशल शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है।
- शहरों में उत्सर्जन को नियंत्रित करके कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था को अपनाना।
- भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना – संधारणीय विकास लक्ष्य– 11; यू.एन. हैबिटैट का न्यू अर्बन एजेंडा; और पेरिस जलवायु समझौता।

भारत में शहरी नियोजन क्षमता से जुड़े मुद्दे

- **संस्थागत मुद्देः** अधिकारियों की बहुलता; प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव; नगर निकायों में प्रशासन से जुड़े मुद्दे।
- **नियोजन प्रक्रिया संबंधी मुद्देः** सहभागी निर्णय लेने का अभाव; शहरों एवं क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान का अभाव; निजी क्षेत्र की कम भागीदारी; शहरी नियोजन एवं शहरी भू–अभिलेखों को अलग करना।
- **शहरी भूमि उपयोग से संबंधित मुद्देः** 'शहरी' क्षेत्रों की गैर–मान्यता; शहरी भूमि का उप–इष्टतम उपयोग; विकासं नियमों के अनपेक्षित प्रभाव।
- **आपदा से बचाव से जुड़े मुद्देः** जोखिमों का आंकलन किए बिना विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना; प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों और जल निकायों के प्रति उदासीन दृष्टिकोण; भवन उप–नियम अभी भी कुछ जोखिम के खतरों आदि को ही महत्व देते हैं।
- **शहरी नियोजन में लगे मानव संसाधन से जुड़े मुद्देः** पर्याप्त तथा तकनीकी रूप से योग्य योजनाकारों की कमी; विशिष्ट पेशेवरों की कमी; प्रशासकों या निर्वाचित अधिकारियों के बीच शहरी नियोजन के बारे में सीमित जागरूकता का होना; अनुपयुक्त क्षमता निर्माण आदि।

आगे की राहः भविष्य के शहरों का निर्माण

- **मौजूदा मास्टर प्लान तैयार करने में हस्तक्षेप करनाः** दीर्घकालिक योजना में संलग्न होना; शहर का अंतः प्रचालनीय (Interoperable) आधार मानचित्र तैयार करना; किसी शहर के प्रासंगिक उप–क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना; स्पष्ट उत्तरदायित्वों के साथ विशिष्ट प्रस्तावों का विकास एवं उन्हें समावेशित करना।
- **मानव संसाधन प्रबंधनः** नगर योजनाकारों के पदों को तेजी से भरने, नगर योजनाकारों के कार्य विवरण के मानकीकरण आदि द्वारा शहरी योजनाकारों की कमी पर काबू पाने के लिए, नियमित क्षमता निर्माण करना।
- **कार्यकारी एवं विधायी सुधारः** विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन करना; योजनाकारों और अन्य विशेषज्ञों का मानकीकरण करना; शहरों की आर्थिक संवृद्धि के कारकों के अनुसार नियोजन संबंधी विनियमों और उप–नियमों को अपनाना आदि।
- शहरों के लिए, **संकट, जोखिम और सुभेद्यता का आकलन करना** ताकि लोचशीलता को अपनाया जा सके।
- **भागीदारी का विस्तारः** निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए 'नागरिक आउटरीच अभियान' आयोजित करना; शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

2.7.1. शहरी रूपांतरण पहल (URBAN TRANSFORMATION INITIATIVES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने तीन रूपांतरकारी शहरी मिशनों, यथा- **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)** तथा **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के 6 वर्ष पूर्ण होने के आलोक में एक समारोह का आयोजन किया।

शहरी रूपांतरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

शहरीकरण वस्तुतः पारंपरिक ग्रामीण समाज का आधुनिक शहरी समुदाय की ओर होने वाला सामाजिक रूपांतरण है। शहरी रूपांतरण उन सभी **रणनीतियों और कार्रवाइयों** को निरूपित करता है जिनका उपयोग **व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर क्षतिग्रस्त एवं निम्न स्थिति वाले क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, तथा पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार के लिए** किया जाता है।

उदाहरण के लिए, पुणे में, भारत की **प्रथम श्रमिक-स्वामित्व वाली कचरा बीनने वालों की सहकारी समिति** एक कुशल अपशिष्ट-संग्रह प्रणाली का निर्माण करने में मदद कर रही है। यह प्रणाली और अधिक निवासियों तक पहुंच स्थापित करती है तथा इसके द्वारा यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार अनौपचारिक कामगारों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जा सकता है।

निम्नलिखित कारणों से शहरी रूपांतरण का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो गया है:

- **जनसंख्या वृद्धि:** वर्ष 2050 तक, शहरों में रहने वाली आबादी का अनुपात बढ़कर 66% हो जाने की संभावना है।
- **रोजगार के अवसर: औद्योगीकरण** के कारण, अधिकांश लोग बेहतर आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इसका कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों के सभी विकासात्मक क्षेत्रकों जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, खेलकूद और मनोरंजन आदि में रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।
- **आर्थिक संवृद्धि:** भारत विश्व की **सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं** में शामिल है और यह उच्च आर्थिक संवृद्धि **शहरों और कस्बों के प्रसार की देन** है। ऐसा अनुमान है कि **वर्ष 2030 तक भारत की GDP में भारतीय शहरों की हिस्सेदारी बढ़कर 70%** हो जाएगी।
- **संधारणीय विकास:** शहरी रूपांतरण ने **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 2030** में सम्मिलित स्थानीय एवं वैश्विक संधारणीयता तथा सुनम्यता (या लचीलापन) की ओर परिवर्तन को त्वरित करने के लिए शहरों की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया है।

शहरी रूपांतरण को प्रभावी बनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या हैं?

संस्थागत चुनौतियां:

- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राज्यों द्वारा आधे-अधूरे मन से लागू किया गया है,** जिसके कारण **शहरी स्थानीय निकाय ULBs)** कार्यात्मक और वित्तीय रूप से पूरी तरह से सशक्त नहीं बन पाए हैं।
- **सार्वजनिक एकाधिकार,** संगठनात्मक अक्षमता, **उच्च रिसाव (कार्यान्वयन संबंधी खामियां) के रूप में तकनीकी त्रुटियां, निवारक रखरखाव का अभाव,** निम्नस्तरीय लेखा व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या और स्वायत्तता संबंधी अभाव के कारण **सार्वजनिक क्षेत्रक आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहा है।**
    - राज्य और राष्ट्रीय नियोजन संस्थानों में **योजना बनाने वाले योग्य पेशेवरों का अभाव है।**
- **आधुनिक नियोजन ढांचे (विकेंद्रीकृत नियोजन) का भी अभाव है।** यह भूमि की प्रभावी उपयोगिता तथा परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप शहरों के प्रसार एवं वृद्धि को सीमित करता है।
    - ULBs अपने **राजस्व सृजन में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं और राजस्व सृजन अनुपात में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी है।**

अवसंरचनात्मक चुनौतियां:

- **प्राकृतिक रूप से तथा प्रवास के कारण शहरी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि** के कारण **सार्वजनिक सुविधाओं** जैसे कि आवास, शौचालय, परिवहन, जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर **अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है।**
- शहरी अवसंरचना और क्षमता निर्माण में **निवेश का अभाव** है।
- उच्च आर्थिक संवृद्धि के बावजूद भी भारतीय शहर **उच्च आय असमानता और निम्न गुणवत्ता वाले जीवन** के केंद्र बने हुए हैं। वर्ष 2019 में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स (या वैश्विक निवास करने योग्य सूचकांक) में **नई दिल्ली और मुंबई को 140 शहरों में क्रमशः 118वां और 119वां स्थान प्राप्त हुआ था।**

VISION IAS

पर्यावरणीय चुनौतियां:

- अत्यधिक जनसंख्या और अधिक जन घनत्व के कारण **शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं भूकंप का उच्चतर जोखिम बना रहता है।** शहरी क्षेत्र, ऊष्मा द्वीप (heat islands) के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। **साथ ही, इन्हें वायु और भूमिगत जल प्रदूषण तथा सतत जल संकट संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।**
    - **उदाहरण के लिए,** दिल्ली में प्रदूषण तथा मुंबई और चेन्नई में बाढ़ संबंधी समस्याएं **निम्नस्तरीय शहरी नियोजन एवं प्रबंधन** को उजागर करती हैं।

सामाजिक चुनौतियां:

- संसाधनों का अभाव, अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता, और सामाजिक सेवाओं एवं शिक्षा की कमी अंततः विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा अपराधिक गतिविधियों जैसे कि **हिंसा, औषधियों के दुरूपयोग, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम आदि को बढ़ावा देते हैं।**

इन चुनौतियों पर समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनकी प्रगति:

मिशन	विवरण	प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)	• इसका उद्देश्य **वर्ष 2022 तक सभी के लिए पक्का घर** सुनिश्चित करना है। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections: EWSs) और मध्यम आय समूह (Middle Income Group: MIG) के लिए शहरी आवास की कमी को दूर करेगी।	• **अब तक लगभग 1.12 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं** और 50 लाख से अधिक घर बनकर तैयार हैं। • कोविड-19 जनित प्रतिलोम प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) की अनुक्रिया में शहरी प्रवासियों/ निर्धनों के लिए **किफायती किराये के आवासीय परिसरों (Affordable Rental Housing Complexes: ARHCs)** की सुविधा आरंभ की गई है।
अमृत (AMRUT)	• इसके अंतर्गत पहले **राष्ट्रीय जल मिशन योजना** पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसका उद्देश्य **घरों को जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण** करना है। ○ अमृत के तहत 500 शहरों का चयन किया गया है। • **1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों** को इस मिशन के तहत कवर किया गया है।	• **105 लाख घरेलू नल और 78 लाख सीवर कनेक्शन** प्रदान किए गए हैं। • 101 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष **88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एल.ई.डी. लाइटों से प्रतिस्थापित कर दिया गया** है, जिससे CO2 उत्सर्जन ने कमी आई है।
स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)	• इसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) का उपयोग कर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जल आदि जैसे 'स्मार्ट समाधानों' के माध्यम से **अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है।**	• **70 स्मार्ट शहरों में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs) स्थापित और परिचालित कर दिए गए हैं,** जिनका उपयोग कोविड प्रबंधन के लिए समस्या निवारण कक्ष (वार-रूम के तौर पर) के रूप में किया जा रहा है। • SCM के अंतर्गत स्मार्ट सोलर, स्मार्ट जल और उन्नत सार्वजनिक स्थलों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं प्रगति की ओर अग्रसर हैं।

उपर्युक्त मिशनों को और सुदृढ़ करने हेतु हाल ही में उठाए गए अन्य कदम

- **जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (Climate Smart Cities Assessment Framework: CSCAF) 2.0:** इसका उद्देश्य भारत में **शहरी जलवायु कार्रवाई के निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु एक व्यापक रोडमैप/कार्ययोजना प्रदान करना है।**
- **डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0:** इसके तहत प्रत्येक वर्ष, स्मार्ट शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) अपने **डेटा पारितंत्र को विकसित करने तथा सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में निवेश** जारी रखें।
- **स्मार्ट शहरों के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technologies: ICT) पहल:**
    - **ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (IMAF):** यह **स्वतः आकलन वाला टूल किट** है। इसे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs) के प्रमुख घटकों (जैसे- कार्यशीलता, प्रौद्योगिकी, शासन और नागरिक/हितधारकों से संवाद या संपर्क) की परिपक्वता के आकलन के लिए विकसित किया गया है। यह शहरों को ICCCs में सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

- **ट्यूलिप (शहरी लर्निंग प्रशिक्षुता कार्यक्रम) {TULIP (The Urban Learning Internship Program)} रिपोर्ट:** यह स्नातकों को ULBs और स्मार्ट शहरों से जोड़ने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक मंच है, जो संयुक्त रूप से हमारे शहरों के लिए नए समाधान तैयार करने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs: NIUA) के ज्ञान उत्पाद:**
  - **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहर में निवेश (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain: CITIIS) कार्यक्रम।**
  - **शहरी सांख्यिकी/आंकड़ों की हस्तपुस्तिका:** यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। जिसके तहत भारतीय शहरों में रहने वाले **दिव्यांगजनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।**
  - **शहरों की अंतर्दृष्टि रिपोर्ट।**

भविष्य में शहरी रूपांतरण को गति प्रदान करने हेतु दृष्टिकोण

- **शहरी गवर्नेंस:** नगरपालिका की सीमाओं के बाहर शहरों के विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए, भारत के बड़े शहरों के सफल प्रबंधन हेतु पूर्णकालिक महानगर प्राधिकरण का गठन और स्पष्ट रूप से उनकी भूमिकाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत नियोजन और प्रबंधन:** इसके तहत वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप- उन्हें आवास, स्वास्थ्य, जल, परिवहन और अन्य सुविधाएं वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **वित्त:** शहरी संस्थानों को अधिकार प्रदान करने के साथ उनके वित्तपोषण की व्यवस्था में और अधिक सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर शहरों की निर्भरता में कमी आएगी तथा राजस्व के आंतरिक स्रोतों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रशिक्षित मानव संसाधन:** शहरी क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ी राज्यों, तटीय क्षेत्रों, नदी के किनारे अधिवासित क्षेत्रों तथा आपदा के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों के लिए शहरी नियोजन में **विशेष ज्ञान और दक्षता के प्रोत्साहन पर बल** दिया जाना चाहिए।

2.7.2. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NATIONAL URBAN DIGITAL MISSION: NUDM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ मिलकर **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM)** आरंभ किया है। यह मिशन लगभग 2,535 शहरों को आपस में जोड़ेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा अन्य पहलें जैसे कि **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म**, स्मार्ट सिटीज 2.0 वेबसाइट और **भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (Geospatial Management Information System: GMIS)** भी आरंभ की गई हैं।

- **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX):** इसे **स्मार्ट सिटीज मिशन** और **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** के मध्य साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया है, ताकि शहरों के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर **डेटा सिलोस (silos) की समस्या का समाधान किया जा सके।** ज्ञातव्य है कि डेटा साइलो/सिलोस वस्तुतः एकल समूह द्वारा रखे गए डेटा का एक संग्रह है जो अन्य समूहों के लिए आसानी से या पूर्णतः सुलभ नहीं होता है।
  - यह शहरों, शहरी प्रशासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटा समुच्चय साझा करने, अनुरोध करने एवं एक्सेस करने संबंधी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) सहित **डेटा प्रदाताओं और डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध इंटरफ़ेस** के रूप में कार्य करता है।
- **स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म:** यह शहरी शासन के लिए विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों हेतु ओपन-सोर्स कोड के भंडार (repository) में योगदान करने के लिए पारितंत्र के सभी हितधारकों को समर्थ बनाएगा।
  - यह नए सिरे से समाधान विकसित करने की बजाय, मौजूदा संहिता का उपयोग करने और उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए शहरों को सक्षम करके **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा डिजिटल अनुप्रयोगों के परिनियोजन एवं विकास के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करता है।**
- **स्मार्ट सिटीज मिशन 2.0 वेबसाइट को सभी स्मार्ट सिटी पहलों के लिए एकल बिन्दु के** रूप में नए सिरे से डिजाइन किया गया है।
  - इस वेबसाइट के साथ **भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (GMIS)** को एकीकृत किया गया है। यह वेबसाइट **स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए सिंगल विंडो हब की सुविधा** प्रदान करती है।
  - इस वेबसाइट को अत्यधिक प्रभावी संचार और व्यापक पहुंच बनाने वाले साधन के रूप में उपयोग करने हेतु विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के बारे में

* राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) का लक्ष्य शहरों और कस्बों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए **लोगों, प्रक्रिया एवं प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है।**
    * **लोग:** शहरी पारितंत्र में हितधारकों को संगठित, सक्षम और सशक्त बनाना।
    * **प्रक्रियाएं:** मानकों के माध्यम से शासन में सुधार करना और सहयोग एवं प्रभाव के लिए रूपरेखा निर्धारित करना।
    * **प्लेटफॉर्म:** प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

* यह वर्ष 2022 तक भारत के चुनिंदा शहरों में एवं वर्ष 2024 तक सभी शहरों तथा कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए **नागरिक-केंद्रित व पारितंत्र-चालित दृष्टिकोण** को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।
* **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के उद्देश्य:**
    * NUDM का लाभ उठाकर नए प्लेटफॉर्मों, समाधानों और नवाचारों का निर्माण करने हेतु **शहरी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारितंत्र (urban National Open Digital Ecosystem: u-NODE)** को **प्रोत्साहित करना।**
    * **मुक्त मानकों** का निर्माण करना तथा सभी राष्ट्रीय डिजिटल शहरी हितधारकों के लिए **मुक्त मानकों के अंगीकरण को लागू करना।**
    * शहरी परिसंपत्तियों, सेवा वितरण, शहरी डेटा और अभिकर्ताओं के संबंध में तथ्य का एकल स्रोत सृजित करने के लिए **उचित स्तर पर रजिस्ट्रियां स्थापित करना।**
    * शहरी क्षेत्र के लिए सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलनयोग्य अनुप्रयोग प्रणाली (scalable application systems) के विकास को बढ़ावा देना।
    * इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य करते हुए **सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम सिद्धांतों का अंगीकरण करना।**
    * सभी स्तरों पर **शासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के** लिए व्यवस्था प्रदान करना।

शहरी डिजिटल रूपांतरण के समक्ष चुनौतियां

* **विशेषज्ञता का अभाव:** निम्नस्तरीय संसाधन प्रबंधन योजना, डिजिटल प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों, विशेषज्ञता और कुशल जनशक्ति के अभाव की स्थिति व्याप्त है।
* **डेटा सुरक्षा:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सफल एकीकरण के लिए सुरक्षा के स्तर में रूपांतरण करना अनिवार्य होता है, जो कि डिजिटल रूपांतरण की ओर अग्रसर कई संगठनों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है।

- **अपर्याप्त निवेश:** शहरी क्षेत्रों में नीति को कार्यान्वित करने और संबंधित अवसंरचनात्मक कमी की पूर्ति के लिए अपर्याप्त निधि।
- **निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी:** डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ नहीं है। इससे शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी जैसे कि **इंटरनेट का अभाव तथा स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण डिजिटल विभाजन का निर्माण होता है। साथ ही,** आबादी के विशाल हिस्से के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, जो व्यापक डिजिटल साक्षरता के सम्मुख एक बड़ा अवरोध है।
- विभिन्न विभागों के मध्य **समन्वय के अभाव की स्थिति** के कारण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता की कमी है।

आगे की राह

- **नीति संबंधी रूपांतरण:** उच्च स्तर के राजनीतिक मंचों और स्मार्ट शहरों पर वैश्विक संवाद में **जनकेंद्रित संधारणीय एवं समावेशी डिजिटल संक्रमण** पर ध्यान केंद्रित करना तथा इसे मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण नीतिगत विषय है।
- **डिजिटल शहरी नवाचार का वित्तपोषण:** विकासशील देशों, छोटे और मध्यम आकार के शहरों एवं जमीनी स्तर के शहरी समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए **जनकेंद्रित स्मार्ट शहरों के लिए निवेश व वित्तपोषण** में वृद्धि करना, ताकि सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाई जा सके।
- **डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रति **जनकेंद्रित, निजता के संरक्षण एवं अधिकारों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण को अपनाने के** लिए सभी स्तरों पर सरकारों की क्षमता में वृद्धि करना। इससे सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में समावेशन और संधारणीय शहरी विकास का लक्ष्य अर्जित किया जा सकेगा।
- **उचित अवसंरचना:** शहरी डिजिटल अवसंरचना के सतत विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की संभावनाओं का अन्वेषण करना चाहिए, जैसा कि सड़कों और मेट्रो जैसी नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में देखा गया है।
- **समावेशी विकास:** समावेशी विकास के लिए डेटा सुरक्षा, स्पष्ट विनियामक दिशा-निर्देश और शिक्षाविदों हेतु अधिकाधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3. राजकोषीय नीति और संबंधित सुर्ख़ियां (FISCAL POLICY AND RELATED NEWS)

3.1. सरकारी वित्त की स्थिति (STATUS OF GOVERNMENT FINANCES)

मुख्य लक्ष्य

- देश में **पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- वर्षों के दौरान **देश के ऋणों का अधिक उचित और प्रबंधनीय वितरण** करना।
- **लम्बे समय तक भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता** स्थापित करना।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2020–21 में **राजकोषीय घाटा GDP का 9.3% है।**
- वर्ष 2021–22 में भारत का **ऋण - GDP अनुपात 61.7%** रहने की संभावना है।
- एन. के. सिंह समिति द्वारा वर्ष 2022–23 तक राजकोषीय घाटे को **GDP** के **2.5%** तक लाने की सिफारिश की गई है।
- एन. के. सिंह समिति द्वारा वर्ष 2022–23 तक **कर - GDP अनुपात को कम कर 60%** से नीचे लाने की सिफारिश की गई है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003
- राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (FRL) को अपनाया जाना।
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) का गठन।

सरकारी वित्त – एक नज़र में

आगे की राह

- **निजी निवेश के जरिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना,** बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना करना।
- FRBM अधिनियम के अनुसार **राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों** का अनुपालन करना।
- **उपकर और अधिभार पर कम निर्भरता रखना।**
- वित्तीय संसाधनों का **अधिक नियोजित और कुशल उपयोग** करना।

बाधाएं

- वित्तीय संसाधनों के वितरण में **ऊर्ध्वाधर असंतुलन** (केंद्र एवं राज्यों के मध्य) तथा **क्षैतिज असंतुलन** (अलग–अलग राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों के मध्य) की स्थिति।
- अर्थव्यवस्था में **उच्च मुद्रास्फीति** की स्थिति।
- **FRBM कानून द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पालन न करना।**
- **कर-GDP अनुपात का कम होना।**
- **विभिन्न योजनाओं में रिसाव और फ्री राइडर्स (बिना किसी प्रयास या लागत के मुफ्त में लाभ उठाना)** से जुड़े मुद्दे।
- **राज्य के GST संग्रह में कमी की स्थिति।**

3.1.1. पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (FIFTEENTH FINANCE COMMISSION REPORT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट (वर्ष 2021-26 के लिए) राष्ट्रपति को सौंप दी है, जिसे बाद में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) पिछले आयोगों से कैसे भिन्न थे?

- **राजकोषीय समेकन की रूपरेखा (Fiscal Consolidation Roadmap):** आयोग से राज्यों और संघ सरकार दोनों के वर्तमान वित्त की समीक्षा करने और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की अनुशंसा करने का आग्रह किया गया था।
  - वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण हुए राजकोषीय संकुचन के साथ यह कार्य और भी कठिन हो गया।
- **अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली (Indirect Taxation System):** आयोग से वस्तु और सेवा कर (GST) के प्रभाव का मूल्यांकन करने का आग्रह किया गया था। साथ ही, इसे अगले 5 वर्षों तक राज्यों के राजस्व के संभावित नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान की आवश्यकता और कई उपकरों को समाप्त करने हेतु सुझाव देने का भी कार्य सौंपा गया था।
- **मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (Measurable Performance Incentives):** आयोग को निर्दिष्ट किया गया था कि वह कर जाल (tax nets) को सुदृढ़ करने, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत क्षेत्रक में सुधारों आदि में सरकार के उचित स्तर पर राज्यों के लिए मापन योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों का प्रस्ताव करने पर विचार करे।
- **वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों की बजाए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करना:** आयोग को अपनी अनुशंसाएं करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने के लिए कहा गया था। यह एक कठिन कार्य था क्योंकि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग को लेकर दक्षिण भारत के अनेक राज्यों ने सक्रिय विरोध किया था।
- **अन्य विशिष्ट अनुरोध:**
  - **गैर-व्यपगत रक्षा कोष (non-lapsable defense fund)** के गठन की संभावना का विश्लेषण करना।
  - **आपदा प्रबंधन पहलों का वित्त-पोषण** करने वाली वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करना।

वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में क्या अनुशंसाएं की गई हैं?

ऊर्ध्वाधर अंतरण (Vertical Devolution)	आयोग ने **ऊर्ध्वाधर अंतरण 41% पर बनाए रखने** की अनुशंसा की है।
क्षैतिज अंतरण (Horizontal Devolution)	क्षैतिज अंतरण मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों अर्थात् **राज्यों की आवश्यकता, राज्यों के बीच समता और राज्यों के निष्पादन पर आधारित है।**
राज्यों को अनुदान (Grants to States)	• **राजस्व घाटा अनुदान (Revenue deficit grant):** 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। • **क्षेत्रक-विशिष्ट अनुदान (Sector-specific grants):** राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधारों के कार्यान्वयन आदि जैसे क्षेत्रकों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का क्षेत्रक-विशिष्ट अनुदान प्रदान किया जाएगा। इन अनुदानों का निर्दिष्ट हिस्सा राज्यों के निष्पादन से जुड़ा होगा। • **राज्य-विशिष्ट अनुदान (State-specific grants):** ये अनुदान सामाजिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक शासन और अवसंरचना आदि के क्षेत्रों में दिए जाएंगे। • **स्थानीय निकायों को अनुदान (Grants to local bodies):** स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला कुल अनुदान 4.36 लाख करोड़ रुपये होगा (इन अनुदानों का निर्दिष्ट हिस्सा राज्यों के निष्पादन से जुड़ा होगा)। • **आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster risk management):** आयोग ने आपदा प्रबंधन निधियों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा लागत सहभाजन प्रणाली को बनाए रखने की अनुशंसा की है। • **नए शहरों का स्थापना (Incubation of new cities):** वित्त आयोग ने नए शहरों की स्थापना के लिए आठ नए शहरों में से प्रत्येक के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करते हुए राज्यों को 8,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की अनुशंसा की है।
कुल अंतरण (Total transfers)	• कुल अंतरण (अंतरण + अनुदान) **संघ की वर्ष 2021-22 में अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34 प्रतिशत है।**
राजकोषीय प्रबंधन एवं समेकन रूपरेखा	आयोग ने केंद्र को वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कम करके **GDP के 4%** तक करने का सुझाव दिया है। राज्यों के लिए आयोग ने राजकोषीय घाटे की सीमा (GSDP के % के रूप में) (i) वर्ष 2021-22 में 4%, (ii) वर्ष 2022-23 में 3.5% और (iii) वर्ष 2023-26 के दौरान 3% करने की अनुशंसा की है।

(Fiscal Management and Consolidation Roadmap)	• राज्यों को विद्युत क्षेत्रक में सुधार करने पर प्रथम चार वर्षों (2021-25) के दौरान **GSDP के 0.5% के बराबर अतिरिक्त वार्षिक उधारी** की अनुमति दी जाएगी। • आयोग ने: (i) **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम** की समीक्षा करने, (ii) केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए नए FRBM ढांचे की अनुशंसा करने और इसके कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए एक **उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह (high-powered inter-governmental group)** का गठन करने की अनुशंसा की है। • GST में मौजूद मध्यवर्ती आदानों और अंतिम उत्पादन के बीच **उल्टा शुल्क संरचना (inverted duty structure) का समाधान करने की आवश्यकता है।** GST दर की राजस्व तटस्थता को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें बहु दर संरचना और कई अधोगामी समायोजन द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाना है। • **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यापक रूपरेखा** विकसित की जानी चाहिए। केंद्र के साथ-साथ राज्यों के रिकॉर्ड का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र **राजकोषीय परिषद (Fiscal Council)** की स्थापना की जानी चाहिए। 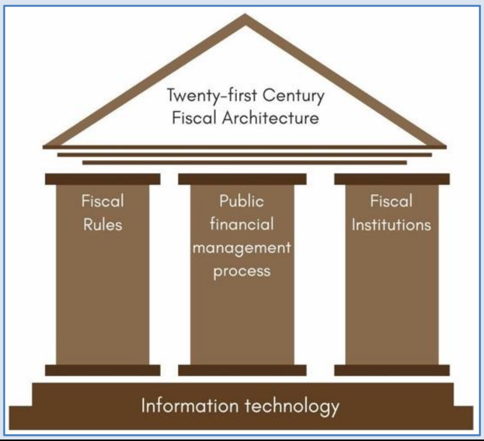
अन्य अनुशंसाएं (Other recommendations)	• **आपदा प्रबंधन निधि (Disaster Management Fund):** आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप **राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम शमन निधि** की स्थापना करना। • **रक्षा आधुनिकीकरण निधि (Defense Modernization Fun):** रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए व्यपगत न होने वाली एक पृथक निधि का निर्माण करना। इसका उद्देश्य रक्षा बजट आबंटन और प्रस्तावित बजटीय आवश्यकताओं के मध्य के अंतराल को कम करना है। • **स्वास्थ्य:** राज्यों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किए जाने वाले व्यय को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर उनके बजट का 8% किया जाना चाहिए। वर्ष 2022 तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर किया गया व्यय कुल स्वास्थ्य देखभाल पर किए गए व्यय का दो-तिहाई होना चाहिए। • **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes: CSS):** CSS के लिए वार्षिक आबंटन की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। CSS के लिए इस निर्धारित सीमा से कम वित्त-पोषण करना रोक देना चाहिए (ऐसी CSS जो अपनी उपयोगिता खो चुकी है या जिस पर किया जाने वाला परिव्यय महत्वहीन है, उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए)।

3.1.2. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (DIRECT MONETISATION OF THE FISCAL DEFICIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति को देखते हुए इस विषय पर चर्चा हो रही है कि क्या भारत को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से **घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण** करना चाहिए या नहीं।

राजकोषीय घाटा क्या है और इसे कैसे वित्तपोषित किया जाता है?

- राजकोषीय घाटा, सरकार की कुल आय (कुल करों एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों) और उसके कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तब राजकोषीय घाटा होता है।

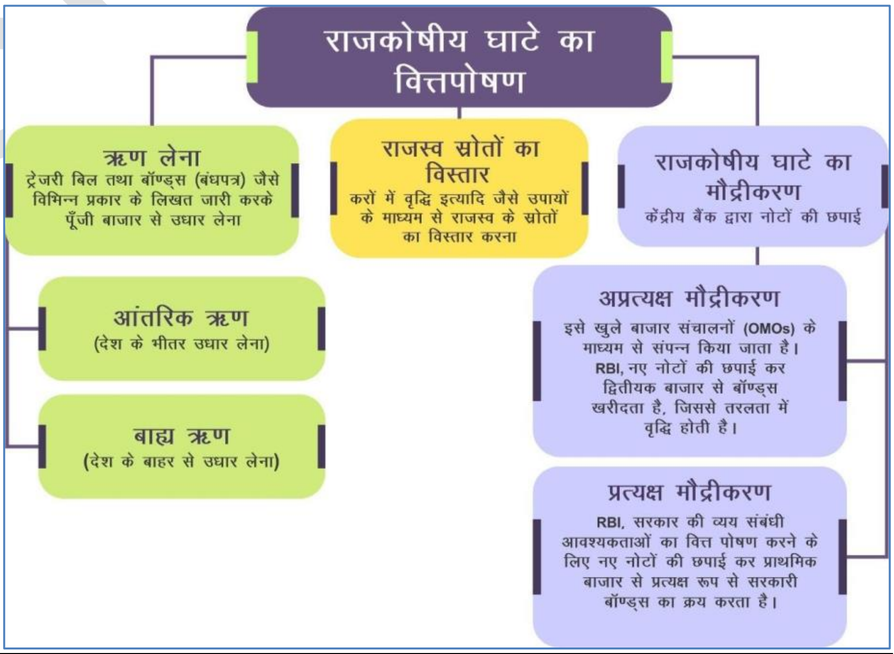

राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूँजीगत और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)

- सामान्यतः सरकारों के पास अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दो आधारभूत विकल्प मौजूद होते हैं, यथा- (i) या तो वें ऋण ले सकती हैं (ऋण-पत्र जारी करके), या (ii) करों में वृद्धि कर सकती हैं।
- जब किसी देश का केंद्रीय बैंक, सरकार के राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए नोटों की छपाई (करेंसी प्रिंटिंग) करता है, तो उसे **घाटे का मुद्रीकरण (monetisation of deficit)** कहते हैं।

घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of deficit) के बारे में

- यह उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जब केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के अत्यधिक घाटे और इससे संबंधित व्यय को समायोजित (या पूरा) करने के लिए नोटों की छपाई की जाती है। ऐसा तब होता है जब सरकार प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट्स) के जरिए अपने बॉण्ड्स केंद्रीय बैंक के पास रखती है अर्थात् जब केंद्रीय बैंक प्राथमिक बाजार से सरकारी बॉण्ड्स खरीदता है।
    - हालांकि, प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में नोटों की छपाई की ही जाए, क्योंकि केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रविष्टि (electronic accounting entry) के माध्यम से भी सरकार के खाते में राशि क्रेडिट (जमा) कर सकता है।
- इस प्रक्रिया से आर्थिक प्रणाली अर्थात् बाजार में कुल मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की माँग के पीछे उत्तरदायी कारण

- **रिकवरी (अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली) कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना:** यह सरकार को असाधारण रिकवरी कार्यक्रमों से संबद्ध कुछ लागत को प्रत्यक्ष रूप से कवर करने के लिए आसान चलनिधि/तरलता प्रदान कर सकता है।
- **अपस्फीति (deflation) का शमन करना और मध्यम मुद्रास्फीति (moderate inflation) को प्रोत्साहित करना:** मुद्रा का मुद्रण या नोटों की छपाई करने से आम जनता तक धन की पहुँच सुनिश्चित हो सकती है, जिससे आम जनता अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहित होती है। यह सरकार के लिए ऐसे समय में, जब निजी मांग में गिरावट बनी हुई है, समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।
- **वित्तीय स्थिरता बनाए रखना:** चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में बचतें सीमित होती हैं, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों को जारी कर व्यापक घाटे को वित्तपोषित करने से सरकार के लिए ब्याज की दरों और ऋण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इससे ऋण की अदायगी संबंधी चूक (डिफ़ॉल्ट) की संभावना में वृद्धि हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **निम्न ब्याज दर बनाए रखना:** नोटों की छपाई करने से वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न ब्याज दर बनी रहती है।
- **अन्य लाभ:**
    - ऋण द्वारा वित्तपोषित राजकोषीय कार्यक्रमों के विपरीत नोटों की छपाई कर घाटे की पूर्ति करने से भविष्य में कर संबंधी बोझ में वृद्धि नहीं होती है।
    - यह मुद्रास्फीति में वृद्धि कर एक निश्चित सीमा तक सरकार की बकाया देयताओं में कमी कर सकती है।

भारत में प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के उपयोग को लेकर व्यक्त चिंताएं

- **उच्च मुद्रास्फीति:** सरकार के राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से अनुत्पादक व्यय (unproductive spending) में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **RBI की विश्वसनीयता में कमी:** केंद्रीय बैंक के टूलकिट के नियमित भाग के रूप में मुद्रीकरण को अपनाने या इसकी उपलब्धता संबंधी दृष्टांतों को स्थापित करने से धीरे-धीरे मौद्रिक और राजकोषीय नीति के मध्य का अंतर क्षीण हो सकता है। इससे केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता को क्षति पहुंच सकती है और अपने अधिदेश की पूर्ति करने संबंधी इसकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- **राजकोषीय विवेक पर प्रश्नचिन्ह:** प्रत्यक्ष मुद्रीकरण, सरकार की राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) संबंधी गतिविधियों को हतोत्साहित कर सकती है। भारत द्वारा पहले ही 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की समयसीमा को कई बार आगे बढाया गया है।
- **राजकोषीय प्रभुत्व:** दीर्घावधि तक राजकोषीय अनुशासन के अभाव की स्थिति केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, क्योंकि नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचने के लिए केंद्रीय बैंक को असंधारणीय एवं नियंत्रण से परे राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय प्रभुत्व (अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप) स्थापित हो सकता है।
- **तरलता या चलनिधि में वृद्धि करने में अप्रभावी:** राजकोषीय कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई धनराशि अंततः अपरिहार्य रूप से बैंकिंग प्रणाली में पहुंचती है। इससे केंद्रीय बैंक में बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आरक्षित धन की मात्रा बढ़ सकती है क्योंकि आर्थिक तनाव या संकट के समय बैंक सामान्यतः ऋण प्रदान करने में अनिच्छुक होते हैं, इसलिए उनके द्वारा इस अतिरिक्त आरक्षित धन को केंद्रीय बैंक में रखने और उन पर ब्याज अर्जित करने की संभावना होती है।
- **मुद्रा का अवमूल्यन:** मुद्रा बाजार में आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
    - RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का परिणाम अंततः भुगतान संतुलन के संकट के रूप में परिणत हो सकता है।

आगे की राह

- **प्रत्यक्ष मुद्रीकरण से पहले राजकोषीय घाटे का उत्पादक उपयोग:** यदि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त व अल्पप्रयुक्त संसाधन और अवसर (जैसा कि भारत के लिए श्रम की बहुतायत स्थिति) विद्यमान हैं तो मुद्रा का मुद्रण अत्यधिक मुद्रास्फीति को प्रेरित नहीं करेगा।
    - इसलिए, इससे पहले कि भारत प्रत्यक्ष मुद्रीकरण का विकल्प अपनाए, सरकार को अपने राजकोषीय व्ययों की 'विश्वसनीयता' विकसित करनी चाहिए और उच्चतर विकास गुणक प्रभावों के लिए उत्पादक व्यय संबंधी निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए।
- **विकल्पों का अन्वेषण करना:** सरकार जनता को **कोविड बॉण्ड्स** जारी कर अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं का कुछ हिस्सा जुटा सकती है।
    - यदि कोविड बॉण्ड्स के मूल्य को उचित रूप से निर्धारित किया जाए तो इससे ऐसे बचतकर्ताओं को राहत पहुँच सकती है, जो वर्तमान समय में सावधि जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट्स) पर बैंक की ओर से मिलने वाली निम्न ब्याज दरों से असंतुष्ट हैं।
- **अंतिम उपाय के रूप में प्रत्यक्ष मुद्रीकरण का उपयोग करना:** RBI वर्तमान में नोटों की छपाई कर रहा है और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme: GSAP) के माध्यम से द्वितीयक बाजार से बॉण्ड खरीद रहा है।
    - इसलिए, वर्तमान में बॉण्ड की प्रत्यक्ष खरीद संबंधी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि GSAP आवश्यक चलनिधि प्रदान करने, अर्थव्यवस्था हेतु प्रोत्साहन की पूर्ति करने और बॉण्ड प्रतिफल (bond yields) को सुगमतापूर्वक कम बनाए रखने में सफल रहा है।

3.1.3. राज्य वित्त (STATE FINANCES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु **'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' (Scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure)** के विषय में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य वित्त का महत्व

- **रोजगार:** राज्य अब केंद्र सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक व्यय करते हैं और केंद्र की तुलना में **पांच गुना अधिक लोगों को नियोजित** करते हैं।
- **समष्टि आर्थिक स्थिरता:** वैश्विक महामारी के दौरान, राज्यों द्वारा बाजार से अत्यधिक मात्रा में ऋण लिया गया। राज्यों द्वारा **अत्यधिक मात्रा में ऋण लेने की प्रवृत्ति** का अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों, व्यवसायों के लिए नए कारखानों में निवेश करने हेतु धन की उपलब्धता और नए श्रमिकों को रोजगार देने की निजी क्षेत्रक की क्षमता के संबंध में **गंभीर निहितार्थ** होता है।
- **ऋण संबंधी संधारणीयता:** वैश्विक महामारी के दौरान **ऋण-GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के उच्च अनुपात के आलोक में** राजस्व जुटाने में राज्यों की अक्षमता से एक दुष्चक्र (vicious cycle) आरंभ हो सकता है। इसमें राज्यों को अपने निवासियों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु नई परिसंपत्तियों का सृजन करने के बजाय अपने राजस्व के अधिकांश भाग का उपयोग ब्याज का भुगतान करने हेतु करना पड़ सकता है।

राज्य वित्त से संबंधित मुद्दे

- **कर संग्रह में गिरावट:** आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केंद्र सरकार के **सकल कर संग्रह** में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% के समतुल्य गिरावट आई है। इसके अंतर्गत, राज्यों के लिए **कर राजस्व में गिरावट** ने राज्यों को अत्यधिक प्रभावित किया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए कर राजस्व के मुख्य स्रोत **वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax: GST)** के राजस्व संग्रह में 15-25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- **विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को कम करना: उपकर (Cess)** और **अधिभार (Surcharges)** पर केंद्र की अत्यधिक निर्भरता के कारण, **केंद्र के सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue: GTR)** में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 के 36.6% से कम होकर वित्त वर्ष 2020 में 32.4% हो गई।
- **ऋण पर बढ़ती निर्भरता:** वर्ष 2015-21 की अवधि के दौरान, **राज्यों द्वारा अपने कुल व्यय** के **20% की पूर्ति को ऋण** के माध्यम की गई है, जिसमें से पंजाब (45%), हरियाणा (30%) और पश्चिम बंगाल (30%) जैसे कुछ राज्य अपने व्ययों को पूरा करने के लिए ऋण पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
    - हाल ही में, **भारतीय रिज़र्व बैंक** ने राज्य स्तर पर बढ़ते लोक ऋण (Public debt) के बारे में आगाह किया है। **वर्ष 2014 से राज्यों के स्वयं के राजस्व के अंश के रूप में लोक ऋण में वृद्धि हुई है।**

- **लोकलुभावनवाद:** राजनीतिक वर्ग में विस्तारवादी राजकोषीय नीति की प्रवृत्ति रही है, जो भविष्य में गठित होने वाली सरकारों पर आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है और इस प्रकार, इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किसानों की ऋण माफी संबंधी घोषणाएं इसका एक उदाहरण है।
- **विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति:** राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई कुल बकाया गारंटी का 60% से अधिक **विद्युत क्षेत्रक की कंपनियों** के लिए प्रदान किया गया है। भविष्य में डिस्कॉम से संबंधित बकाया गारंटी में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार डिस्कॉम्स की निरंतर घाटे में रहने के स्थिति और बकाया ऋण में वृद्धि **राज्यों की वित्त व्यवस्था के लिए प्रणालीगत जोखिम** उत्पन्न करती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति में गिरावट:** किसी राज्य के GST संग्रह में गिरावट की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उपकर (Cess) के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है। **कम उपकर संग्रह और उच्च क्षतिपूर्ति की आवश्यकता** के परिणामस्वरूप राज्यों को प्रदान की जाने वाली GST क्षतिपूर्ति में गिरावट हुई है।

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राज्य वित्त में सुधार करने हेतु उठाए गए कदम

- **ऋण लेने की सीमा में वृद्धि करना:** केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों हेतु ऋण लेने की सीमा को **वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से बढ़ाकर 5%** कर दिया गया है। यह राज्यों द्वारा विशिष्ट सुधारों को पूरा करने की दशा में उन्हें लगभग 4 ट्रिलियन रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के उपाय:** राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों और बाजार से ऋण लेने के मामले में अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए, **ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधाओं की उपलब्धता** के संबंध में कुछ छूटों की अनुमति दी गई है।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक:** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) के तहत अनुदानों के रूप में राज्यों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

दीर्घावधि में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु आगे की राह

- **15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं:**
  - इसने अनुशंसा की है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को **ऋण समेकन (debt consolidation)** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपने संबंधित **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियमों के अनुसार** राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों को कम करना चाहिए।
  - इसने अनुशंसा की है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को **अतिरिक्त बजटीय ऋण को पूर्ण रूप से प्रकट** करना चाहिए तथा इन देनदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर समयबद्ध रूप से चुकाया जाना चाहिए।
  - आयोग ने **कर आधार का विस्तार करने, कर की दरों को सुव्यवस्थित करने** तथा सरकार के सभी स्तरों में **कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाने** की अनुशंसा की है।
- **राज्यों द्वारा वैश्विक महामारी के बाद की वित्तीय प्रतिक्रिया:** राज्यों द्वारा मुख्य रूप से अधिक उत्पादक उच्च गुणात्मक प्रभाव वाली पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यय को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - जनसांख्यिकीय और सह-रुग्णता क्षेत्रों के अनुरूप **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में निवेश करना** तथा **शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना** राज्यों की राजकोषीय रणनीति का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- **ऋण प्रबंधन:** केंद्र की तरह, राज्य द्वारा भी वांछित प्रति-चक्रीयता को अपनाकर और ऋण को मध्यम अवधि वाले साधन के रूप में शामिल करके **अपने वित्तीय विधानों को संशोधित करने** पर विचार किया जाना चाहिए।
- **उपकरों और अधिभारों पर कम निर्भरता: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** के अनुसार, दीर्घावधि से लागू सभी उपकरों, जहां इनसे प्राप्त निधियां अप्रयुक्त हों और उनका निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के प्रमाण हों, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
  - भविष्य में, उपकर को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के लिए और उस राशि के स्पष्ट अनुमान, जिसे केंद्र सरकार उपकरों के माध्यम से जुटाने का लक्ष्य रखती है, के साथ आरोपित करना चाहिए।
- **वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति:** क्षतिपूर्ति के मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान आर्थिक संवृद्धि को और अधिक बढ़ावा देने में निहित है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद् को अपने द्वारा प्रस्तावित कर संबंधी परिवर्तनों पर नियमित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए और राजस्व पर प्रभाव के बजाय आर्थिक संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका परीक्षण करना चाहिए।

3.2. अप्रत्यक्ष कराधान (INDIRECT TAXATION)

मुख्य लक्ष्य

- बजट 2021–22 के तहत **वित्त वर्ष 2022 के लिए 22.17 ट्रिलियन रुपये** के कर राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- केंद्रीय **GST** और क्षतिपूर्ति उपकर सहित **GST से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए 6.30 लाख करोड़ रुपये** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वित्तवर्ष 2022 के लिए **GST क्षतिपूर्ति के लिए 2.7 ट्रिलियन रुपये** की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से **उपकर संग्रह** के माध्यम से 1.1 ट्रिलियन रुपये प्राप्त होने की संभावना है।

वर्तमान स्थिति

- **वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 8% की गिरावट** के बावजूद, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वित्त वर्ष 2021 के दौरान 10.71 ट्रिलियन रुपये के साथ **12% की वृद्धि** हुई।
- **CCTV** कैमरों, ऑप्टिकल फाइबर एवं ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जों के आयात के कारण **सीमा शुल्क संग्रह में 21% की वृद्धि** हुई।
- **पेट्रोलियम एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़कर** क्रमशः 65 प्रतिशत और 79 प्रतिशत हो गया है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (101वां संविधान संशोधन अधिनियम), 2016
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017
- जी.एस.टी. के तहत कंपोजिशन स्कीम।
- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क।

अप्रत्यक्ष कराधान – एक नज़र में

आगे की राह

- **कर ढांचे को और अधिक सरल बनाना,** उदाहरण के लिए– टैक्स स्लैब को कम करना।
- **डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग करके** इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली प्रक्रिया में तेजी लाना। इससे पोर्टल की अधिक संख्या में डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है।
- कर की चोरी तथा अनैतिक प्रथाओं को पकड़ने के लिए **मजबूत अनुपालन व्यवस्था और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की स्थापना करना।**
- **सर्वसम्मति से निर्णय** लेना और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना।

बाधाएं

- निरंतर जारी आर्थिक गिरावट की स्थिति।
- **GST** क्षतिपूर्ति उपकर और **14% के वार्षिक राजस्व वृद्धि लक्ष्य** को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य टकराव की स्थिति।
- **GST संग्रह का अधिक आकलन करना।**
- **GST** के दायरे से पेट्रोलियम उत्पादों जैसी मदों का बाहर होना।
- **GST** परिषद, **जटिल कर स्लैब, बोझिल फाइलिंग संरचना, अस्पष्ट और परस्पर विरोधी AAR निर्णय, संक्रमणकालीन मुद्दे, आदि।**
- **कर की चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी।**
- **अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी हो सकता है** क्योंकि वे सभी के लिए, उनकी क्रय शक्ति के निरपेक्ष, वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं।

3.2.1. वस्तु एवं सेवा कर के 4 वर्ष (4 YEARS OF GST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax: GST) के चार वर्ष पूर्ण हो गए हैं।

प्रतिलोम प्रभार व्यवस्था (रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म)

- सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा GST का भुगतान किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में, कर का भुगतान करने का दायित्व खरीदार (buyer) का होता है। इसे ही रिवर्स चार्ज कहा जाता है।
- यह केवल कुछ दृष्टांतों में ही लागू होता है, जैसे- जब कोई व्यवसाय किसी आपूर्तिकर्ता, जो GST का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं है, से वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है या आयात के मामलों में।

GST की उपलब्धियाँ

- **भारत के कराधार (tax base) में वृद्धि:** विगत चार वर्षों (2017-2021) में कराधार 66.25 लाख से बढ़कर दोगुना लगभग 1.28 करोड़ हो गया है।
- **GST राजस्व संग्रह में वृद्धि:** राजस्व संग्रह का स्तर लगातार आठ महीनों तक 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक बना रहा। वित्त वर्ष 2016-17 में हुए राजस्व संग्रह की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्व संग्रह 42% बढ़ गया।
- **अनुपालन संबंधी सुगमता:** इससे अप्रत्यक्ष कर अनुपालनों में कुशलता आई है और साथ ही, इससे अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों की संख्या में भी कमी आई है।
- **"ई-इन्वॉयसिंग"** ने यह भी सुनिश्चित किया है कि व्यापार चालान (invoice) की पहचान एक विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा की जाए जो सरकार द्वारा समर्थित स्वचालित ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा सृजित होती है।
- **लॉजिस्टिक्स की कुशलता में वृद्धि:** GST ने जाँच-चौकियों को समाप्त कर, राष्ट्रव्यापी ई-वे बिल को आरंभ करके तथा एंट्री टैक्स (किसी राज्य में प्रवेश करने पर लगने वाला कर) को समाप्त कर सभी अंतर्राज्यीय बाधाओं को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार, इसने देश के भीतर वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाले परिवहन के समय को कम किया है। एक अनुमान के अनुसार, GST व्यवस्था में 50% से अधिक लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रयासों और समय की बचत होती है।

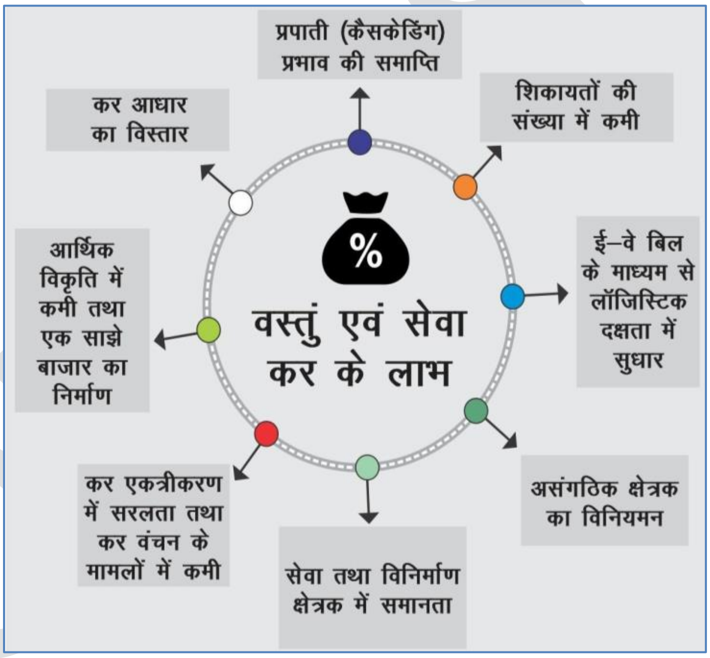

- **लेनदेन की लागतों पर प्रभाव:** पिछली व्यवस्था में, सभी अंतर्राज्यीय लेनदेनों पर 2% (केंद्रीय विक्रय कर) की अतिरिक्त लागत आती थी, जबकि GST के बाद यह घटकर 0% हो गई है। इससे लेनेदेन संबंधी लागत में अत्यधिक कमी आई है।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ता:** GST परिषद वस्तुतः सहकारी संघवाद के सफल उदाहरण के रूप में उभरी है और इसकी कार्यप्रणाली राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रही है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** करदाताओं द्वारा GST के संबंध किए गए अपने अनुपालन की निगरानी GST पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। साथ ही, वे किसी भी व्यवसाय के बारे में संबंधित PAN या GSTIN के माध्यम से आधारभूत जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।

चुनौतियाँ

- **GST संग्रह के बारे में आवश्यकता से अधिक अनुमान (Overestimation):** आरंभ के वर्षों में सरकार ने GST संग्रह का अधिक अनुमान लगाया, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका और इसलिए इसके संबंध में विफल कराधान व्यवस्था की भावना उत्पन्न हुई।
- **जटिल कर स्लैब (या कर की दर):** जटिल स्लैब संरचना और इनके मध्य लगातार परिवर्तन होते रहने से अनुपालन संबंधी प्रणाली में अवांछित भ्रम उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, कर की दरों में अस्थिरता से प्रायः अनैतिक मुनाफाखोरी संबंधी प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **बोझिल फाइलिंग संरचना:** वर्तमान GST रिटर्न फाइलिंग संरचना जटिल और बोझिल है और करदाता पर अत्यधिक दायित्व आरोपित करती है। वैध कर चालान/डेबिट नोट, प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तु/सेवा की वास्तविक रसीद को रखने संबंधी अनिवार्यता, विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक स्तर पर कर जमा करना आदि ने राष्ट्र को निर्बाध कर व्यवस्था से वंचित कर दिया है।

- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Authority for Advance Ruling: AAR) के अस्पष्ट और परस्पर विरोधी निर्णय:** विभिन्न राज्यों में अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण (Appellate Authority for Advance Ruling) की विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों से करदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त, AAR के गठन के बाद से राजस्व के संबंध में 80% से अधिक निर्णय पक्षपातपूर्ण रहे हैं, जिसने करदाताओं को असंतुष्ट किया है।
- **कर चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी:** कपटपूर्ण चालानों, नकली ई-वे बिल आदि के उपयोग सहित GST कर चोरी और कर संबंधी धोखाधड़ी से राजस्व संग्रह में अत्यधिक हानि हुई है।
  - मार्च 2020 में एक न्यूज रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि कर चोरी के कारण भारत को लगभग 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है।
- **GST के दायरे का विस्तार करना:** मुख्य रूप से राजस्व संग्रह पर केंद्र और राज्यों के असहमत होने के कारण अनके वस्तुओं, विशेष रूप से ईंधन और अल्कोहल को GST के दायरे में शामिल नहीं किया जा सका है।
- **राज्यों को क्षतिपूर्ति से संबंधित चिंताएँ:** इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन ने राज्यों और केंद्र के लिए राजस्व की कमी संबंधी समस्या को और गंभीर कर दिया है। इसलिए राज्यों को समय पर बकाया राशि का भुगतान करने में केंद्र असमर्थ रहा है।
  - हाल ही में, केंद्र और राज्य के बीच GST क्षतिपूर्ति उपकर में तक़रीबन 30,000 करोड़ रुपये की कमी रुपये को लेकर विवाद हुआ था। अंततः केंद्र द्वारा 1.1 लाख करोड़ की एक विशेष उधारी खिड़की के संचालन की सहायता से इस विवाद समाधान किया गया, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपये राज्यों की ओर से केंद्र द्वारा पहले ही उधार के रूप में ले लिए गए हैं।
- **सुधारों में देरी:** वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों के आलोक में गिरते राजस्व के कारण कर स्लैब में संशोधन, सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था आदि से संबंधित सुधारों में लगातार देरी हुई है, जिसने GST व्यवस्था को नीरस बना दिया है।
- **संक्रमणकालीन मुद्दे:** चार वर्ष बाद भी, कई करनिर्धारण अभी भी पुरानी से नई GST व्यवस्था की ओर संक्रमण के परिणामस्वरूप तकनीकी/विधिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- **सरल कर संरचना:** कुछ विशेषज्ञों ने **तीन स्लैब वाली संरचना** की अनुशंसा की है जिससे इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने में सहायता मिलेगी।
- **सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था:** अनैतिक और अवैध कर प्रथाओं में लिप्त कर चोरों को पकड़ने के लिए सरकार को सुदृढ़ प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित GST प्रणाली का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **संरचनात्मक सुधार:** राजस्व में वृद्धि के लिए GST के दायरे को बढ़ाने हेतु संरचनात्मक सुधार जैसे कि निरंतर आधार पर GST की समीक्षा करना या लंबे समय में बिजली, पेट्रोल, डीजल, रियल एस्टेट, या यहां तक कि कृषि को शामिल करके कर आधार का विस्तार करना।
- **डिजिटल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना:** यह इनपुट कर प्रत्यय (input tax credit) का दावा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता कर सकता है। यह पोर्टल की अधिक संख्या में डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता को बढ़ा सकता है।
- **सहकारी संघवाद** की ओर बढ़ने के लिए संस्थागत पूंजी का पुनर्निर्माण, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन संबंधी विवाद को अंतर-राज्य परिषद के माध्यम से या मुख्यमंत्री सम्मेलन जैसे संस्थानों के माध्यम से हल करना।
- **राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना:** GST परिषद के कामकाज जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाना, GST क्षतिपूर्ति अधिनियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना, तथा उपकरों और अधिभारों पर अधिक निर्भरता को कम करना केंद्र के वित्तीय प्रबंधन में राज्यों के खोए हुए विश्वास को फिर से स्थापित कर सकता है।

3.3. प्रत्यक्ष कराधान (DIRECT TAXATION)

मुख्य लक्ष्य

- बजट 2021–22 के तहत वित्त वर्ष 2022 के लिए **22.17 ट्रिलियन रुपये के कर राजस्व का लक्ष्य निर्धारित** किया है।
- केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए **निगम कर** 5.47 लाख करोड़ रुपये और **व्यक्तिगत आयकर** 5.61 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

वर्तमान स्थिति

- **सकल कर राजस्व का लगभग 55%** प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से निगम कर और व्यक्तिगत आयकर (वित्त वर्ष 2021) शामिल हैं।
- भारत में वित्त वर्ष 2021 के दौरान **9.45 लाख करोड़ रुपये** का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम था।
- कम कर संग्रह के लिए **आर्थिक वृद्धि में गिरावट और निगम कर दर में कटौती** उत्तरदायी हो सकते हैं।
- **लगभग 5.8 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया।**
- **भारत की जनसंख्या के केवल 1% लोगों ने करों का भुगतान किया।**

योजनाएं/नीतियां/पहल

- पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान।
- फेसलेस असेसमेंट स्कीम, 2020
- फेसलेस अपील स्कीम, 2020
- करदाता चार्टर।
- कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020
- कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021

प्रत्यक्ष कराधान – एक नज़र में

आगे की राह

- **GST** की तर्ज पर **प्रत्यक्ष कर संहिता** का निर्माण करना।
- करदाताओं की संख्या में वृद्धि करके **कर आधार का विस्तार करना।**
- **कृषि आय पर कराधान** की संभावना को तलाशना। आर्थिक प्रोत्साहित प्रदान करने वाले प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना।
- **एक दक्ष सूचना केंद्र, डिजिटलीकरण आदि** के माध्यम से गैर–अनुपालन संबंधी गतिविधियों को रोकना।

बाधाएं

- **कर-GDP अनुपात** लगभग 10% पर स्थिर बना हुआ है।
- **कर चोरी** और भ्रष्टाचार।
- **छूट** और कटौती की उच्च सीमा।
- **दोहरे कराधान की स्थिति।**
- **MNCs** द्वारा **कम कर अधिकारिता वाले देशों/टैक्स हेवन देशों में** अपने कार्यालयों की स्थापना करना।
- कर की दरों पर वैश्विक सहमति का अभाव।
- **डिजिटल कराधान** से जुड़े मुद्दे।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

3.3.1. पूंजीगत लाभ कर (CAPITAL GAINS TAX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से **पूंजीगत लाभ कर** (Capital Gains Tax: CGT) से संबंधित विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

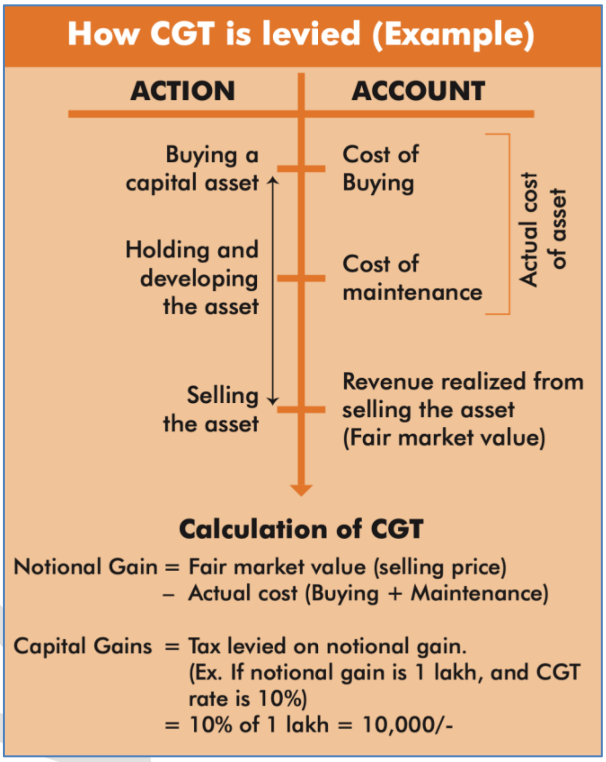

पूंजीगत लाभ कर (CGT) क्या है?

किसी व्यक्ति और निगम द्वारा किए गए निवेशों का विक्रय करने पर निवेश की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप जो लाभ प्राप्त होता है उसे **पूंजीगत लाभ** कहते हैं। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत लाभ एक प्रकार का लाभ होता है, जो किसी व्यक्ति को पूंजीगत संपत्ति (जैसे- शेयर, बॉण्ड, रियल स्टेट आदि) की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होता है। इस लाभ पर लगने वाले कर को **पूंजीगत लाभ कर (CGT)** कहते हैं। भारत में लगने वाले CGT की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- **जिन निवेशों का विक्रय नहीं हुआ है उन पर यह कर नहीं लगता है।** इसलिए स्टॉक शेयर जिनके मूल्य में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है उन पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा, जब तक कि उनका विक्रय न किया जाए, इसके तहत धारण अवधि की कोई सीमा नहीं है।
- **पूंजीगत लाभ कर केवल 'पूंजीगत परिसंपत्तियों'** जैसे कि स्टॉक, बॉण्ड, आभूषण, सिक्कों के संग्रहण और रियल एस्टेट जैसी परिसंपत्ति पर लागू होता है। यह केवल पूंजीगत प्रकृति के लेन-देन, जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति या दायित्वों में परिवर्तन होता है, पर लागू होता है।
- पूंजीगत लाभ कर **विरासत में मिली परिसंपत्ति** के स्वामित्व के अंतरण **पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें विक्रय करने संबंधी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं।** लेकिन परिसंपत्ति को विरासत के रूप में प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि उसका विक्रय करता है तो उस पर **पूंजीगत लाभ कर** लागू होगा।
- CGT फ्रेमवर्क में पूंजी को धारण करने की अवधि के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:
    - **लघुकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति पर लघुकालीन पूंजीगत लाभ कर (Short-term Capital Gains Tax: STCG):** जब कोई परिसंपत्ति 36 महीने या उससे कम समय अवधि तक धारण रहती है, तो उसे लघुकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है।
        - 36 महीने की अवधि को अचल परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन एवं घर के लिए कम करके 24 महीने कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर को 24 महीने की धारण अवधि से पहले विक्रय करते हैं तो उससे होने वाली आय को लघुकालीन पूंजीगत लाभ माना जाएगा।
    - **दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (Long-term Capital Gains Tax: LTCG):** जब कोई परिसंपत्ति 36 महीने से अधिक समय अवधि तक धारण रहती है, तो उसे दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति कहा जाता है।

3.3.2. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (GLOBAL MINIMUM CORPORATE TAX RATE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक ऐतिहासिक समझौते के तहत G-7 (ग्रुप ऑफ़ सेवेन) देशों के वित्त मंत्री कम से कम 15 प्रतिशत के एक **वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर** पर सहमत हो गए हैं।

> **वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कैसे कार्य करेगा?**
> - मान लीजिए, कोई कंपनी जिसका मुख्यालय **देश A** में है, वह **देश B में आय दर्ज करती है, जहां कर की दर 11% है।**
> - **15%** की वैश्विक न्यूनतम कर की दर के प्रभावी होने से, **देश A** द्वारा **कर में "बढ़ोतरी (टॉप अप)" की जाएगी** और संबंधित कंपनी से, देश B में प्राप्त होने लाभ पर **4% का अतिरिक्त कर वसूल लिया जाएगा।** यह अतिरिक्त कर **देश B की दर और वैश्विक न्यूनतम दर के मध्य के अंतर को प्रदर्शित करता है।**

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के बारे में

- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर (अर्थात् वैश्विक रूप से निगम कर एक न्यूनतम दर) बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multi-National Companies: MNCs) पर आरोपित किया जाने वाला **एक अतिरिक्त कर** है। यह संभावित रूप से इन कंपनियों को, उन देशों में करों के भुगतान हेतु बाध्य करता है जहां उनकी वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाता है, भले ही उस देश में उनकी भौतिक उपस्थिति हो या ना हो।

- यह न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कंपनियों को अल्प-कर वाले देशों में आय स्थानांतरण से होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ को कम करने में मदद करेगा और साथ ही देशों को वैश्विक मानदंडों के अनुपालन हेतु बाध्य करेगा।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की आवश्यकता क्यों?

- **एकरूपता लाना:** इसका उद्देश्य दशकों से चली आ रही "कर संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति" को समाप्त करना है, जिसमें देशों द्वारा कॉर्पोरेट दिग्गजों को अत्यधिक कम कर और कर से छूट प्रदान करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास किए जाते रहे हैं।
- **टैक्स हेवन पर रोक:** यह अल्प कर प्रोत्साहन से होने वाले लाभों को सीमित करता है। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे और कर राजस्व को अल्प-कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोकता है, भले ही उनके द्वारा बिक्री कहीं भी की जाती हो।
- **महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त कर राजस्व:** विभिन्न अनुमानों के अनुसार सरकारों को टैक्स हेवन से वार्षिक तौर पर लगभग 245 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान कर और देशों को सकारात्मक आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित कर, जैसे कि **कार्यबल को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना तथा अनुसंधान एवं विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश** के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।
- **वैश्विक डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की अनुमति:** यह विशाल डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के एक भाग पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करेगा और विश्व भर में आरोपित किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल करों को समाप्त कर देगा। ध्यातव्य है कि यह भारत में अपनाए गए समकारी कर (equalization levy) के समान होगा।

चुनौतियां

- **वैश्विक सहमति:** सभी प्रमुख राष्ट्रों को इस संबंध में एक मंच पर ला पाना एक सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से तब जबकि यह किसी राष्ट्र की कर नीति तय करने में उसके संप्रभुता के अधिकार को प्रभावित करता है।
- **कर की दर पर सहमति:** 15% का न्यूनतम कर पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अन्य देश उच्च न्यूनतम वैश्विक कर दर को प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं।
- **विकासशील/अल्प-विकसित देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव:** बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक स्रोत होती हैं। साथ ही, ये कंपनियां संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ-साथ मांग उत्पन्न करने और कम आय वाले देशों में रोजगार उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- **संप्रभुता का अधिकार:** कोई भी वैश्विक न्यूनतम कर, किसी भी देश की कर नीति (देश की आवश्यकता के अनुरूप) की क्षमता को सीमित करने के लिए संचालित किया जाता है।
    - आयरलैंड (जहाँ कर की दर 12.5 प्रतिशत है) के द्वारा इस वैश्विक न्यूनतम कर का विरोध किया गया है तथा उसके द्वारा तर्क दिया गया है कि यह उसके आर्थिक मॉडल के लिए विघटनकारी हो सकता है।
- **डिजिटल कराधान का मुद्दा:** डिजिटल कराधान के मुद्दे पर वैश्विक न्यूनतम कर में स्पष्टीकरण का अभाव भारत जैसे देशों के लिए और अधिक निराशाजनक हो सकता है, जो विकास के ऐसे चरण में नहीं हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों और उद्योगों के मध्य अंतर कर सकें।

भारत पर संभावित प्रभाव

- भारत को इससे लाभ प्राप्त होने की संभावना है, **क्योंकि यहाँ लागू निगम कर की दर इस न्यूनतम दर से अधिक है।** इस प्रकार, भारत निवेश को आकर्षित करना जारी रख सकता है।
    - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में, भारत द्वारा **निगम कर में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए इसे घरेलू कंपनियों के लिए 22%** और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए **15%** निर्धारित किया गया था।
    - इस कटौती ने प्रभावी रूप से भारत के हेडलाइन कॉर्पोरेट कर की दर को **एशियाई देशों के औसत कर की दर (23%) के समतुल्य ला दिया है।**
- भारत से विदेशों में होने वाले निवेश (outbound investments) के संबंध में, यह **देश में कर आधार क्षरण (base erosion of tax) को रोकने में सहायता करेगा,** क्योंकि इसकी मदद से सरकार, भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाले विदेशी व्यवसाय द्वारा 15% से कम कर भुगतान की स्थिति में शेष कर को वसूलने में सक्षम होगी।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) तथा वैश्विक न्यूनतम कर

- **OECD / G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)** के अंतर्गत, 139 देशों और अधिकार-क्षेत्रों द्वारा कर वंचन की रणनीतियों {जिनके तहत कर से बचने के लिए कर नियमों में विद्यमान खामियों तथा असमानता (mismatches) का लाभ उठाया जाता है} के उन्मूलन हेतु साझा प्रयास किए गए हैं।
  - BEPS वस्तुतः **बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Multi-National Enterprises: MNEs) द्वारा उपयोग की जाने वाली कर वंचन (बचाने) की रणनीति को संदर्भित करता है,** जिसके तहत कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करने हेतु **कर नियमों में विद्यमान** खामियों तथा असमानता का लाभ उठाया जाता है। ऐसे स्थानों या देशों में अत्यंत कम या किसी भी आर्थिक गतिविधि के अभाव के कारण कम या शून्य निगम कर का भुगतान करना पड़ता है।
- हाल ही में, **स्विट्जरलैंड, चीन और भारत सहित 130 देश अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार हेतु दो स्तंभों वाली एक नवीन योजना में शामिल हुए हैं** और यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां भी बहुराष्ट्रीय उद्यम संचालानरत हैं, वहां कर के उचित हिस्से के भुगतान किए जाएं।
  - **स्तंभ-1 या पिलर-वन,** वस्तुतः डिजिटल कंपनियों सहित बड़ी MNEs (जहां भी संचालानरत हों और लाभ अर्जित करती हों) **द्वारा कर के भुगतान को सुनिश्चित करता है।**
  - **स्तंभ-2 या पिलर-टू:** यह विशाल **MNEs द्वारा कम से कम एक वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के भुगतान को सुनिश्चित करता है,** जो वर्तमान में 15% पर प्रस्तावित है।

3.3.3. भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कराधान (RETROSPECTIVE TAXATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **आयकर अधिनियम, 1961** और **वित्त अधिनियम, 2012** में संशोधन करने के लिए **कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Taxation Laws (Amendment) Act, 2021}** अधिनियमित किया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2012 के भूतलक्षी कर कानून को समाप्त कर दिया गया है।

भूतलक्षी कराधान क्या है?

भूतलक्षी कराधान एक प्रकार का 'प्रगति विरोधी' कर ('backward looking' tax) है। यह एक देश को किसी **कर-कानून के पारित होने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए भी** किसी उत्पाद, सामग्री अथवा सेवाओं और सौदों पर कर आरोपित करने या **कंपनियों से शुल्क वसूलने की अनुमति प्रदान करता है।** कराधान की इस विधि का कई राष्ट्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कराधान से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करना होता है, जिसके लिए विगत लेन-देनों पर या तो नया या फिर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जाता है। इससे, कंपनियों द्वारा कर कानूनों की कमियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है।

भूतलक्षी कर के संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हैं?

- **कर निश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध:** पूर्वव्यापी कर, **आयकर अधिनियम** की **धारा 149** के अंतर्गत प्रदत्त समय सीमा को समाप्त कर देता है और करों को अनिश्चित बनाता है।
- नई मांग करने से, **निजी निवेशकों/ कंपनियों को हानि हो सकती है।** यह, कारोबार से संबंधित उनकी योजनाओं और आकांक्षाओं को आघात पहुँचा सकता है।
- **मध्यस्थता संबंधी समस्याएं (Arbitration Issues):** 17 मामलों में से 4 मामलों में, इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ हुई **द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा संधि (Bilateral Investment Protection Treaty)** के अंतर्गत मध्यस्थता करनी पड़ी।
  - ज्ञातव्य है कि भारत वर्ष 1958 के **"कन्वेंशन ऑन द रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स"** (जिसे **'न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन'** के रूप में भी जाना जाता है) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसके कारण, विश्व भर में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में भारतीय संपत्तियों के विरुद्ध कंपनियां विदेशी और गैर-घरेलू मध्यस्थता निर्णयों को लागू कर सकती हैं।
- **भारत की प्रतिष्ठा को क्षति:** व्यवसाय में सुगमता (इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) के लिए लागू किए गए विभिन्न वित्तीय और अवसंरचनात्मक सुधारों के बावजूद, भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुँच रहा है।
  - **इससे, संभावित निवेशकों में भारत के प्रति विश्वास कम हुआ है,** जिस कारण **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के अंतर्वाह में गिरावट दर्ज की गई है।**
  - निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष पहलों जैसे कि IFSC-GIFT {अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी)} की प्रभावशीलता कम हुई है।
- इसके कारण **अल्प निवेश** और **कम कर-राजस्व का दुष्चक्र** आरंभ हो गया है। साथ ही, **संवृद्धि की दर** और **रोजगार के अवसरों में भी गिरावट दर्ज की गई है।**

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से क्या परिवर्तन लागू किए गए हैं?

- इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से **आयकर अधिनियम, 1961** की **धारा 9** में संशोधन कर 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के किए गए **अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर या शुल्क मांगों को अमान्य घोषित किया गया है। अर्थात् इससे संबंधित भूतलक्षी कर को समाप्त किया गया है।** हालांकि, कंपनियों को इसके लिए कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि उन्हें इस संबंध में की गई अपील, दायर याचिका, मध्यस्थता आदि को वापस लेना होगा।
- इस संशोधन अधिनियम की **धारा 244-A** के अंतर्गत, इन मामलों में **भुगतान की गई राशि के एवज में** ब्याज रहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- लेकिन, **28 मई 2012** से पहले हुए **भारतीय परिसंपत्तियों के विदेशी लेन-देन** पर **अब भी कर लगेगा,** क्योंकि इनके संबंध में कानून को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा गया है।

करारोपण का संप्रभु अधिकार और उसकी सीमाएं

- किसी भी संप्रभु देश के लिए कर आरोपित करने अर्थात् करारोपण का अधिकार **एक प्रमुख संप्रभु अधिकार (core sovereign power) है।**
- भारत के संविधान ने सरकार को **विधि निर्माण के अधिकार के अतिरिक्त करारोपण का अधिकार भी दिया है।**
- यद्यपि निवेशक राज्य विवाद समाधान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) अधिकरण द्वारा भी इनका अनुमोदन किया गया है तथापि द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties: BITs) के माध्यम से इन **अधिकारों पर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, अर्थात् एक संप्रभु देश को इस संबंध में कुछ अधिकार त्यागने पड़े हैं।** जैसे कि:
  - **स्वत्वाधिहरण या स्वामित्व हरण (Expropriation),** अर्थात्, सरकार किसी संपत्ति के स्वामी की इच्छाओं के विरुद्ध उसकी संपत्ति न तो जब्त कर सकती है और न उस पर दावा कर सकती है।
  - **उचित और निष्पक्ष व्यवहार (Fair and Equitable treatment),** अर्थात् कर, विभेदक प्रकृति के नहीं होने चाहिए।
- वर्ष 2016 में, भारत ने **मॉडल BIT निर्मित किया, जिसमें कराधान उपायों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।** इस प्रकार, कर के संप्रभु अधिकार में ISDS के हस्तक्षेप की संभावना को कम किया गया।

निष्कर्ष

नए कानून से **अधिक पारदर्शी, स्थिर** और **निश्चित कराधान व्यवस्था** निर्मित होगी। इससे निवेशकों के मध्य यह सकारात्मक संदेश जाएगा, कि भारत निवेश में सुधार के लिए विरासत से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इससे कर के दायरे में वृद्धि करने, उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक आधार को विस्तार दिया जा सकेगा, जिससे कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई संकटपूर्ण स्थिति को **शीघ्र सामान्य करने में** सहायता मिलेगी।

3.4. गैर-कर स्रोतों से वित्तीय संग्रहण (FINANCIAL MOBILIZATION FROM NON-TAX SOURCES)

मुख्य लक्ष्य

- **अप्रयुक्त संसाधनों** जैसे कि भूमि, उपयोग में कम आने वाली अवसंरचना आदि के मुद्रीकरण द्वारा राजस्व का निर्माण करना।
- वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सरकार ने **1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य** निर्धारित किया है, जो वित्त वर्ष 2021 में जुटाए गए वित्त से पांच गुना अधिक है।

वर्तमान स्थिति

- गैर–कर राजस्व में 36% गिरावट आई है और यह 2.08 लाख करोड़ रुपये है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, **PSUs** से प्राप्त लाभांश और लाभ, **RBI** से अधिशेष प्राप्ति और बाहरी अनुदान से प्राप्त राशि शामिल होते हैं।
- निवल राजस्व (कर एवं गैर–कर) संग्रह में 3% की गिरावट हुई है और यह 16.32 लाख करोड़ रुपये है।
- विनिवेश प्राप्तियों से अपेक्षित 2 लाख करोड़ रुपये के बजाय केवल 32,835 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन।
- रणनीतिक विनिवेश नीति, 2021
- अप्रयुक्त भूमि या निष्क्रिय पड़े भूमि बैंकों का मुद्रीकरण।
- RBI की ओर से अधिशेष हस्तांतरण।

वित्त जुटाना – एक नज़र में

आगे की राह

- घरेलू स्तर पर संसाधन की उपलब्धता को मजबूत करना जैसे कि **कर प्रणालियों की प्रभावशीलता में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना।**
- राजस्व आधार का विस्तार करना, कर संग्रह में सुधार करना और कर चोरी तथा अवैध वित्तीय गतिविधियों का समाधान करना।
- कर संग्रह में वृद्धि करने के लिए राज्य अपने संपत्ति कर और जी.एस.टी. के प्रशासन में सुधार के माध्यम से करों का अधिक से अधिक संग्रहण भी कर सकते हैं।
- **निश्चित और स्थिर कर नीति** के माध्यम से निवेश का समर्थन करना।
- **विनिवेश से प्राप्त हो सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना।**

बाधाएं

- कर संबंधी रियायतें।
- घाटे की वित्त व्यवस्था और बाजार से अत्यधिक उधार लेना।
- उच्च ऋण-GDP अनुपात।
- PSUs में अक्षमता।
- अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि।
- लोकलुभावन नीतियां।

3.4.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI SURPLUS TRANSFER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने भंडार से केंद्र सरकार को अधिशेष (व्यय से अधिक आय) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के अंतरण को मंजूरी दी।

RBI सरकार को अधिशेष कैसे अंतरित करता है?

- **RBI को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है** और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचे हुए अधिशेष को सरकार को अंतरित करना पड़ता है।
- इससे पूर्व, RBI **इस अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा अपनी आकस्मिकता निधि (CF) और परिसंपत्ति विकास निधि (ADF) के लिए रखता था।** हालांकि, **मालेगाम समिति (वर्ष 2013) की अनुशंसाओं के बाद सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष की मात्रा बढ़ गई।**
- बाद में, बिमल जालान समिति ने एक संशोधित **आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework: ECF)** प्रदान किया। **ECF** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत जोखिम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने हेतु एक पद्धति प्रदान करता है।
  - इस संशोधित ECF के अनुसार, **RBI द्वारा केंद्र को अनिवार्य रूप से अंतरित की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नलिखित दो कारकों के आधार पर किया जाता है:**
    - **वसूल की गई इक्विटी (Realized equity)** (वास्तव में CF में अनिवार्य रूप से मौजूदा राशि): CF को भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की 6.5% से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए और अधिशेष राशि सरकार को अंतरित की जानी होती है।
    - **आर्थिक पूंजी** {अनिवार्य रूप से मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA)}: इसे तुलन-पत्र के **20-24.5%** सीमा में रखा जाना चाहिए और शेष को सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए।

इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष तेजी से क्यों बढ़ा है?

- **प्रावधान राशि (Provisioning amount) में कमी के कारण कम व्यय होना** उच्चतर अधिशेष के प्रमुख कारणों में से एक है।
  - इस बार, RBI ने घोषणा करते हुए **CF को 5.5% के न्यूनतम आवश्यक बफर स्तर** को बनाए रखने का निर्णय लिया है और सरकार को अधिकतम संभव अधिशेष प्रदान किया है।
- RBI के अधिशेष में वृद्धि को इसके **खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations) से उच्चतर आय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि** से भी संबंधित माना जा सकता है।
- एक अन्य कारण **लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operations: TLTROs) भी हो सकता है।**
  - **TLTROs का संदर्भ** लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन से होता है जो विशिष्ट क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए **बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।**

सरकार को अधिशेष अंतरित करने के पक्ष में तर्क

- **राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को बनाए रखना:** अतिरिक्त अधिशेष का अंतरण सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और यहां तक कि कम करने का बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- **ब्याज दरों को कम रखना:** इस व्यापक अधिशेष के अंतरण से सरकार को अपने योजनाबद्ध ऋण में कटौती करने और ब्याज दरों को अपेक्षाकृत कम रखने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा, यह निजी कंपनियों को बाजार से धन जुटाने के लिए संभावनाएं भी प्रदान करेगा।
- **अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना:** इस कदम से सरकार को ऐसे समय में सहायता मिलने की उम्मीद है जब भारत वस्तुतः मंद उपभोग मांग और अपर्याप्त निवेश के कारण आरंभ हुई आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है।
- **राजस्व संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना:** यह सरकार को **राजस्व और कर संग्रह** में आई गिरावट को प्रतिसंतुलित करने में सहायता करेगा।
- **वैश्विक मानदंड:** RBI का भंडार RBI के तुलन-पत्र का लगभग 26% है। इस संबंध में वैश्विक औसत 16% ही है।

सरकार को अधिशेष अंतरित करने के विरुद्ध तर्क

- **RBI के पास पर्याप्त आकस्मिक निधि की आवश्यकता:** वित्तीय आघातों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से निपटने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और बाजारों को विश्वास प्रदान करने के लिए RBI के पास पर्याप्त आकस्मिक निधि उपलब्ध होनी चाहिए।
  - इसके विपरीत, वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में अधिशेष के अंतरण ने यह चिंता उत्पन्न कर दी है कि सरकार अपने तात्कालिक व्ययों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए RBI का सहारा ले सकती है, जिससे केंद्रीय बैंक प्रभावी ढंग से सरकार के लिए कार्य करने वाले बैंकर के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
- **स्वायत्तता बनाए रखना:** कम पूंजी की स्थिति RBI को पूंजी संबंधी आवश्यकता के समय सरकार की ओर रुख करने के लिए विवश करेगी। इससे केंद्रीय बैंक के परिचालन पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा।
- **RBI की विश्वसनीयता पर प्रभाव:** इसके कारण रुपये के मूल्य को बनाए रखने की RBI की क्षमता में निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।

निष्कर्ष

- **कोविड-19 संकट** ने विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में **ऋण संधारणीयता के समक्ष व्यापक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की** है। साथ ही, **बढ़ते राजकोषीय घाटे, विनिवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में संभावित गिरावट** आदि से सरकार के राजकोषीय संबंधी संसाधनों पर दबाव बना रहेगा।
- **वर्तमान में RBI द्वारा किए गए अधिशेष के अंतरण से आघातों को सहन करने में कुछ सहायता प्राप्त होगी।** हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन अधिशेष निधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। हालिया वर्षों के दौरान वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की भागीदारी में गिरावट होती रही है। इस बार, **केंद्र को RBI के अधिशेष धन** को अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर संधारणीय गुणात्मक प्रभाव डालने वाले **उत्पादक उपयोग में नियोजित करने की आवश्यकता होगी।**

3.4.2. परिसंपत्ति का मुद्रीकरण (ASSET MONETIZATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2021-22 ने संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए कई तरीके प्रस्तावित किए हैं।

संपत्ति के मुद्रीकरण के अलग-अलग प्रस्ताव जिन पर चर्चा जारी है:

- भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए एक कंपनी के रूप में **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** का प्रस्ताव किया गया है।
- संभावित ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन।**
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के **अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT)** को ₹5,000 करोड़ मूल्य वाली पांच परिचालित सड़कों का हस्तांतरण करना। पावरग्रिड के **InvIT** में ₹7000 करोड़ की ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करना।
- **रेलवे द्वारा समर्पित मालभाड़ा गलियारे (DFC) की परिसंपत्तियों**, NHAI की संचालित टोल सड़कों, भारतीय तेल निगम (IOC), भारतीय गैस प्राधिकरण (GAIL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तेल एवं गैस पाइपलाइन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की वेयरहाउसिंग परिसंपत्तियों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के टियर 2 व टियर 3 शहरों में स्थित हवाई अड्डों का मुद्रीकरण।

संबंधित तथ्य

अब तक के मुद्रीकरण का अनुभव

- **सड़क:** NHAI ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) रियायतों के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर की संचालित टोल सड़कों का मुद्रीकरण किया है और 15,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है।
- **रेलवे:** रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों का भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) द्वारा हवाई अड्डे की तरह विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में पुनर्विकास किया जा रहा है।
- **पोत परिवहन:** पोत परिवहन मंत्रालय गोवा बंदरगाह पर 10 बर्थ और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सहित 11 परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

TOT मॉडल क्या है?

- यह परिचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए एक मॉडल है। **इसमें निवेशक एक मजबूत टोल शुल्क वसूली प्रणाली द्वारा समर्थित लंबी अवधि के टोल संग्रह अधिकारों के बदले में एकमुश्त भुगतान करते हैं।**
- यह मॉडल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है, क्योंकि **उन्हें शुरू में अवसंरचना परियोजना का निर्माण नहीं करना पड़ता है।**

परिसंपत्ति का मुद्रीकरण

- एक अवधारणा के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत, **निजी क्षेत्र या संस्थागत निवेशकों** के समक्ष संरचित साधनों (structured vehicles) और तंत्रों के माध्यम से **सार्वजनिक अवसंरचना को प्रस्तावित किया जाना शामिल** है।
    - इसलिए मुद्रीकरण, परिभाषित संविदात्मक ढांचे के भीतर निजी क्षेत्र के साथ 'निजीकरण' या 'संरचित भागीदारी' से पृथक एक बदलाव है।
- **यह तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है:**
    - अवसंरचना में **सार्वजनिक निवेश के माध्यम से वास्तविक मूल्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।**
    - **निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करता है।**
    - अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करके **राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण** करता है।

- **परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के कुछ मॉडल:**
    - **प्रत्यक्ष संविदात्मक दृष्टिकोण:** इसमें सरकार को बड़े अग्रिम भुगतान के साथ-साथ छोटे वार्षिक भुगतान/कोई भुगतान नहीं, या छोटे/कोई अग्रिम भुगतान नहीं के साथ-साथ वार्षिक भी भुगतान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए: टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल।
    - **संरचनात्मक वित्त मॉडल:** यह एक ऋणदाता को परिसंपत्तियों के एक समूह को बेचने की अनुमति देता है, जिन पर बॉण्ड बाजार प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। उदाहरण के लिए, INVITs, REITs आदि।
    - **भूमि का मुद्रीकरण:** अब तक यह मॉडल विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में 'बिक्री और पट्टे' समझौतों के आसपास ही केंद्रित रहा है।

परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लाभ

- **संसाधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग:** सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्वामित्व वाली कई परिसंपत्तियों का क्षमता से कम उपयोग किया जाता है। इसलिए ये पर्याप्त प्रतिलाभ देने में विफल रही हैं।
- **अवसंरचना विकास की मांग को पूरा करना:** इस तरह के प्रतिलाभ से प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग पुनर्गठन, पुनर्निवेश और विस्तार के लिए किया जा सकता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा बाजार से लिए जाने वाले उधार को भी कम कर सकता है और ब्याज भुगतान का बोझ कम कर सकता है।
    - इसके अलावा, मुद्रीकरण से **मौजूदा बुनियादी ढांचा सुविधा को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद मिलेगी।** यह नवाचारी तकनीकों तथा अप्रचलित विचारों की जगह नए विचारों के साथ एक व्यापक आधुनिकीकरण अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- **रखरखाव की लागत में बचत:** PSUs की अप्रयुक्त और क्षमता से कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों को बनाए रखने में बहुत अधिक वित्तीय लागत आती है। परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण सरकारी खजाने की लागत और व्यय को कम करने का एक परिष्कृत तथा प्रभावी तरीका है।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा:** वर्तमान में ये संपत्तियां निष्क्रिय अवस्था में हैं। निजी संस्थाओं द्वारा उनके लिए बोली लगाने के साथ-साथ, उनका उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण और कारखानों की स्थापना हेतु किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास होगा।
- **औद्योगिक विस्तार के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र:** निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आवश्यक संसाधन/अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से राजस्व के नए स्रोत सृजित होंगे जो सार्वजनिक वित्त में सुधार करेंगे। इस प्रकार, परिसंपत्ति का मुद्रीकरण औद्योगिक विस्तार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।

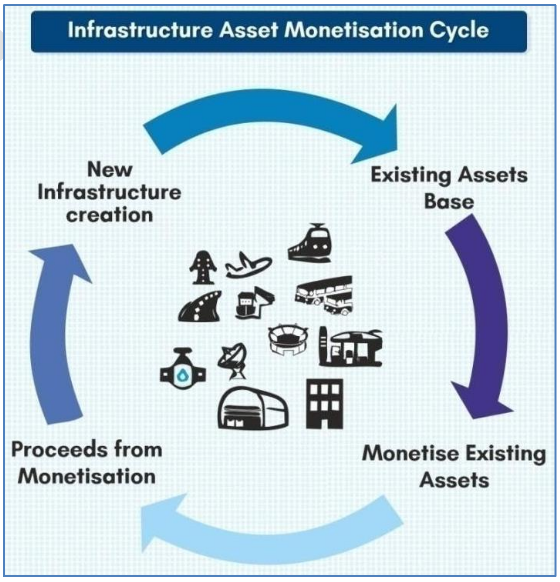

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में चुनौतियां

- **प्रशासनिक चुनौतियां:** इन चुनौतियों में परिसंपत्ति और स्वामित्व-अधिकार के रजिस्टर को बनाए रखना, अतिक्रमण, अनुपयुक्त योजना, देर से मिलने वाली स्वीकृति एवं मंजूरी, नीतिगत बाधाएं तथा हितधारकों के बीच समन्वय की कमी शामिल हैं।
- **परिसंपत्ति का सही मूल्यांकन:** परिसंपत्तियों (परिचालित और वित्तीय दोनों) के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। साथ ही, यह मूल्यांकन परिसंपत्तियों की वर्तमान और भविष्य की क्षमता के आधार पर होना चाहिए।
- **निर्णय लेने की संवेदनशील प्रक्रिया:** नीति बनाने वाली सरकार की प्रेरणा या लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, प्रक्रिया को लक्षित उद्देश्य को पूरा करने में निजी क्षेत्र की क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा।
- **नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण:** सार्वजनिक अवसंरचना का निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधन नागरिकों को भी स्वीकार होना चाहिए। उनकी शिकायतों (यदि कोई हों) पर संचालन करने वाले निजी अभिकर्ताओं द्वारा तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा, एक गलत परियोजना जनता की धारणा को लंबे समय तक के लिए नुकसान पहुंचा सकती है।

आगे की राह

- **मुद्रीकरण का स्थान बदलना:** संस्थागत पूंजी का लाभ उठाने के लिए मुद्रीकरण को एक उपकरण के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, सरकार को परिसंपत्ति के वापस अनिवार्य हस्तांतरण के साथ संरचनागत लेनदेन को स्लंप सेल मॉडल (slump sale models) पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- **बारहमासी अभ्यास (Perennial exercise):** परिसंपत्तियों की जांच या स्कैनिंग को एक सतत अभ्यास बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, मंत्रालयों को स्वयं पहल कर विस्तार योजनाओं के अनुरूप 3-5 वर्षों की परिसंपत्ति पाइपलाइनों को बनाना चाहिए।
- **हितधारकों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन:** यह विनियामक और संरचनात्मक मुद्दों को हल करने में मदद करेगा, जो औपचारिक और अनौपचारिक बाधाओं को पैदा करते हैं।
    - लेन-देन करने वाली संस्थाओं के लिए **मुद्रीकरण को मूल्य-वृद्धिशील बनाने की आवश्यकता है।** सामूहिक कराधान, जिसमें पूंजीगत लाभ, स्टांप शुल्क, GST, अग्रिम आय पर कर शामिल हैं, महत्वपूर्ण रूप से मूल्य को घटा सकते हैं।
    - मजबूत जन समर्थन बनाने और कुछ निहित स्वार्थों द्वारा निर्मित शंकाओं को दूर करने के लिए संवाद एक प्रभावी तरीका है।
    - **स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश** लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की संभावना को कम करेंगे। इस प्रकार, अधिक संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है।
- **प्रशुल्क निर्धारण और छूट अवधि पर स्पष्टता:** यह निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा, जो आम तौर पर एक लंबी अवधि की परियोजनाएं होती हैं।

3.4.2.1. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NATIONAL MONETISATION PIPELINE: NMP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** शुरू की है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक रोडमैप है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के बारे में

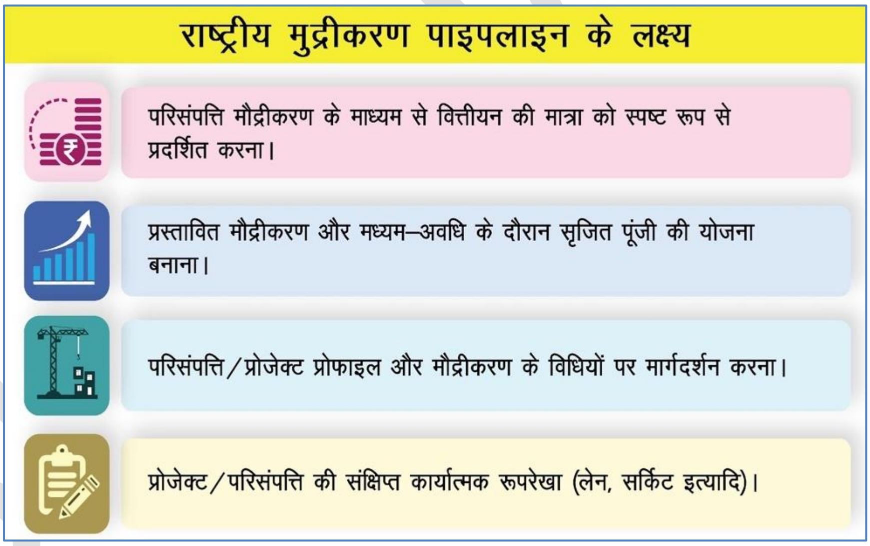

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) **प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित** करने में मदद करेगी। **(गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण के माध्यम से किए जाने वाले मुद्रीकरण** को NMP में **शामिल नहीं किया गया** है)।
- केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का **कुल सांकेतिक मूल्य वित्त वर्ष 2022-2025 की 4 वर्ष की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान लगाया गया है।
    - यह **NIP के तहत परिकल्पित कुल अवसंरचना निवेश** (लगभग 111 लाख करोड़ रुपये) **का लगभग 5.4% है** और **केंद्र के लिए प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% (43 लाख करोड़ रुपये) है।**
- प्रमुख परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए **ढांचे में तीन** अनिवार्य अवयव हैं:
    - **स्वामित्व का नहीं वरन् अधिकारों का मुद्रीकरण,** जिसका अर्थ है कि परिसंपत्ति लेनदेन जितने समय के लिए किया गया है, वह अवधि समाप्त होने पर उसे वापस कर दिया जाएगा।
    - **स्थिर राजस्व सृजन प्रोफ़ाइल वाली तथा महत्वपूर्ण ब्राउनफील्ड व जोखिम रहित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।**
    - परिभाषित **संविदात्मक ढांचे (contractual frameworks)** और **पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के तहत संरचित भागीदारी,** जहां संविदात्मक भागीदारों को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators: KPIs) और प्रदर्शन मानकों का पालन करना होगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियां और संबद्ध जोखिम

- **वित्तीय चुनौतियां:**
    - विभिन्न अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों में **पहचान योग्य राजस्व स्रोतों का अभाव।**
    - **निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई:** ट्रेनों में हाल ही में शुरु की गई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पहल में कम उत्साहजनक बोलियों से संकेत मिलता है कि निजी निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना सरल नहीं है।

- सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं को निजी निवेशकों को पट्टे (लीज़) पर **देने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें उच्च हो सकती हैं।**

- **नियामकीय चुनौतियां:**
  - ऐसे **स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों का अभाव,** जो समर्पित डोमेन विशेषज्ञता प्रदान कर सके और साथ ही क्षेत्रक के विकास में सहायता कर सके।
  - **कानूनी अनिश्चितता और गहरी पैठ वाले बॉण्ड बाजार की अनुपस्थिति जैसी संरचनात्मक समस्याएं,** जो अवसंरचना में निजी निवेश को बाधित करती हैं। **अक्षम विवाद समाधान तंत्र के कारण** समस्या और अधिक जटिल हो जाती है।
  - सरकारों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का निजी निवेशकों को आवंटन किए जाने में प्राय: **राजनीतिक संपर्कों की भूमिका प्रभावी होती है, जो भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है।**
- **परिसंपत्ति-विशिष्ट चुनौतियां:**
  - गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर।
  - विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनियमित टैरिफ।
  - फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेशकों की रुचि कम होना ।

आगे की राह

- **अनुबंधों को कुछ लचीलेपन के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए** ताकि अप्रत्याशित घटनाओं (जैसे- जलवायु से संबंधित आपदाओं) के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को संभाला जा सके और अनावश्यक तथा लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी की स्थिति से बचा जा सके।
- सरकार द्वारा सौंपी गई परिसंपत्तियों के लिए और परिसंपत्ति के संचालन एवं रखरखाव के लिए निजी पक्ष से अपेक्षित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) हेतु **स्पष्ट गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।**
- **PPP अनुबंधों से संबंधित विवाद समाधान के लिए सुदृढ़ तंत्र की स्थापना करने आवश्यकता** है। ज्ञातव्य है कि PPP पर केलकर समिति द्वारा भी यह अनुशंसा की गई है।

3.5. अन्य वित्तीय सुर्ख़ियां (OTHER FINANCIAL NEWS)

3.5.1. द्विपक्षीय नेटिंग (BILATERAL NETTING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020)** को अधिनियमित किया गया।

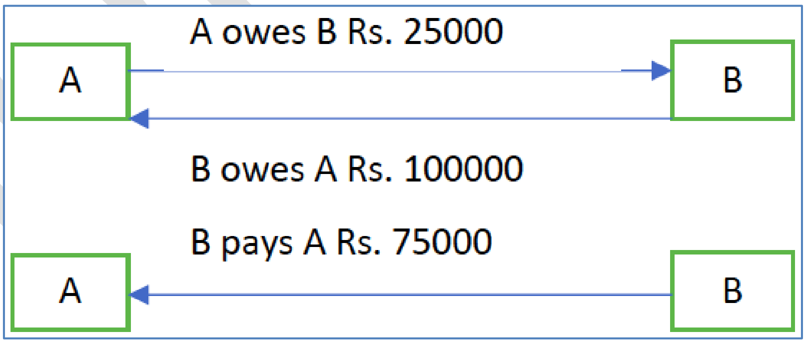

द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में

- द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविदा में शामिल **दो पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटान करते हैं।** इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में ही भुगतान किया जाता है।
  - **नेटिंग** से तात्पर्य दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदे से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्य शुद्ध राशि का निर्धारण करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
  - इसी प्रकार, **बहुपक्षीय नेटिंग समझौते (multilateral netting agreement)** के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparty: CCP) के माध्यम से विभिन्न पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटारा करते हैं। भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 {Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015} के अंतर्गत इसकी सुविधा प्रदान की गयी है।
- ज्ञातव्य है कि पहले, **भारतीय वित्तीय संविदा कानून के अंतर्गत द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गयी थी।** हालांकि, बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी।
- भारत में, कुल वित्तीय संविदा में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) का हिस्सा क्रमशः **40 प्रतिशत** और **60 प्रतिशत** है।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नेटिंग बहुत सामान्य है,** जहां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नेटिंग के मामले में नेट पोजीशन (न कि ग्रॉस पोजीशन) के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।

- वर्तमान में, **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया** जैसे देशों में नेटिंग समझौतों के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं।
- **वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board: FSB)** और **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision)** जैसे वैश्विक नियामकों ने ऐसी नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।

"अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधनियम, 2020" के बारे में

- यह अधिनियम **अर्हक वित्तीय संविदाओं (QFCs)** की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि QFC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव (OTC) संविदा होते हैं।
- **यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे प्रावधान करता है:**
  - केंद्र सरकार या कुछ विनियामक प्राधिकरणों को किसी **द्विपक्षीय समझौते** या संविदा या लेन-देन, या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को QFC के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये प्राधिकरण हैं:
    - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI),
    - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI),
    - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI),
    - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), तथा
    - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA)।
  - इसमें नेटिंग समझौते की शर्तों से बाहर निकलने के लिए **कुल देय राशि का निर्धारण करने के बारे में उपबंध** शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों की शक्तियों पर **कुछ सीमाएं आरोपित की गयी हैं।**

इस कदम का महत्व

- इससे बैंकों को अपने ऋण जोखिम एवं नियामकीय पूंजी बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी तथा वे अन्य उत्पादक गतिविधियों में अपनी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। साथ ही, बैंकों को इससे चूक (defaults) की स्थिति मे प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी।
  - द्विपक्षीय नेटिंग के अभाव में भारतीय बैंकों को OTC बाजार में भाग लेने के कारण पूँजी की एक बड़ी राशि को अलग रखना पड़ता था, जिससे बाजार में भाग लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
  - पूंजी की इस बचत से भारतीय बैंक भारत में व्यवसायों के लिए हेजिंग साधन उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे तथा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) बाजार के विकास के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा दे सकेंगे।
- यह बैंकों, प्राथमिक डीलरों तथा अन्य बाजार निर्माताओं के लिए **हेजिंग लागत और तरलता की आवश्यकता को कम करता है।** इससे जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए **ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव** बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **CDS बाजार** में भागीदारी के बढ़ने से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे किसी प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक **कुशल पुनर्प्राप्ति तंत्र (efficient recovery mechanism) विकसित होगा।**
- इससे OTC डेरिवेटिव बाजार के मामले में वैश्विक विनियामकीय सुधारों को अपनाने के लिए **G-20 और FSB के समक्ष भारत द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलगी।**
  - एक सुदृढ़ नेटिंग प्रणाली सामान्य रूप से एक उन्नत डेरिवेटिव बाजार को निर्मित करती है, क्योंकि यह एक **कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऋण शोधन क्षमता (solvency) और तरलता जोखिम (liquidity risk)** का सबसे सटीक चित्र प्रस्तुत करती है।

3.5.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SOCIAL STOCK EXCHANGE: SSE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/SEBI) द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर तकनीकी समूह (Technical Group: TG) की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- SSE वस्तुतः **एक विनियमित निधीयन प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है, जो लाभकारी सामाजिक उद्यमों (For-Profit Social Enterprises: FPEs) और गैर-लाभकारी संगठनों (Not-for-Profit Organisations: NPOs) को सामाजिक प्रयोजन हेतु निधि जुटाने में सक्षम बनाता है।

- यह **संगठनों के सामाजिक और पर्यावरणीय मिशन को संरक्षित** करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को निवेश के माध्यम से **सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का शमन करने का अवसर** मिलता है। साथ ही, इस निवेश में वित्तीय प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता भी होती है।

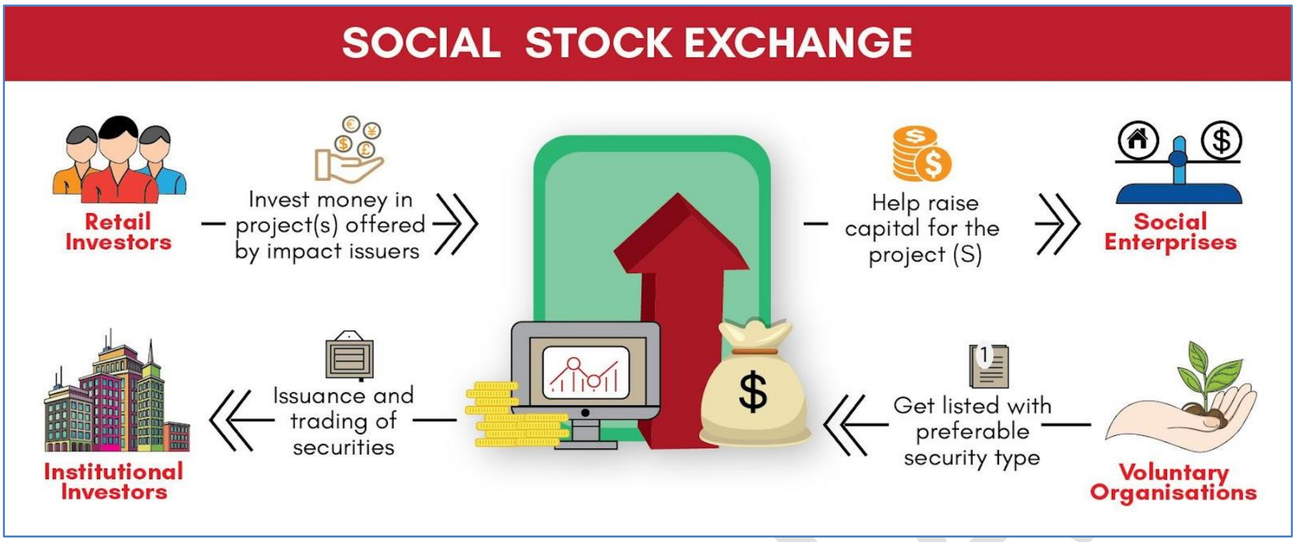

- **कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित SSEs हैं:** यूनाइटेड किंगडम (सोशल स्टॉक एक्सचेंज), कनाडा (सोशल वेंचर कनेक्शन), साउथ अफ्रीका (साउथ अफ्रीकन सोशल इनवेस्टमेंट एक्सचेंज), सिंगापुर (इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज) आदि।

हमें SSE की आवश्यकता क्यों है?

- **बेहतर बाजार पहुंच:** SSE अपने अंतर्निहित विनियमन के साथ सामाजिक क्षेत्रक (FPEs और NPOs) और निवेशकों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, यह निवेशकों और निवेश प्राप्तकर्ताओं की दूरदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।
- **सामाजिक उद्देश्यों में निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ताओं के मध्य तालमेल:** यह प्लेटफार्म चयन हेतु व्यापक विकल्प प्रदान करेगा, जिसके तहत समान दृष्टिकोण और मिशन वाले निवेशक तथा निवेश प्राप्तकर्ता आसानी से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकेंगे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** SSE द्वारा कठोर यथोचित परिश्रम और निष्पादन संबंधी मेट्रिक्स स्थापित किया जाएगा, जो निवेशकों की पृष्ठभूमि की जांच करेगा।

- **प्रदर्शन आधारित परोपकार:** SSE में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की सूक्ष्मता से निगरानी की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
- **सरकार पर कम बोझ:** SSE कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से लाभान्वित होगा, जिससे विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण उत्पन्न होगा।

SSE को भारत में बढ़ने और विकसित होने में सक्षम बनाने वाले पारितंत्र के निर्माण के लिए आगे की राह

- **सामाजिक प्रभाव रिपोर्टिंग:** सूचना संबंधी विषमता को कम करने के लिए दोनों वर्गीकरणों (FPEs और NPOs) के लिए सामाजिक प्रभाव पर रिपोर्टिंग के लिए सामान्य न्यूनतम मानक स्थापित करना।
- **कर लाभ:** निवेशकों के विभिन्न वर्गों के मध्य इन वित्तपोषण मॉडल की स्वीकृति को बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रक से संबंधित कर कानूनों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **एक स्व-विनियामक संगठन और सूचना भंडार स्थापित करना:** ये NPOs की प्रगणना, उनकी गतिविधियों और परिचालन संबंधी क्षेत्रों के साथ-साथ NPOs के बारे में विश्वसनीय तथा मानकीकृत जानकारी प्रदान करने का कार्य करेंगे।
- **कठोर विनियामक संवीक्षा:** SSE के साथ केवल प्रमाणिक FPEs/NPOs की ही संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सेबी को ऐसे संगठनों द्वारा स्व-घोषित सामाजिक प्रभाव आयामों की साख का आकलन करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए।
- **जागरूकता अभियान:** सामाजिक उद्यमों को SSE पर सूचीबद्ध करने के लिए तथा निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ता समूहों, दोनों के मध्य इसकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए **जागरूकता अभियान** का आयोजन करना चाहिए।

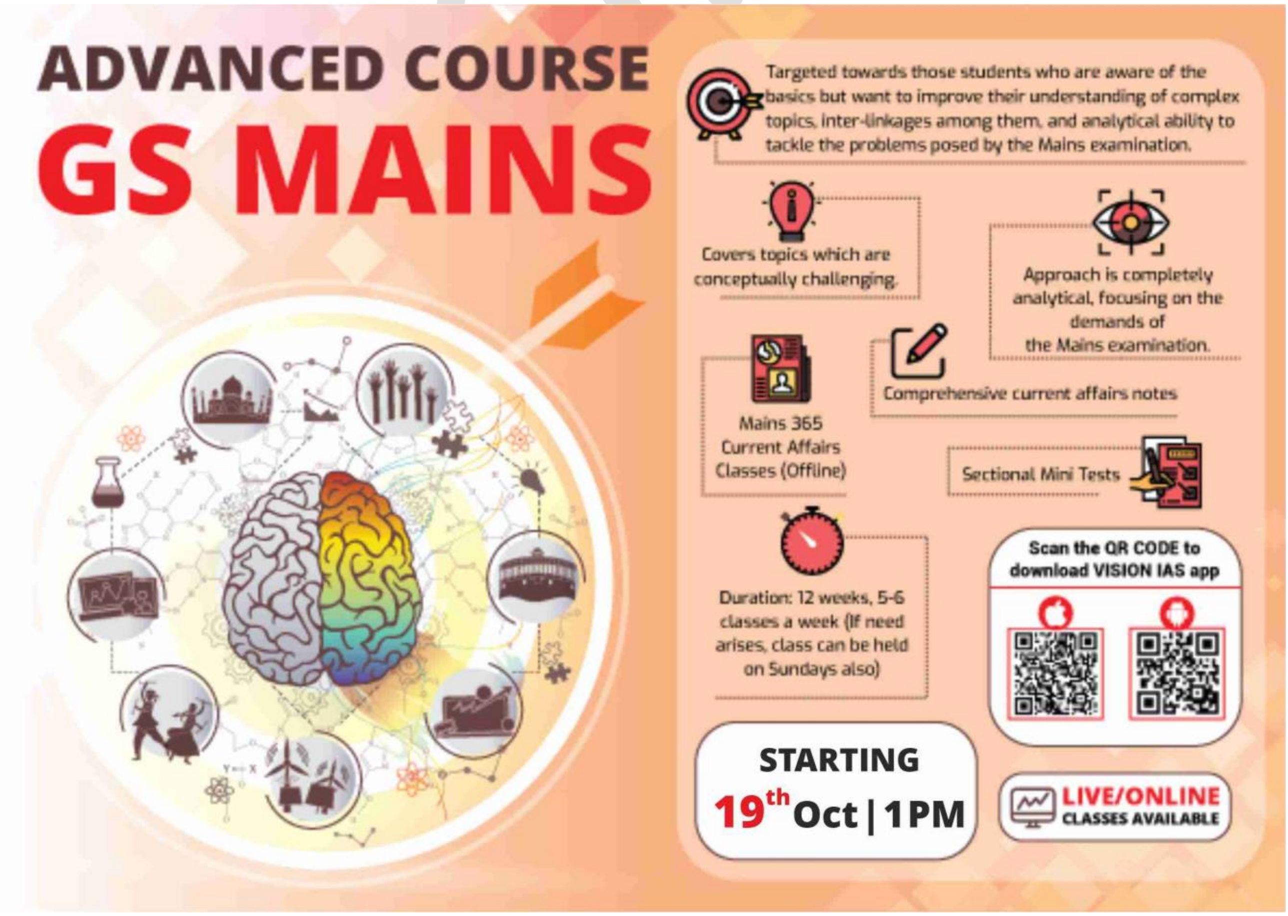

4. मौद्रिक नीति, बैंकिंग और भुगतान प्रणाली (MONETARY POLICY, BANKING AND PAYMENT SYSTEM)

4.1. मौद्रिक नीति (MONETARY POLICY)

मुख्य लक्ष्य

- प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए **मूल्य स्थिरता बनाए रखना** है।
- अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार **मुद्रास्फीति के लक्ष्य {वर्तमान में 4% (+/ -2%)} को हासिल करना।**
- **वित्तीय स्थिरता** और विकास के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- रुपये के मूल्य में और अधिक कमी न हो, इस हेतु रक्षोपाय करना और **विनिमय दर स्थिरता** सुनिश्चित करना।

वर्तमान स्थिति

- पूर्व–कोविड अवधि में **मुद्रास्फीति निर्दिष्ट सीमा के भीतर रही।**
- **मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति,** समष्टि आर्थिक चरों (मैक्रो–इकोनॉमिक वेरिएबल) की वांछित स्थिति को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- **नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), ओपन मार्केट ऑपरेशन** आदि जैसे पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को मुद्रास्फीति के माप के रूप में चुना गया।**
- सरकारी–प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP), दीर्घकालिक रेपो परिचालन (LTROs) आदि जैसे **मौद्रिक नीति के नवीन उपकरणों** का नियमित विकास।

मौद्रिक नीति – एक नज़र में

आगे की राह

- **डेटा संग्रह** और **विश्लेषण** ढांचे में सुधार।
- सरकारी प्रतिभूतियों में **निवेशक आधार** का विस्तार करना।
- **मौद्रिक और राजकोषीय नीति** के समन्वय को मजबूत बनाना।
- **अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव** से उजागर हुई कमजोरियों के आलोक में अर्थव्यवस्था को अधिक **लचीला** बनाने की आवश्यकता है।

बाधाएं

- **भारत जैसी** विकासशील अर्थव्यवस्थाएं **विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक आपूर्ति आघातों के प्रति सुभेद्य हैं।**
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर अधिक झुकाव से **संवृद्धि से समझौता करना पड़ता है।** ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति उपायों को ही प्राथमिकता मिल पाती है।
- **प्रामाणिक** और **रीयल–टाइम डेटा** की सटीकता तथा सीमित उपलब्धता से जुड़े मुद्दे।
- **कोविड–19** के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में प्रमुख आपूर्ति और मांग–पक्ष के झटके मौद्रिक नीति की गतिशीलता को बाधित कर रहे हैं।

4.1.1. मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण (INFLATION TARGETING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2021 में, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था को 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। अब इसके वर्तमान प्रारूप या फ्रेमवर्क के निष्पादन की समीक्षा की आवश्यकता है।

मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण या इन्फ्लेशन टारगेटिंग (IT) क्या है?

एक केंद्रीय बैंक मुद्रास्फ़ीति को एक निश्चित सीमा के नीचे रखने के लिए प्रतिबद्ध होता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर और अन्य तरलता समायोजन उपायों जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है ताकि संवृद्धि को बनाए रखा जा सके। उदाहरणस्वरूप, यदि मुद्रास्फ़ीति उच्च है, तो RBI रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है, जिससे बाजार में चलनिधि (तरलता) की उपलब्धता कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फ़ीति भी कम हो जाती है।

हाल ही के दिनों में, निम्नलिखित कारणों से कई देश मौद्रिक नीति लक्ष्य के रूप में मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण या इन्फ्लेशन टारगेटिंग का विकल्प चुन रहे हैं:

- **बाजार मांग के साथ मजबूत सह-संबंध:** विभिन्न अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि कीमत स्तरों का बाजार की मांग के साथ सीधा संबंध है। परिणामस्वरूप, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में मांग को परिवर्तित करने की क्षमता है, जिससे वित्तीय स्थिरता और सतत संवृद्धि दोनों को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **पूर्वानुमान योग्य और निजी क्षेत्र एवं लोगों के लिए समझने में आसान:** इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंतर्गत, **मौद्रिक नीति,** मूल्य स्थिरता के एक स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित की जाती है, जिस पर निजी क्षेत्र भविष्य की मुद्रास्फ़ीति को लेकर आशान्वित रहता है। इसके अतिरिक्त, इससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना सरल हो जाता है।
- **लक्ष्यीकरण की प्रणाली सामान्यत: पारदर्शिता बढ़ाती है:** लक्ष्यीकरण या टारगेटिंग व्यवस्था सामान्यत: नीतिगत वक्तव्यों और नीतिगत रिपोर्टों के नियमित प्रकाशन के माध्यम से मौद्रिक नीति से संबंधित नियमित सूचनाओं (परिवर्तनों) के साथ सहवर्ती होती है। यह पारदर्शिता सरकार और जनता को इस जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है कि केंद्रीय बैंक ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया या नहीं।
- **अन्य आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव:** कुछ देशों में अन्य लाभ भी दिखाई दिए हैं - जैसे विनिमय दर में गिरावट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार की वित्तीय साख में सुधार।

भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग (मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण) का ढांचा कैसे काम करता है?

भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आरम्भ वर्ष 2015 के **इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौते** के माध्यम से किया गया था, जो आगे वर्ष 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। यह अधिनियम निम्नलिखित ढांचा अथवा फ्रेमवर्क को प्रदान करता है-

- इसने **संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए** मौद्रिक नीति को निर्देशित किया है।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन कर एक **मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC)** का गठन किया गया था।
  - MPC को मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक **नीतिगत दरों के निर्धारण का कार्य** सौंपा गया है।
- इस अधिनियम के माध्यम से मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य के उपाय के रूप में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों को अपनाया गया है। **मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य की उच्चतम सीमा 4% और निम्नतम सीमा 2% के टॉलरेंस बैंड के अंतर्गत निश्चित की गई है।**
  - इस लक्ष्य की प्रत्येक **पांच वर्षों में समीक्षा** की जानी है। (ध्यान देने की बात यह है कि यह अधिनियम मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य की समीक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है, न कि समग्र रूप से पूरे फ्रेमवर्क की)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI) को मुद्रास्फ़ीति के मापक के रूप में क्यों चुना गया?

CPI उपभोक्ता व्यय के स्तर पर मुद्रास्फ़ीति के स्तर को मापता है। इसकी संरचना के आधार पर इसके निम्न लाभ हैं-

- CPI अन्य मापकों जैसे WPI की तुलना में **उपभोक्ता बास्केट को बेहतर तरीके से दर्शाता है।**
- CPI **सेवा क्षेत्र की मूल्य संबंधी गतिविधियों पर भी जानकारी** उपलब्ध करवाता है।
- CPI **खाद्य मुद्रास्फ़ीति को भी गणना में सम्मिलित करता है,** जो भारत जैसे उभरते बाजारों में मूल्य स्थिरता लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है।

भारत में मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण का प्रदर्शन/ परिणाम

- **मुद्रास्फ़ीति पर नियंत्रण:** ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 से पहले मुद्रास्फ़ीति 10% से भी अधिक थी लेकिन इन्फ्लेशन टारगेटिंग (मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण) को अपनाए जाने के बाद यह घटकर सुविधाजनक स्तर पर आ गई है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 के बीच मुद्रास्फ़ीति की औसत दर 4% से कम थी।
- **मुद्रास्फ़ीति अनुमानों में स्थिरता:** इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रणाली को अपनाने के बाद वित्तीय पेशेवरों की मुद्रास्फ़ीति संबंधी पूर्वानुमानों और इन पूर्वानुमानों के प्रति परिवारों की प्रतिक्रियाओं में कमी आई है, यद्यपि परिवारों की मुद्रास्फ़ीति संबंधी अपेक्षाएं लगातार

वास्तविक परिणामों से अधिक बनी हुई हैं। इसी का परिणाम है कि वास्तविक मुद्रास्फ़ीति में वृद्धि, अब मुद्रास्फ़ीति अपेक्षाओं को कम प्रेरित करती है, जो मुद्रास्फ़ीति-रोधी साख (anti-inflation credibility) के बेहतर होने का संकेत है।

- **सहायक चरों का व्यवहार (Behavior of ancillary variables):** इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था का विनिमय दर, इक्विटी मार्केट आदि सहायक चरों पर स्थिरीकरण प्रभाव पड़ा है। उदाहरण स्वरूप, मुद्रा बाजार की परिस्थितियां व्यापक रूप से रेपो दर में बदलाव के साथ व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती रही हैं।
- **नीतिगत स्तर पर विविधता की अभिव्यक्ति में वृद्धि:** MPC के कार्य में बाह्य एवं आंतरिक दोनों सदस्यों की अभिव्यक्ति के स्वतंत्र दृष्टिकोण दिखाई दिए हैं। यह मौद्रिक नीति ढांचे की बढ़ी हुई मजबूती का सूचक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि के बीच एक सूक्ष्म संतुलन को सुनिश्चित करता है।

ऐसी कौन-सी चुनौतियां है जो अब भी बनी हुई हैं?

- **संकीर्ण उद्देश्य (Narrow objectives):** कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि RBI का उद्देश्य होता है कि वह आर्थिक संवृद्धि, स्थिर विनिमय दर और वित्तीय स्थिरता जैसे अन्य मापदंडों को भी ध्यान रखे। वह केवल मुद्रास्फ़ीति के लक्ष्य तक स्वयं को सीमित नहीं कर पाता है।
    - उदाहरण के लिए, कुछ बाजार हितधारकों का मानना है कि RBI आसानी से दरों में कटौती नहीं करता या उतनी कटौती नहीं करता, जितनी हितधारक चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि **RBI संवृद्धि (growth) को उतना महत्व नहीं देता, जितना महत्व वह मुद्रास्फ़ीति को देता है।**
- **प्रभावी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पूर्व-आवश्यकताएं:** इन्फ्लेशन टारगेटिंग के दीर्घकालिक सफल कार्यान्वियन की कई पूर्व शर्तें हैं, जैसे- केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, सुविकसित वित्तीय बाजार, लचीली विनिमय दरें इत्यादि। भारत समेत अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निकट भविष्य में इसे पूरा करने में शायद सक्षम ना हो सकें।
- **विशुद्धता (सटीकता) और डेटा की सीमित उपलब्धता का मुद्दा :** इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था को मध्यकालिक मुद्रास्फ़ीति अनुमानों, आर्थिक संवृद्धि के पूर्वानुमानों और विदेशी निवेश के अनुमानों जैसे वित्तीय स्थिरता के अन्य संकेतकों से विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ती है। संकेतकों का एक सीमित कोष है, जिसे RBI प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, RBI समेत कई संस्थानों ने दिए गए डेटा की शुद्धता या सटीकता पर भी प्रश्न उठाए हैं, जिनमें अत्यधिक विसंगतियां और डेटा संग्रह में बड़ा समय-अंतराल होता है।
- **मांग आधारित मुद्रास्फ़ीति प्रणाली के लिए निर्मित:** यह तर्क दिया जाता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रणाली मुख्य रूप से उन देशों के लिए बनी है, जहां मुद्रास्फ़ीति का कारण **मांग पक्ष के कारक** हैं, जबकि भारत में **आपूर्ति पक्ष के कारक** मुद्रास्फ़ीति का प्रमुख कारण हैं।

कोविड-19 और इन्फ्लेशन टारगेटिंग

- इस तरह की महामारी का प्रकोप और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है, जहां अर्थव्यवस्था को **नकारात्मक आपूर्ति के आघातों के साथ नकारात्मक मांग के आघातों का भी सामना करना पड़ता है।** इसका कारण यह कि कंपनियां निवेश परियोजनाओं को रोककर रखती हैं और परिवारों द्वारा की जाने वाली निवारक बचत (precautionary saving) में वृद्धि होती है और उनकी आय में गिरावट देखी जाती है।
- यह इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था के लिए भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि **नीतिगत दरों में वृद्धि आगे मांग और आर्थिक संवृद्धि में गिरावट ला सकती है।** इसके अतिरिक्त, **नीतिगत दरों में कटौती से मुद्रास्फ़ीति बढ़ सकती है और बाजार भागीदारों का इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था पर भरोसा कम हो सकता है**, जिसके परिणामस्वरूप, MPC के निर्णय अनुत्पादक होना शुरू हो जाएंगे।
- सुरक्षात्मक दृष्टि से एक इन्फ्लेशन-टारगेटिंग के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाया गया उचित कदम यह होना चाहिए कि वह **दरों में कटौती करे – या कम से कम इनमें वृद्धि करने से बचे**, यदि नकारात्मक आपूर्ति का आघात अस्थायी है। यदि आघात अस्थायी है, तो कीमतें और मुद्रास्फ़ीति उच्च होंगी, लेकिन भविष्य में कीमतें कम और मुद्रास्फ़ीति निम्न होगी और अपस्फीति (Deflation) भी हो सकती है। इसलिए, केंद्रीय बैंक को वर्तमान समय की मुद्रास्फ़ीति को "देखने" में सक्षम होना चाहिए और साथ ही, अपने मुद्रास्फ़ीति पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय अपेक्षाकृत लंबी समयावधि को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इन चुनौतियों से निपटने और इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच समन्वय:** विश्व के कई केंद्रीय बैंकों (जैसे- ब्रिटेन) में ट्रेजरी (अर्थात् वित्त मंत्रालय) का एक मताधिकार-रहित प्रतिनिधि शामिल होता है, जो केंद्रीय बैंक की बैठकों में सम्मिलित होता है। वह वित्त मंत्रालय के विचारों को व्यक्त करता है और चर्चाओं में भाग लेता है। एक मताधिकार-रहित सरकारी सदस्य बिना हस्तक्षेप किए समन्वय स्थापित करने का एक विकल्प है। यह मुद्रास्फ़ीति और आर्थिक संवृद्धि के बीच अति-आवश्यक संतुलन सुनिश्चित कर सकता है।
- **डेटा संग्रह और विश्लेषण ढांचे में सुधार:** राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग विधेयक, 2019 के प्रारूप की तर्ज पर डेटा संग्रह की पद्धतियों और ढांचे में सुधार का विचार किया जा सकता है।

4.1.2. बॉण्ड यील्ड्स (BOND YIELDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के **10 वर्षीय ट्रेजरी बॉण्ड** से होने वाले लाभ (कमाई) में काफी वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका **भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव** पड़ेगा।

बॉण्ड्स क्या हैं?

एक बॉण्ड किसी निर्धारित आय वाले लिखत की तरह होता है, **जो किसी निवेशक द्वारा उधारकर्ता (सामान्य रूप से कॉर्पोरेट या सरकार) को दिए गए ऋण का सूचक होता है।** दूसरे शब्दों में, बॉण्ड भी ऋण के समान ही होता है, लेकिन यह उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक ऐसा अनुबंध माना जाता है जिसमें ऋण और इसके भुगतान का विवरण सम्मिलित होता है।

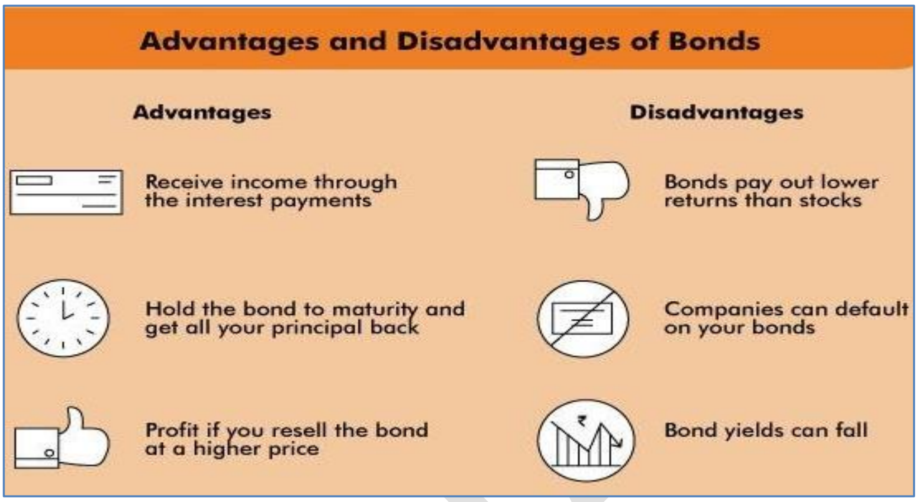

बॉण्ड्स कई प्रकार के होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, म्यूनिसिपल बॉण्ड्स, एजेंसी आधारित बॉण्ड्स एवं सरकारी बॉण्ड्स। आम बोलचाल में, **बॉण्ड्स और बॉण्ड यील्ड पर चर्चा से निरपवाद रूप से सरकारी बॉण्ड्स का बोध होता है** (अधिकतर स्थितियों में 10 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां)। **यहाँ से आगे की चर्चा सरकारी बॉण्ड्स के संदर्भ में की गयी है।**

बॉण्ड यील्ड या बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफल या आय (Bond Yields) क्या है और उन्हें कैसे निर्धारित किया जाता है?

- **बॉण्ड यील्ड से उस वित्तीय कमाई का बोध होता है,** जो बॉण्ड का मालिक एक निश्चित समय के बाद प्राप्त करता है। साधारण रूप से यील्ड या प्रतिफल की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है:
- **यील्ड = [कूपन राशि x 100]/मूल्य।** यदि बॉण्ड का मूल्य स्थिर रहता है (अर्थात् फेस वैल्यू के समान), तब बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय कूपन रेट के बराबर होती है।
- **परंतु, बॉण्ड का मूल्य** कदाचित ही स्थिर रहता है और **कुछ कारकों जैसे कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ब्याज दर आदि के कारण इसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है।** (हम अगले खंड में इस संबंध को देखेंगे) बॉण्ड्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव दो स्थितियों में होते हैं:
  - **प्रीमियम पर बॉण्ड्स की ट्रेडिंग:** यदि बॉण्ड्स की ट्रेडिंग इसकी फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर होती है, तो कहा जाता है कि इसकी ट्रेडिंग प्रीमियम पर हो रही है। इस स्थिति में, **बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय कूपन रेट से कम होती है।**
  - **डिस्काउंट पर बॉण्ड की ट्रेडिंग:** यदि बॉण्ड की ट्रेडिंग इसकी फेस वैल्यू से कम मूल्य पर होती है, तो कहा जाता है कि इसकी ट्रेडिंग डिस्काउंट पर हो रही है। इस स्थिति में, **बॉण्ड की यील्ड कूपन रेट से अधिक होती है।**

Impact of interest rates on Bond yield and prices

Interest Rates	Bond Yields	Bond Price
↑	↑	↓
↓	↓	↑

उदाहरणस्वरुप, जब बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है, तो बॉण्ड से होने वाली आय (Bond yields) कम हो जाती है; तथा जब बॉण्ड के मूल्य में कमी आती है, तो बॉण्ड से होने वाली आय बढ़ जाती है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि **बॉण्ड के मूल्य का बॉण्ड यील्ड से व्युत्क्रम/उल्टा संबंध है।**

अन्य प्रमुख आर्थिक चरों का बॉण्ड यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **ब्याज दर और मौद्रिक नीति:** बाजार में प्रचलित ब्याज दरों से अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित होता है कि निवेश के एवज में क्या प्राप्त होगा (अर्थात् मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न क्या होगा)। बॉण्ड यील्ड की गणना इसी **मार्केट रेट ऑफ़ रिटर्न** के अनुसार की जाती है।
- **स्टॉक प्राइस:** ज्ञातव्य है कि सरकारी बॉण्ड की यील्ड या उससे प्राप्त आय बाजार में निवेश या अन्य शेयरों या ऋण-पत्रों में निवेश को प्रभावित करती है। इसलिए, यदि सरकारी बॉण्ड की यील्ड

अमेरिकी बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि के कारण

- कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित होने के पश्चात् **अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी।**
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को कठोर बनाना और उसके परिणामस्वरूप **अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का बढ़ना।**
- इन कारणों का यह परिणाम सामने आया है कि **अमेरिका में 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉण्ड/नोट की यील्ड में वृद्धि हुई है।**

अधिक होती है, तो स्टॉक मार्केट द्वारा प्रदत्त रिटर्न कम आकर्षक हो जाता है, इस प्रकार से सामान्य रूप से मांग में कमी आ जाती है और स्टॉक के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसके विपरीत यदि सरकारी बॉण्ड की यील्ड कम है, तो ठीक इसके विपरित निष्कर्ष सामने आएंगे।

- बॉण्ड की उच्च यील्ड अर्थात् उससे प्राप्त आय अप्रत्यक्ष रूप से **कंपनियों के साथ-साथ लोगों के लिए भी ऋण लेने की लागत को बढ़ा देती है।** इससे शेयरधारकों की लाभांश के रूप में होने वाली कमाई कम हो जाती है और प्रत्यक्ष रूप से खुदरा उधारकर्ताओं का बजट प्रभावित होता है।

अमेरिका की बढ़ती हुई बॉण्ड यील्ड का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चूंकि पूंजी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, इसलिए किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाजार में बड़े बदलाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी बॉण्ड्स के बढ़ते मूल्य का निम्नलिखित प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं:

- **निवेश के प्रवाह में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत सहित अन्य देशों के इक्विटी बाजार में प्रवाह का एक स्रोत है और अमेरिका में दरों में बढ़ोतरी से **वहाँ के निवेशकों के लिए घरेलू बॉण्ड्स में धन रखना या निवेश करना अधिक आकर्षक होगा।**
- **रुपये का संभावित मूल्यह्रास (Potential depreciation of Rupee):** बढ़ती यील्ड्स के कारण पूंजी का प्रवाह कम होने का वर्तमान रुपये-डॉलर बाजार संतुलन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और इससे रुपये का मूल्यह्रास हो सकता है।
- **घरेलू उधार की लागत में वृद्धि:** यदि अमेरिका में बॉण्ड यील्ड के समान भारत में भी बॉण्ड यील्ड बढ़ती है, तो इससे कंपनियों का प्रतिफल प्रभावित होगा क्योंकि उनकी उधार लागत बढ़ जाएगी।

आगे की राह

अमेरिकी बॉण्ड्स की बढ़ती यील्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचारणीय प्रभाव पड़ेगा। परंतु, साथ ही, अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि **विश्व के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति उदार रहेगी और इसलिए वैश्विक बॉण्ड यील्ड व्यापक रूप से कम रहेगी।** इसके लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रबंधन के परिदृश्य में बहुत संतुलित और धैर्यपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

4.1.3. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (INDIA'S FOREX RESERVES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर लगभग **612 अरब अमेरिकी डॉलर** पर पहुँचा, जिससे चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत **चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार** वाला देश बन गया।

भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और हालिया वृद्धि

- भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** निम्नलिखित के तहत विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है:
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; और**
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,** 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999)।
- हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में **वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन (Balance of Payment: BoP) संकट** (जब केवल 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर मुद्रा भंडार शेष बचा था) के पश्चात् से वृद्धि होती रही है, लेकिन विगत 2-3 वर्षों में वृद्धि की गति महत्वपूर्ण रही है।
- इस अचानक वृद्धि के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
  - भारतीय बाजार का विशाल आकार, बढ़ते स्टार्ट-अप्स, निगम कर में कटौती, उच्चतर प्रतिफल आदि के कारण बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI) के संदर्भ में **उच्च विदेशी पूंजी का अंतर्वाह (inflow)।**

  - कोविड-19 के कारण उपभोग में कमी और विदेशों में यात्रा करने पर लगे प्रतिबंध के कारण भारत से **पूंजी बहिर्वाह (Capital outflow) में कमी।** उदाहरण के लिए, वर्ष 2020-21 में भारत का भुगतान संतुलन 87 अरब डॉलर के रिकॉर्ड अधिशेष स्तर पर था।
  - विगत दो वर्षों में प्रवासी भारतीयों से **रिकॉर्ड स्तर पर विप्रेषण (remittances)** (80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक) की प्राप्ति; और

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से उबरने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन संबंधी उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में **व्यापक पैमाने पर तरलता (चलनिधि) का अंतर्वेशन।** उदाहरण के लिए, फेडरल रिज़र्व द्वारा परिवारों, वित्तीय बाजारों, सरकार आदि को 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण संबंधी सहायता प्रदान की गई।

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के पक्ष में तर्क

उच्च विदेशी मुद्रा के लाभ	यह निम्नलिखित स्थितियों में एक समाधान प्रदान करता है:
बाह्य सुभेद्यताओं से जोखिम में कमी	• **तेल के मूल्यों में अस्थिरता से;** • हॉट मनी {जैसे- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) के उच्च बहिर्प्रवाह संबंधी **बाह्य दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने में।**
विनिमय दर प्रबंधन	• वर्ष 1993 के बाद से बाजार द्वारा निर्धारित होते हुए भी, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए **RBI द्वारा सामयिक हस्तक्षेप** को संभव बनाया जाता है। • मुद्रा बाजार के विकास में सहायक।
निवेशकों में विश्वास का सृजन करना	• भारत के **चालू खाता घाटे** के वित्तपोषण में सहायक। • **जंक श्रेणी रेटिंग से थोड़ी बेहतर स्थिति होने पर भी यह निवेश आकर्षित करने में सहायक होता है।** इसके अतिरिक्त, यह नकारात्मक **निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति** के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है।
क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता बनने में सहायक	• इससे दूसरों के लिए, विशेष रूप से **सार्क {दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC)} देशों** जैसे हमारे पड़ोसी देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली संबंधी भारत की क्षमता का विस्तार होता है। इसके लिए भारत ने वर्ष 2012 में मुद्रा अदला-बदली तंत्र (currency swap mechanism) आरंभ किया था।
आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध चलनिधि	• उच्च **गैर निष्पादित परिसंपत्ति (Non Performing Assets: NPAs),** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) भुगतान चूक के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार संकट, समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के कारण दूरसंचार क्षेत्रक की चुनौतियों के जोखिमों जैसे **घरेलू वित्तीय प्रणाली संकटों** से उबरने में सहायक। • कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण **वैश्विक आर्थिक संकट** से उबरने में सहायक।
मौद्रिक प्रोत्साहन वापसी के विरुद्ध सहारा	• वर्ष 2013 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई फेड टेपरिंग की घटना ने 10% से अधिक **मुद्रा उतार-चढ़ाव के साथ बाह्य क्षेत्रक संकट** उत्पन्न किया था और केवल जापान से मुद्रा अदला-बदली के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई थी। • ऐसे में उच्च विदेशी मुद्रा भंडार से **पूंजी बहिर्वाह** के विरुद्ध चलनिधि/तरलता सुनिश्चित की जाती है।

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के विपक्ष में तर्क

- **विदेशी मुद्रा भंडार पर निम्न प्रतिफल:** सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शून्य ब्याज दरों के कारण इस पर लगभग 1% या उससे कम का प्रतिफल प्राप्त होता है।
- विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने और युवा जनसांख्यिकी का उपयोग करने के लिए भारत की **वृहद अवसंरचनाओं** को वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- इससे विभिन्न अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे-
    - तरलता की अवरुद्धता से **उच्च अवसर से समझौता और राजकोषीय लागत** अर्थात् विकास की आवश्यकताओं, निर्धनता और विशाल युवा आबादी के बावजूद अप्रयुक्त अत्यधिक नकदी को बनाए रखना।
    - उच्च विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित के संदर्भ में सरकार के **आत्मविश्वास संबंधी अभाव** को दर्शाता है:
        - अपनी अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता के संदर्भ में;
        - पूंजी जुटाने संबंधी उपायों (जैसे- विनिवेश) या निर्यात (आत्मनिर्भर भारत) के संदर्भ में; और
        - समष्टि आर्थिक प्रबंधन की सुदृढ़ता के संदर्भ में।

आगे की राह

विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर के संदर्भ में न केवल वर्तमान जोखिम और सुभेद्यताओं बल्कि भारत की भावी आकांक्षाओं एवं साथ ही संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अनुरक्षण को न केवल वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि व्यापक समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए।

4.2. बैंकिंग (BANKING)

मुख्य लक्ष्य

- **विविध, दक्ष और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली** को बढ़ावा देना।
- परिचालन लचीलापन, बेहतर वित्तीय व्यवहार्यता और संस्थागत मजबूती के माध्यम से **संसाधनों की आवंटन दक्षता में सुधार।**
- एक ही समय में **विवेकपूर्ण विनियमों को आगे बढ़ाते हुए** वैधानिक पूर्व–क्रय में कटौती के माध्यम से **वित्तीय दबाव को दूर करना।**

वर्तमान स्थिति

- सितंबर 2020 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों **(SCBs)** का जोखिम–भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) **15.8%** था।
- SCBs का सकल गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्ति **(NPA)** अनुपात **7.5%** था।
- SCBs का प्रावधान कवरेज अनुपात **(PCR) 74.4%** था।
- राजस्व की कमी के कारण सरकार द्वारा बाजार उधार कार्यक्रम में विस्तार किया गया था।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (EASE)।**
- एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच **(प्रिज्म / PRISM)।**
- **नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2.0** का सृजन।
- **बैंक लाइसेंसिंग ढांचे के विस्तार** सहित विनियामक सुधार।
- **पर्यवेक्षी पहलें** जैसे कि **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)।**

बैंकिंग – एक नज़र में

आगे की राह

- जहां आवश्यक हो, **पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से PSBs की निवल संपत्ति** में वृद्धि करना।
- बाह्य अंकेक्षण के साथ–साथ **ऑन साइट** और **ऑफ साइट** निगरानी के संयोजन के साथ **पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।**
- **एक PCA तंत्र के माध्यम से समस्याग्रस्त बैंकों के लिए संरचित और विवेकाधीन हस्तक्षेप की प्रक्रिया शुरू करना।**
- वित्तीय समूहों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करने वाले तंत्र को संस्थागत बनाना।
- **ऋणदाताओं के अधिकारों को मजबूत बनाना।**
- **कॉरपोरेट गवर्नेंस** पर जोर देना।

बाधाएं

- **NPAs का उच्च अनुपात,** विशेष रूप से PSBs के लिए।
- भारतीय बैंकों, विशेष रूप से PSBs के लिए **पूंजी पर्याप्तता** में निरंतर गिरावट आयी है।
- वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे– बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, फिनटेक आदि) में **समन्वय का अभाव।**
- प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर।
- इनके अतिरिक्त, **PSBs** को नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी **अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।**

4.2.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {REVISED PRIORITY SECTOR LENDING (PSL) GUIDELINES}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उद्यमिता (entrepreneurship) और नवीकरणीय संसाधनों (renewable resources) को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL) क्या है और यह कैसे कार्य करता है?

'PSL' की अवधारणा **अर्थव्यवस्था में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रकों और गतिविधियों के लिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के विचार** पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान कर ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करें।

संशोधित PSL दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तन

इसके लिए, RBI ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए **एम. के. जैन** की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं को भी इसमें शामिल किया है। संशोधित PSL दिशा-निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- PSL श्रेणी में **सम्मिलित नई श्रेणियां:**
    - **स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण।**
    - **ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।**
    - **कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण।**
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए **'चिन्हित जिलों'** में वृद्धिशील PSL को **उच्च भारांश** दिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के ऐसे जिलों में **PSL या ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है।**
    - तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से, जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, वहां वृद्धिशील PSL का भारांश बढ़ाकर 125% कर दिया जाएगा और जिन जिलों में ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक है, वहां वृद्धिशील PSL के लिए भारांश को कम कर 90% कर दिया जाएगा।
- **लघु और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण** की सीमा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ कृषि कार्य करने वाले **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations: FPOs) / किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producers Companies: FPC) के लिए उच्च ऋण सीमा** निर्दिष्ट की गई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में सुधार लाने के लिए, **स्वास्थ्य अवसंरचना** (आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना सहित) के लिए **ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।

इस संशोधन से संभावित लाभ

- **इससे किसानों को सहायता प्राप्त होगी:** सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता तथा लघु और सीमांत किसानों को सहायता जैसे प्रावधान किसानों को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हैं।
    - साथ ही, FPO/FPC के लिए उच्च ऋण सीमा से ऐसे संस्थानों का विकास प्रोत्साहित होगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी:** नए दिशा-निर्देशों में नए 'चिन्हित जिलों' के समावेश से क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी।
- **पर्यावरण अनुकूल ऋण नीतियों का निर्माण होगा:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों को प्रोत्साहन और बायोगैस संयंत्रों के विकास का उद्देश्य संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने में सहायता पहुँचाना है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा:** PSL दिशा-निर्देशों में संशोधन से स्वास्थ्य अवसंरचना की दिशा में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

4.2.2. लोकपाल एकीकरण योजना (INTEGRATED OMBUDSMAN SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों के शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए **"वन नेशन वन ओम्बुड्समैन"** नामक एक एकीकृत बैंक लोकपाल योजना (या लोकपाल एकीकरण योजना) की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्तमान में** बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं (Prepaid Payment Issuers: PPIs) के लिए **तीन पृथक-पृथक ओम्बुड्समैन** का गठन किया गया है।
- यह देश भर में स्थित **RBI के 22 ओम्बुड्समैन कार्यालयों द्वारा संचालित** होते हैं।

VISION IAS

- हालांकि अब, RBI ने तीन ओम्बुड्समैन योजनाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया है तथा "**वन नेशन वन ओम्बुड्समैन**" दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिकायत निवारण की एक केंद्रीकृत प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है।
- इस कदम से बैंक लोकपाल या ओम्बुड्समैन तंत्र के **सरल, प्रभावी और अधिक प्रतिक्रियाशील** क्रियान्वयन को बल मिलेगा।

बैंक लोकपाल या बैंक ओम्बुड्समैन (BO) के बारे में

- बैंक ओम्बुड्समैन (BO) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जो बैंक और उसके ग्राहकों के बीच विवाद के समाधान के लिए एक **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र** के रूप में कार्य करता है।
- यह **वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों पर सुनवाई करता है।
- **बैंकों द्वारा शिकायत अस्वीकार करने** या **बैंक द्वारा संबंधित शिकायत के प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर बैंक से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर** कोई भी व्यक्ति/संस्था BO के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

अन्य तथ्य

आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 {Internal Ombudsman (IO) Scheme, 2018}

- यह योजना RBI द्वारा **बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने** और ग्राहकों की शिकायत का बैंक स्तर पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनके **10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट** हैं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) उनको **अपने बैंक में IO नियुक्त करना आवश्यक** है।
- IO को बैंक की तरफ से **सेवा में कमी/त्रुटि** से संबंधित **ग्राहक शिकायतों की जांच** करने का अधिकार प्राप्त है (इसमें बैंक लोकपाल योजना, 2006 में सूचीबद्ध शिकायतें भी शामिल हैं)।
- शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय देने से पूर्व बैंकों को उन सभी शिकायतों को आंतरिक रूप से उनके संबंधित IOs को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिन शिकायतों का पूर्ण रूप से निवारण नहीं किया गया है।
  - इस प्रकार, **बैंकों के ग्राहकों को सीधे IO से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है।**
- RBI द्वारा विनियामक निरीक्षण के अतिरिक्त योजना की निगरानी के लिए भी **बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षण तंत्र** की आवश्यकता है।

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme for Digital Transactions: OSDT)

- RBI ने OSDT योजना को **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** के अंतर्गत वर्ष 2019 में आरंभ किया था।
- यह RBI द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग संस्थाओं (जैसे- मोबाइल वॉलेट या अदायगी के लिए UPI का प्रयोग करने वाली तकनीकी सक्षम भुगतान कंपनियों) के माध्यम से होने वाले **डिजिटल लेनदेन में सेवाओं की कमी से संबंधित शिकायतों के लिए एक लागत-रहित और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** उपलब्ध कराता है।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल** RBI द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है (एक बार में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है)।

बैंक लोकपाल के लाभ

- **सुलभ और सरल:** इसके चलते ग्राहकों को न्यायपालिका से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह शिकायत निवारण को सहज एवं सुलभ बनाता है।
- **पूर्व-निर्णय संबंधी बाध्यता नहीं:** ओम्बुड्समैन पूर्व-निर्णयों से बाधित हुए बिना न्याय कर सकता है। असाधारण परिस्थितियों में, ओम्बुड्समैन व्यक्ति और बैंक के बीच विवाद सुलझाने के दौरान साक्ष्य की तकनीकी एवं कानूनी औपचारिकताओं की भी उपेक्षा कर सकता है।
- **वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना:** ओम्बुड्समैन द्वारा बैंकों और ग्राहकों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध मजबूत होने से सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4.2.3. बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन (CHANGES IN BANK LICENSING FRAMEWORK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group: IWG) ने बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंस देने के नियमों को संशोधित करने की अनुशंसा की है।

बैंकिंग लाइसेंस क्या है?

- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अनुसार, भारत में कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग का कारोबार नहीं कर सकती है, जब तक कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किया गया लाइसेंस न हो। इस तरह का कोई भी लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद मिलता है।
- लाइसेंस व्यवस्था से बैंकिंग क्षेत्रक के विनियमन में सुगमता आती है। इससे बैंकिंग गतिविधियों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है और बैंकिंग क्षेत्रक वित्तीय ईमानदारी (सत्यनिष्ठा) का अनुपालन करने हेतु बाध्य होते हैं। साथ ही, इसके कारण बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मिल पाती है।

RBI के आंतरिक कार्य समूह (IWG) द्वारा अनुशंसित परिवर्तन क्या हैं?

- **बड़े कॉर्पोरेट और कारोबारी घरानों** को बैंकों का प्रवर्तक (promoter) बनने की अनुमति दी जाए।
- **अच्छी तरह से चल रही बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Finance Companies: NBFCs),** जिनके परिसंपत्ति का आकार 50,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जिनमें कॉर्पोरेट घराने के स्वामित्व वाले कारोबार भी सम्मिलित हैं, को बैंकों में रूपांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। इसके लिए उनके परिचालन के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए जाने की शर्त को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **आंतरिक कार्य समूह (IWG) की अन्य अनुशंसाएं:**
  - **SFBs एवं भुगतान बैंक (Payment Banks):** IWG ने यह भी सुझाव दिया कि तीन वर्षों तक संचालन करने के बाद भुगतान बैंकों को SFBs में रूपांतरित किया जा सकता है। इससे, पेटीएम (Paytm), जियो एवं एयरटेल भुगतान बैंकों को संभवतः लाभ मिल सकता है।
  - **किसी नई या वर्तमान इकाई में बैंकों द्वारा निवेश की सीमा 20% तक की जाए।** उनको वित्तीय या गैर-वित्तीय सेवा कंपनी, जो आनुषंगिक कंपनी या संयुक्त उपक्रम या असोसिएट कंपनी नहीं है, में बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल एवं रिजर्व का 20% तक कुल निवेश करने की अनुमित मिलनी चाहिए।

4.2.3.1. बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (BANKING LICENSE TO LARGE CORPORATE HOUSES)

परिचय

यह कदम वैश्विक वित्तीय संकट के एक दशक बाद उठाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद **अधिकतर विकसित राष्ट्र इस विचार को लेकर सतर्क हो गए थे।** उदाहरण के लिए, **कुछ समय पहले तक, RBI बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में उदार नहीं था।** अंतिम बार सात वर्ष पहले दो लाइसेंस, IDFC फर्स्ट बैंक एवं बंधन बैंक को दिए गए थे, जिसका विशिष्ट उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। उससे पहले, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को लाइसेंस दिए थे।

अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संभावित लाभ

- **पूंजीकरण में सहायता:** अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से बैंकिंग क्षेत्रक के समेकन की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ऋण देने वाले कई संस्थान और बैंक डूबे हुए/अशोध्य ऋणों (bad loans) में वृद्धि के कारण न्यूनतम पूंजीगत प्रावधानों के अनुपालन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऋण वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की बड़ी भूमिका से बैंकिंग क्षेत्रक के पूंजीकरण में सहायता मिलेगी, क्योंकि सरकार की क्षमता सीमित है।
  - निजी क्षेत्रक द्वारा पूंजीकरण का प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) के पुनर्पूंजीकरण के संबंध में राजकोषीय तुलन पत्र (fiscal balance sheet) पर दबाव कम हो जाएगा।
- **बैंकिंग क्षेत्रक में भारतीय उद्योग को पुनर्प्रवेश:** वर्ष 1993 में बैंकिंग में निजी क्षेत्रक को अनुमति मिलने के बाद से ही देश के कई बड़े औद्योगिक समूह, बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इससे भारत में बैंकिंग उद्योग के विस्तार में सहायता मिलेगी, जो वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था की तुलना में अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर है।
- **बड़ी प्रतिस्पर्धा:** कॉर्पोरेट्स के बैंकिंग क्षेत्रक में प्रवेश से ग्राहकों के लिए वित्तीय उत्पादों की आपूर्ति बढ़ेगी। इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- **जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग के विकल्प का विविधीकरण:** समिति ने अपनी अनुशंसाओं में देश के जमापूँजी आधार (बैंकों में जमा होने वाला पैसा) की अधिक उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की बात कही है। साथ ही, भविष्य में आस्ति विशेषज्ञों की सहायता लेने की संभावना भी जताई गई है। वे व्यवसाय मॉडल, जो केवल एक ठोस आधार (आस्ति या देयता) पर खड़े होते हैं, भविष्य में या तो उनमें किसी अन्य को भागीदारी बनाने की आवश्यकता पड़ती है या किसी दूसरे के साथ उनका विलय करना पड़ता है।

इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियां

- **कनेक्टेड लेंडिंग या जमाकर्ताओं के धन का स्वयं प्रयोग करना:** कनेक्टेड लेंडिंग उस स्थिति को कहते हैं, जब निजी बैंक, कॉर्पोरेट एवं औद्योगिक घराने छोटे जमाकर्ताओं के धन को बड़ी मात्रा में अपने समूह की कंपनियों के लिए प्रयोग करते हैं।
  - **वर्ष 1947-58 की अवधि में, भारत में कनेक्टेड लेंडिंग काफी प्रचलित थी।** इस तरह की कार्यप्रणाली ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि बैंकों की असफलता की दर बढ़ गई। भारत में भिन्न-भिन्न आकार के लगभग 361 बैंक धराशायी हो गए।
  - बीते वर्षों में, कॉर्पोरेट भारत के आकार एवं जटिलताओं के बढ़ने के कारण **कनेक्टिड लेंडिंग से संबंधित संभावित जोखिम भी कई गुना बढ़ गए हैं।**
- **चक्रीय बैंकिंग (Circular Banking):** चक्रीय बैंकिंग में, एक कॉर्पोरेट के स्वामित्व वाला बैंक A, दूसरे कॉर्पोरेट के स्वामित्व वाले बैंक B की परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। बैंक B, कॉर्पोरेट के स्वामित्व वाले बैंक C की परियोजनाओं को और बैंक C, कॉर्पोरेट के

स्वामित्व वाले बैंक A की परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। इस तरह एक चक्र पूरा होता है। चक्रीय बैंकिंग कनेक्टिड लेंडिंग के विरुद्ध विनियमों की उपेक्षा करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था निर्मित करती है।

- **बड़ा जोखिम:** भारत में बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। पूरे वित्तीय तंत्र में जितनी कुल संपत्ति है, उसमें 75% बैंकिंग संपत्ति है। बैंकिंग क्षेत्रक में बड़े कॉर्पोरेट (कारोबारी घरानों) के प्रवेश से इस क्षेत्रक को शासन एवं वित्तीय स्थिरता से संबंधित पक्षों को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्रक को खतरे में डालने से पूरा वित्तीय ढांचा धराशायी हो जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, **बैंकों का स्वामित्व कॉर्पोरेट के पास चले जाने से आर्थिक शक्ति** कुछ विशेष कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। आर्थिक एकाग्रता के बढ़ने से घरेलू अर्थव्यवस्था एवं राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका परिणाम क्रोनी कैपिटलिजम (घोर पूंजीवाद) जैसी समस्याओं के रूप में सामने आएगा।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल प्रभाव होगा:** शिक्षा और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के बीच यह व्यापक मान्यता है कि बैंकिंग उद्योग में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता एवं नवाचार के लिए तो उपयुक्त है, परंतु वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल है। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका उदाहरण है।
    - **प्रतिस्पर्धा के स्तरों एवं वित्तीय स्थिरता के मध्य सटीक संतुलन बनाए रखना बैंक नियामकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।**
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस (प्रबंधन) से जुड़ी समस्याएं:** समिति ने यह स्वीकार किया है कि - "कॉर्पोरेट घरानों में प्रचलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर (निगमित अभिशासन संस्कृति) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है एवं प्रवर्तक की गैर-वित्तीय गतिविधियों को बैंक की गतिविधियों से पृथक करना कठिन होगा।"
- भारत में, इस क्षेत्रक में **धोखाधड़ी और दिवालिया होने की दर तीव्रता से बढ़ रही है।** उदाहरण के लिए, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की अनियमितता से कॉर्पोरेट प्रबंधन के ढांचे में व्याप्त कमियां उजागर हुई हैं।

आगे की राह

समिति ने अनुशंसा की है कि कनेक्टिड लेंडिंग एवं बैंकों तथा अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय समूहों के मध्य संबंधों से निपटने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों को बैंकों का प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस संशोधन के साथ ही, बैंकिंग क्षेत्रक की अबाध वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, संगठनों के आंतरिक सुधारों पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक ईमानदार एवं सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू कर सकें।

4.2.3.2. NBFCS के लिए बैंकिंग लाइसेंस (BANKING LICENSE FOR NBFCS)

परिचय

यदि RBI बड़े औद्योगिक घरानों के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Finance Companies: NBFCs) को पूरी तरह बैंकों में रूपांतरित होने की अनुमति देता है, तो वे सीधे तौर पर कई मध्यम आकार के बैंकों से बड़े हो जाएंगे। इससे बैंकिंग परिदृश्य में बड़े बदलाव आ जाएंगे। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks: PSBs) के बड़े पैमाने पर समेकन के प्रकाश में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से संभावित लाभ

- **IL&FS संकट से परिसंपत्ति देयता बेमेल का मुद्दा उजागर हुआ था:** RBI और सरकार की सोच में मौजूदा बदलाव इसलिए भी है क्योंकि बड़े NBFCs वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम खड़ा कर सकते है। IL&FS और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) की असफलता ने साबित कर दिया है कि परिसंपत्ति देयता बेमेल (asset liability mismatch) पूरे वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है।
- **जमा (deposits) तक पहुंच:** NBFCs के बैंक में परिवर्तित होने के बाद सार्वजनिक जमा तक उनकी पहुंच में वृद्धि होगी, जिससे तरलता (चलनिधि) की कमी से जूझ रहे बैंकिंग क्षेत्रक को मदद मिलेगी। समग्र वित्तीय क्षेत्रक जिस तरलता की समस्याओं का सामना कर रहा है, यह उसका निवारण करने में मदद करेगा।
- **बेहतर निरीक्षण के अवसर:** उनके परिचालन के परिमाण को देखते हुए, सभी प्रमुख NBFCs निजी क्षेत्र में बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। वे पहले ही RBI द्वारा विनियमित और उसके निरीक्षण में हैं। उनके बैंकों में रूपांतरित होने से RBI को और अधिक निरीक्षण का अवसर मिलेगा।

इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियां

- **एक बैंक बनने में संबद्ध लागतें:** नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio: CRR), सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio: SLR) और प्रवर्तक (प्रमोटर) की हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा का आरोपण कुछ ऐसे नियम हैं, जो NBFCs को बैंक में परिवर्तित होने की राह में बाधा बन सकते हैं।

- **NBFCs की अनिच्छा की संभावना:** भारतीय व्यावसायिक घराने, बैंकिंग नियामक द्वारा अपने समूह की कंपनियों की गतिविधियों के निरीक्षण में संभावित वृद्धि को लेकर पूरी तरह सहज नहीं भी हो सकते हैं। नियमन में वृद्धि का तात्पर्य है व्यवसाय के संचालन में स्वतंत्रता और लचीलेपन में कमी।
- **NBFCs का निम्न प्रदर्शन:** हाल के दिनों में, NBFCs का वित्तीय निष्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, जो निवेशकों में संदेह उत्पन्न करता है। इस संबंध में, निवेशक का विश्वास और इस कदम की संभावित सफलता काफी हद तक, अगली कुछ तिमाहियों में NBFCs के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

आगे की राह

बड़ी NBFCs के बैंकों में रूपांतरित होने से थोक देयताओं पर निर्भरता कम करने में, बेहतर नियामक पर्यवेक्षण, विफलता के मामले में समय पर विनियामक हस्तक्षेप प्राप्त करने में और दीर्घकालिक रूप से संपत्ति विविधीकरण में मदद मिल सकती है। किन्तु इसके लिए NBFC क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ निवेशकों में विश्वास बहाली के लिए इस क्षेत्र में अभिशासन में सुधार की आवश्यकता है।

4.2.4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन (REGULATION OF NBFCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) के प्रति अपने नियामकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) क्या हैं और ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में क्या भूमिका निभाती हैं?

- एक NBFC वस्तुतः **कंपनी अधिनियम, 1956** के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होती है। इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है। ये कंपनियाँ (अर्थात् NBFCs) अग्रलिखित व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होती हैं- ऋण या अग्रिम संबंधी व्यवसाय (उधार देना), सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयर / स्टॉक / बॉण्ड / डिबेंचर / प्रतिभूति या इसी प्रकार की बाजार-आधारित अन्य प्रतिभूतियों की खरीद, पट्टा, किराया-खरीद (hire-purchase), बीमा व्यवसाय, चिट कारोबार इत्यादि।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का महत्व:** NBFCs संयुक्त रूप से बैंकिंग सुविधा से विहीन क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों की पहुंच को बढ़ाकर बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों को नवीन उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। ये दीर्घ-कालिक वित्तपोषण के तौर पर अवसंरचना क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराती हैं।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वर्तमान स्थिति:** हाल के दिनों में, **NBFC सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि हुई है।** उदाहरण के लिए, केवल पिछले पांच वर्षों में ही, NBFCs की बैलेंस शीट का आकार वर्ष 2015 के 20.72 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020 में 49.22 लाख करोड़ रुपये (दोगुना से अधिक) हो गया है। वर्तमान समय में, भारत में लगभग 9,560 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं।

NBFCs के विनियमन में बदलाव की जरूरत क्यों है?

- **प्रणालीगत जोखिमों का खतरा (Threat of systemic risks):** इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) जैसी अग्रणी NBFCs को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इससे NBFCs से लेकर समग्र वित्तीय क्षेत्रक के सामने प्रणालीगत जोखिमों का खतरा उत्पन्न हुआ है।
  - **IL&FS संकट** का प्रमुख कारण परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (Asset-Liability Mismatch: ALM) था। यह मुख्य रूप से अल्प-कालिक ऋण के साथ-साथ दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश की देन था।
  - **IL&FS संकट ने सभी प्रमुख NBFCs की विश्वसनीयता को कम किया है।** इसके अतिरिक्त, DHFL पर आरोप लगा है कि इसके प्रमोटर बेइमानी से पैसे निकालने के घोटाले में शामिल थे। इन्हीं कारणों से DHFL के शेयर गिर गए और वर्तमान में ये कंपनी 900 करोड़ रुपये के ऋण के भुगतान के लिए संघर्ष कर रही है।
- **बड़े NBFCs को पूरी तरह बैंक बन जाने की अनुमति:** हाल ही में, RBI के इंटरनल वर्किंग ग्रुप (IWG) ने बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नियमों को संशोधित किया है। चूंकि, प्रमुख NBFCs सशक्त रूप से बैंक बन गए हैं, इसलिए बैंक और NBFCs के विनियमन में निरंतरता लाने की जरूरत है, ताकि NBFCs से बैंकों को होने वाले लेन-देन समेकित रूप से हो सकें।
  - उदाहरण के लिए, यदि एक बड़े NBFC के पास बैंक के समान पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) है, तो निम्न CAR वाली NBFC की तुलना में उनके लिए बैंक के रूप में रूपांतरित होना आसान होगा।

VISIONIAS

- **फिनटेक (FinTech) सेक्टर का उद्भव:** फानेंसियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के उद्भव ने नवीन वित्तीय सेवाओं को सृजित कर बैंकिंग सेक्टर के संचालन को बदल दिया है। ये वित्तीय सेवाएं परंपरागत परिभाषाओं में फिट नहीं होती हैं। इसको देखते हुए, NBFCs के विनियमन में सुधार वस्तुतः बैंक, NBFCs और उभरते फिनटेक के बीच समेकित संचालन और संपर्क में तालमेल ला सकता है।

RBI ने कौन-से बदलाव प्रस्तावित किए हैं?

व्यापक रूप से, RBI ने हल्के विनियमन वाले सामान्य दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बड़े NBFCs पर लगभग बैंकों की तरह निगरानी रखने का प्रस्ताव रखा है। इस विचार को संभव करने के लिए निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं:

- **चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे का निर्माण किया गया है,** जिसमें आधार स्तर (Base Layer), मध्य स्तर (Middle Layer), उच्च स्तर (Upper Layer) और शीर्ष स्तर (Top Layer) सम्मिलित हैं। प्रत्येक स्तर के विनियमन की मात्रा उस सेक्टर में दिखने वाले जोखिम के अनुपात में है।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPA) के वर्गीकण में बदलाव:** RBI ने आधार स्तर (बेस लेयर) वाले NBFCs के NPA संबंधी मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इनके NPAs की गणना 180 दिन के बकाया के बजाये 90 दिनों के आधार पर की जाएगी।

इन बदलावों के संभावित प्रभाव क्या होंगे?

- **NBFCs के लचीलेपन और संभावित प्रणालीगत जोखिमों के बीच संतुलन:** इस चार-स्तरीय संरचना के कारण छोटे NBFCs विशेष रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनके लिए व्यापक रूप से अहस्तक्षेप वाले दृष्टिकोण को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बैंकों के समान मध्यम आकार वाले NBFCs को समान अवसर प्राप्त होंगे। पुनः इस चार-स्तरीय संरचना के लागू होने से अब बड़े NBFCs के साथ-साथ वैसे NBFCs जो अपने संचालन की प्रकृति के कारण प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं, उन पर बैंक की तरह सख्त पूंजीकरण, प्रशासन और निगरानी नियमों को आरोपित किया जाएगा।
- **इससे NBFC क्षेत्रक में भरोसा और विश्वास बढेगा:** NPAs से संबंधित शुरुआती सूचना का प्रावधान, RBI द्वारा सख्त विनियमन आदि से NBFC बाजार में विश्वास बढेगा, जो शेयर मूल्य में वृद्धि करेगा, अधिक जमाकर्ताओं को आकर्षित करेगा तथा बेहतर क्रेडिट रेटिंग लाएगा।
- **इससे NBFC क्षेत्रक में पारदर्शिता में वृद्धि होगी:** NBFC सेक्टर ने जिस प्राथमिक समस्या का सामना किया है, वह है पारदर्शिता का अभाव, जिसने पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए वित्तीय जोखिमों को पैदा किया है। इस प्रकार, नियामक मार्ग के माध्यम से NBFC में अधिक पारदर्शिता सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाएगी, जिससे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए पारदर्शिता और जोखिम आकलन बेहतर होगा।

निष्कर्ष

पिछले दो वर्षों में बैंकिंग सेक्टर (PMC बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक) के अपने खुद के संकटों को देखते हुए भरोसे और वित्तीय स्थिरता को वापस पाने के लिए NBFCs और बैंकों की निगरानी तंत्र को एक बार फिर से सुदृढ़ करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। NBFCs के विनियमन को यदि पर्याप्त रूप से औपचारिक रूप दिया जाए, तो वे ऐसी गतिविधियां अपना सकते हैं, जिनका प्राय: बैंक समर्थन नहीं करते, चाहे वह सूक्ष्म-ऋण हो या दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त-पोषण हो। इस क्षेत्रक में इस बात को सुनिश्चित करने की क्षमता है कि आर्थिक प्रगति की उड़ान वित्तीय बाधाओं से प्रभावित ना हो।

4.3. परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्रचना (ASSET QUALITY AND RESTRUCTURING)

संपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन – एक नज़र में

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)

NPA का आशय एक निश्चित अवधि से अधिक समय से बैंकों के बकाया या डिफ़ॉल्ट ऋणों या अग्रिमों से है। NPA को **सब–स्टैण्डर्ड या अवमानक** (यदि NPA 12 महीने से कम है), डाउटफुल या संदिग्ध (यदि NPA 12 महीने से अधिक है) और **लॉस या हानि** परिसंपत्तियों में उप–वर्गीकृत किया गया है। NPA संकट निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है:

- **बैंकिंग क्षेत्र:** यह प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
- **औद्योगिक क्षेत्र:** यह ऋण की उपलब्धता को कम करता है और फलस्वरूप ऋण को महंगा बनाता है।
- **समग्र अर्थव्यवस्था:** NPAs का सृजन मुद्रा के प्रवाह में बाधा डालता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है और कभी–कभी यह पूर्ण आर्थिक संकट में परिवर्तित हो जाता है।

भारत की NPA समस्या के लक्षण

- NPA संकट के चलते अन्य समष्टि (मैक्रो) आर्थिक समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे– धीमी आर्थिक संवृद्धि और दोहरे तुलन–पत्र का मुद्दा।
- यह संकट भारत के बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पूर्व में अनुभव किए गए किसी भी संकट से बड़ा और अधिक व्यापक है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण ही सबसे अधिक NPA के रूप में है। लगभग 90 प्रतिशत NPAs के लिए PSBs उत्तरदायी हैं।
- NPAs की क्षेत्रवार हिस्सेदारी में अवसंरचना क्षेत्रक का प्रभुत्व है, इसके बाद धातु और कपड़ा शामिल हैं।
- वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में, भारत का NPA संकट सबसे खराब संकटों में से एक रहा है।

भारत की NPA समस्या के उद्भव के कारण

- **आर्थिक कारण:**
  - वर्ष 2006–08 की अवधि में अनुभव की गई संवृद्धि के संबंध में अति आशावाद।
  - वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद **वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में गिरावट।**
  - अर्थव्यवस्था में **संरचनात्मक मुद्दे** जैसे कि खराब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)।
- **प्रणालीगत कारण:**
  - **एक त्वरित NPA पहचान तंत्र की अनुपस्थिति** के साथ–साथ नियामक सहनशीलता की दीर्घकालीन नीति।
  - परियोजना में प्रमोटर और बैंकर की रुचि समाप्त होने के कारण **परियोजनाओं का परित्याग।**
  - **शासन संबंधित मुद्दे** जैसे कि कमजोर कॉर्पोरेट प्रशासन और सरकार द्वारा अनुमति के संबंध में अनिच्छा या जानबूझकर देरी।
- **नैतिक कारण:**
  - सीमित सम्यक उद्यम (Due diligence) या विश्लेषण की आउटसोर्सिंग (ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह कार्य करवाती है) के रूप में बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी।
  - प्रमोटरों द्वारा धोखाधड़ी, धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को और बढ़ाती है।
  - प्रमोटरों द्वारा **पुनर्गठन प्रक्रिया में हेरफेर।**

NPAs की वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **मान्यता (Recognition):** वर्ष 2015 की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद, NPA मान्यता चरणों में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाईढांचा और एक बड़े क्रेडिट डेटाबेस का निर्माण शामिल है।
- **पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization)** में बजटीय आवंटन और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- **समाधान (Resolution):** इनमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), प्रोजेक्ट सशक्त, कोविड–19 से जुड़े दबाव के लिए RBI की रूपरेखा और MSME समाधान जैसी अन्य विशिष्ट योजनाएं शामिल हैं।
- **सुधार (Reform):** क्षेत्रवार सुधार के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं जैसे कि एक अधिक मजबूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली, RBI की शक्तियों का विस्तार और PSBs के लिए किए गए प्रमुख सुधार।

चुनौतियां जो अभी बाकी हैं

- जोखिम के बारे में सोचकर बैंकरों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उदासीनता।
- स्पष्ट जवाबदेही में अभाव नैतिक खतरे और अपर्याप्त सम्यक उद्यम (Due diligence) का मुद्दा सृजित करता है।
- PSBs में नियुक्ति में देरी, हस्तक्षेप आदि के रूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे।
- वित्तीय क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की अनुपस्थिति के रूप में बैंकिंग क्षेत्र, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक के अन्य तत्वों को एक साथ नहीं देखा जाता है।
- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) की वृद्धि सुसंगत नहीं रही है और हमेशा बैंकों के NPAs की प्रवृत्तियों के साथ समकालिक नहीं रही है।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में NPA संकल्प

- उधार प्रथाओं को और अधिक कुशल बनाकर **कोर बैंकिंग कार्यों को मजबूत करना।**
- पारदर्शिता और स्पष्ट संचार चैनलों के निर्माण के माध्यम से **शासन के स्तर को बढ़ाना।**
- **सभी हितधारकों के बीच अभिवृत्ति संबंधी परिवर्तन:** स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डालते हुए **कि नियामक सहनशीलता एक अपवाद होना चाहिए, न कि इसे अधिक नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।**
- ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि जैसे उपकरणों के माध्यम से **प्रौद्योगिकी के उपयोग में तीव्रता लाना।**
- NBFC और फिनटेक क्षेत्र में जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए **वित्तीय प्रणाली में एकीकरण को बढ़ावा देना।**
- **औद्योगिक क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक के मध्य जुड़ाव में वृद्धि।**

4.3.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित किए गए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को इस वर्ष मई में पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का आकलन

उपलब्धियाँ

- **तीव्रतर शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया:** वर्ष 2007 में जहाँ समाधान (resolution) प्रक्रिया में 4.3 वर्ष का समय लगता था, वहीं वर्ष 2020 में समाधान प्रक्रिया में लगने वाला समय घटकर 1.6 वर्ष हो गया।
- **अत्यधिक ऋण लेने वालों के व्यवहार में परिवर्तन:** IBC के अस्तित्व में आने से कंपनी के प्रवर्तकों (promoters) के मन में यह भय रहने लगा है कि यदि वे डिफ़ॉल्ट हुए तो कंपनी पर उनका नियंत्रण नहीं रह जाएगा, या वे लंबी विधिक कार्यवाही में फंस जाएंगे। परिणामस्वरूप, संभावित कॉर्पोरेट चूककर्ता दिवाला संबंधी कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व ही अपने ऋण का भुगतान करने के लिए स्वयं विवश होने लगे हैं।
- **भारत की 'व्यापार की सुगमता' और 'ऋण प्राप्त करने' की रैंकिंग में सुधार:** व्यापार की सुगमता (ease of doing) सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2017 में 155वां था, जो कि सुधार के साथ वर्ष 2020 में 63वां हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 के **ऋण प्राप्त करने (getting credit)** के सूचकांक में भारत का स्थान 62वां था, जो कि सुधार के साथ वर्ष 2020 में 25वां हो गया। साथ ही, वर्ष 2017 के व्यवसाय आरंभ करने वाले (Starting a business) सूचकांक में भारत का स्थान 151वां था जो सुधार के साथ वर्ष 2020 में 136वां हो गया।
- **संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों को राहत:** इस संहिता ने समाधान योजनाओं के माध्यम से 348 कॉर्पोरेट देनदारों को राहत प्रदान की है {संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP) में से 21 प्रतिशत को}।
- **मामलों का समाधान:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) में IBC के तहत दायर कुल 32,547 वादों में से 19,377 का समाधान किया जा चुका है।
- **संहिता का निरंतर अद्यतनीकरण:** इसके अधिनियमन के बाद से IBC में छह संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें वित्तीय लेनदारों के रूप में गृहक्रेताओं की स्थिति को स्पष्ट करना; **लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) की मतदान सीमा** को 75% से घटाकर 66% करना आदि जैसे प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)

- **इसमें शामिल हैं:** सभी व्यक्ति, कंपनियां, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships: LLPs) और साझेदारी फर्म।
- **दिवाला समाधान प्रक्रिया फर्म के किसी भी हितधारक द्वारा आरंभ की जा सकती है,** जैसे कि फर्म/ऋणी अर्थात् देनदार /वित्तीय या परिचालन लेनदार/कर्मचारी।

IBC के स्तंभ

दिवाला संबंधी वृत्तिक या पेशेवर (Insolvency Professionals: IPs) और दिवाला वृत्तिक अभिकरण (Insolvency Professional Agencies: IPAs)	सूचना उपयोगिताएं (Information Utilities: IUs)	न्यायनिर्णयक प्राधिकरण (Adjudicating Authority)	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI)
(Insolvency Professionals: IPs) और दिवाला वृत्तिक अभिकरण (Insolvency Professional Agencies: IPAs): इन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए वृत्तिकों या पेशेवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनके विनियमन का भी उपबंध हैं।	**(Information Utilities: IUs):** इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उधारदाताओं और उधार देने की शर्तों के बारे में तथ्यों को संग्रहित किया जाएगा तथा 'व्यतिक्रम **(Default)**' का पता लगाने के लिए इसका न्यायनिर्णयक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। **नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL)**, इस संहिता के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा पंजीकृत एकमात्र IU है।	**(Adjudicating Authority):** कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी **(LLPs)** के दिवाला संबंधी वादों के लिए **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT)** और व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के लिए **ऋण वसूली अधिकरण (Debts Recovery Tribunals: DRTs)**।	**(Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI):** यह बोर्ड सेवा प्रदाताओं (जैसे–IPs, IPAs, IUs) के साथ–साथ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, कॉर्पोरेट परिसमापन (liquidation), व्यक्तिगत दिवाला और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता को विनियमित करता है।

व्याप्त चुनौतियां

- **निम्न वसूली दर:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय उधारदाताओं ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) का सामना कर रही कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए दावों में 61.2 प्रतिशत की संचयी कटौती की है।
- **विलंब:** NCLT में लंबित 13,170 IBC वादों में से 71% वाद 180 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। यह स्थिति विभिन्न चरणों में विलंब के कारण है, जिससे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे-
    - **NCLT में वादों के दाखिल होने में देरी:** इस अवधि के दौरान कंपनी, चूककर्ता स्वामी के नियंत्रण में बनी रहती है जो मूल्य स्थानांतरण, निधि का विपथन और परिसंपत्ति के अंतरण को संभव बनाता है।
    - **अनापेक्षित, नीलामी में देरी के कारण विलंब:** इससे असंख्य प्रक्रियात्मक अनिश्चितताएं उत्पन्न होती हैं जो वास्तविक निविदा कर्ता को सही समय पर निविदा करने से हतोत्साहित करती है।
    - **अपीलों के कारण विलंब:** NCLT के निर्णयों पर **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal: NCLAT) और उच्चतम न्यायालय में लगातार मुकदमे दायर किए जाते हैं,** जिससे समाधान एवं वसूली प्रक्रिया में आगे और देरी होती है।
- **NCLT में कर्मचारी और अवसंरचना संबंधी मुद्दा:** NCLT में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या का 50% से अधिक रिक्त है (कुल 63 स्वीकृत संख्या में अध्यक्ष सहित 34 सदस्यों के स्थान रिक्त हैं)।
- **गृहक्रेता (homebuyer) के अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता:** IBC में वर्ष 2018 के संशोधन के अनुसार, प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए न्यूनतम 100 गृहक्रेताओं या कुल फ्लैट खरीदारों में से 10% की आवश्यकता होती है।
    - हालांकि, गृहक्रेताओं को अचल संपत्ति स्वामियों के विरूद्ध दिवाला कार्यवाही आरंभ करने के लिए गृहक्रेताओं की अनिवार्य संख्या को जुटाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **लचीलेपन का अभाव:** एकाधिक निविदाकर्ताओं में कॉर्पोरेट चूककर्ताओं का समाधान करने के लिए समाधान वृत्तिक/पेशेवर (resolution professional) के पास वर्तमान में IBC के तहत लचीलेपन का अभाव है।
- **दिवाला वृत्तिकों (Insolvency Professionals: IPs) का विनियमन करने के लिए विभिन्न दिवाला वृत्तिक प्राधिकरणों (Insolvency Professional Agencies: IPAs) की विद्यमानता** के परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया और समाधान वृत्तिकों के आचरण के लिए उचित मानकों का अभाव है।
- **अन्य मुद्दे:**
    - सीमा-पार दिवाला समाधानों के प्रस्तावों हेतु प्रावधानों का अभाव।
    - लेनदारों की समिति (CoC) की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव।
    - शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए विस्तृत रूप में IBC वादों से संबंधित डेटा की आवश्यकता है।

आगे की राह: सुधारों हेतु अनुशंसाएँ

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने IBC के कुशल कार्यकरण हेतु निम्नलिखित सुधारों की अनुशंसा की है:

- वैश्विक मानकों के अनुसार **अनुमत कटौतियों की मात्रा (quantum of haircuts) के लिए मापदंड स्थापित करना।**
- CoC के लिए **वृत्तिक/व्यावसायिक संहिता तैयार करना,** जो संकटग्रस्त कंपनी का अधिग्रहण करती है।
- समाधान प्रक्रिया के कार्यकरण की निगरानी और विनियमन करने के लिए **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India: ICAI)** की भांति कार्य करने वाला **एकल व्यावसायिक स्व-विनियामक निकाय** स्थापित किया जा सकता है ताकि उचित मानक और निष्पक्ष स्व-विनियमन संभव हो सके।
- **सीमा-पार दिवाला पर UNCITRAL {संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL)} के आदर्श विधि को अपनाना:** ताकि भारतीय संदर्भ में इस संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी और व्यापक दिवाला रूपरेखा प्रदान की जा सके।
- भर्ती प्रक्रिया की अग्रिम रूप से योजना बनाने के लिए अगले तीन-चार वर्षों में **अनुमानित मामलों से निपटने में क्षमता की आवश्यकता का विश्लेषण करना।**
- बैकलॉग समाप्त करने और शीघ्रता से लंबित मामलों से निपटने के लिए वर्चुअल सुनवाई के प्रावधान के **साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** (NCLT) और **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण** (NCLAT) **को अपने अभिलेखों और परिचालनों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करना चाहिए।**

VISION IAS

- **गृहक्रेता के अधिकारों को सुदृढ़ करना:** उदाहरण के लिए, किसी एकल गृहक्रेता द्वारा NCLT में दिवाला कार्यवाही को आरंभ करने का निर्णय करने के बाद अचल संपत्ति स्वामी को संबंधित गृहक्रेता द्वारा परियोजना के अन्य गृहक्रेताओं का विवरण प्रदान करने के लिए नियमों/दिशा-निर्देशों में बाध्य किया जाना चाहिए, ताकि अनिवार्य 10% या 100 गृहक्रेताओं को जुटाया जा सके।
- **राष्ट्रीय विधि स्कूलों को NCLT प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए** ताकि वे अकादमिक अनुसंधान कर सकें, मामला आधारित उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकें और विधि लिपिकों आदि के माध्यम से उचित सहायता प्रदान कर सकें।

4.3.1.1. पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS: PIRP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित दिवाला कार्यवाही का समाधान करने के लिए **"पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Pre-packaged Insolvency Resolution Process: PIRP)"** के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या है?

- पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोधन अक्षमता की कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) का रुख करने से पूर्व संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor: CDs) और ऋणदाता एक समाधान व्यवस्था पर सहमत होते हैं।
- इसके द्वारा बैंकों, प्रवर्तकों और खरीदार के मध्य सहमत योजना को विधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इसके द्वारा **कब्जेदार देनदार (debtor-in-possession) मॉडल** का अनुपालन किया जाता है।
- **कपटपूर्ण गतिविधियों/कुप्रबंधन के विरुद्ध संरक्षण:** लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) द्वारा, 66 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है और समाधान वृत्तिकों/पेशेवरों को नियंत्रण सौंपा जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है यदि CoC को पता चलता है कि कंपनी को कपटपूर्ण ढंग से संचालित किया जा रहा है या प्रवर्तक द्वारा कंपनी के कार्यों में अत्यधिक कुप्रबंधन किया गया है।
- यदि परिचालक लेनदारों को उनके 100 प्रतिशत बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है तो **यह CD द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना के लिए स्विस चैलेंज (Swiss challenge) की अनुमति प्रदान करता है।**
    - इसके अंतर्गत, किसी भी तृतीय पक्ष को संकटग्रस्त कंपनी के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी और मूल आवेदक को या तो बेहतर समाधान योजना की बराबरी करनी होगी या निवेश त्यागना होगा।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के मध्य अंतर

मानदंड	PIRP	CIRP
दिवाला प्रक्रिया के दौरान फर्म/कंपनी का नियंत्रण	देनदारों का अपनी संकटग्रस्त फर्म पर नियंत्रण बना रहता है।	कंपनी का प्रबंधन समाधान वृत्तिक द्वारा किया जाता है।
समय सीमा	प्रारंभ होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।	प्रारंभ होने की तारीख से 270 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।
ऋण के समाधान की प्रक्रिया	संकटग्रस्त कंपनी द्वारा सुरक्षित लेनदारों और मौजूदा स्वामियों या बाह्य निवेशकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता किया जाता है।	खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से समाधान।

PIRP के लाभ

- **तीव्र एवं लागत प्रभावी दिवाला समाधान प्रक्रिया:** देनदार द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया के कारण, इसमें कम विधिक विवाद, न्यायालय में शोधन अक्षमता कार्यवाही की लागत कम करने और CIRP की तुलना में तीव्र समाधान प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- **व्यवसायों के लिए सबसे कम विघटनकारी:** इच्छुक खरीदारों के साथ लेनदार और व्यवसाय स्वामी न्यायालयों में समाधान वृत्तिकों की तुलना में इन महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों को लेने के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं।
- **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणों की पीठों पर कम दबाव:** नए संशोधन से शोधन अक्षमता न्यायालयों को सहायता प्राप्त हो सकती है, जो पहले से ही लंबित मामलों और वैश्विक महामारी के कारण नए मामलों की अत्यधिक संख्या से जूझ रहे हैं।

कार्यान्वयन से संबंधित संभावित मुद्दे

- **अनिश्चितता:** PIRP को आरंभ करना कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों, लेनदारों, आदि के व्यवहार को प्रतिकूल कर सकता है जो अनिश्चित महसूस करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, व्यवसाय की साख संदिग्ध हो जाने पर आपूर्तिकर्ता आपूर्ति को बंद कर सकते हैं।

VISIONIAS

- **CoC सदस्यों के लिए आधार समाधान योजना (Base resolution Plan) निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण:** CoC सदस्यों के लिए बिना किसी व्यापक मानदंड (जिस पर समाधान योजना को अनुमोदित करना है) संबंधी निर्धारित अल्प अवधि के भीतर आधार समाधान योजना पर निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है।
- **CD, निवेशकों या बैंकों से अतिरिक्त पूँजी या ऋण नहीं जुटा सकेंगे:** शामिल जोखिमों के कारण, कॉर्पोरेट देनदार को कंपनी के लिए नए निवेशक लाने और संधारणीय स्तर तक ऋण में कमी कर सकने वाली नई इक्विटी जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

4.3.2. ऋणों की पुनर्रचना (RESTRUCTURING OF LOANS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण तनावग्रस्त बैंक ऋणों के लिए समाधान ढांचे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **के. वी. कामथ** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। RBI द्वारा गठित इस समिति ने 26 क्षेत्रों हेतु ऋण पुनर्रचना की अनुशंसा की है।

ऋण पुनर्रचना (Loan restructuring) के बारे में

- **वित्तीय संकट का सामना कर रही या दिवालियापन के कगार पर खड़ी कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा** अपने ऋणों को कम करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने या तरलता बनाए रखने के लिए ऋण पुनर्रचना की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ताकि कंपनियां अपना व्यवसाय जारी रख सकें।
- दूसरे शब्दों में, कोई कंपनी अपने ऋण को चुकाने के क्रम में डिफ़ॉल्ट न करे, इससे बचने के लिए उसके द्वारा लिए गए ऋण की पुनर्रचना की जाती है। ऋणों की यह पुनर्रचना **उधार लेने वालों के लिए** अपने ऋण को आगे किसी अन्य तिथि या माह में लौटाने, पुनर्भुगतान के लिए और समय लेने, या अपने मौजूदा ऋणों पर ब्याज दर को कम करने में सक्षम बनाती है।

इस समिति द्वारा प्रदत्त प्रमुख निष्कर्ष/सुझाव

- कामथ समिति ने यह स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी ने कंपनियों के कार्यकरण और लाभ को प्रभावित किया है। ऐसा नहीं हुआ होता तो अनेक कंपनियां अपने ऋण को वापस लौटाने में समर्थ थीं। लेकिन, इस महामारी का प्रभाव कई क्षेत्रकों में व्यापक रहा है। हालांकि, यह प्रभाव अलग-अलग कंपनियों के लिए हल्का, मध्यम और गंभीर श्रेणी में रहा है।
  - अतः राहत देने के लिए इन कंपनियों के खातों को **हल्के (mild), मध्यम (moderate) और गंभीर (severe)** तनाव की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण **बैंकिंग क्षेत्रक के लगभग 70% ऋण प्रभावित हुए** हैं, जिसमें से लगभग 45% इस महामारी से पहले ही तनावग्रस्त (stressed) थे। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण केवल 30% ऋण ही प्रभावित हुए हैं।
- इस समिति ने समाधान योजनाओं के आकलन के लिए **ऋण-शोधन क्षमता, तरलता और कवरेज** से संबंधित वित्तीय अनुपातों की पहचान की है। ये हैं:
  - **ऋण-शोधन क्षमता अनुपात (Solvency ratios):** यह दीर्घकाल में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अर्थात् ऋण चुकाने की कंपनी की क्षमता का परिचायक है। यह ब्याज चुकाने से पहले लिए गए कुल ऋण, मूल्यह्रास और कर अनुपात के संबंध में जानकारी देता है।
  - **तरलता अनुपात (Liquidity Ratios) या चालू अनुपात (Current Ratio):** यह लघु अवधि में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अर्थात् ऋण चुकाने की कंपनी की क्षमता का परिचायक है।
  - **व्याप्ति अनुपात (Coverage ratio):** यह उस समय-सीमा (एक निश्चित समयावधि में) का परिचायक है जिसके तहत पूँजी प्रवाह में वृद्धि होने पर एक कंपनी अपने ऋणों को वापस लौटा सकती है।
- बकाया राशि और कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के आधार पर, इस समिति ने समाधान योजना में शामिल करने के लिए **26 क्षेत्रों का चयन** किया है। ये हैं: विद्युत, निर्माण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, रियल एस्टेट, लौह और इस्पात, सड़कें, अचल संपत्ति, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, विमानन, खनन आदि।

VISION IAS

4.3.3. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NATIONAL ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD: NARCL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **NARCL** का मुंबई में पंजीकरण कराया गया। इसका लक्ष्य बैंकों के बहीखातों से **अशोध्य ऋणों (Bad Loans)** का समाशोधन (अर्थात् बैड लोन की समस्या का समाधान) करना है।

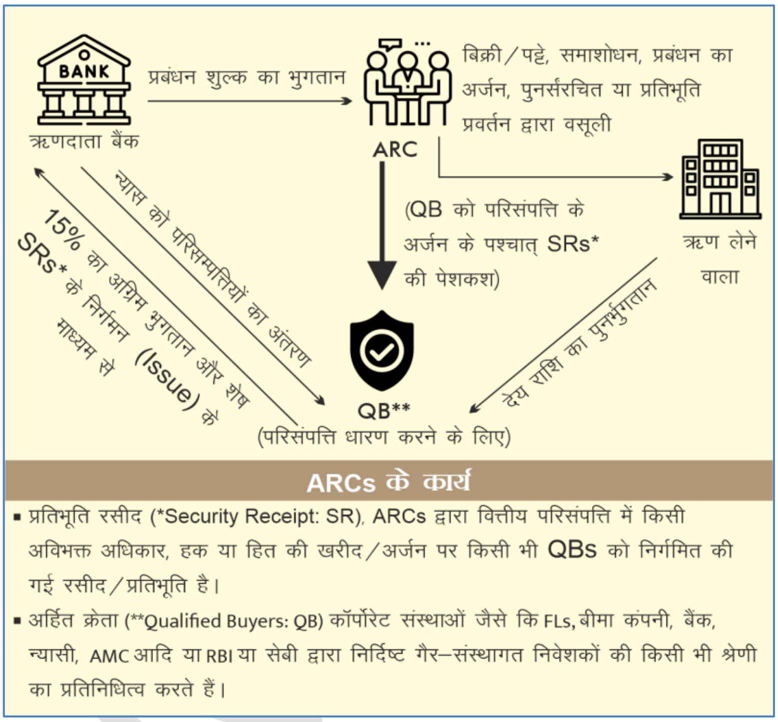

परिसंपत्ति पुनर्रचना और ARC के बारे में

- परिसंपत्ति पुनर्रचना किसी ऐसी वित्तीय सहायता को कहा जाता है, जिसमें किसी ARC द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के अधिकार या हित का अधिग्रहण किया जाता है, ताकि ऐसी वित्तीय सहायता से परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त किया जा सके।
- इसलिए, ARC या बैड बैंक एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं, जो परस्पर सहमत मूल्य पर बैंक के कर्जदारों (ऋण दायित्व के संदर्भ में) के भार को खरीदती हिं तथा इनसे जुड़े दबावग्रस्त ऋणों या संबंधित प्रतिभूतियों को व्यावसायिक प्रबंधन, बिक्री अथवा पुनर्संरचना के माध्यम से रिकवरी अथवा वसूली करती हैं। बैड बैंक अपने कार्य संचालन (यदि वह वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान से अधिक कीमत पर ऋण बेचने में सफल हो जाता है) के माध्यम से लाभ अर्जित करता है।
- भारत में, ARCs का गठन **कंपनी अधिनियम** के अंतर्गत होता है तथा ये **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित का प्रवर्तन (SARFAESI/सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 3** के अंतर्गत RBI में पंजीकृत होती हैं।
- ARCs को 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम "निवल स्वाधिकृत निधि" (Net Owned Fund: NOF) रखने तथा अपने जोखिम भारित पूंजी का 15% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) रखने का आदेश दिया गया है।
    - **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड या Arcil** पहली ARC थी जिसे वर्ष 2002 में चार बैंकों - भारतीय स्टेट बैंक (SBI), ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के सहयोग से स्थापित किया गया था।

NARCL से क्या संभावित लाभ प्राप्त हो सकते हैं?

- **ARCs** की वर्तमान पूंजी बैंकों की विशालकाय NPA समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में **NPAs को कम करने के अतिरिक्त, NARCL** निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकता है:
    - बैंक अपने **सामान्य बैंकिंग कार्यों** पर ध्यान दे सकेंगे।
    - **तीव्र आर्थिक सुधार** के लिए उत्पादक क्षेत्रकों को बेहतर रूप से ऋण प्राप्त हो सकेगा।
    - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बेहतर मूल्यांकन** के साथ **बैंकों के निजीकरण** में सरकार को सहायता प्राप्त होगी।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर:** NARCL केवल उन परिसंपत्तियों की ही पुनर्रचना करेगा, जहां बैंकिंग क्षेत्रक का कुल ऋण **500 करोड़ रुपये से अधिक** है। ऐसे में सीमित पूंजीकरण वाले अन्य ARCs खुदरा और MSMEs क्षेत्रक पर ध्यान दे सकती हैं, जहाँ लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तक की कुल दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं।
- **ऋण का समेकन:** NARCL के गठन से विभिन्न ऋणदाताओं के मध्य जो विरोधाभासी स्थिति (सर्वसम्मति का अभाव) है, उस समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। इससे ऋण की पुनर्रचना की जा सकती है।
- **क्षमता का पूर्ण उपयोग:** समस्याओं के समाधान के विभिन्न तरीके या कार्यशैली में लोचशीलताओं के उपरांत भी वित्तपोषण का अभाव, योग्य पेशेवरों की सीमित संख्या या अन्य समस्याओं के कारण भारत में ARCs की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। सरकार समर्थित गारंटी (5 वर्षों के लिए) के साथ NARCL के प्रवेश से इस क्षेत्रक में नई कार्य संस्कृति और मूल्यों का सृजन हो सकता है।

* **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन:** NARCL को आवंटित परिसंपत्ति **'स्विस चुनौती'** की प्रक्रिया से गुजरेगी अर्थात् अन्य ARCs को उच्चतम मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। इससे बैंकों को इस क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ अधिकतम ऋण वसूली में भी सहायता मिलेगी।

चुनौतियां

* **नैतिक संकट का जोखिम:** बिना जवाबदेही के NPAs को NARCL में स्थानांतरित करने से ऋण प्रदान करने में लापरवाही संबंधी नैतिक संकट का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इससे यह समस्या और बढ़ सकती है।
* **शीघ्रता का अभाव:** अशोध्य ऋणों की पुनर्रचना और रूपांतरण के लिए NARCL को **पृथक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** {जैसे- भारतीय ऋण प्रबंधन एजेंसी (India Debt Management Agency: IDMA)} के तौर पर प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। परंतु, इसकी स्थापना के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
* **योग्य पेशेवर:** भारत के पास पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
* **अशोध्य परिसंपत्ति का मात्र स्थानांतरण:** चूंकि इसमें PSBs शीर्ष हितधारक हैं, ऐसे में NARCL केवल सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के बहीखाते से अशोध्य ऋण को सरकार समर्थित NARCL के खाते में स्थानांतरित करने का कार्य कर सकता है।
* **पूंजी की आवश्यकता:** चूंकि, इसके तहत 15% अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए NARCL को **89,000 करोड़ रुपये** के NPAs के समाधान के लिए **6,500 से 7,000 करोड़ रुपये** तक पूंजी की आवश्यकता होगी, भले ही ऋण वसूली का लक्ष्य वास्तविक ऋण का आधा अर्थात् **44,500 करोड़ रुपये ही** रखा जाए।

NARCL को अन्य परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) से क्या भिन्न बनाता है?

अन्य ARCs

* ये ऐसी निजी कंपनियां है जो जांच से संबंधित भय के कारण PSBs से परिसंपत्ति अंतरण को सीमित करती हैं।
* ये कंपनियां भारी छूट पर निम्न वसूली वाले ऋणों का क्रय करती हैं।
* कुछ के अतिरिक्त, अधिकांश अल्प रूप से वित्त पोषित हैं। इसलिए वे व्यापक पैमाने पर बैंकों से ऋण लेती हैं और उन्हें विभिन्न उधारदाताओं की विभिन्न अनिवार्यताएं की पूर्ति करने जैसे कई मुद्दों का सामना पड़ता है जो संपूर्ण प्रक्रिया को विलंबित करती है।

NARCL

* चूंकि इसके प्रमुख हितधारक PSBs होंगे और इसे सरकारी समर्थन भी प्राप्त होगा, अतः परिसंपत्ति अंतरण अधिक स्वतंत्र रूप से हो सकता है।
* स्विस चैलेंज माध्यम के उपयोग की स्वीकृति से बैंकों को दबावग्रस्त परिसंपत्ति से सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति।
* इसे दक्षिण कोरिया, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार समर्थित ARCs के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। NARCL को पूंजी से संबंधित मुद्दे का सामना नहीं करना होगा और इसलिए यह तीव्रतर पुनर्निर्माण हेतु अशोध्य ऋणों (बैड लोन) को एकीकृत कर सकता है।

ARCs से संबंधित अन्य मुद्दे

* **ARCs की संरचना को नियंत्रित करने में लचीलेपन की कमी विद्यमान है,** क्योंकि वे या तो निजी पक्षकारों या बैंक (न कि सरकार) के स्वामित्व में होते हैं। इसके कारण एक ही पक्षकार द्वारा हिस्सेदारी को नियंत्रित करने और उसके न्यूनतम निवेश किए जाने पर अनेक प्रतिबंध होता है।
* **ARCs के कार्यकरण में नियामकीय अस्पष्टता विद्यमान है।** उदाहरण के लिए- जहाँ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में वित्तीय संस्थाओं (ARCs सहित) द्वारा 'समाधान योजनाओं' की प्रस्तुति के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, वहीं SARFAESI अधिनियम स्पष्ट रूप से ARCs को फर्मों में "निवेश" करने या इक्विटी अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं देता है।

आगे की राह

बैड बैंक के साथ भारत के पिछले प्रयोग असफल सिद्ध होने तथा वर्तमान समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा ARCs को अधिक सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि बैड लोन की समस्या से आसानी से निपटा जा सके। इसे निम्नलिखित उपायों को अपनाकर किया जा सकता है:

* SARFAESI और IBC के बीच विनियामक अंतराल को समाप्त करने के लिए **SARFAESI अधिनियम में संशोधन करना।**
* एक **संकटग्रस्त ऋण विक्रय व्यापार प्लेटफॉर्म (Distressed Loan Sales Trading Platform)** की स्थापना करना, ताकि बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए NPA पर उचित बोलियां प्राप्त की जा सके।
* **बैंकों के शासन में सुधार:** अभिशासन के महत्वपूर्ण घटकों जैसे वित्तीय संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन विभाग, लेखा परीक्षकों, बोर्ड, रेटिंग एजेंसियों, स्वतंत्र विश्लेषकों और विनियामक निरीक्षकों की कार्य-प्रणाली एवं संचालन में सुधार की आवश्यकता है।

- फर्मों/कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता रखने वाले क्षेत्र **विशिष्ट प्रबंधन फर्मों/व्यक्तियों का एक पैनल** तैयार किया जाना चाहिए, जिन पर कंपनियों के प्रबंधन के लिए विचार किया जा सकता है।
- इस क्षेत्र में अधिक निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संरचना मानदंडो को उदार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, अधिक विशेषज्ञों को शामिल और अधिक प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण में गहनता लाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- एशियाई संकट के बाद मलेशियाई अनुभव महत्वपूर्ण ढांचागत अनिवार्यताओं को संबोधित करने के सन्दर्भ में विकल्प प्रदान कर सकता है।
- **प्रभावी प्रबंधन:** ARCs को अनुभवी संकटग्रस्त ऋण प्रबंधन पेशेवरों द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है।
- **परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उचित मूल्य निर्धारण:** ARCs को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, उचित मूल्य पर किया जाना चाहिए। यह न तो अत्यधिक उच्च मूल्य पर हो और न ही अत्यधिक निम्न मूल्य पर हो। यह एक ऐसे प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा जिसमें न तो समाधान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है, ना ही किसी हितधारक को असामान्य लाभ प्रदान किया गया है।
- ARC की एक पूर्व-निर्धारित, सीमित कार्यशील अवधि होनी चाहिए। साथ ही हितधारकों से पर्याप्त समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए।

4.4. भुगतान प्रणाली (PAYMENT SYSTEMS)

मुख्य लक्ष्य

- **रियल टाइम, सुरक्षित, सुलभ और आसान भुगतान तंत्र** प्रदान करना।
- भुगतान के एक रूप का दूसरे रूप में स्थानांतरण निर्बाध है, इसलिए एक **एकीकृत भुगतान प्रणाली** की परिकल्पना की गई है।
- उच्च लेन–देन की मात्रा को प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए **संस्थागत, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।**
- **लेन–देन की लागत को यथासंभव कम** करना।

वर्तमान स्थिति

- सभी लेन–देन की मात्रा का **89%** अभी भी नकद आधारित है।
- भारत के डिजिटल भुगतान का **50% हिस्सा** डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) और तत्काल भुगतान सेवा **(IMPS)** का है।
- भारत के डिजिटल भुगतान के **53% मूल्य** में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट **(RTGS)** और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर **(NEFT)** की प्रमुखता है।
- वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति **22.4 डिजिटल लेनदेन** किये गए थे (वर्ष 2014 में यह संख्या 2.4 थी)।
- **261 बैंक** वर्तमान में **NPCI-UPI** प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड।
- NPCI द्वारा विकसित साधन या उत्पाद – UPI, IMPS, रुपे (RuPay), भारत बिल पे, आदि।
- RBI द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निर्देश, 2021
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का युक्तिकरण।
- RBI की विनियामक सैंडबॉक्स पहल जिसमें वर्तमान में डिजिटल भुगतान, सीमा–पार से भुगतान और MSME ऋण शामिल हैं।

भुगतान प्रणाली – एक नज़र में

आगे की राह

- इस प्रणाली के लिए **एकल नियामक तंत्र** की आवश्यकता है।
- **मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफ–लाइन भुगतान** के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के साथ डिजिटल **भुगतान जागरूकता।**
- डिजिटल भुगतानों को अपनाने का आकलन करने के लिए, **जियो–टैगिंग का उपयोग किया जा सकता है।**
- **नियामकों के मध्य समन्वय** बढ़ाना।
- **इंटरनेट की पहुंच, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समावेशन, और भुगतान प्रणालियों में वृद्धि** को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

बाधाएं

- प्रधान रूप से नकदी–आधारित अर्थव्यवस्था से **प्रधान रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण का केवल धीरे–धीरे अंगीकरण होगा।**
- डिजिटल वित्तीय जागरूकता और **डिजिटल वित्तीय साक्षरता का अभाव।**
- **गैर–स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं** के लिए कम डिजिटल भुगतान उत्पाद।
- **ग्राहक संरक्षण** और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा।
- विशेष रूप से आतंरिक इलाकों में **लागत और कनेक्टिविटी** का मुद्दा।

4.4.1. डिजिटल भुगतान तंत्र (DIGITAL PAYMENT ECOSYSTEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निर्देश, 2021' {Reserve Bank of India (Digital Payment Security Controls) directions, 2021} जारी किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निर्देश, 2021 के बारे में

- ये दिशा-निर्देश डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए एक **मजबूत प्रशासन संरचना** स्थापित करने तथा सुरक्षा नियंत्रण के **साझे न्यूनतम मानकों को लागू** करने के लिए जारी किए गए हैं।
- **प्रयोज्यता (Applicability):** ये दिशा-निर्देश विनियमित निकायों (Regulated Entities: REs), **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** पर लागू होंगे।
  - ये निर्देश **तीसरे पक्ष के भुगतान एप्लीकेशंस, भुगतान ऑपरेटरों और विभिन्न पेमेंट गेटवे** पर भी लागू होंगे।
- **इन निर्देशों के तहत:**
  - **विनियमित निकाय (REs),** बोर्ड के अनुमोदन से डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए एक नीति तैयार करेंगे।
  - **विनियमित निकाय (REs)** वस्तुतः 'डिजाइन द्वारा सुरक्षित' (secure by design) दृष्टिकोण का पालन करते हुए डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं में **बहु स्तरीय एप्लीकेशन संरचना, एप्लीकेशंस का पृथक्करण, डेटाबेस और प्रेजेंटेशन लेयर को लागू** करेंगे।
  - विनियमित निकायों (REs) में **धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था (Fraud Risk Management)** को शामिल/स्थापित किया जाएगा।
  - विनियमित निकायों (REs) और अन्य सभी हितधारकों के मध्य सभी डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए एक **'रियल टाइम' / 'नियर रियल टाइम' आधारित समन्वयकारी ढांचे को उपलब्ध कराया जाएगा।**
  - **ग्राहक सुरक्षा, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा।**
  - **इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन, कार्ड भुगतान सुरक्षा नियंत्रण के कुशल एवं सुरक्षित परिचालन पर जोर दिया जाएगा।**

भारत में डिजिटल भुगतान तंत्र के बारे में

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** डिजिटल भुगतान/इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण को परिभाषित करता है।
- डिजिटल भुगतान विभिन्न तरीकों द्वारा किया जा सकता है, जैसे- **NEFT, RTGS, IMPS, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यू.पी.आई.** आदि माध्यमों से।
- **भारत में डिजिटल भुगतान के भारांश में डेबिट कार्ड, पी.पी.आई. (PPIs) और IMPS की हिस्सेदारी सर्वाधिक (कुल मात्रा का लगभग 50%) रही है।**
- **हालांकि, मूल्य आधारित भारांश में RTGS और NEFT की सर्वाधिक हिस्सेदारी (डिजिटल भुगतान के कुल मूल्य का लगभग 53%) रही है।**
- **प्रति व्यक्ति डिजिटल लेनदेन,** वित्तीय वर्ष 2014 के प्रति व्यक्ति 2.38 ट्रांजैक्शन से बढ़कर **वित्त वर्ष 2019 में 22.42 ट्रांजैक्शन हो गया।**

डिजिटल भुगतान तंत्र से संबद्ध चुनौतियां

- **प्रौद्योगिकी संबंधी:** विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संचालित होने वाली ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के मध्य एकीकरण का अभाव है, जिससे प्रसंस्करण में विलम्ब, भुगतान में देरी आदि स्थितियों को बढ़ावा मिलता है।
- **सुरक्षा:** डिजिटल लेन-देन के साइबर अपराधों की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही, डेटा चोरी से जुड़े जोखिम सबसे बड़े चिंता के विषय बने हुए हैं।

  - हैकिंग और सुरक्षा उल्लंघनों से उपभोक्ताओं को वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है और कंपनी की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है।
- **अवसंरचना:** छोटे सेवा प्रदाताओं के पास इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं (जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें)।
  - वर्ष 2019 में नील्सन की एक रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार, **70% ग्रामीण आबादी सक्रिय इंटरनेट सुविधा के अभाव से ग्रसित है,** जिनमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है।
- **डिजिटल निरक्षरता:** NSSO के आंकड़ों के अनुसार, केवल 4.4% ग्रामीण परिवारों तथा 23.4% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर उपलब्ध हैं और इनमें से 42% शहरी परिवारों व केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर उपलब्ध हैं।
- **लेनदेन शुल्क और मर्चेंट डिस्काउंट रेट:** उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन शुल्क तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए MDR शुल्क को अतिरिक्त कर के रूप में देखा जाता है, इसलिए वे लेनदेन के डिजिटल मोड को प्राथमिकता देने में संकोच करते हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए वांछित अन्य पहलें

- **उपकरणों और ब्राउज़र्स का मानकीकरण:** सभी प्रकार के ब्राउज़र्स, उपकरणों और गेटवे पर भुगतानों को एक जैसा स्वरूप देने तथा डिजिटल भुगतान प्रणालियों में उपयोगकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है।
- **जागरूकता और शिक्षा:** कई उपभोक्ता अभी भी डिजिटल भुगतानों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर चिंतित रहते हैं; इसलिए कंपनियों को अपने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के सुरक्षा लाभों के बारे में अधिक पारंपरिक तरीके से शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- **इंटरनेट और मोबाइल फोन तक पहुंच:** वर्तमान में, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल फोन की उपलब्धता सीमित है, इसलिए सरकार और शामिल हितधारकों को इंटरनेट पैठ बढ़ाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है।
- **प्रोत्साहन और पुरस्कार:** यदि डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को पुरस्कार/प्रोत्साहन प्राप्त हों और उन्हें त्वरित रूप से एवं सरलता से भुनाया जा सके, तो अधिक से अधिक उपभोक्ता इन्हें अपनाने की दिशा में अग्रसर होंगे।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहल

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** यह भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह RBI को उक्त उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का युक्तिकरण:**
  - यह **डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन की भुगतान प्रक्रिया के दौरान किसी व्यापारी द्वारा वसूल की जाने वाली एक शुल्क** है।
- **भुगतान अवसंरचना विकास कोष (PIDF)** को आर.बी.आई. द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अधिग्रहणकर्ताओं/व्यापरियों को पॉइंट ऑफ सेल (POS) इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है।
- **डिजीशाला (DigiShala):** यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक निःशुल्क दूरदर्शन DTH शैक्षिक चैनल है।
- **वित्तीय साक्षरता अभियान:** इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के युवाओं/ छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना है ताकि सभी भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को धन के हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कैशलेस आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके।
- **E-RUPI:** यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यह **व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट** डिजिटल भुगतान प्रणाली है।
- **कार्ड टोकनाइजेशन:** टोकनाइजेशन कार्ड के विवरण को एक वैकल्पिक कोड के साथ प्रतिस्थापित करने को संदर्भित करता है जिसे 'टोकन' कहा जाता है। यह कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (वह इकाई जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और टोकन जारी करने के लिए इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजती है) और डिवाइस के संयोजन के लिए विशिष्ट है।

4.4.2. डिजिटल उधार (DIGITAL LENDING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल उधार (या ऋण) पर एक कार्य दल का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने पहले स्पष्ट किया था कि वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियों को **बैंकों, RBI के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और अन्य संस्थाओं, जो वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित हैं (जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार अधिनियम)** द्वारा ही किया जा सकता है।

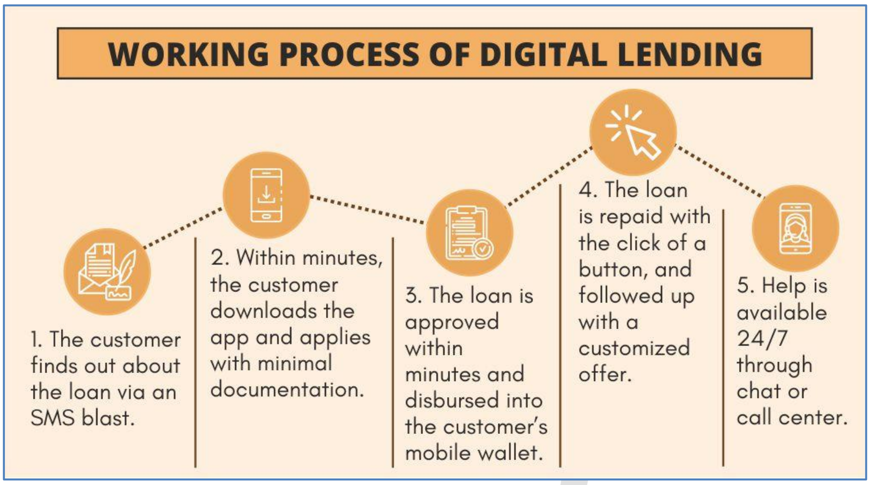

- इसके अतिरिक्त, RBI ने बैंकों और NBFCs की तरफ से प्रयोग किए जाने वाले डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म्स के लिए **उपभोक्ताओं के समक्ष बैंक या NBFC का नाम उजागर करना** अनिवार्य कर दिया है।

डिजिटल उधार (या ऋण) के बारे में

- डिजिटल उधार वस्तुतः **ऋण देने की पेशकश करने की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ऋण के लिए आवेदन, ऋण का वितरण और प्रबंधन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किया जाता है।** इसमें ऋणदाता **ऋण निर्णयों की सूचना और बुद्धिमत्तापूर्ण ग्राहक संबंध का निर्माण** करने के लिए डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करता है।
- वर्तमान में डिजिटल उधार पारितंत्र **जटिल है और विकसित हो रहा** है। विश्व भर में, **डिजिटल उधार मॉडल (इन्फोग्राफिक्स देखें)** बाजार संरचनाओं, विनियामक वातावरण और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं।
- भारत में सरकार ने पहले ही **अनेक सार्वजनिक डिजिटल पहचान, भुगतान और दस्तावेज अवसंरचना** को सृजित किया है, जो डिजिटल उधार के लिए अनुकूल हैं।
- इसके अतिरिक्त, **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payments System: AEPS) एवं उच्च स्मार्टफोन पहुंच तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर फोकस** ने भारत के लिए इनके विनियमन में सहायता पहुँचाई है।

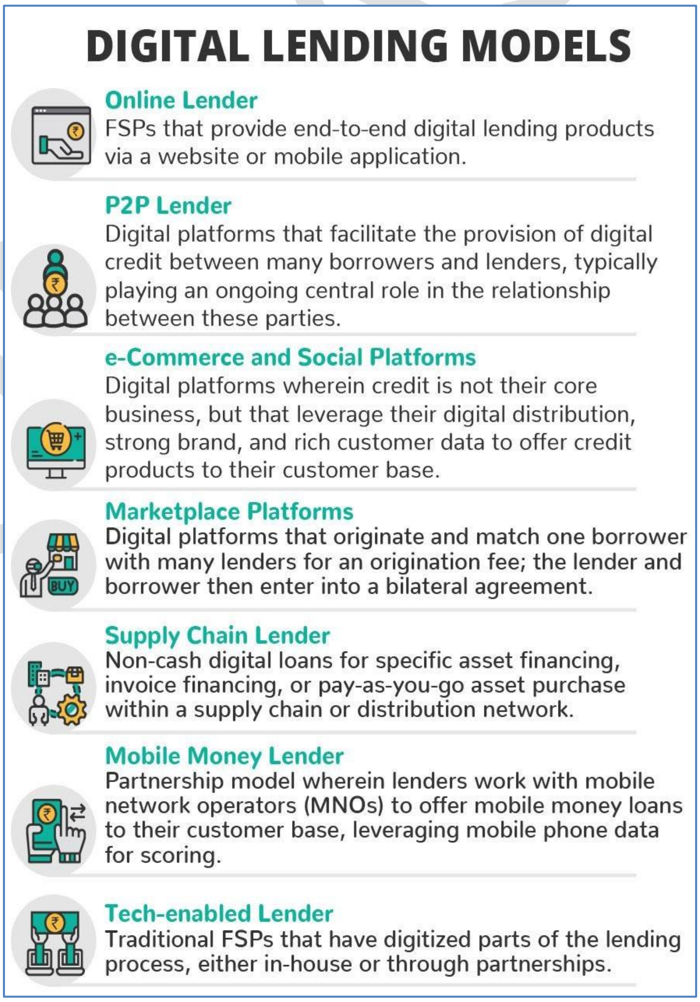

डिजिटल उधार भारत के वित्तीय सेवा पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

- **दक्षता और पहुंच:** डिजिटल उधार अधिक से अधिक ग्राहकों को तीव्र, उचित, दक्ष और समावेशी तरीके से बेहतर उत्पाद प्रदान करने में **वित्तीय सेवा प्रदाताओं (Financial Service Providers: FSPs)** को सक्षम बना रहा है।
- **नवाचार और प्रतिस्पर्धा:** फिनटेक मॉडल से प्राप्त **लागत-प्रभावी लाभ** उत्पादों के नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो व्यापक बाजारों को लक्षित करने के लिए व्यवसाय मॉडल को विविधता और विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। साथ ही, इससे गैर-परंपरागत प्रतिभागियों की भागीदारी में भी वृद्धि होगी।
- **ऋण जोखिम प्रबंधन (Credit risk management):** अंडराइटिंग्स (हामीदारी अंकन) को बढ़ावा मिलने / क्रेडिट मॉडल्स में वृद्धि से ऋण जोखिम प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
- **विकास और साझेदारी का पारितंत्र:** सहायक एवं सहयोगी विनियामक, फिनटेक पारितंत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। इससे **विभाजन, लक्ष्यीकरण और स्थान निर्धारण (Segmentation, Targeting and Positioning: STP)** संबंधी ऑनलाइन मॉडल एवं ग्राहकों के वित्तीय समावेशन तथा मोबाइल पहुंच की वृद्धि में सुविधा होगी।

भारत में डिजिटल पारितंत्र के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं?

- **अनधिकृत डिजिटल ऋणदाता:** ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें व्यक्ति और लघु कारोबारी अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स / मोबाइल एप्स के शिकार हुए हैं। ज्ञातव्य है कि ऐसे अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स / मोबाइल एप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

* **अति-ऋणग्रस्तता और गैर-निष्पादित आस्तियां (Non-Performing Assets: NPAs):** आसान उपलब्धता के कारण एक साथ कई ऋण लेना, ऋण पुनर्भुगतान की सीमित क्षमता, ग्राहकों की सीमित समझ एवं उनकी अति-ऋणग्रस्तता आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो ऋणदाताओं के NPAs को बढ़ा सकती है।
* **उच्च ब्याज दर और आक्रामक वसूली:** अनधिकृत डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म्स अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं और वसूली का कठोर तरीका भी अपनाते हैं।
* **डेटा गोपनीयता (Data privacy):** समझौते का दुरुपयोग कर डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म्स उधारकर्ता के मोबाइल फोन के डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिसको लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

How Digital/FinTech lending help in accessing underserved markets?

Limitations of access to underserved markets	How FinTech lending overcomes the limitations
Requirement for **physical verification and high costs.**	Utilises **digital footprint as a substitution for physical documents** for verification and/or **usage of third-party** data (e.g. e-commerce) in order to define eligibility, **which lowers operational costs** compared to conventional lending.
The underwriting process requires a **credit history or proof of a steady income or an asset-based collateral.**	Processes the **underwriting assessment** through **digital processing platform with various data points,** to identify **typical attributes for interest rates** to be charged, without prior collateral.
Cooperatives are relatively **small in size** and **lack of competitiveness** to attract money suppliers in the market.	Developed a **simple and convenient platform** for attracting investment, as most of the **processes are completed through digital platforms,** which attracts large number of potential lenders.
Risk of irrational credit and limited funding opportunities	Customised **credit assessment models,** which employ **behavioural data to identify typical attributes for charging interest rates,** supported by large amounts of funding from retail and institutional lenders.

डिजिटल उधार पारितंत्र की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है?

* **राष्ट्रीय ऋण निगम (National Lending Corporation: NLC):** नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तर्ज पर RBI की निगरानी में एक छत्र निकाय NLC की स्थापना की आवश्यकता है, जिसका फोकस उधार देने के विनियमन पर होगा।
* **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** उपभोक्ताओं की अति-ऋणग्रस्तता और NPAs की समस्या को दूर करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उधार देने वाले स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
* **वित्तीय साक्षरता:** अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी के बारे में उपभोक्ताओं को जागरुक किया जाना महत्वपूर्ण है। साथ ही, उन्हें डिजिटल उधार पारितंत्र की अच्छी समझ होनी चाहिए।
* **डेटा संरक्षण:** डेटा सुरक्षा, निजता और उपभोक्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए।
* **आचार संहिता:** डिजिटल उधारदाताओं को प्रकटीकरण और शिकायत निवारण के स्पष्ट मानकों के साथ सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांत को रेखांकित करने वाली **आचार संहिता** को अग्रसक्रिय रूप से विकसित करना चाहिए तथा उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

4.4.3. न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NEW UMBRELLA ENTITY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE)** के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया।

NUE का कार्य-क्षेत्र

यह खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणाली/प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी, जिसमें एटीएम, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल (PoS), आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण के अलावा अन्य सेवाएं शामिल हैं।	यह नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगी। साथ ही, यह देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्दों की निगरानी भी करेगी।
यह भुगतान प्रणालियों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने जैसे विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखेगी।	यह भागीदारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों के लिए समाशोधन और निपटान प्रणाली संचालित करेगी। साथ ही प्रासंगिक जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करेगी तथा खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्दों की निगरानी भी करेगी।

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) के बारे में

* **इसका उद्देश्य खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली** न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) की स्थापना करना है।
* न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) को **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम (Payment and Settlement Systems Act), 2007** के तहत अधिकृत किया जाएगा तथा यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निगमित कंपनी होगी।

इस कदम के लाभ

- **ऐसी इकाइयों/संस्थाओं की अधिकाधिक संख्या प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी** तथा खुदरा भुगतान के संबंध में ग्राहकों को अधिकाधिक समाधान प्रदान करेगी।
- न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) **नवोन्मेषी भुगतान प्रणाली प्रस्तुत करेगी,** ताकि समाज के अभी तक वंचित रहे वर्गों को शामिल किया जा सके तथा यह ग्राहकों के लिए उपलब्धता, उन्हें प्राप्त सुविधा और सुरक्षा में भी वृद्धि करेगी।
    - जिस प्रकार **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और अन्य भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है, उसी प्रकार से न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) भी कुछ ऐसा ही तंत्र निर्मित करेगी, जिसे **बैंकों और वित्तीय तकनीकी (फिनटेक) कंपनियों** द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- इन NUEs को स्थापित करने की योजना बनाने वाली संस्थाओं का लक्ष्य **डिजिटल भुगतान क्षेत्रक में और भी बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना है।**

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) की आवश्यकता

एकाधिकार और संकेंद्रण के जोखिम के निवारण के लिए	NPCI के प्रभुत्व को कम करने के लिए	डिजिटल भुगतान प्रणाली में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए
वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एकमात्र छत्रक (प्रमुख) संगठन है।	NPCI, जो 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करता है, 'टू बिग टू फेल' (अर्थात् इसके विफल होने पर अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा) की श्रेणी में आता है।	नकद लेन-देन के विपरीत डिजिटल लेन-देन अधिक पारदर्शी होते हैं। इसलिए कर प्राधिकारी धन के लेन-देन पर कुशलतापूर्वक निगरानी रख सकते हैं।

4.4.4. डिजिटल मुद्रा (DIGITAL CURRENCY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने अपने केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित अपनी डिजिटल मुद्रा जारी की है। इस मुद्रा का नाम **eCNY** है, जिसे परीक्षण के तौर पर कुछ चयनित शहरों में आरंभ किया गया है।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

व्यापक अर्थ में एक डिजिटल मुद्रा, मुद्रा का ही रूप होती है, जो **केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध** होती है, परंतु भौतिक रूप में नहीं। इसे **डिजिटल धन, इलेक्ट्रॉनिक धन, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा या साइबर नकदी** भी कहा जाता है।

केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा के संभावित लाभ क्या हैं?

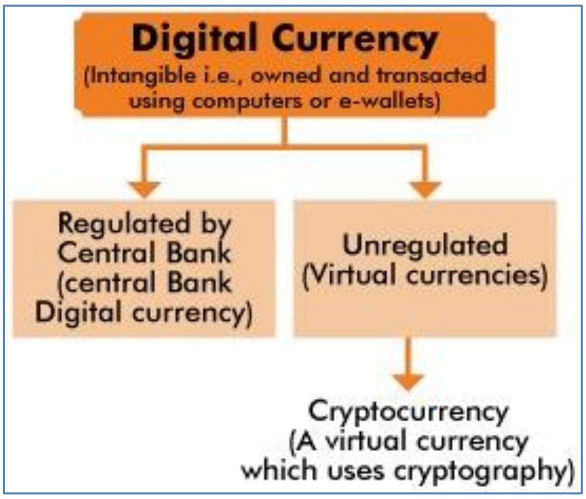

- **लेन-देन का कम खर्च:** लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल मुद्रा में भुगतान होता है। इसके लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, लेन-देन शीघ्रता से हो जाते हैं और उसके लिए कम खर्च करना पड़ता है।
- **वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में वृद्धि:** व्यक्तियों, निजी क्षेत्रक की कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से लेन-देन करने की अनुमति देने से भुगतान प्रणाली में तरलता संकेंद्रण और ऋण संबंधी जोखिम में बहुत कमी आती है।
- **भुगतान प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन:** डिजिटल मुद्रा से भुगतान क्षेत्रक में समानता आएगी, जिससे कई स्टार्ट-अप्स प्रोत्साहित होंगे और इस क्षेत्रक में नए उत्पाद आएंगे।
- **वित्तीय समावेशन में सुधार:** डिजिटल नकदी खाता प्रदान करने वाले संगठन समाज के उस वर्ग तक भी पहुंच पाएंगे, जिसे वर्तमान में परंपरागत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
- **मौद्रिक या राजकोषीय नीति के सही दिशा में जाने की संभावना:** डिजिटल मुद्रा उपयुक्त प्राधिकरण को कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ मुद्रा जारी करने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि इन मुद्राओं को एक विशेष समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो इनका मूल्य ह्रास हो सकता है। ऐसे में इन मुद्राओं के सहयोग से सरकार आसानी से वित्तीय लेन-देनों की निगरानी रख सकती है। इससे सरकार को कर अपवंचन की रोकथाम और उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने में सहायता मिल सकती है।

डिजिटल मुद्राओं को अपनाने में आने वाली चुनौतियां

- **निजता की समस्या:** मुद्रा जारी करने पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण बढ़ जाएगा और इस बात की भी अधिक जानकारी होगी कि लोग अपना धन किस प्रकार खर्च करते हैं। यह डाटा उपयोगकर्ताओं की निजता को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे:** डिजिटल मुद्राओं में लेन-देन होने से बैंकों की मध्यस्थ वाली भूमिका समाप्त हो जाती है, जिससे उपयोगकर्ता साइबर धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं और पूरे तंत्र के लिए जोखिम में वृद्धि होती है।
- **व्यापक पैमाने पर डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता:** डिजिटल मुद्रा के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं जैसे कि व्यापक पैमाने पर इंटरनेट उपलब्ध होना, विश्वसनीय नेटवर्क अवसंरचना और व्यापक पैमाने पर डाटा के रखरखाव के लिए क्षमता, जैसे- डाटा केंद्र आदि।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में हो रही प्रगतियों के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत में, यद्यपि सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने की बात कही है तथापि **क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन में वृद्धि** हुई है। भारत में लगभग 80 लाख निवेशकों ने लगभग 100 अरब रुपये (1.4 अरब डॉलर) का क्रिप्टो निवेश किया है। स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे कि जेबपे (ZebPay), यूनोकॉइन (Unocoin) आदि पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण एवं धन के अंतरण में विशेषकर विगत 2-3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।

भारत में डिजिटल मुद्रा की व्यापक मांग को देखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।** साथ ही, स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए कार्य कर रहा है।
- इस संदर्भ में, भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी की **माइनिंग, ट्रेडिंग और उसे धारण करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाने** पर विचार कर रही है।
    - इसके अतिरिक्त, विनियामक व्यवस्था को और कठोर बनाते हुए, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs: MCA)** ने कंपनी अधिनियम के नियमों में संशोधन किए हैं और **कंपनियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में अपने निवेश का प्रकटन अनिवार्य कर दिया है।**
- यह उपाय उस **सरकारी एजेंडे** के अनुरूप है, जिसमें **बिटकॉइन जैसी निजी वर्चुअल मुद्रा पर रोक लगाने** तथा साथ ही आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई है।

4.5. अन्य गतिविधियां या घटनाक्रम (OTHER DEVELOPMENTS)

4.5.1. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (MICROFINANCE REGULATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म-वित्त के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी उधारदाताओं या ऋणदाताओं के लिए दिशा-निर्देशों का एक समान समुच्चय शामिल है।

सूक्ष्म-वित्त के बारे में

सूक्ष्म-वित्त वस्तुतः वित्तीय सेवा का एक रूप है जिसके तहत निर्धन और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उधारकर्ता (अर्थात् ऋणी), आय सृजन गतिविधियों को प्रारंभ कर निर्धनता से मुक्त हो सकें।

विवरण और पृष्ठभूमि

- भारतीय सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में, सूक्ष्म-वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या और सूक्ष्म-वित्त ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए ऋण की मात्रा दोनों के मामले में **पिछले दो दशकों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।**
    - वर्तमान में इसके तहत भारत की निर्धन आबादी के **लगभग 102 मिलियन खातों तक सेवाएँ प्रदान की जा रही** हैं।
- हालांकि, इस क्षेत्रक में वृद्धि होने के साथ, कुछ अपर्याप्तताएँ और विफलताएं भी उजागर हुई हैं जो **वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश सूक्ष्म-वित्त संकट के रूप में परिलक्षित हुई थीं।**
    - इस संकट के लिए कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions: MFIs) के विवेकहीन प्रयास को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिन्होंने व्यवसाय बढ़ाने की अपनी आतुरता में, पारंपरिक ज्ञान और अनुकूल प्रथाओं (जैसे कि ऋण देने और नैतिक वसूली प्रथाओं में उचित तत्परता बनाए रखना) का परित्याग कर दिया था।

* हालांकि इस संकट से सीख लेकर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने MFI क्षेत्रक में आने वाली समस्याओं और चिंतनीय विषयों का अध्ययन करने के लिए **वाई. एच. मालेगाम समिति** का गठन किया।
    * मालेगाम समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान' {Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs)}** के लिए **वर्ष 2011 में व्यापक विनियामक ढांचे को स्थापित किया।**

* यह व्यापक विनियामक ढांचा केवल NBFC-MFIs पर लागू होता है, जबकि अन्य ऋणदाता, जिनकी सूक्ष्म-वित्त पोर्टफोलियो में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उन पर इस प्रकार की नियामक शर्तें लागू नहीं होती हैं।
* इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में कार्य कर रही सभी **विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities: REs) के लिए विनियमों के एक समान समुच्चय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**

वर्तमान विनियामक ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता क्यों?

* **उधारकर्ताओं की अधिक ऋणग्रस्तता:** मौजूदा विनियम के तहत दो से अधिक NBFC-MFIs, एक ही उधारकर्ता को ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इससे अन्य उधारदाताओं द्वारा उन्हें ऋण देने की संभावनाओं में बढ़ोतरी होती है। इसके परिणामस्वरूप छोटे उधारकर्ता अनेक उधारदाताओं से अलग-अलग ऋण प्राप्त करने में अधिक से अधिक सक्षम होते जाते हैं, जिससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान में कठिनाई आती है और जबरन वसूली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    * ऋण-आय अनुपात के संदर्भ में ऋण राशि को घरेलू आय से जोड़ने की अनुशंसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि परिवार तनावग्रस्त न हो।
* **समान अवसर तैयार करना:** ब्याज दर की उच्चतम सीमा को लेकर मौजूदा विनियम के परिणामस्वरूप NBFC-MFIs अधिक ब्याज दर आरोपित करती हैं अर्थात् अपने ऋण के लिए अधिक ब्याज वसूलती हैं। परिणामस्वरूप, निधियों की तुलनात्मक रूप से कम लागत के बावजूद, बैंक भी NBFC-MFIs को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं, जो MFIs की उच्चतम दर के आसपास बनी रहती है। अंततः उधारकर्ता बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों से होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं।
    * NBFC-MFIs द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज दर पर उच्चतम सीमा को हटाने का प्रस्तावित कदम बाजार तंत्र को सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में ब्याज दरों को पहले की तुलना में कम करने में सक्षम कर सकता है।
* **संपार्श्विक या जमानत की अनिवार्यता को समाप्त कर सूक्ष्म ऋणों की उपलब्धता को बढ़ाना:** कम आय वाले उधारकर्ताओं के पास अक्सर संपार्श्विक की अनुपलब्धता होती है, जबकि ऋणदाता इसे प्राथमिकता देते हैं। उधारकर्ताओं के पास गिरवी रखने के लिए जो संपार्श्विक होता है, वह ऋणदाताओं के लिए बहुत कम मूल्य का होता है लेकिन उधारकर्ता के लिए अत्यधिक मूल्यवान होता है (उदाहरण के लिए- घरेलू सामान, फर्नीचर आदि)।
* **ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करना: लघु कारोबार और कम-आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा समिति** द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि "आय-सृजन वाले ऋणों पर अधिक बल देने से उधारकर्ता अपनी अन्य या संपूर्ण वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक महंगे अनौपचारिक ऋणों की ओर बढ़ सकते हैं।"
    * इसलिए, आय सृजन के उद्देश्य से न्यूनतम 50 प्रतिशत ऋण देने की सीमा, जो वर्तमान में केवल NBFC-MFIs पर लागू है, को हटाने हेतु एक प्रस्ताव लाया गया है।
* **जोखिमों के अन्य स्तरों पर होने वाले स्थानांतरण को रोकना:** धारा 8 के तहत शामिल कंपनियां मुख्यतः अपनी वित्त-पोषण आवश्यकताओं के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाले ऋण सहित सार्वजनिक वित्त पर आश्रित होती हैं। अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ उनके पारस्परिक संबंधों के कारण, उनके व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम वित्तीय क्षेत्रक में स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए, 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों से छूट प्रदान नहीं की गई है।

निष्कर्ष

सूक्ष्म-वित्त का प्रदर्शन बेहतर रहा है। ऐसे में अपने विनियामक ढांचे को अपडेट (अद्यतित) करने को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक का दूरदर्शी विचार, निर्धनता के विरुद्ध इस नीतिगत हथियार के आधार को और सुदृढ़ कर सकता है।

4.5.2. नियो बैंक (NEO BANKS)

सुर्खियों में क्यों?

हाल के समय में, **फिनटेक प्लेटफॉर्म (वित्तीय प्रौद्योगिकी से जुड़े प्लेटफॉर्म)** तेजी से भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रायः स्वयं को नियो बैंक कहते हैं।

परंपरागत बैंक		नियो बैंक
भौतिक बैंकिंग प्रतिष्ठान	सेवा प्लेटफॉर्म	वेब एवं मोबाइल आधारित सेवा
लगभग 100 वर्ष पूर्व	बाजार प्रवेश	लगभग 10 वर्ष पूर्व
मामूली परिवर्तन के साथ दीर्घकालिक एवं वैयक्तिक	ग्राहक संबंध	लचीला, आभासी, परिवर्तनीय
वैयक्तिक रूप से, फोन, ऑनलाइन	उपभोक्ता समर्थन	फोन, ऑनलाइन
उच्च, जटिल	शुल्क	निम्न, पारदर्शी
संपूर्ण	बैंकिंग लाइसेंस	कोई नहीं, आंशिक, या संपूर्ण
हाँ	बैंक कार्यालय	नहीं
लंबी	पुष्टिकरण प्रक्रिया	त्वरित

नियो बैंक और इसकी क्रियाविधि

- नियो बैंक शब्द ऐसी 'फिनटेक कंपनियों' के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी केवल डिजिटल उपस्थिति होती है। इसकी कोई वास्तविक शाखा नहीं होती है। वे **बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं** जैसे कि बचत खाता, शीघ्र ऋण (instant loan), क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और सावधि जमाएं।
    - इसके लिए वे **ऐसे बैंकों से संबद्ध होते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से लाइसेंस प्राप्त होता है।**
    - उत्पादों के मामले में (जैसे कि धन प्रबंधन) नियो बैंक साधारणतया निवेश सलाहकार का लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। साधारणतः, वे **लघु वित्त बैंक या लघु अनुसूचित वाणिज्य बैंक से संबद्ध होते हैं।**
    - कुछ देशों, जैसे कि यू.के. में नियो बैंक के लिए औपचारिक नियामक लाइसेंस प्रदान किया जाता है, किंतु भारत में यह व्यवस्था नहीं है।
- यहां, **आर.बी.आई. के नियमों के अंतर्गत बैंकों की इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है।**
- व्यवसाय के मॉडल से लेकर ग्राहक-सेवा तक। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में नियो बैंक, पारंपरिक बैंक से अलग होते हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)

नियो बैंक के लाभ

- वे **व्यवसाय हेतु तकनीक** का प्रयोग करते हैं और मोबाइल फर्स्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इससे उनकी परिचालन लागत कम होती है तथा वे ग्राहक को एक सुविधाजनक इंटरफेस प्रदान करते हैं।
- लघु बैंकों से संबद्ध होने के कारण वे **बचत खातों पर उच्च ब्याज दर प्रस्तावित करते हैं।**
    - केवल एक नियो बैंक, कई नियमित बैंकों से संबद्ध हो सकता है।
- वे **व्यय का विश्लेषण करने और उसकी निगरानी करने में** सहायता करते हैं।
- वे निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके कई विकल्प और बेहतर ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराते हैं:
    - **नया खाता कुछ ही मिनट में** ऑनलाइन **खोला** जा सकता है।
    - **पहले से मौजूद खातों से संबद्ध किया जा सकता है।**
    - एकीकृत भुगतान गेटवे की सहायता से तुरंत भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।
    - **बिलों के भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं।**

4.5.3. खाता संग्राहक (ACCOUNT AGGREGATOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है।

खाता संग्राहक प्रणाली के बारे में

- भारत ने एक **डेटा साझाकरण प्रणाली** के रूप में **खाता संग्राहक प्रणाली** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश तथा ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।
- **खाता संग्राहक** एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा **किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित** किया जा सकता है। यह इस डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक **किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को सरलता से समझकर विश्लेषण** कर सके।
- वर्ष 2016 में, **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** के तहत RBI ने **"गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- खाता संग्राहक (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016"** जारी किए थे।
    - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम** की **धारा 45-I** के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के एक विशेष वर्ग के रूप में **खाता संग्राहक** को,
        - वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करना, तथा
        - उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है।

महत्व:

- फर्म्स को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता होगी। इससे, उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की सिफारिश करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- विश्व के **किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा-साझाकरण ढांचा विकसित नहीं** किया है, जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा एक बिलियन से अधिक लोगों को कवर करने के लिए स्थापित किया जा सकता है।

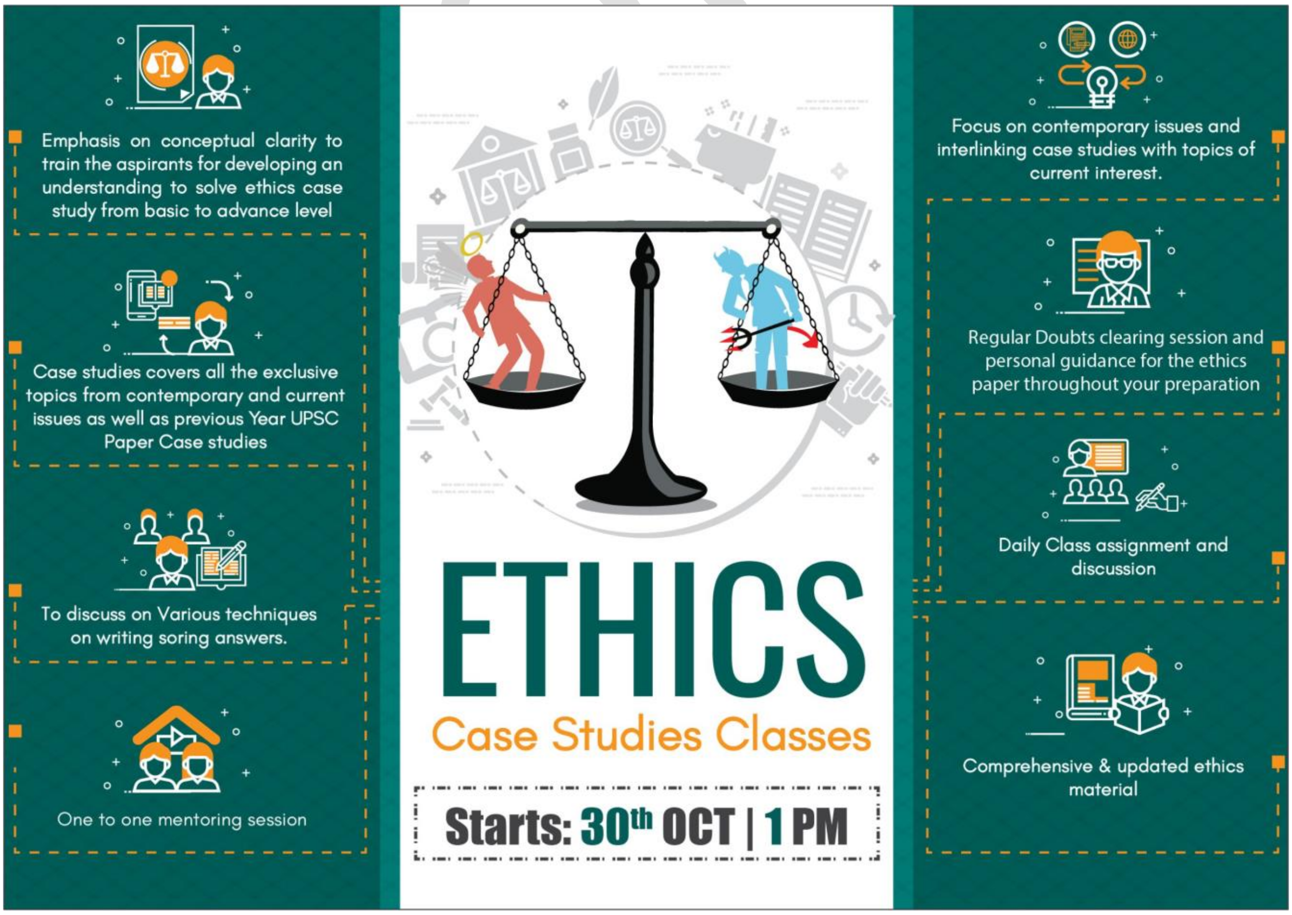

5. व्यापार एवं निवेश (TRADE AND INVESTMENT)

5.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (INTERNATIONAL TRADE)

5.1.1. भारत का निर्यात (INDIA'S EXPORTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के निर्यात क्षेत्रक में कई तरह की प्रगति देखने को मिली है।

भारत के कुल व्यापार का रुझान

- भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं दोनों) वर्ष 2019-20 में 526.6 बिलियन डॉलर था, जबकि यह वर्ष 2018-19 में 538.1 बिलियन डॉलर था।
    - निर्यात में यह गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार में जारी गिरावट (स्लोडाउन) के कारण हुई है। यह स्थिति कोविड-19 संकट के कारण और गंभीर हो गई। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला और मांग में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण बड़ी संख्या में आर्डरों को रद्द करना पड़ा।
- **वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी** वर्ष 1991 के 0.6% से बढ़कर **वर्ष 2018 में 1.7%** हो गई। यह चीन की 13% और अमेरिका की 9% हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है।
    - वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों की सूची में **भारत 18वें स्थान** पर था।
- GDP के प्रतिशत के रूप में **भारत का निर्यात अपनी GDP का लगभग 18 प्रतिशत है।**
- भारत के सेवा व्यापार की उच्च वृद्धि **निर्यात के लिए महत्वपूर्ण रही है।** भारत के पण्य/वस्तु व्यापार घाटे के लगभग 50% की वित्तीय भरपाई सेवा व्यापार के अधिशेष द्वारा की जाती है।

निर्यात में भारत के ख़राब प्रदर्शन के कारण

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVCs) में कम भागीदारी:** पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े निर्यातक राष्ट्रों की तुलना में भारत की GVCs में भागीदारी बहुत कम है।
- **भारत से निर्यातित वस्तुओं/सेवाओं में सीमित विविधता:** देश से निर्यात होने वाली कुल वस्तुओं में लगभग 78 प्रतिशत का योगदान शीर्ष 10 प्रमुख निर्यात होने वाली वस्तुओं का है।
- **भारतीय उत्पादों का कम प्रतिस्पर्धी होना:** कई घरेलू कारक भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार प्रतिस्पर्धा में बने रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं में कमजोर बुनियादी ढांचा, जटिल भूमि और श्रम कानून, खंडित और अनियमित लॉजिस्टिक क्षेत्र आदि शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** भारत के कुल निर्यात के 70 प्रतिशत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है। निर्यात को बढ़ावा देने के मामले में भारत को मुख्य तौर पर तीन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
    - निर्यात संवर्धन पार्क और हब विकसित करने में तटीय राज्यों ने देश के स्थलरुद्ध राज्यों (landlocked states) के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे **निर्यात संबंधी अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति बनी हुई है।**
    - **राज्यों में व्यापार संबंधी सहायता और विकास हेतु अकुशल नीतियों का होना एक और चुनौती है।** उत्तराखंड और तटीय राज्यों को छोड़कर निर्यातकों को उनकी गुणवत्ता या मात्रा में सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
    - **जटिल और विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास अवसंरचना का अभाव है।** यह स्थिति उप-राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की प्रवृत्तियों को बाधित कर रही है। उदाहरण के लिए, 'हिमालयी' राज्यों ने अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रित करने वाले संस्थानों की कमी की वजह से नवाचार के क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है।
- **भारत कम कुशल और श्रम प्रधान निर्यात में तुलनात्मक लाभ उठाने में विफल रहा है।** हाल के वर्षों में वस्त्र एवं परिधान और फ़ुटवियर के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कम हुई है। इस संदर्भ में, बांग्लादेश लगभग भारत के बराबर आ चुका है और वियतनाम, भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है।

भारत को निर्यात आधारित संवृद्धि की आवश्यकता क्यों है?

आर्थिक सर्वेक्षण (2019) में निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए निर्यात आधारित संवृद्धि मॉडल का समर्थन किया गया है:

- निर्यात की सहायता से भारत **'आत्मनिर्भर भारत'** पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

VISION IAS

- **आर्थिक संवृद्धि हेतु:** अधिक निर्यात होने से देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं और चालू खाता घाटे में भी कमी होती है। इसके अलावा, इससे मांग उत्पन्न होती है और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है।
    - विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़े निर्यातक देश भी हैं। यह तथ्य की पुष्टि चीन करता है, जो कि विश्व का अग्रणी निर्यातक देश है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने हेतु:** निर्यात से घरेलू विक्रेताओं की वैश्विक बाज़ार तक बेहतर पहुंच प्राप्त होती है। इससे निर्यातकों को वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी करने का सुनहरा अवसर मिलता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु:** राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करने से निर्यात आधारित संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर किया जा सकता है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जिन राज्यों का विश्व बाज़ार के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों से भी व्यापारिक संबंध हैं, वे अधिक समृद्ध हैं।

भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (Export Promotion Schemes)	• **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (RoDTEP) योजना:** इसके तहत निर्यात को सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त करने की सुविधा आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू करों को निर्यात में लागत के रूप जोड़ा जाए। इसलिए, सभी प्रकार के अदृश्य या छुपे हुए करों को रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऐसे करों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के परिवहन हेतु उपयोग होने वाले ईंधन पर केंद्र और राज्य सरकार के कर, विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर शुल्क, मंडी कर आदि शामिल हैं। • **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS):** अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता, शुद्ध अर्जित विदेशी मुद्रा के 5% की दर से मुक्त हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पात्र हैं।
शुल्क से छूट / माफ़ी योजना (Duty Exemption / Remission Schemes)	• **अग्रिम प्राधिकार योजना (Advance Authorisation Scheme: AAS):** यह योजना व्यापारियों को कच्चे माल को 0% आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति देती है। इसके लिए शर्त यह है कि उन कच्चे माल का उपयोग निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाएगा। • **शुल्क वापसी योजना {Duty Drawback (DBK) Scheme}:** इसके तहत निर्यातकों को निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर मुआवजा दिया जाता है।
पूंजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना {Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme}	• इसके तहत, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान की जाती है।
निर्यातोन्मुख इकाइयां (Export Oriented Units: EOUs)	• इसका लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना है। इसके तहत 100% निर्यातक कंपनियों को अनुकूल पारितंत्र प्रदान किया जाता है। यह योजना कर अनुपालन के एवज में कुछ छूट और रियायतें प्रदान करती है।
हाल ही में आरंभ की गई पहलें	• **इंडियाएक्सपोर्ट (IndiaXports) पहल:** इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 50% की वृद्धि करना है। इसके तहत एक इन्फ़ो पोर्टल होगा जो भारतीय MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यातों के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल पर निर्यात की संभावना, संभावित बाज़ार के साथ-साथ निर्यात के रुझान आदि के बारे में भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। • **निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (Export Credit Guarantee Corporation: ECGC) में पूंजी निवेश:** इस निगम का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देना था। • हाल ही में, नीति आयोग ने **निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI)** जारी किया है। इसमें प्रत्येक राज्य की निर्यात क्षमता और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में क्षेत्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गई है। • **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) को जारी रखना** और इसमें अगले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान **1,650 करोड़ रुपये का निवेश करना।** ○ **NEIA ट्रस्ट का गठन वर्ष 2006 किया गया था।** इसका उद्देश्य निर्यात करने वाली भारत की सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
अन्य	• **निर्यातकों के लिए GST रिफ़ंड की व्यवस्था।** • **परिवहन और विपणन सहायता योजना (TMA Scheme):** इसके तहत भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सरकार द्वारा माल ढुलाई लागत की एक निश्चित राशि वापस की जाएगी। • **बाजार पहुंच पहल (MAI) योजना** का उद्देश्य नए बाज़ारों में विपणन, बाजार अनुसंधान, प्रचार और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। • **ब्याज समानीकरण योजना (IES)** के तहत MSME क्षेत्र में सभी विनिर्माताओं को 5% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है और चिन्हित 416 टैरिफ़ लाइनों में सभी निर्यातकों को 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

	• **निर्विक (NIRVIK) योजना:** यह योजना भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) द्वारा शुरू की गई है। यह योजना उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए कम प्रीमियम और दावों के निपटान की एक सरल प्रक्रिया प्रदान करती है। • **व्यापार सुगमता हेतु पहलें:** ○ आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी का सरलीकरण। ○ इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE) ○ व्यापार सुगमता के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT/ स्विफ्ट) ○ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधाएं ○ जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) का बढ़ता उपयोग

कोविड काल के बाद के लिए आगे की राह

- **मेड इन इंडिया उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना:**
  - **व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना:** इसके तहत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए अवसंरचना का निर्माण करना, सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति करना, भूमि और श्रम बाज़ारों में सुधार करना और कंपनियों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए एक अनुकूल पारितंत्र की व्यवस्था करना आवश्यक है। **इससे भारत में आने वाले FDI में और अधिक वृद्धि होगी।**
  - **भारत के विनिर्माण आधार में सुधार करना:** इसे MSME की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि एवं सुधार करके और भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।
  - **व्यापार उदारीकरण:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, **निर्यात पर लगने वाले शुल्कों में कमी करने की आवश्यकता** है, जिनमें पिछले कुछ वर्षों काफी वृद्धि हुई है।
  - **अनुसंधान और विकास:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में अनुसंधान एवं विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, इससे उत्पादों में अत्यधिक नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है।
- **निर्यात के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और उसे मज़बूत करना:**
  - **भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं/सेवाओं में विविधता लाने की आवश्यकता है।** साथ ही, निर्यात योग्य नए उत्पादों की पहचान और ऐसी वस्तुओं के लिए प्रासंगिक बाजार और उसके लिए रणनीति तैयार करने की भी आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत से निर्यात होने वाली **टेक्सटाइल श्रेणी** में उससे संबंधित अन्य उत्पादों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसमें, कपास और कपास आधारित वस्त्र के अलावा **मानव-निर्मित फ़ाइबर और तकनीकी टेक्सटाइल** को शामिल किया जा सकता है।
  - **संभावित क्षेत्रकों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना:** विनिर्माण अवसंरचना में सुधार के लिए PLI योजना के तहत निर्धारित गए क्षेत्रों में SEZs स्थापित किए जा सकते हैं।
- **मज़बूत विदेश व्यापार नीति:** वर्तमान में निर्माण की जा रही विदेश व्यापार नीति में विदेशी व्यापार को बढ़वा देने के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है।
  - नई विदेश व्यापार नीति के तहत अफ्रीका जैसे बाज़ारों का पता लगाना चाहिए, जिनकी क्षमता का का पूर्ण दोहन नहीं किया गया है। इसके लिए ऐसे देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध को पुनः निर्धारित कर मजबूत करना चाहिए। साथ ही, लोगों के मध्य आपसी संपर्क को बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। निर्यातकों को क़ानूनी और कारोबारी माहौल को समझने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **देशों के साथ व्यापार संबंध को बढ़ाना:** एक्ट ईस्ट नीति को मज़बूत करने हेतु पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध को बढ़ाने और उसमें सुधार करने पर बल दिया जाना चाहिए। भारत को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए सार्थक बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
- **पड़ोसियों से सीखना:** बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक देश बन गया है, वहीं वियतनाम का निर्यात पिछले आठ वर्षों में लगभग 240% बढ़ा है।

VISION IAS

5.1.2. भारत और विश्व व्यापार संगठन (INDIA AND WTO)

भारत और विश्व व्यापार संगठन – एक नज़र में

भारत और विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठनः क्रमिक विकास और वैश्विक व्यापार में भूमिका

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को बनाता और लागू करता है। यह "जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड" (GATT) का परवर्ती है। विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के दौर से विकसित हुआ है।

- **उरुग्वे दौर (1986–1994)**: उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इसमें GATT, ट्रिप्स पर समझौता, विवादों के निपटारे को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ तथा व्यापार नीति समीक्षा तंत्र जैसे कई अन्य समझौतों को शामिल किया गया है।
- **दोहा विकास दौर (2001 – वर्तमान)**: इसे वर्ष 2001 में चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें कृषि, सेवा, व्यापार एवं पर्यावरण तथा भौगोलिक संकेतक आदि जैसे व्यापार के लगभग 20 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन वार्ताओं के प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार थेः
  - वर्ष 2008 में कृषि सब्सिडी, दवाओं के पेटेंट सहित अन्य मुद्दों के कारण वार्ता रुक गई थी।
  - बाली पैकेज तथा नैरोबी पैकेज जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है।

वैश्विक व्यापार में विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से तीन प्रमुख भूमिका निभाता हैः

- वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए एकल अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना।
- व्यापार भेदभाव से छोटे और कमजोर देशों के हितों की रक्षा करना।
- वैश्वीकृत विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक गढ़ के रूप में कार्य करना।

बातचीत में अनसुलझे मुद्दे और उन पर भारत का रुख

- **कृषि सब्सिडी का मुद्दाः** भारत ने खाद्य सुरक्षा, विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और सब्सिडी हेतु खराब आकलन पद्धति के आधार पर एक स्टैंड लिया है।
- **मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दाः** भारत का कहना है कि विकासशील देशों को वैश्विक प्रतिबद्धताओं से छूट दी जानी चाहिए।
- **श्रमिक गतिविधियांः** भारत पेशेवरों के स्वतंत्र आवागमन का पक्षधर है।
- **सस्ती दवाओं तक पहुंचः** भारत ने फार्मास्यूटिकल्स की वैश्विक पहुंच में सुधार के लिए **ट्रिप्स समझौते {बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)}** में संशोधन की मांग की है।
- **व्यापार के विरुद्ध गैर–प्रशुल्क बाधाएंः** भारत इनके युक्तिकरण और मानकीकरण की वकालत करता है।
- **गैर–व्यापार मुद्दों पर बातचीतः** भारत का तर्क है कि उन्हें बातचीत के मंच से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **निवेश सुविधाः** भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को ट्रिम्स समझौते {व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौते (TRIMS)} के अनुप्रयोग में लचीलापन दिया जाना चाहिए।
- **ई–कॉमर्सः** भारत का कहना है कि ई–कॉमर्स वार्ता को वर्ष 1998 के विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल व्यापार एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए।

इस भूमिका में विश्व व्यापार संगठन की सफलताएं

विश्व स्तर परः

- उत्पाद और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का व्यापक कवरेज।
- वैश्विक व्यापार में तेजी से वृद्धि में योगदान।
- देशों के लिए घरेलू सुधारों के प्रवर्तक के रूप में कार्य किया।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं ;ळटब्द्ध के विकास के माध्यम से आर्थिक दक्षता में वृद्धि में योगदान दिया।

भारत के लिएः

- एक दशक से भी कम समय में भारत का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है।
- व्यापार के उदारीकरण के कारण सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है।
- श्रम प्रधान क्षेत्रों के विकास के कारण रोजगार सृजन।
- आर्थिक संवृद्धि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन।

वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के भविष्य को प्रभावित करने वाले कारक

- चर्चा के नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं, जैसे– ई–कॉमर्स।
- वर्ष 1995 से विकासशील देशों में होने वाली संवृद्धि से वैश्विक आर्थिक वितरण में परिवर्तन।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उभरता व्यापार युद्ध।
- WTO अपीलीय निकाय हाल के दिनों में निष्क्रिय हो गया है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे द्विपक्षीय/क्षेत्रीय/बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं की ओर बढ़ना।
- कोविड–19 के प्रभाव ने कुछ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थायी रूप से बाधित कर दिया है।
- देशों के बीच विपरीत वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों के कारण वैश्वीकरण के घटने का खतरा।

भारत द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

- **राष्ट्रीय लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संस्थागत रूप से जोड़नाः** इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच चयन करने के निरंतर द्वंद्व को हल करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **आत्मनिर्भरता और तुलनात्मक लाभ के बीच संतुलनः** आत्मनिर्भर भारत के साथ श्रम गहन क्षेत्रों जैसे तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- बदले हुए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बेहतर परिवर्तन के लिए भू–राजनीतिक पूंजी का निर्माण करना।
- ई–कॉमर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाना।
- वैश्विक व्यापार में गैर–भेदभाव और समानता की रक्षा के लिए व्यापारिक ब्लॉकों जैसे अन्य उपायों पर विश्व व्यापार संगठन में सुधार को प्राथमिकता देना।
- अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वैश्विक व्यापार में संलग्न होने के साथ–साथ घरेलू सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही, अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलना।

5.1.3. कृषि पर समझौता (AGREEMENT ON AGRICULTURE: AOA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि **विश्व व्यापार संगठन** (WTO) का **"कृषि पर समझौता (AoA)** विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है।

कृषि पर समझौते (AoA) के बारे में

- इसका लक्ष्य कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कम विकृत (distorted) बाजार का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए यह **कृषि उत्पादों के व्यापार और घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।**
- **इस समझौते में निम्नलिखित शामिल है:**
    - **बाजार तक पहुंच:** कृषि वस्तुओं के व्यापार में विद्यमान प्रतिबंधों को समाप्त कर आयात पर कर या शुल्क का उपयोग करना।
    - **घरेलू समर्थन:** सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित और व्यापार को विकृत करते हैं।
    - **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** निर्यात संबंधी सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धा रहित बनाते हैं।
- इस समझौते के तहत WTO के सदस्य "कृषि वस्तुओं की एक सूची" पर सहमत हुए हैं और उन्होंने कुछ प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इससे कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ (प्रशुल्क) की सीमा निर्धारित की गयी है और साथ ही घरेलू समर्थन एवं निर्यात संबंधी सब्सिडी के स्तर को भी निर्धारित या सीमित किया गया है।
- AoA के अस्तित्व में आने के बाद भी कृषि व्यापार संबंधी सुधार की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। इसलिए WTO के सदस्य लगातार कृषि व्यापार सुधार पर समझौता वार्ता करते रहते हैं।

AoA के संबंध में भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा उठाए गए मुद्दे

मुद्दे	चिंताएं	इन मुद्दों के समाधान हेतु भारत के प्रस्ताव
खाद्य सुरक्षा का स्थायी और व्यावहारिक समाधान	• भारत इस बात पर जोर देता है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के विवाद के स्थायी समाधान के लिए सहमत हों। • विकासशील देश इस बात पर बल देते हैं कि **उन्हें किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।** इसके लिए विकासशील देशों का तर्क है कि सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अति महत्वपूर्ण है। • भारत, **बाली सम्मेलन के पीस क्लॉज से संतुष्ट नहीं है।** इसके तहत भारत को केवल अगले चार वर्षों (2017 तक) के लिए WTO के कानूनी प्रतिबंध से छूट मिली थी। अर्थात् यदि भारत के MSP कार्यक्रम के कारण सब्सिडी की सीमा 10% से आगे निकल जाती है तो 2017 तक WTO के अन्य देश भारत पर कोई कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं करवा सकते थे। • इसके अलावा। नैरोबी और ब्यूनस आयर्स में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी, सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया था।	• खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जहाँ ओर आर्थिक रूप से प्रासंगिक है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक चिंता का विषय भी है। इस विषय का समाधान कृषि संबंधी समझौता वार्ताओं जल्द से जल्द होना चाहिए। • **गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और कृषि के विविधीकरण** के लिए विकासशील देशों द्वारा किए गए सभी उपायों को छूट प्रदान की जानी चाहिए। • **कृषि उत्पादों की सूची को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।** इसलिए इसमें प्राथमिक कृषि वस्तुओं जैसे कि रबर, प्राथमिक वन उत्पाद, जूट, नारियल-जटा, आदि को शामिल करना आवश्यक है।
विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च कृषि सब्सिडी	• WTO के नियम (जैसे- ग्रीन बॉक्स) विकसित देशों को इस तरह की उच्च सब्सिडी के बाद भी बचाते हैं। विकासशील देशों के अनुसार, ये सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों को अस्थिर और कम करती हैं, जो विकासशील देशों में कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। • वर्ष 2015 में, **अमेरिकी सरकार ने अपने प्रत्येक किसान को औसतन 7,860 डॉलर की सब्सिडी प्रदान की।** इसके विपरीत वर्ष 2014 में, भारत सरकार ने 9.05 करोड़ किसानों को औसतन 417 डॉलर की सब्सिडी प्रदान की।	• विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात ऋण, निर्यात गारंटी, मूल्यों में छूट और बीमा कार्यक्रम सहित **निर्यात में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को निर्यात सब्सिडी में शामिल किया जाना चाहिए।**
बाजार तक पहुंच	• मुख्य रूप से विकासशील देशों द्वारा ही अपने बाजारों को खोला गया है। • **विकसित देशों के बाजारों में** विकासशील देशों के उत्पादों की पहुंच निरंतर **बाधित होती रही है।** इसका कारण विकसित देशों की उच्च घरेलू समर्थन वाली नीतियां और उच्च शुल्क दर हैं जो बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। • विकसित देशों द्वारा **स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपायों** तथा **व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (TBT)** का उपयोग चुनिंदा रूप से विकासशील देशों से होने वाले आयात	• WTO के विकसित सदस्य देशों को **संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए** विकासशील देशों के विरुद्ध व्यापार संबंधी अत्यधिक कठोर प्रतिबंधों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। • WTO के विकासशील सदस्य देशों को **बाजार पहुंच** प्रदान करने से संबंधित किसी भी कानूनी बाध्यता से छूट प्रदान करनी चाहिए।

	को रोकने के लिए जाता है। इस संबंध में विकसित देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों की तुलना में अधिक उच्च स्तर के मानकों को लागू किया जाता है।	• WTO के विकासशील सदस्य देशों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित उच्च नकारात्मक प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए **शुल्क या टैरिफ के उचित स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।**

5.1.4. भारत एवं मुक्त व्यापार समझौते {INDIA AND FREE TRADE AGREEMENTS (FTAS)}

भारत एवं मुक्त व्यापार समझौते (FTAs): एक नज़र में

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- **परिभाषा:** यह दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है, जहाँ देश या व्यापारिक समूह मुख्य रूप से उनके बीच स्थायी व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर–प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।
- **भारत के प्रमुख FTAs:** भारत–आसियान वस्तु व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (**SAFTA**), भारत – दक्षिण कोरिया **CEPA**, जापान – भारत **CEPA** आदि।
- **FTAs का महत्व:**
  - वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके एक अधिक सक्रिय व्यावसायिक माहौल निर्मित करता है।
  - वैश्विक एकाधिकार का उन्मूलन करता है।
  - यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए FTAs का महत्व

- भारतीय बाजार का वास्तविक आकार, घरेलू मांग आधारित आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है और **निर्यात भारत की संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।**
- कोविड–काल के बाद विश्व, भारत के लिए विभिन्न अवसर प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक परिवर्तन भारत से व्यापार योग्य सेवाओं की मांग को बढ़ा सकते हैं। भारत बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से छोटा है, भले ही वस्तुओं का समग्र वैश्विक आयात, धीरे–धीरे बढ़ रहा है। भारत में अकुशल श्रम आधारित निर्यात में वृद्धि करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (**GVC**) से जोड़ते हैं।

FTAs से जुड़े भारत के अनुभव

- भारत द्वारा **भागीदार देशों को किए जाने वाले निर्यात में समग्र वृद्धि** हुई है।
- दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (**SAFTA**) में शामिल देशों के साथ व्यापार अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ **SAFTA** से लाभ प्राप्त हुआ है।
- मुक्त व्यापार समझौते के बाद **आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ व्यापार घाटे में पर्याप्त वृद्धि** दर्ज की गई है।
- मुक्त व्यापार समझौते का कम उपयोग और मूल्य वर्धित क्षेत्रों में सीमित निर्यात वृद्धि।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (**RCEP**) के सदस्यों के साथ व्यापार असंतुलन जैसे कारणों से भारत, **RCEP** वार्ता से हट गया था। इसके अतिरिक्त भू–राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी पहलू, आयात वृद्धि के विरुद्ध अपर्याप्त सुरक्षा, स्थानीय उद्योगों की आशंकाएँ आदि मुद्दे भी हैं।

FTAs भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य क्यों नहीं कर रहे?

- विषम और प्रतिकूल प्रशुल्क प्रतिबद्धता।
- साझेदार देशों में गैर–प्रशुल्क बाधाएं जैसे कि आयात नियंत्रण, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय आदि।
- **FTA मार्गों के माध्यम से व्यवसाय में सुगमता का अभाव:** उत्पत्ति के मानदंड संबंधी जटिल नियम, उच्च अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब आदि कारकों के कारण।
- सेवा घटक का अभाव।
- निर्यात वृद्धि को बाधित करने वाले घरेलू कारक जैसे कि उच्च रसद लागत, आपूर्ति पक्ष की बाधाएं जैसे ऊर्जा की कमी आदि
- उत्पत्ति के नियमों की मिथ्या धारणा।
- भारत के संरक्षणवादी होने की वैश्विक धारणा।
- स्पेगेटी बाउल प्रभाव (विसंगतियां पैदा करने वाले देशों के बीच अतिव्यापी **FTAs**)।
- वार्ता की धीमी गति।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- **उत्पत्ति के नियम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** अधिसूचित सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020
- **द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) का संशोधन:** वर्ष 2015 में, भारत ने अपने सभी मौजूदा **BITs** की समीक्षा करने का निर्णय लिया और वर्ष 2016 में एक मॉडल **BIT** जारी किया।
- **मौजूदा FTAs की समीक्षा करना: वर्ष 2019 में भारत और आसियान** ने आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया।

FTAs को सुदृढ़ करने हेतु सुझाया गया दृष्टिकोण

- मौजूदा/भविष्य के **FTAs** के भीतर मजबूत सुरक्षा खंड शामिल करना।
- **अर्ली हार्वेस्ट योजना/कार्यक्रम (EHS)** का उपयोग करके विश्वास निर्माण उपायों में भाग लेना।
- भविष्य की **FTA**-वार्ता रणनीति/प्रशुल्क संरचना को आत्मनिर्भर भारत रणनीति के साथ संरेखित करना।
- अपने भू–राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाकर **कोविड–काल के बाद की विश्व व्यवस्था में नए संबंध** बनाना।
- उन भागीदारों का चयन करना, जहां व्यापार अधिशेष और मार्जिन अधिक है।
- जागरूकता का प्रसार सुनिश्चित करके **FTA** रूट्स के माध्यम से व्यापार को आसान बनाना, अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब आदि को कम करना।

5.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (INTERNATIONAL INVESTMENT)

मुख्य लक्ष्य

- निवेश की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए ढांचा तैयार करना।
- व्यापार करने की सुगमता (EoDB) में सुधार करके और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को उदार बनाकर FDI में वृद्धि करना।
- संपूर्ण निवेश चक्र के दौरान निवेशकों को क्षेत्रक विशिष्ट एवं राज्य विशिष्ट इनपुट तथा अन्य सहायता प्रदान करना।
- विशेष रूप से रणनीतिक एवं संस्थागत निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में संलग्न होना।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में FDI में 10% की वृद्धि देखी गई है।
- भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है।
- कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर' शीर्ष क्षेत्रक के रूप में उभरा है।
- निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, रबर के सामान, खुदरा व्यापार, दवाओं एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा विद्युत उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 100% से अधिक उछाल दर्ज किया गया है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- बीमा, पॉवर एक्सचेंज आदि जैसे क्षेत्रों में FDI का उदारीकरण।
- इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधा।
- मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- विशिष्ट साझेदारियां जैसे भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 'उन्नत व्यापार साझेदारी' के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।
- निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDC) का सृजन।

निवेश – एक नज़र में

आगे की राह

- वन–स्टॉप केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से **नियामक मुद्दों को व्यवस्थित करना।**
- दीर्घ अवधि में व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए **अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार।**
- निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिए **नीतिगत स्थिरता और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता।**

बाधाएं

- यद्यपि, निवेश बढ़ रहा है परंतु **वर्ष 2020 में भारत में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश में 19% गिरावट** देखा गया।
- **खराब व्यापार करने की सुगमता** दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करती है।
- नियामक जटिलता और प्रतिबंधात्मक वयापारिक माहौल।
- जनसंख्या के एक बड़े भाग द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के कारण **सूचना विषमता** उत्पन्न होती है।

5.3. बौद्धिक संपदा अधिकार (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: IPRS)

मुख्य लक्ष्य

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना** जिससे इसकी पहुंच और प्रचार–प्रसार अधिक हो सके।
- IPR के **सृजन को प्रोत्साहित करना।**
- **सुदृढ़ और प्रभावी IPR कानूनों को बनाना,** जो अधिकार रखने वाले स्वामियों के हितों को व्यापक जनहित के साथ संतुलित करते हों।
- सेवा उन्मुख **IPR प्रशासन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना। व्यवसायीकरण के माध्यम से IPRs को मूल्यवान बनाना।**
- IPR उल्लंघनों का सामना करने के लिए **प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन तंत्र को सुदृढ़ करना।**
- IPRs में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं कौशल निर्माण के लिए **मानव संसाधन, संस्थानों और क्षमताओं को सुदृढ़ तथा विस्तारित करना।**

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2015–16 से वर्ष 2020–21 तक दायर पेटेंट की संख्या में **4 गुना से अधिक वृद्धि** देखी गई है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016**
- कई IP **प्रशिक्षण, जागरूकता और पहुंच का विस्तार करने वाली गतिविधियां।**
- संभावित IP उपयोगकर्ताओं के लिए IP पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी / सेमिनार / कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- भारत **अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण का मान्यता प्राप्त सदस्य** बन गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार – एक नज़र में

आगे की राह

- बेहतर प्रवर्तन हेतु IPR व्यवस्था की **संस्थागत और ढांचागत सरंचना को मजबूत करना।**
- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) जैसी पहलों के माध्यम से **जनजातीय क्षेत्रों और आतंरिक इलाकों में IPR जागरूकता** को प्रोत्साहित करना।
- घरेलू आवश्यकताओं और **ट्रिप्स** अनुपालन को संतुलित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से **वैश्विक स्तर पर नियमित जुड़ाव।**
- **शैक्षिक पाठ्यक्रम में नवाचारों के वातावरण को प्रोत्साहन** देना।

बाधाएं

- **कॉपीराइट अधिनियम का प्रवर्तन कमजोर है,** और कॉपीराइट सामग्री की चोरी व्यापक रूप से होती है।
- **दूरदराज के इलाकों में IPR का आधार नहीं है,** जबकि ऐसे क्षेत्रों को आविष्कारों का प्रमुख स्थल माना जाता है।
- **ट्रिप्स का लचीलापन और उसका अनुप्रयोग** जैसे पेटेंट की एवरग्रीनिंग, अनिवार्य लाइसेंसिंग और डेटा एक्सक्लूसिविटी के मुद्दे।
- वर्तमान शासन के अंतर्गत **पेटेंट का सरकारी उपयोग** अभी भी अस्पष्ट है।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

5.3.1. कॉपीराइट या प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 {COPYRIGHT (AMENDMENT) RULES, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 {Copyright (Amendment) Rules, 2021}** को अधिसूचित किया।

भारत में कॉपीराइट व्यवस्था/विधान

- भारत में कॉपीराइट व्यवस्था **प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957** और **प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013** द्वारा नियंत्रित होती है।
    - प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 में अंतिम बार **प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2016** के माध्यम से वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था।
- **भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है:**
    - **बर्न कन्वेंशन, 1886:** यह साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारतीय कॉपीराइट कानून भारत में प्रकाशित या प्रदर्शित किसी भी चीज पर लागू होता है, चाहे वह मूल रूप से कहीं भी सृजित हुआ हो।
    - **सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन (Universal Copyright Convention: UCC):** यह कन्वेंशन मूल साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। UCC के प्रावधानों के अंतर्गत, पक्षकार देशों को रचना के मूल स्वामी को 'न्यूनतम अधिकारों' का एक सेट (समुच्चय) प्रदान करना पड़ता है।
    - **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (Trade related aspects of Intellectual Property Rightsl: TRIPS):** वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation: WTO) के तत्वावधान में ट्रिप्स (TRIPS) संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रिप्स समझौते के प्रावधान प्रकृति में सर्वाधिक व्यापक और कठोर हैं क्योंकि ये कॉपीराइट और अन्य संबंधित अधिकारों सहित सामूहिक रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPRs) के सभी रूपों की रक्षा करते हैं।
    - **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO) कॉपीराइट संधि, 2002 या WIPO कॉपीराइट संधि, 2002:** यह दो प्रकार के लाभार्थियों के अधिकारों से संबंधित है,
        - इसमें डिजिटल परिवेश के संदर्भ में 'मांग पर' (on-demand) और पहुंच के अन्य अन्योन्यक्रियात्मक तरीकों का समाधान करने के लिए कॉपीराइट के संरक्षण का विस्तार (डिजिटल परिवेश पर) करने का प्रावधान निहित है।
        - **WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT), 2002:** यह विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में दो प्रकार के लाभार्थियों, यथा- **कलाकारों** (अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि) और **फोनोग्राम के निर्माताओं** (साउंड रिकॉर्डिंग) के अधिकारों से संबंधित है। **{फोनोग्राम (Phonograms)-** किसी शब्द, शब्दांश, या स्वर (साउंड) को दर्शाने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक संकेताक्षर (character) या प्रतीक (symbol)}
- **भारत रोम कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।**
    - रोम कन्वेंशन **कलाकारों को उनके प्रदर्शन के लिए, फोनोग्राम के निर्माताओं को उनके फोनोग्राम के लिए और प्रसारण संगठनों को उनके प्रसारण** के लिए संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
        - WIPO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization: ILO) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO/यूनेस्को) के साथ संयुक्त रूप से इस कन्वेंशन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

इस संदर्भ में, **प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021** के माध्यम से किए गए संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा कानूनों/विधानों के साथ इन नियमों का तालमेल सुनिश्चित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य कॉपीराइट कार्यालय में संचार तथा कामकाज के प्राथमिक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सुचारू अंगीकरण को संभव बनाना है।

नए संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- **सरकारी राजपत्र में प्रकाशन:** इसमें एक नए प्रावधान को शामिल कर सरकारी राजपत्र में कॉपीराइट के प्रकाशन की **अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त** कर दिया गया है।
- **रॉयल्टी प्रबंधन:** नए संशोधन के माध्यम से रॉयल्टी के भुगतान में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर **अवितरित रॉयल्टी की राशि से निपटने का प्रयास किया गया है।** साथ ही, रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रेसेबल (अर्थात् पता लगाने योग्य) भुगतान विधियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

VISIONIAS

- **सॉफ्टवेयर रचनाओं का पंजीकरण (Registration of software works):** सॉफ्टवेयर रचनाओं के पंजीकरण के लिए **अनुपालन आवश्यकताओं को कम** कर दिया गया है और आवेदक किसी अवरुद्ध या संपादित भाग के बिना स्रोत कोड के प्रथम 10 और अंतिम 10 पृष्ठों, या 20 पृष्ठों से कम होने पर पूरा स्रोत कोड दाखिल कर सकता है।
- **वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट:** कॉपीराइट सोसायटियों को **प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करना और सार्वजनिक करना होगा।** इसका उद्देश्य कॉपीराइट सोसायटियों के कामकाज में पारदर्शिता को मजबूत करना है।
- **संस्थागत तंत्र:** नवीन संशोधनों के माध्यम से कॉपीराइट नियमों का, **वित्त अधिनियम, 2017** के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है। ज्ञातव्य है कि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत **कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड के साथ विलय** कर दिया गया था।
- **उच्च न्यायालयों को शक्तियां:** नए नियमों के तहत **कॉपीराइट बोर्ड** से **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board: IPAB)** के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था। लेकिन, हाल ही में अधिसूचित **अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 {Tribunals Reforms (Rationalization and Conditions of Service) Ordinance, 2021}** के माध्यम से IPAB को समाप्त कर दिया है, तथा इसकी सभी शक्तियों को संबंधित उच्च न्यायालयों को सौंप दिया गया है।

डिजिटल क्षेत्र में कॉपीराइट नियमों को लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **पायरेसी (चोरी):** यह **ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन** का एक रूप है, जिसमें मूल रचनाकार की जानकारी या अनुमति के बिना गेम, फिल्में, सॉफ्टवेयर आदि बेचे और वितरित किए जाते हैं।
- **डिजिटल क्षेत्र में रचना का पुनरूत्पादन करना:** इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही सरलता से और शून्य लागत पर कॉपीराइट रचनाओं का पुनरूत्पादन और प्रसारण किया जाता है जो मूल रचनाकारों के समक्ष बड़ी चुनौती पेश करती है।
- **सार्वजनिक बनाम निजी उपयोग: वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम** ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विशेष सामग्री के पुनरूत्पादन के बीच अंतर प्रदान किया था, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कई लोगों को सामग्री का हस्तांतरण कर सकता है, इसलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संबंध में कॉपीराइट कानूनों का प्रवर्तन करना मुश्किल हो गया है।
- **दायित्व निर्धारित करने का मुद्दा:** इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में प्रमुख मुद्दा दायित्व से जुड़ा है, क्योंकि अपराधी को दंडित करने से पहले यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि दोषी कौन है या ऐसे अपराध में कौन-कौन शामिल है। हालाँकि, इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित एक मुद्दे में कई लोगों की भागीदारी हो सकती है।
  - **उदाहरण के लिए केरल में वर्ष 2012 में,** एंटी-पायरेसी सेल को लगभग एक हजार लोगों के आई.पी. एड्रेस का पता लगा जो फिल्मों की अवैध अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में शामिल थे।
- **विधायी सामंजस्य की कमी:** इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में **राज्यों के IPR कानूनों** के बीच सामंजस्य की कमी है। विभिन्न राज्यों में डिजिटल चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में अलग-अलग घरेलू कानून हैं जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बहुत समस्या ग्रस्त बनाते हैं।

आगे की राह

- **कानूनी दृष्टिकोण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉपीराइट व्यवस्था अपना मूल कार्य यानी **रचनाकारों की सुरक्षा (protection of creators)** और **रचनात्मकता (creativity)** को प्रोत्साहित करना जारी रखे, कुछ प्रथाओं को विधिमान्य बनाकर नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- **राज्य कानूनों के मध्य सामंजस्य:** चूँकि विभिन्न राज्यों में कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में कानूनों में अंतर विद्यमान है, जिससे त्वरित कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में घरेलू साइबर कानूनों में **एकरूपता लाना** जरूरी है।
- **दायित्व का निर्धारण:** ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ न्यायालयों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में वास्तव में कौन उत्तरदायी है। इसलिए, स्पष्ट नियम होना महत्वपूर्ण है जो ऐसे मामलों में दायित्व अभिनिर्धारित करे, जिसमें कई देश शामिल हैं।
- **मानव संसाधन क्षमता:** अच्छी तरह से कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की अत्यंत आवश्यकता है जो कॉपीराइट उल्लंघन का पता लगा सकें और इसे रोकने के साथ-साथ विधिक संरक्षण लागू कर सकें।

5.3.2. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (COVID-19 VACCINE AND IP WAIVER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोविड-19 के टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (Intellectual Property: IP) संरक्षण का अधित्याग करने हेतु समर्थन की घोषणा की गई है।

बौद्धिक संपदा अधित्याग की मांग को संचालित करने वाले कारक

- **अभूतपूर्व मांग को पूरा करना:** वैश्विक महामारी से पहले, सभी टीकों की वैश्विक मांग प्रति वर्ष लगभग 5.5 अरब खुराक थी। वर्तमान में अकेले कोविड-19 के लिए टीकों की आवश्यकता इस संख्या का कम से कम तीन गुना बढ़ गई है।
- **संसाधनों का संकेंद्रण:** इससे संबंधित मुख्य समस्या यह है कि टीका विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास **उच्च और मध्यम आय वाले देशों के एक छोटे समूह** में अत्यधिक संकेंद्रित है।
- **नैतिक परिप्रेक्ष्य:** पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा टीका उत्पादन को सीमित किया जा रहा है, अतः इनका अधित्याग किया जाना चाहिए। इसलिए मानवीय, नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सभी देशों को एकजुट होकर संपूर्ण विश्व में इन टीकों की निष्पक्ष तथा त्वरित पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसा कि राजनीतिक और स्वास्थ्य नेताओं द्वारा अक्सर इस बात पर बल दिया जाता हैं कि जब तक हम सभी सुरक्षित न होंगे, तब तक कोई भी सुरक्षित न होगा।

बौद्धिक संपदा अधित्याग के विरोध में कारक

- **बौद्धिक संपदा, टीकों की उपलब्धता के समक्ष मुख्य बाधा नहीं है:** वर्तमान में तकनीकी और लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं टीका उत्पादन और उसके प्रसार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वर्तमान में टीकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए इन बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना बेहतर होगा।
- **उत्पादन क्षमता का विस्तार तत्काल नहीं हो सकता:** विनिर्माण प्रक्रिया को एक सुविधा से दूसरी सुविधा में स्थानांतरित करने में हमेशा महत्त्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नए स्थल पर कर्मचारियों को उत्पादन और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन के प्रत्येक पहलू में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नैदानिक, विधिक, वाणिज्यिक और विनियामक संबंधी पहलुओं में भी कौशल की आवश्यकता होती है।
- **बौद्धिक संपदा अधित्याग का विकल्प पहले से ही उपलब्ध है:** इसके तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के विकल्प पर ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही, पहले से ही प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो रहा है। विभिन्न कोविड-19 टीका विनिर्माता द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उप-ठेकेदारों को अपनी तकनीक का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका टीके का लाइसेंस प्रदान करना** है।
- **वर्तमान आपात स्थिति से निपटने के लिए बौद्धिक संपदा उपयोगी है:** वर्तमान आपात स्थिति को देखते हुए, पहले जो कंपनियां परस्पर प्रतिस्पर्धी थीं अब टीके का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। इस आपात की स्थिति में, IP परस्पर सहयोग को सुविधा प्रदान कर सकता है; यह स्पष्ट करता है कि कौन-सा संगठन किस तकनीक का स्वामी है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियों को परस्पर सहयोग के दौरान अपने विचार/ज्ञान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह

- **कच्चे माल की आपूर्ति:** टीकों का उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा इन टीकों को बनाने और उसके प्रसार के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति है। बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि हम अभी विकास की प्रक्रिया से गुज़र रहे टीकों के परीक्षण और अनुमोदन में देरी न करें।
- **क्षमता निर्माण करना:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सफल बनाने के लिए, देशों के पास विशिष्ट सुविधाएं और टीके बनाने में सक्षम कुशल कार्यबल होना चाहिए। उत्पादित किए गए टीकों की सुरक्षा का ऑडिट करने और उन्हें अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ विनियामकीय प्राधिकरणों की भी आवश्यकता है।
    - विश्व भर में संबंधित कौशलों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने से दीर्घावधि में टीकों का विनिर्माण करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यह, बौद्धिक संपदा अधिकारों का अधित्याग करने की तुलना में एक अधिक सफल तरीका हो सकता है।
- **अन्य मुद्दों का समाधान करना:** उदाहरण के लिए, मूल्य निर्धारण और साथ ही आवंटन और प्रसार व्यवस्था, जैसे कि कोवैक्स (COVID-19 Vaccines Global Access: COVAX), को समतापूर्ण टीका प्रसार को संभव बनने हेतु अनुकूलित किया जाना चाहिए।
    - कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (COVAX) वस्तुतः **गावी (वैक्सीन अलायंस), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा निर्देशित एक विश्वव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
    - COVAX वस्तुतः **एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (ACT) एक्सेलेरेटर** तक पहुंच के तीन स्तंभों में से एक है, जिसे इस वैश्विक महामारी की अनुक्रिया में WHO, यूरोपीय आयोग और फ्रांस द्वारा आरंभ किया गया था।

VISIONIAS

6. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES)

6.1. कृषि इनपुट या आगत प्रबंधन (AGRICULTURAL INPUT MANAGEMENT)

मुख्य लक्ष्य

- उपज से समझौता किए बिना **मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखना।**
- **गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री** को प्रत्येक किसान को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- भूमि, जल और श्रम जैसी आगतों की **संसाधन दक्षता का अनुकूलन करना।**
- **उर्वरकों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग** को प्रोत्साहित करना तथा इसे सक्षम करने के लिए एक जीवंत उद्योग बनाना।
- **अधिक मशीनीकृत और आधुनिक कृषि तकनीकों** की ओर संक्रमण करना।

वर्तमान स्थिति

- अब तक **20 लाख** से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत **4.29 लाख बीज ग्रामों** का निर्माण किया गया है।
- भारत में उत्पादन की दृष्टि से विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक** उद्योग है।
- भारत विश्व में खपत के मामले में **दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक** उद्योग है।
- भारत में **40%-45% कृषि** वर्तमान में यंत्रीकृत है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- बीज ग्राम कार्यक्रम
- हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना के तहत पौध संरक्षण और पादप संगरोध पर उप–मिशन (SMPPQ)
- **उर्वरक सब्सिडी** – पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)
- कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (SMAM)

कृषि इनपुट या आगत – एक नज़र में

आगे की राह

- **कृषि–जलवायु अनुकूल फसलों** के विकास को प्रोत्साहित करना।
- **गतिशील बीज विकास योजनाएं,** जो फसलवार क्षेत्र (प्रत्येक मौसम हेतु पृथक), उपयोग की गई प्रति हेक्टेयर बीज दर, वांछित/लक्षित बीज प्रतिस्थापन दर और फसलवार बीज आवश्यकता पर आधारित हो सकती हैं।
- मृदा के स्वास्थ्य के साथ संयोजन हेतु **दक्षता के साथ उर्वरक का उपयोग।**
- **बीजों, उर्वरक और कीटनाशक की गुणवत्ता में अनुवर्ती सुधार** हेतु अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- **किसानों के लिए कुशल सूचना प्रसारण।**
- **भूमि डिजिटलीकरण कार्यक्रम** हेतु सामुदायिक स्तर पर भागीदारी।
- **लघु और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण पट्टे पर देकर** कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना।

बाधाएं

- कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों के अति प्रयोग और अधिक सिंचाई जैसी गैर–अनुत्तरदायी कृषि पद्धतियों के कारण **मृदा की गुणवत्ता में गिरावट** आई है।
- **गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री की उपलब्धता और वहनीयता एक मुद्दा** बना हुआ है।
- **उर्वरकों का अकुशल उपयोग होना,** उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता।
- **भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण** के लिए सामुदायिक स्तर पर **अनिच्छा** का होना।
- पर्याप्त पूंजी के अभाव के परिणामस्वरूप **खराब गुणवत्ता वाली आगत और अल्प कृषि मशीनीकरण** का होना।

6.1.1. भारत में पीड़कनाशी का उपयोग (PESTICIDE USAGE IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में **पीड़कनाशी प्रदूषण** के कारण वैश्विक कृषि भूमि के लगभग 64% (लगभग 24.5 मिलियन वर्ग कि.मी.) हिस्सा के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की गई है। **पीड़कनाशी** में एक से अधिक सक्रिय संघटकों (active ingredient) की मौजूदगी के कारण यह संभावना व्यक्त की गयी है।

भारत में पीड़कनाशी का उपयोग

- **पीड़कनाशी** एक प्रकार के **रासायनिक यौगिक** होते हैं जो कीटों, कृन्तकों, कवक और अवांछित पादपों (खरपतवार) का सफाया करने में मदद करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कीटनाशक, कवकनाशी और शाकनाशी शामिल हैं।
- भारत **विश्व में चौथा सबसे बड़ा पीड़कनाशी उत्पादक** देश है, जिसके बाजार हिस्सेदारी में कीटनाशकों की भागीदारी सर्वाधिक है।
- **पीड़कनाशी की कुल खपत महाराष्ट्र में सबसे अधिक** है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्थान है।
- दूसरी ओर, **पंजाब में प्रति हेक्टेयर पीड़कनाशी की खपत सर्वाधिक** है।
- फसल पैटर्न के अंतर्गत, **धान की फसल में इसके खपत की हिस्सेदारी (26-28%) सर्वाधिक है, इसके बाद कपास (18-20%)** का स्थान है।
- भारत में पीड़कनाशी के उपयोग को **कीटनाशक अधिनियम, 1968** और **कीटनाशक नियम, 1971** के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
- मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम करने की दृष्टि से कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत **कीटनाशकों के उपयोग, निर्माण, वितरण, बिक्री और परिवहन को नियंत्रित किया गया है।**

भारत में पीड़कनाशी के उपयोग से जुड़ी चिंताएं

- **बढ़ता उपयोग:** गर्म होती जा रही जलवायु और बढ़ती आबादी के चलते पीड़कनाशी के उपयोग में वृद्धि हो सकती है। कीटों के आक्रमण में संभावित वृद्धि का मुकाबला करने और अधिक लोगों की भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इनके उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **पीड़कनाशी विषाक्तता (Pesticide poisoning):** NCRB के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़कनाशी विषाक्तता के 7,007 मामलों में से 6,962 लोगों की मौत हुई थी।
- **पीड़कनाशी के सुरक्षित उपयोग के बारे में किसानों के बीच जानकारी, जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी के चलते** जोखिम अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है।
- **पर्यावरणीय संदूषण:** अपवाह और जमीन में रिसने के चलते पीड़कनाशी के सतही जल और भूजल में प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। इससे जलीय निकाय प्रदूषित हो सकते हैं, साथ ही जल संसाधनों की उपयोगिता भी कम हो जाती है।
- **अपारदर्शी और अप्रासंगिक नियामक ढांचा:**
  - **पीड़कनाशी प्रबंधन विधेयक (PMB)** के अंगीकरण को लेकर वर्ष 2008 से चर्चा जारी है। हालांकि नवीनतम PMB मसौदे को फरवरी 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
  - व्यापक उपयोग के आलोक में तथा **एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयास काफी हद तक अपर्याप्त** (देश भर में केवल 35 केंद्र) रहे हैं।
- **निजी क्षेत्र का एकाधिकार:** देश भर में खुदरा व्यापार के 90% हिस्से के प्रबंधन में निजी क्षेत्र का एकाधिकार है, जिसके कारण एकल लाभ के उद्देश्य से अनियंत्रित बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है।
- **राज्यों के पास विद्युत की अनुपलब्धता:** कृषि राज्य सूची का एक विषय है, लेकिन पीड़कनाशी के नियंत्रण की शक्ति केंद्र को प्रदान किया गया है।
  - इसका मतलब यह है कि यदि केंद्र यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी छोड़ दे कि केवल सुरक्षित पीड़कनाशी ही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचें, तो भी राज्य अपने आप में कदम नहीं उठा सकते हैं और असुरक्षित पीड़कनाशी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं।
- **अन्य चिंताएं:** संदिग्ध और नकली पीड़कनाशी प्रायः अत्यधिक उपयोग, खेती की लागत में वृद्धि, फसल क्षति, किसानों के बीच विश्वास की कमी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे हैं जो कृषि वस्तुओं के निर्यात को भी बाधित करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **पीड़कनाशी पर नियंत्रण और प्रतिबंध:** कृषि मंत्रालय ने अब तक देश में 46 कीटनाशकों के आयात, उत्पादन या बिक्री तथा अन्य चार कीटनाशकों के निर्माण को प्रतिबंधित या चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।

VISION IAS

- **अनुपम वर्मा समिति** द्वारा 66 कीटनाशकों (जिन्हें कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित, नियंत्रित या उन पर पूर्ण रोक लगा दिया गया था, लेकिन भारत में उपयोग किए जाते हैं) की समीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर पीड़कनाशी अवशेषों की निगरानी':** सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है जिसके तहत पीड़कनाशी के अवशेषों के आकलन के लिए सूचीबद्ध NABL प्रयोगशालाओं द्वारा सब्जियों, फलों और अन्य फसलों के नमूने एकत्र और विश्लेषण किए जाएंगे।
- **स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs) पर प्रतिबंध:** सरकार ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध और खतरनाक माने जाने वाले **7 POPs** को प्रतिबंधित कर दिया है।
  - इन रसायनों का उपयोग **कीटनाशक, पीड़कनाशी, कवकनाशी** आदि के रूप में किया जाता है।

आगे की राह

- **विधायी उपाय:** पीड़कनाशी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए PMB, 2020 को लागू किया जाना चाहिए।
- **नकली पीड़कनाशी के प्रयोग को समाप्त करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना:** होलोग्राम सील और लेबल, प्रकाश के प्रति संवेदनशील इंक डिजाइन, क्यूआर कोड आदि जैसे ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत, कम लागत वाले परिवहन टैग तथा डिजिटल उपकरणों का उपयोग वास्तविक कीटनाशकों की पहचान में मदद कर सकता है।
- **सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना:** प्रवर्तन टीमों के साथ केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों के समन्वित भागीदारी को बढ़ावा दिया जान चाहिए।
- **किसानों को पीड़कनाशी के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करना:** किसान उत्पादक कंपनियां, सहकारी समितियां और एक्सटेंशन वर्कर मुख्य रूप से किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं।
  - **केवल प्रशिक्षित और मान्यता प्राप्त श्रमिकों को ही खेत में पीड़कनाशी के प्रयोग की अनुमति** दी जानी चाहिए।
- **पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को प्रोत्साहित करना:** जैविक खेती जैसी वैकल्पिक प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा नीम जैसे जैव कीटनाशकों के उपयोग और रेप्लाइन, नीमर्क एवं इंडेन जैसे पादप उत्पादित उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पीड़कनाशी के नकारात्मक प्रभावों को रोकने में किए जा सकते हैं।

6.1.2. कृषि मशीनीकरण (FARM MECHANISATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार कृषि मशीनीकरण (अर्थात् कृषि यंत्रीकरण) पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रति हेक्टेयर कृषि मशीनीकरण को दोगुना करना है।

फार्म या कृषि मशीनीकरण के बारे में

- कृषि मशीनीकरण (अर्थात् फार्म या कृषि-भूमि संबंधी गतिविधियों का यंत्रीकरण) का आशय उन **मशीनों के विकास तथा उनके उपयोग में वृद्धि** से है, जिससे कृषि कार्यों में मानव एवं पशुओं की आवश्यकता कम हो जाती है। अंततः इससे **उत्पादन की लागत कम हो जाती है और साथ ही कुल उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि होती है।**
- भारत में कृषि मशीनीकरण **लगभग 40-45%** है। यू.पी., हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में मशीनीकरण का स्तर सबसे अधिक है, लेकिन पूर्वी राज्यों में मशीनीकरण नगण्य है।
  - अन्य देशों, यथा- संयुक्त राज्य अमेरिका (95 प्रतिशत), ब्राजील (75 प्रतिशत) और चीन (57 प्रतिशत) की तुलना में भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर निम्न रहा है।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub mission on Agricultural Mechanization: SMAM):** वर्ष 2014-15 में इसका शुभारंभ किया गया था। इस उप-मिशन का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों तक तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु विद्युत की उपलब्धता नहीं है अथवा निम्न उपलब्धता है, वहां कृषि मशीनीकरण तक पहुंच में वृद्धि करना है।
  - इस उप-मिशन के अंतर्गत, **कृषि यंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।** साथ ही, कृषि से संबंधित विभिन्न मशीनों तथा उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) की स्थापना के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **'CHC-फार्म मशीनरी':** यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक **बहुभाषी मोबाइल ऐप** है। इसे **"FARMS-ऐप (फार्म मशीनरी सौल्युशन ऐप)"** के रूप में भी जाना जाता है। यह किसानों को उनके इलाके में अवस्थित कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों से जोड़ता है, ताकि कृषि संबंधी कार्यों के लिए किराए पर मशीनें ली जा सकें।
- **नवीनतम कृषि यंत्रों को बढ़ावा:** सरकार ने कृषि से संबंधित नवीनतम मशीनों, जैसे कि लेज़र लैंड लेवलर, हैपी सीडर प्रौद्योगिकी, कम्बाइन हार्वेस्टर तथा छोटे उपकरणों, यथा- पावर वीडर को बढ़ावा देने पर व्यापक बल दिया है।
- **फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management: CRM) योजना:** कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा CRM योजना का शुभारंभ वर्ष 2018 में पश्चिमोत्तर एवं उत्तरी क्षेत्र के किसानों को फसल अवशेष जलाने के कार्य से दूर करने के उद्देश्य से किया गया था।
  - इस योजना के अंतर्गत किसानों को CHCs (कस्टम हायरिंग केंद्र) की स्थापना के माध्यम से फसल अवशेषों के उसी स्थान पर प्रबंधन करने के लिए मशीनरी प्रदान की जाती है।

VISION IAS

- **कृषि मशीनीकरण की आवश्यकता पर बल देने वाले कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - ग्रामीण कामगारों के शहरी क्षेत्रों में **बढ़ते प्रवास** ने कृषि श्रम की लागत में वृद्धि की है।
  - **विभिन्न कृषि कार्यों में श्रम की अत्यधिक मांग के कारण,** अल्प अवधि में बेहतर परिणाम के लिए उच्च लागत वालीं मशीनों की आवश्यकता है।
  - **संधारणीय कृषि उत्पादकता।**
  - **मानसून पर अत्यधिक निर्भरता।**
  - **ट्रैक्टर के उपयोग** से बेहतर बीज-क्यारी तैयार करने, समय से जुताई कार्य संपन्न करने तथा बीज व उर्वरक के वितरण आदि में सहायता प्राप्त हुई है, जिससे **कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।**

कृषि मशीनीकरण के लाभ

- **आगत/निवेश की बचत (Input savings):** विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि कृषि मशीनीकरण तथा कृषि उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। ज्ञातव्य है कि कृषि मशीनीकरण से इनपुट संबंधी निम्नलिखित बचत होती है:
  - बीज (लगभग 15-20 प्रतिशत की बचत)
  - उर्वरक (लगभग 15-20 प्रतिशत की बचत)
- **कुशलता में वृद्धि:** यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि कृषि मशीनीकरण समय को लगभग 15-20 प्रतिशत कम करने में सहायता कर सकता है, जिससे कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है तथा कठिन श्रम व कार्य भार में कमी आती है।
- **सामाजिक लाभ:** कृषि मशीनीकरण के कई सामाजिक लाभ हैं:
  - यह उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से **गैर-कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने में सहायता करता** है। साथ ही, बोझा ढोने वाले पशुओं द्वारा चारा व चारे की कृषि में उपयोग की जाने वाली भूमि को खाद्य उत्पादन की ओर स्थानांतरित करने में भी सहायता करता है।
  - श्रम की कुशलता में सुधार से प्रत्यक्ष रूप से **महिलाओं पर व्याप्त कार्यभार में कमी आती है।**
  - **इससे कृषि कार्यों की सुरक्षा में सुधार होता है।**
  - **इससे युवा कृषि कार्यों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।** साथ ही, इससे और अधिक संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने तथा रहने हेतु आकर्षित होते हैं।
- **फसल गहनता में वृद्धि से पैदावार में सुधार तथा कृषि भूमि को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने में सहायक:** कृषि यंत्रों के प्रभावी उपयोग से उपज की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे कृषि कार्य समय पर संपन्न होता है। साथ ही, इसकी सहायता से किसान एक ही भूमि पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर अलग-अलग फसलों को उगाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे कृषि उपज में भी वृद्धि होती है, जिससे कृषि आय में वृद्धि होती है।
- **संधारणीय कृषि में सहायक:** कृषि मशीनीकरण से भूमि तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो पाता है। इसके फलस्वरूप, कृषि से संबंधित पर्यावरणीय फूटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलती है, जिसके संधारणीय परिणाम सामने आते हैं।

भारत में कृषि मशीनीकरण से संबंधित चुनौतियां

- **यह बड़े पैमाने पर किफायती नहीं है तथा इसके संचालन में अनेक बाधाएं मौजूद हैं:**
  - **भारत में भू-जोतों का औसत आकार बहुत छोटा है** (कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, 2.66 एकड़)। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे खंडों में विभाजित है। इसके परिणामस्वरूप, यह कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व को आर्थिक रूप से अक्षम बना रहा है।
- **किसानों की आय का निम्न स्तर:** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में 86 प्रतिशत किसान लघु तथा सीमांत** हैं तथा प्रति महीने औसत 6,426 रुपये अर्जित करते हैं। यह कृषि में आवश्यक मशीनीकरण के भारी निवेश में बाधा बनता है।
- **जटिल ऋण प्रक्रियाएं:** कृषि मशीनीकरण में सहायता करने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत बोझिल है। साथ ही, फसली ऋणों की तुलना में ऐसे ऋणों (अर्थात् कृषि यंत्रों की खरीद के लिए) के लिए ब्याज की दर बहुत अधिक है।
- **सब्सिडी की सीमाएं:** ज्ञातव्य है कि कृषि मशीनीकरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें निवेश करने के लिए किसान / किसानों के समूह / सहकारी समितियों को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। हालांकि, ये सब्सिडी बजट आबंटन के आधार पर उपलब्ध हैं, न कि किसान की आवश्यकता के आधार पर।
- **जागरूकता का अभाव:** कृषि मशीनीकरण को केवल ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा थ्रेशर के उपयोग के रूप में देखा जाता है। जबकि कई अन्य मशीनें हैं जो छोटे जोत के लिए उपयुक्त हैं तथा इनका उपयोग केवल व्यक्तिगत किसानों द्वारा भी किया जा सकता है। किसान इस प्रकार की मशीनों तथा उनकी समग्र व उनके उचित उपयोग की पद्धतियों के बारे में जागरूक नहीं हैं।

- **कृषि कार्य हेतु विद्युत की उपलब्धता में एकरूपता का अभाव:** विद्युत की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में अत्यधिक भिन्न है। साथ ही, यह कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार भी भिन्न है। ऐसे में विद्युत तक पहुंच के अभाव से कृषि मशीनीकरण की गति धीमी हो जाती है। इसलिए, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता गहन नहीं हो पाती।

आगे की राह

- **जोतों का समेकन:** लघु किसान भारतीय कृषि क्षेत्रक के आधार हैं और बने रहेंगे। इसलिए, कृषि मशीनीकरण का लाभ उठाने के लिए जोतों का समेकन (अर्थात् छोटी-छोटी जोतों को एकीकृत कर बड़ी जोत में परिवर्तित करना) आवश्यक है।
- **छोटी कृषि मशीनें/सामग्री (जिनका किसान व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकें)** को विभिन्न फसलों, फसलों के पैटर्न तथा कृषि जोत की विविधता को ध्यान में रखकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने हेतु अशोक दलवई की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाएं

- **कृषि विद्युत:** भारत में कृषि विद्युत की खपत वर्ष 2017-18 में औसतन 2.02 किलोवाट (kW) प्रति हेक्टेयर थी। यह स्थिति एशिया-प्रशांत के देशों की तुलना में भी बेहद खराब है। अतः वर्ष 2022 तक कम से कम **प्रति हेक्टेयर 4 kw का लक्ष्य** रखा जाना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास:** देश में छोटे तथा सीमांत जोतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास का लक्ष्य **लघु स्तर के उन्नत मशीनों के विकास तथा डिजाइन पर केंद्रित होना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, ऐसी मशीनें जो देश के विभिन्न भू-भागों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, उनपर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **'राज्य/क्षेत्रीय सेवा केंद्रों'** के पास अधिक परिष्कृत तथा भारी मशीनें होनी चाहिए, जो कुछ विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए बड़े क्षेत्रों को सेवाएं दे सकें। इसके अतिरिक्त, इन्हें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) / भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) / अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
- विभिन्न स्तरों पर स्थित **कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs)** को उपयुक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे आधुनिक तकनीक, जैसे- ड्रोन, सेंसर आधारित एप्लिकेशन इत्यादि को शामिल कर सकें। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जैसे उप-क्षेत्रकों के लिए आवश्यक तकनीक को शामिल करने हेतु CHCs को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- **उन्नत मशीनें तथा सामग्री:** 'मेक इन इंडिया' पहल का उपयोग आगत (अर्थात् इनपुट, जैसे- बीज, उर्वरक आदि) तथा कृषि मशीनों के विनिर्माण में सहायता करने में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अनेक प्रकार की कृषि मशीनों का वर्तमान में आयात किया जा रहा है। इस प्रकार, यह कुल पूंजी लागत को कम करने में सहायता करेगा।
- खेती की लागत को कम करने के लिए, उच्च लागत वाली कृषि मशीनें जैसे कि कम्बाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, धान ट्रांसप्लांटर, लेजर संचालित लैंड लेवलर इत्यादि के संस्थानीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए और अधिक **कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों की स्थापना या किराए के मॉडल को नया रूप देने की आवश्यकता** है।
- **सरल वित्त-पोषण:** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की तरह, न्यूनतम दस्तावेज के साथ टर्म लोन (मियादी ऋण) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। कृषिगत टर्म लोन में संलग्न बैंक कर्मचारियों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए।

6.2. सिंचाई प्रणालियां (IRRIGATION SYSTEMS)

मुख्य लक्ष्य

- आबादी के बड़े हिस्से की कृषि पर निर्भरता को देखते हुए **सिंचाई कवरेज को अधिकतम करना।**
- भारत ने पांच साल **में सूक्ष्म–सिंचाई के तहत 100 लाख हेक्टेयर** भूमि को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
- सिंचाई **के पर्यावरणीय रूप से अधिक संधारणीय और अधिक जल–दक्ष तरीकों** को अपनाना।

वर्तमान स्थिति

- कुल फसली क्षेत्र का **48%** सिंचित है।
- वर्ष 2019–20 में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने से **11 लाख किसान** लाभान्वित हुए।
- सूक्ष्म सिंचाई में हुई प्रगति में **5 राज्यों का योगदान 78 प्रतिशत** है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
  - PMKSY (हर खेत को पानी)
  - PMKSY (प्रति बूंद अधिक फसल)
  - PMKSY (वाटरशेड डेवलपमेंट)
- कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM)
- सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

सिंचाई – एक नज़र में

आगे की राह

- पर्याप्त और नियमित जलापूर्ति के लिए **ढांचागत विकास।**
- प्रौद्योगिकी की मदद से **सिंचाई दक्षता में सुधार करना।**
- **आभासी जल व्यापारः** भारत से आभासी जल प्रवाह को कम करने के लिए व्यापार नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
- सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में **दिशा–निर्देशों का व्यापक संशोधन।**
- योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में **कुशल राजकोषीय प्रबंधन।**
- योजनाओं की **बेहतर निगरानी।**
- किसानों को **तकनीकी जानकारी, विस्तार सेवाएं आदि** प्रदान करना।

बाधाएं

- भौमजल स्तर का ह्रास।
- असमान वर्षा वितरण।
- खराब सिंचाई दक्षता।
- बनाई गई व उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ अंतर।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यक्षेत्र में बार–बार संशोधन।
- वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी में कमियां।
- कुल मिलाकर किसानों के पास सिंचाई के उपयोग को इष्टतम करने के लिए आवश्यक ज्ञान का अभाव है।

6.2.1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME: AIBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC) ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- **उद्देश्य:**
  - राज्यों की संसाधन क्षमता से परे ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
  - राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित संचालित की जा रही वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का शुभारंभ होने के बाद **AIBP इसका (PMKSY) भाग बन गया।**
  - PMKSY का उद्देश्य 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए देश में **सभी कृषि फार्मों तक सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों की पहुंच** स्थापित करना और इस प्रकार अतिवांछित ग्रामीण समृद्धि लाना है।

AIBP में कमियां

- **AIBP के डिजाईन (अभिकल्पना) और कार्यक्षेत्र में बार-बार संशोधन:** यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Reports: DPRs) की तैयारी और नियोजन में निम्नलिखित कमियों के कारण हुआ:
  - अपर्याप्त सर्वेक्षण;
  - जल उपलब्धता का गलत आकलन;
  - लागत-लाभ अनुपात {Cost Benefit (CB) ratio} की गलत गणना; और
  - कार्य आरंभ होने के बाद लागत अनुमानों में संशोधन से **परियोजना के कार्यान्वयन के कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।**
- **परियोजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन:** PAC के अनुसार, परियोजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनेक परियोजनाओं और योजनाओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3,718 करोड़ रुपये अनियमित रूप से जारी किए गए।
- **वित्तीय प्रबंधन में कमियां:** PAC ने धन जारी न करने/ कम धन जारी करने, विभिन्न स्तरों पर धन जारी करने में देरी और बाद में जारी धन में व्यय न की गई शेष राशि का समायोजन न करने के कई मामलों पर ध्यान दिया है।
- **निगरानी में कमियां:** केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा शिथिल निगरानी भी एक बड़ी समस्या है।

आगे की राह

- **दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन:**
  - मंत्रालय को परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए, जिसमें परिवर्तन की संभावना सम्मिलित हो सकती है, ताकि बार-बार संशोधन की आवश्यकता को दूर किया जा सके।
  - इस प्रकार तैयार दिशा-निर्देशों और समय सीमा का पालन करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परिवर्तन:**
  - DPR तैयार करने तथा उसके प्रसंस्करण में विलंब, अपर्याप्त सर्वेक्षण और कमान क्षेत्र के गलत आकलन जैसी कमियों में सुधार किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय प्रबंधन:**
  - **लागत-लाभ अनुपात की गणना करने के लिए एक समान मापदंड** अपनाया जाना चाहिए।
    - परियोजनाओं के लिए लागत-लाभ अनुपात की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए और इसे यथार्थवादी मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए।
  - सरकार को **राजस्व की कम/ वसूली न होने के मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी** चाहिए।
  - सरकार को **ठेकेदारों को अनुचित लाभ के मामलों की जांच करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाना** चाहिए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - PAC ने सलाह दी है कि AIBP के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के अधिकाधिक DPRs लेखापरीक्षा के लिए खुले होने चाहिए।
  - सरकार को दिशा-निर्देशों का पालन करने में राज्यों की सम्यक तत्परता की निगरानी करने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए।
- **योजना की निगरानी में सुधार लाना:**
  - **सटेलाइट इमेजरी और फील्ड रिपोर्ट** का उपयोग सिंचाई क्षमता की प्रभावी निगरानी को बढ़ा सकता है।
  - सिंचाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए जल प्रयोक्ता संघों (Water Users Associations) के माध्यम से **सिंचाई का सहभागी मॉडल** मजबूत बनाना।
  - जल शक्ति मंत्रालय को **सभी राज्यों में जल प्रयोक्ता संघों** का गठन सुगम बनाने के अपने प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिए।

6.3. कृषि विपणन (AGRICULTURAL MARKETING)

कृषि विपणन – एक नज़र में

कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs) और उनकी भूमिका

- यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक **वैधानिक बाजार समिति** है।
- **APMCs थोक विपणन प्रणाली का एक हिस्सा हैं।**
- इनका उद्देश्य मूल्य निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना, किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करना, कृषि में मूल्यवर्धन करना आदि है।

कृषि विपणन : अर्थ और विधियां

सामान्य भाषा में इसे **उत्पादक से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों को स्थानांतरित करने में शामिल वाणिज्यिक कार्यों** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुख्य रूप से, कृषि–विपणन के लिए निम्नलिखित तीन विधियों का उपयोग किया जाता है:

- **पारंपरिक विपणन विधियां:** ये किसान द्वारा बिक्री करने से शुरू होती हैं। इनमें ग्रामीण बाजारों से लेकर टर्मिनल बाजारों तक विभिन्न स्तरों पर कई बिचौलिये शामिल होते हैं।
- **सहकारी संस्था आधारित विपणन:** इस विधि में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) के विपणन नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों को सीधे किसानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार बिचौलियों को विपणन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।
- कृषि विपणन के उभरते मॉडल: समय के साथ कई नवाचारी विपणन विधियां विकसित हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक–राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM), किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण, अनुबंध खेती, कमोडिटी और फ्यूचर मार्केट आदि।

कृषि बाजारों का महत्व

- बाजार में **कृषि उपज का मुद्रीकरण।**
- बाजार की जानकारी और मूल्य संकेत के स्रोत के रूप में कार्य करना।
- बिचौलियों की भूमिका को कम करना।
- प्रौद्योगिकी में पूंजी निर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादन–पूर्व और उत्पादन–पश्चात कड़ियों के साथ उत्पादन प्रदान करके कृषि में मूल्यवर्धन करना।

भारत में इन बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं

- **संस्थागत मुद्दे:** बाजार में प्रवेश करने हेतु नए व्यापारियों के लिए लाइसेंसिंग बाधाएं, बाजार शुल्क की उच्च संभावना (APMCs में शुल्क सहित) और उत्पाद के लिए मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र की अनुपस्थिति।
- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** देश के कुछ हिस्सों में कृषि उपज बाजारों की सीमित पहुंच, कृषि बाजारों में खराब अवसंरचना जैसे सुखाने वाले यार्ड या कोल्ड स्टोरेज। कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की **लंबी परिपक्वता अवधि और आर्थिक अव्यवहार्यता।**
- **बाजार सूचना प्रणाली संबंधी मुद्दे:** दक्ष वास्तविक समय सूचना चैनलों की अनुपस्थिति के कारण मांग संकेतों में विलंब, किसानों के लिए सीमित जानकारी और सामग्री उपलब्ध है। साथ ही, नए सूचना चैनलों के बारे में किसानों में जागरूकता की कमी है।
- **अन्य मुद्दे: APMCs** के एक बड़े भौतिक नेटवर्क के बावजूद राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की अनुपस्थिति और विपणन अवसंरचना के विकास पर सीमित सार्वजनिक निवेश।

इन मुद्दों पर हाल ही में शुरू किए गए कृषि–सुधारों का प्रभाव

- किसानों और व्यापारियों द्वारा कृषि–उत्पाद की बिक्री एवं खरीद की पसंद की स्वतंत्रता का लाभ उठाने के स्थल पर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर एकाधिकार की जाँच करना।
- अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विधायी ढांचा प्रदान करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के कारण कृषि उत्पादों का बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन।
- विपणन के वैकल्पिक एवं प्रत्यक्ष चैनल बनाकर किसानों के लिए मूल्य का पता लगाने और वसूली में सुधार करना। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप कम होता है।

कृषि बाजारों के समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **APMCs में सुधार** जैसे स्वतंत्र नियामक की नियुक्ति, APMCs में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देना (निजी थोक बाजार, एकीकृत एकल रेफ्रिजरेशन, आदि के माध्यम से)।
- तृतीय पक्ष मूल्यांकन प्रमाणन का सृजन कर, किसान समूहों एवं अन्य बिचौलियों की भागीदारी को बढ़ावा देकर **eNAM को मजबूत बनाकर एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण करना।**
- **विपणन के अवसंरचनात्मक विकास में निवेश को बढ़ावा देना।** इसे कृषि–उत्पादों के भंडारण और यातायात पर एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करके, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अवसंरचना में निवेश को बढ़ाकर और अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को उत्साहित करके किया जा सकता है।
- अधिक आसान विधियों को प्रचलित करके, मोबाइल उपकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सुरक्षा जरूरतों को पूरा करके और किसानों के एक व्यापक सेट में सूचना प्रदान करके अधिक मजबूत सूचना प्रसार प्रणाली का निर्माण करना।
- कृषि उत्पादों के मूल्य के अधिकतम 2% तक **बाजार शुल्क/कमीशन शुल्क को तर्कसंगत रखना।**
- **अन्य सुधार:** उत्पाद में ग्रेडिंग एवं मानकीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की सौदेबाजी करने का क्षमता को बढ़ाने हेतु किसान समूहों का गठन और एक अधिक सुसंगत आयात–निर्यात नीति का निर्माण।

6.3.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {THE FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ACT, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **किसानों की उपज का व्यापार:** यह अधिनियम **किसानों को उनकी उपज के लिए निम्नांकित बाजारों/स्थलों से बाहर अंतरा-राज्य (intra-state)** और **अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है:** (i) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियों के भौतिक परिसर, और (ii) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार।

- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग:** यह अधिनियम निर्धारित व्यापार क्षेत्र में **किसानों की अधिसूचित उपज (राज्य APMC अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कृषि उपज)** के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है।
- **बाजार शुल्क की समाप्ति:** यदि किसान अपनी उपज को APMC के बाहर बेचते या उसका व्यापार करते हैं, तो राज्य सरकारें **किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स** पर किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क, उपकर या लेवी आरोपित नहीं कर सकती हैं।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) की भूमिका में कमी:** यह नया कानून एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है, जहां किसानों एवं व्यापारियों को कृषि-उपज की **बिक्री और खरीद करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।** इस प्रकार, व्यापारियों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एकाधिकार समाप्त होगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  - उदाहरण के लिए, एक हल्दी उगाने वाला किसान अब **बिना किसी मंडी कर या कमीशन के**, अपनी उपज को **पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर** दिल्ली में बिग बास्केट को बेच सकता है।
- **एकीकृत बाजार:** बाधा रहित अंतरा-राज्य (intra-state) और अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार एवं वाणिज्य के कारण **कृषि अधिशेष को प्रचुरता वाले क्षेत्रों से न्यूनता वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना संभव होगा।** यह **एक राष्ट्र एक कृषि बाजार (वन नेशन, वन एग्री-मार्केट)** की अवधारणा का विस्तार करेगा।
- **यह अधिनियम APMC में सुधारों को प्रोत्साहित करेगा:** चूंकि, यह कानून **APMC अधिनियम को निरस्त नहीं** करता है, अतः निजी बाजार अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए APMC बाजारों पर दबाव डाल सकते हैं। APMC प्रणाली को सुधारने में **राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका** है, जैसे-
  - राज्य सरकारें इन समितियों के राजनीतिकरण को समाप्त कर, उन्हें अधिकाधिक किसान हितैषी बना सकती हैं।
  - राज्य सरकारें APMC बाजारों को निजी बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति प्रदान कर सकती हैं। वे बाजार में लेन-देन पर लगाए जाने उपकरों से छूट प्रदान कर सकती हैं।
  - राज्य सरकारें अपनी **अव्यवहार्य मंडियों का निजीकरण** कर सकती हैं।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- एक स्थापित बाजार तंत्र में **आकस्मिक परिवर्तन करने से** बाजार विकृत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2006 में, बिहार सरकार ने इस क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने APMC अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उस क्षेत्र के संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों को बाजारों का प्रभार सौंप दिया था। जिसके परिणामस्वरूप:
  - **खराब रखरखाव के कारण समय के साथ विद्यमान अवसंरचना** का क्षरण हो गया।
  - किसानों को **उच्च लेन-देन शुल्कों** तथा उपज के मूल्यों के विषय में **जानकारी के अभाव** जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- यह अधिनियम **"बाजार क्षेत्रों" (market areas)** (राज्य सरकारों द्वारा विनियमित मंडियों) और **"व्यापार क्षेत्रों" (trade areas)** (अब केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत विनियमित बाजारों) के मध्य **कृत्रिम अंतर** उत्पन्न करता है। इस प्रकार, इससे दोहरे विनियामक बाजार तंत्र की समस्या का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, अब **नए अविनयमित बाजारों** अर्थात् "व्यापार क्षेत्रों" पर **कोई निगरानी नहीं रहेगी और सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी या खुफिया जानकारी नहीं होगी कि** इसमें प्रतिभागी कौन हैं, कौन किसके साथ कितनी मात्राओं के लिए और किन मूल्यों पर लेन-देन कर रहा है।
- **मंडी कर** की दृष्टि से, 'व्यापार क्षेत्रों' को 'बाजार क्षेत्रों' की तुलना में स्पष्ट विनियामक लाभ प्राप्त होगा। इससे संभावित रूप से **APMC प्रणाली** और **ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)** जैसी पहलें ध्वस्त हो सकती हैं, जो देश में भौतिक मंडी संरचना के आधार पर संचालित हो रही हैं।
- यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण संस्थागत अंतराल उत्पन्न करता है। यदि APMC की उपेक्षा की जाती है तो तो बाजार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक राज्य-विशिष्ट निवेशों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।
- **राज्य सरकारों को मंडी कर (mandi tax) की हानि होगी,** जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।

6.3.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **कृषि समझौता:** यह अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पशुपालन या मत्स्य पालन से पूर्व **किसान और खरीदार के बीच कृषि समझौते** का प्रावधान करता है।
  - समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल सत्र, या पशुधन का एक उत्पादन चक्र होगा। इसके लिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जब तक कि उत्पादन चक्र 5 वर्ष से अधिक का न हो।
- **कृषि उपज का मूल्य निर्धारण:** समझौते में कृषि उपज की कीमत का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन उपजों के मूल्यों में भिन्नता आने की संभावना होती है, उनकी उपज के लिए **गारंटीकृत मूल्य (guaranteed price)** और **गारंटीकृत मूल्य के ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि** के लिए स्पष्ट संदर्भ को समझौते में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, समझौते में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **विवाद निपटान:** कृषि समझौते में विवादों के निपटारे के लिए **सुलह बोर्ड (conciliation board)** के साथ-साथ सुलह प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड में दोनों पक्षों का निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसी समझौते पर पहुंचा जा सके।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **अनुबंध कृषि को बढ़ावा मिलेगा:** अनुबंध कृषि के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करने से **उत्पादकों और उद्यमियों के समूहों के बीच एक अनुबंधित संबंध (contractual relationship)** विकसित होगा। इससे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए **तैयार बाजार (ready market)**, और उद्यमियों (या प्रायोजकों) को **तैयार कच्चे माल** तक पहुंच प्राप्त होगी।
  - यह अधिनियम किसानों को संसाधकों (processors), समूहकों (aggregators), थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ शोषण के किसी भी **भय के बिना समान अवसर पर संबंध स्थापित करने का अधिकार** देता है।
- **किसानों के लिए कम जोखिम:** यह **बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम** को **किसान से प्रायोजकों/उद्यमियों पर स्थानांतरित** करेगा। पूर्व मूल्य निर्धारण के कारण, बाजार की कीमतों के बढ़ने और गिरने के विरुद्ध किसानों की रक्षा होगी।
- **उत्पादन में वृद्धि:** यह **कृषि क्षेत्रक में अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा** देगा। साथ ही, यह किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों व उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उर्वरकों और कीटनाशकों तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है।
- **निवेश में वृद्धि:** यह अधिनियम राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- **किसानों के लिए विपणन (marketing) की लागत में कमी:** क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, किसान को व्यापारियों की खोज नहीं करनी होगी। **क्रय करने वाला उपभोक्ता/क्रेता सीधे खेत से उपज प्राप्त करेगा।**
- **विवाद समाधान:** यह अधिनियम स्पष्ट समय-सीमा के साथ प्रभावी **विवाद समाधान तंत्र (dispute resolution mechanism)** उपलब्ध कराता है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- अनेक किसानों और किसान संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि लागू होने के पश्चात् ये अधिनियम, **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) प्रणाली को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे** तथा कृषक समुदाय को बड़े कॉर्पोरेट्स की "दया" पर छोड़ देंगे।
  - यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि ये अधिनियम **किसानों** की तुलना में **बड़े कॉर्पोरेट्स या निगमों** के लिए अधिक अनुकूल होंगे, जो भविष्य में बाजार पर हावी हो जाएंगे।
  - हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिनियमों का **MSP प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,** और यह जारी रहेगी।
- जहाँ एक ओर यह अधिनियम मूल्य आधारित शोषण (price exploitation) के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह **मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र या विनियामक व्यवस्था नियत नहीं** करता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, **कंपनियों को किसानों के साथ लिखित अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है।** इससे विवाद की स्थिति में किसानों के लिए शर्तों को सिद्ध करना कठिन हो जाएगा।
  - ऐसे में, यदि कोई किसान किसी निजी कंपनी के साथ अपने अनुबंध को लेकर विवाद में पड़ जाता है, तो उसके लिए **विवाद को अपने पक्ष में निपटाना बहुत कठिन हो जाएगा।**
  - इसके अतिरिक्त, विवाद होने पर उसके समाधान की जिम्मेदारी **जिला प्रशासन को सौंपी गई है;** लेकिन यहाँ यह भी हो सकता है कि **जिला प्रशासन विवादों को निपटाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हो।**

6.3.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ACT, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **खाद्य पदार्थों का विनियमन (Regulation of food items):** यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित **कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित** कर सकती है। इनमें सम्मिलित हैं- (i) युद्ध, (ii) अकाल, (iii) असाधारण कीमत वृद्धि और (iv) गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा।
- **स्टॉक सीमा:** यह अधिनियम निर्धारित करता है कि कृषि उपज पर किसी भी **स्टॉक सीमा का आरोपण महंगाई पर आधारित** होना चाहिए।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **यह व्यवसायियों और व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करेगा:** इससे पहले सरकार ने खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया था और वह व्यापारियों द्वारा रखे गए किसी भी अतिरिक्त स्टॉक को जब्त कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों का अत्यधिक उत्पीड़न हुआ और मुनाफाखोरी करने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिला। अब इस नए अधिनियम के चलते, इस प्रकार के हस्तक्षेपों के भय के बिना खाद्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रबंध किया जा सकता है।
- **भंडारण सुविधाओं में सुधार होने से बर्बादी को कम करने में सहायता प्राप्त होगी:** भारत में फसलों की कटाई के पश्चात् एक-तिहाई कृषि उपज की क्षति हो जाती है। लेकिन पहले के कानून के चलते व्यवसायी चाहकर भी इस प्रकार की हानि को कम करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे।
- **कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश के आकर्षित होने की संभावना में वृद्धि:** इन सुधारों के चलते कृषि उपज के लिए अवसंरचना और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा इनमें निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। इस प्रकार, इसके माध्यम से इस क्षेत्रक में संवृद्धि तीव्र हो सकती है।
- **मूल्य स्थिरता और कृषि आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी:** इस अधिनियम से चयनित वस्तुओं को छूट देने के कारण उत्पादकों के लिए फसल की विपणन क्षमता में सुधार होगा। प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक और व्यापारी अब दंडात्मक कार्रवाई के भय के बिना स्टॉक या मालसूची (inventory) का निर्माण कर सकेंगे।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि यह अधिनियम **प्रभावी रूप से जमाखोरी को वैध बनाएगा**, क्योंकि अब इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - ऐसी स्थिति में, खाद्य श्रृंखला में विशेष क्रेताओं की ओर से **प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार का मार्ग प्रशस्त** हो सकता है।
- इन वस्तुओं के पूर्ण अविनियमन से **असाधारण परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खतरनाक स्थिति उत्पन्न** हो सकती है, क्योंकि सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होगी कि प्रतिभागी कौन हैं, और बाजार में स्टॉक का स्तर क्या है।

6.3.4. कृषि अवसंरचना कोष (AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE FUND: AIF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि कृषि उपज विपणन समितियाँ (Agricultural Produce Marketing Committees: APMCs) कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का उपयोग करने की पात्रता रखने वाली लाभार्थी होंगी।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के बारे में

- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से **मध्यकालिक से लेकर दीर्घकालिक ऋण वित्त-पोषण की सुविधा** प्रदान करती है।
- AIF के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा **1 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जाएंगे।** इसमें **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण पर **3% की वार्षिक ब्याज सहायता (interest subvention)** प्राप्त होगी, जो **अधिकतम 7 वर्ष** तक उपलब्ध रहेगी।
- AIF का **प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS) प्लेटफॉर्म** द्वारा किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियां** योजना के कार्यान्वयन के बारे में रीयल-टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) सुनिश्चित करेंगी।

एक बेहतर कृषि अवसंरचना की आवश्यकता

- **कृषि उत्पादकता पर प्रभाव:** भारत की **कुल जनसंख्या के 58% के लिए** कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ आय का प्राथमिक स्रोत हैं। इसलिए, पर्याप्त बुनियादी ढांचे से **कृषि उत्पादकता बढ़ती है और कृषि की लागत भी कम होती है।**
- **अपव्यय में कमी:** भारत में किसानों को बाजारों से जोड़ने के लिए उपलब्ध अवसंरचना सीमित हैं और इसलिए, **15-20%** उपज बर्बाद हो जाती है। यह अन्य उन्नत देशों (5-15% के बीच) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
- **किसानों की आय में सुधार: मूल्य संवर्धन, पैकिंग, ब्रांडिंग और उत्तम विपणन** नेटवर्क भी किसानों की आय में बढ़ोतरी करते हैं।
- **परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करना:** उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन से बाजार में बेहतर दरें तय करने में सहायता प्राप्त होती है।
  - इससे किसानों को उपज के पूर्वानुमान के लिए परिमाण का बेहतर रीति से मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है।
- **व्यापारिक गतिविधियों का आधुनिकीकरण:** निर्णय लेने और निर्णय के संप्रेषण में किसानों/व्यापारियों की सहायता करना, ताकि शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई आरंभ की जा सके। (उदाहरणार्थ: ई-ट्रेडिंग और इंटरनेट नीलामी)।

अन्य योजनाएं, जो कृषि अवसंरचना से जुड़ी हुई हैं

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM):** यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो मौजूदा APMC मंडियों को आपस में जोड़ता है, ताकि कृषि जिंसों के लिए समरूप राष्ट्रीय बाजार तैयार हो सके।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** इसे **'हर खेत को पानी'** के संदर्भ में सिंचाई कवरेज के विस्तार और **'प्रति बूंद अधिक फसल'** की जल उपयोग दक्षता में सुधार के ध्येय के साथ तैयार किया गया है।
- **कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (Integrated Scheme for Agricultural Marketing: ISAM):** यह योजना कृषि विपणन संबंधी अवसंरचना के निर्माण, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता निर्माण, ग्रेड मानक और गुणवत्ता प्रमाणन तय करने आदि को प्रोत्साहित करेगी।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** यह भारत के सुदूरवर्ती एवं अलग-थलग पड़े ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों एवं नगरों से जोड़ती है। इस प्रकार, आवश्यक संरचना के विकास से ग्रामीण समुदाय के लिए अनेक गुणक प्रभाव भी सृजित होते हैं।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY):** इसका लक्ष्य वंचितों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। DDUGJY अपने फीडर पृथक्करण के लिए महत्वपूर्ण है। इसने कृषि और गैर-कृषि विद्युत आपूर्ति को पृथक किया है।

राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीयन सुविधा (National Agriculture Infra Financing Facility) द्वारा निष्पादित भूमिका

हितधारक	योजना के अपेक्षित लाभ
किसान (जिनमें FPOs, PACS और सहकारी समितियां शामिल हैं)	• किसानों को बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए विपणन अवसंरचनाओं में सुधार करना तथा इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना। • लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में निवेश से **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** और बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। • **बेहतर उत्पादकता और आदानों के अनुकूलन के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों** के निर्माण से किसानों को काफी बचत होगी।
सरकार	• यह ब्याज सहायता, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से समर्थन द्वारा **वर्तमान में अलाभकारी परियोजनाओं में प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधारी को निर्देशित करने में सक्षम हो जाएगी।** • सरकार आगे **राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम कर** सकेगी। इससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। • केंद्र/राज्य सरकार के अभिकरण या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में **निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं को संरचित करने में सक्षम हों सकेंगे।**
कृषि उद्यम और स्टार्ट-अप्स	• वित्त-पोषण के एक समर्पित स्रोत के साथ, उद्यमी इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर **कृषि क्षेत्र में नवाचार** का समावेश कर सकेंगे। • यह पारितंत्र के बड़े अभिकर्ताओं को भी परस्पर संबद्ध करेगी तथा इस प्रकार, **उद्यमियों और किसानों के मध्य सहयोग के अवसरों में वृद्धि करेगी।**
बैंकिंग पारितंत्र	• क्रेडिट गारंटी, प्रोत्साहन और ब्याज सहायता के साथ, **ऋण प्रदान करने वाले संस्थान कम जोखिम के साथ उधार दे सकेंगे।** • यह योजना **बैंकों के ग्राहक आधार में वृद्धि करने और पोर्टफोलियो के विविधीकरण** में मदद करेगी। • पुनर्वित्त सुविधा **सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बड़ी भूमिका** तय करेगी।
उपभोक्ता	• कटाई उपरांत के पारितंत्र में अक्षमताओं में कमी होने के साथ ही, बाजार तक अधिक उपज पहुंचना और इस प्रकार, **बेहतर गुणवत्ता व कीमतें** सुनिश्चित होना उपभोक्ताओं के लिए मुख्य लाभ होंगे।
कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs)	• कम लागत वाले ऋण तक पहुंच के साथ, APMCs फसल कटाई के उपरांत की अवसंरचनाओं, जैसे- छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, परख करने वाली इकाइयों, सुखाने के लिए यार्ड, शीत भंडारों और भंडार गृहों आदि की स्थापना कर सकते हैं। इससे उत्तम गुणवत्ता वाली उपज उत्पादित करने वाले किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त होगी, वे भंडारण करने में सक्षम होंगे और उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी तथा फसल कटाई के पश्चात होने वाला नुकसान भी कम होगा।

6.4. न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद (MSP AND PROCUREMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पारित कृषि सुधार अधिनियमों ने किसानों में यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि ये विधान अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) व्यवस्था को समाप्त कर देंगे।

भारत में सरकारी खरीद व्यवस्था

- भारत में सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार के रूप में कार्य करती है और फसल प्रतिरूप का मार्गदर्शन करने तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाती है। सरकारी खरीद को संभव करने के लिए सरकार कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर कृषि उपज हेतु एक आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद के मूल्य के रूप में कार्य करता है और इसे बाजार मूल्य बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। सरकार 23 जिंसों (commodities), जिसमें खरीफ सत्र की 14, रबी सत्र की 7 और कैलेंडर वर्ष (अर्थात् एक वर्ष) के सत्र वाली 2 फसलों सम्मिलित हैं, के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित करती है।

A-2 बनाम C-2 बहस

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), किसान द्वारा किए गए व्यय के आधार पर MSP निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाता है:

- **किए गए व्यय (A2)** को उत्पादन की लागत, आदान (इनपुट) मूल्य में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में रुझान, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति आदि पर विचार करके अनुमानित किया जाता है।
- अंतिम MSP को **किए गए व्यय (A-2) तथा पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य के फलन के** रूप में निर्धारित किया जाता है।

एक भिन्न लागत विधि (C-2) पर विचार करने की मांग की गई है। C-2 को अपनाने हेतु निम्नलिखित परिवर्तन आवश्यक होंगे:

- इसमें A2 सबंधी लागत के साथ-साथ पट्टे में ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, स्वामित्व वाली भूमि के लिए अनुमानित किराया, स्वामित्व वाली अचल पूंजी पर ब्याज, और पारिवारिक श्रम हेतु मजदूरी के अनुमानित मूल्य को भी सम्मिलित करना होगा।
- यह भी तर्क दिया गया है कि, MSP के निर्धारण के लिए **C2 के लागत के 50 प्रतिशत को लाभ घटक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।**

MSP संबंधी उपर्युक्त ढांचे के साथ-साथ सरकार द्वारा वर्तमान सरकारी खरीद प्रणालियाँ, निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** यह MSP के तहत अधिसूचित फसलों के मामले में लागू होती है।
- **बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS):** इसके तहत ऐसी जिंसों (commodities), जैसे- फल/ सब्जियाँ/ अन्य बागवानी उत्पाद आदि का समर्थन किया जाता है जिनके लिए MSP की घोषणा नहीं की जाती है।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF):** यह उपभोक्ताओं को बढ़ते मूल्यों से संरक्षण प्रदान करने वाली योजना है।
- **केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद:** इसके तहत गेहूं और धान की खरीद बफर मानदंडों को पूरा करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जाती है।

पीएम-आशा (PM-AASHA) के माध्यम से आरंभ किए गए सुधार

किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक योजना आरंभ की गई है, जिसका नाम प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ, दालों, तिलहन और कोपरा की भौतिक सरकारी खरीद की जाएगी।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय/आदर्श मूल्य के मध्य के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। इसके तहत पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार क्षेत्र में अपनी उपज बेचने वाले पहले से ही पंजीकृत किसान पात्र होंगे।
- **निजी खरीद एवं भंडारणकर्ता योजना (Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme: PPPS) की प्रायोगिक परियोजना:** PDPS के अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया है कि तिलहन के लिए, राज्यों को चयनित जिला/कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) में प्रायोगिक आधार पर PPSS आरंभ करने का विकल्प उपलब्ध है, जिसमें निजी भंडारणकर्ता (stockist) की भागीदारी होगी।

भारत में सरकारी खरीद ढांचे के साथ वर्तमान समस्याएं क्या हैं?

- **सरकारी खरीद की सीमित पहुंच:** न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी सरकारी खरीद में शामिल की गई फसलों और भौगोलिक क्षेत्र के मामले में भी समानता का अभाव है। उदाहरण के लिए, गेहूं के मामले में विपणन अधिशेष (marketed surplus) की लगभग 33 प्रतिशत खरीद और 90 प्रतिशत सरकारी खरीद केवल पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से होती है।
- **गेहूं और धान के किसानों को लाभ:** गेहू और धान के अतिरिक्त अन्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अधिसूचित जिंसों की खरीद बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। उदाहरण के लिए, तिलहन की सरकारी खरीद कुल उत्पादन का मात्र लगभग 0.66 प्रतिशत रही है।
- **मूल्य समर्थन योजना का अकुशल संचालन:** इस योजना के तहत दालों की कुल सरकारी खरीद विपणन अधिशेष का केवल 10 प्रतिशत रही है, जो इसके अकुशल कार्यान्वयन को इंगित करती है।
- **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत जल्दी ख़राब होने वाली जिंसों (perishables) की सरकारी खरीद अभी भी नगण्य बनी हुई है।**
- **कार्रवाई में विलंब:** बाजार सहभागियों ने तर्क दिया है कि संकट की स्थिति में सरकार की ओर से हस्तक्षेप में विलंब से किसानों की तुलना में बिचौलियों को अधिक लाभ होता है।
- **उत्पादन और उपभोग के प्रतिरूप में बदलाव:** मूल्य और सरकारी खरीद-आधारित हस्तक्षेपों ने चावल-गेहूं की उच्चतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस उच्चतर आपूर्ति ने चावल-गेहूं उपभोग में वृद्धि के साथ-साथ इसकी खेती में भी वृद्धि की है। कैलोरी को अधिक वरीयता प्रदान करने वाले इस खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पोषण संबंधी कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और भारत में सरकारी खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जा सकता है?

किसान की आय को दोगुना करने के लिए गठित समिति (अशोक दलवई की अध्यक्षता में) की रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं का सुझाव दिया गया है:

- **सरकारी खरीद की अधिक सुदृढ़ प्रणाली को अपनाया जाना:** समिति ने अनुशंसा की है कि वर्तमान सरकारी खरीद योजनाओं को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, इनका देशव्यापी कार्यान्वयन और सभी फसलों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक साधनों को विकसित तथा नियोजित करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ ऐसे मामलों में जहां फसलों के मूल्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक गिरावट हो सकती है **वहां अनुक्रिया की गति तथा सरकारी खरीद की प्रभावकारिता में सुधार किया जाए।**
- **समयोचित बाजार हस्तक्षेप:** बाजार हस्तक्षेप, मूल्य से जुड़ी संभावित घटनाओं या परिणामों से भी प्रेरित होते हैं। किसी भी बाजार हस्तक्षेप की सीमा और समय का उद्देश्य, बाजार के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को सामान्य करने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में सामयिक रूप से फसल कटाई के तुरंत बाद उत्पन्न होने वाली प्रचुरता के कारण मूल्यों में तेजी से आने वाली गिरावट को सामान्य करना होना चाहिए।
- **सरकारी खरीद हस्तक्षेपों में विविधता लाना:** जनसंख्या की पोषण सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित मांग और आपूर्ति से संबंधित रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के हस्तक्षेपों का उद्देश्य जनसंख्या को विभिन्न प्रकार के पोषण प्रदान करना और अप्रासंगिक नीतियों का पूर्वनिर्धारित या निश्चित समय पर उन्मूलन सुनिश्चित करना चाहिए।

VISION IAS

6.5. कृषकों को वित्तीय समर्थन/सहायता (FINANCIAL SUPPORT TO FARMERS)

मुख्य लक्ष्य

- देश में सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों (जोत के आकार के निरपेक्ष) को आय सहायता प्रदान करना।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।

वर्तमान स्थिति

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल दर साल **लगभग 5.5 करोड़ किसान आवेदन** करते हैं।
- कुल कृषि आय का **1/5 भाग सब्सिडी** के रूप में है।
- **9.75 करोड़ किसानों** को पी.एम. किसान के तहत 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाती है।
- प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का कुल मिलाकर 2–2.5% उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- किसान क्रेडिट कार्ड
- ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना
- पी.एम. किसान
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना
- पी.एम. आशा

किसानों को वित्तीय सहायता – एक नज़र में

आगे की राह

- संस्थागत और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना।
- सभी सब्सिडी को धीरे-धीरे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की प्रक्रिया में बदलना।
- ग्रामीण अवसंरचना (सड़क सिंचाई विपणन अवसंरचना आदि) और कृषिगत अनुसंधान एवं
- विकास में निवेश बढ़ाना।
- **राज्यों को अधिक स्वतंत्रता**: एक बॉटम-अप रणनीति और सुनियोजित कार्यान्वयन तंत्र अपनाया जाना चाहिए।
- क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं और हस्तक्षेप।
- किसानों के बीच विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जागरूकता।

बाधाएं

- किसान डेटाबेस का अभाव।
- लाभार्थी किसानों की पहचान करने में कठिनाई।
- सरकार के पास अपर्याप्त वित्तीय गुंजाइश उपलब्ध होने के कारण उसे किसान समर्थन और कृषि-निवेश के बीच समझौता करना पड़ता है।
- सभी परिस्थितियों में एक ही दृष्टिकोण का प्रयोग।
- विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में किसानों की जागरूकता का अभाव।
- ऋण आवश्यकता के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर अधिक निर्भरता।

6.5.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (AGRICULTURAL INDEBTEDNESS IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** ने एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार का औसत बकाया ऋण में 57.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण का शीर्षक **"ग्रामीण भारत में कृषि से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019"** है।

इस सर्वेक्षण या रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कृषि से जुड़े परिवारों की औसत आय** और **कृषि आय में वृद्धि** हुई है।

बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण

ऋणग्रस्तता का आशय ऋण के कारण पैदा होने वाली निर्धनता या ऐसी स्थिति से है जहां एक परिवार लगातार बढ़ते ऋण जाल में फंस जाता है। कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ते ऋण के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (indebtedness) की स्थिति

कृषि से जुड़े परिवार

- कृषि से जुड़े ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत: 50.2%
- कृषि से जुड़े ऋणग्रस्त परिवारों पर बकाया ऋण की औसत राशि: 74,121 रुपये
- 20.5% ऋण कृषि कार्यों में लगे लोगों/पेशेवर साहूकारों से लिए गए थे।
- 69.6% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों (बैंक, सहकारी सोसायटी और सरकार आदि से) लिए गए थे
- 57.5% ऋण कृषि से संबंधित कार्यों हेतु लिए गए थे।

- **कृषि उत्पादकता एवं आय में अपर्याप्त वृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:
    - **खेती की बढ़ती लागत:** ऋण का उपयोग कृषि मशीनीकरण में निवेश करने तथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि जैसे आधुनिक आगतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लगभग 95 प्रतिशत ट्रैक्टर, ऋण लेकर खरीदे जाते हैं।
    - **जलवायु परिवर्तन** के कारण मौसम और वर्षा का पैटर्न प्रभावित हुआ है, जिससे कृषि से संबंधित उत्पादकता में गिरावट आई है।
    - **मूल्य अस्थिरता,** कृषि उत्पादों के मार्केटिंग की निम्नस्तरीय पद्धतियां और मूल्य में पर्याप्त वृद्धि के अभाव से कृषि ऋण में वृद्धि हुई है।
    - **छोटी जोतों वाली निर्वाह कृषि** के कारण जीवन यापन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन हो जाता है।
- **जोखिम से बचाने के लिए निम्नस्तरीय तंत्र:** भारत में जागरूकता की कमी और दावों के भुगतान में देरी के कारण फसल बीमा को अपनाने की गति अब भी धीमी है।
- **अनौपचारिक ऋणों की उच्च लागत:** वर्तमान में भी लघु और सीमांत किसान, काश्तकार और खेतिहर मजदूर अब भी अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त के अनौपचारिक स्रोतों (जैसे- स्थानीय साहूकार आदि) पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके लिए उन्हें अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है, जो उन्हें ऋण के चक्र में धकेल देता है।
- **पैतृक ऋण जाल:** ग्रामीण लोगों द्वारा ऋण गैर-उत्पादक उद्देश्यों जैसे कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक कार्यों (जैसे- विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित) आदि के लिए लिया जाता है। इस ऋण का बोझ किसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऋण चक्र में फंसा देता है। कृषि आय की अनिश्चितता के कारण इस चक्र का टूटना और कठिन हो जाता है।
- **कृषि ऋण माफी:** सरकार द्वारा अधिक मात्रा में कृषि ऋण को माफ करने के कारण किसानों के लिए हानि होने पर ऋण की अदायगी के भय के बिना ऋण लेना आसान हो जाता है।
- **मुकदमेबाजी:** भारत में कृषि कार्य करने वाले कई लोग भूमि, संपत्ति आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों में संलग्न हैं, जिसमें अत्यधिक व्यय और समय लगता है।

ऋणग्रस्तता (indebtedness) के प्रभाव

कृषि मशीनरी खरीदने या फसल विविधीकरण में निवेश करने के लिए लिया गया संधारणीय ऋण भविष्य की आय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। जबकि गैर-संधारणीय ऋण से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं:

- कृषि के आधुनिकीकरण में **निवेश का कम होना।**
- ऋण संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए **दबाव में आकर कम मूल्य पर फसलों को बेचना।**
- **कृषक समुदाय का हाशिये पर चला जाना** और कुछ चरम मामलों में किसानों द्वारा आत्महत्या करना।
- कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ी हुई ग्रामीण गरीबी और **इसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास (शैक्षिक और स्वास्थ्य) पर प्रभाव।**
- **ऋणग्रस्तता की स्थिति नए ऋणों के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है** और डिफ़ॉल्ट की बढ़ती संभावना के कारण बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बनाती है।
- **कई बार साहूकारों का ऋण न चुका पाने के कारण किसानों को अपनी संपत्ति (गिरवी रखी गई भूमि) से हाथ धोना पड़ जाता है।** इससे किसान भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। यह स्थिति कृषि संबंधी निर्णय लेने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है।
- बढ़ते ऋण ने **एक आर्थिक गतिविधि के रूप में कृषि की उपयोगिता को कम कर दिया है।** यह स्थिति खाद्य सुरक्षा के सामने संकट पैदा करती है और किसानों को ऋण के अंतहीन चक्र में धकेल देती है।

आगे की राह

बढ़ते ऋण के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

- किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। जलवायु के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली कृषि फसलों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को आरंभ करना चाहिए। यह कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सही है।
- फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जोखिम कम करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की मोबाइल शाखाओं की स्थापना करने, लेन-देन की लागत को कम करने, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने जैसे प्रयासों के माध्यम से विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की **संस्थागत ऋण सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि करना।**
- **वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों (FLCCs)** की स्थापना करके किसानों को दीर्घकालिक ऋण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इसके माध्यम से बैंकों, स्वयं-सहायता समूहों, एग्री क्लीनिकों और इसी तरह के अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- किसानों को साहूकारों का ऋण चुकाने में सक्षम बनाने हेतु बैंकों को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बैंकों **"मनी लेंडर्स डेट रिडेम्पशन फंड"** की स्थापना करना होगा, जिससे दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु एकमुश्त उपाय किया जा सके। साहूकारों के साथ समझौता करने में स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठन, गैर-सरकारी संगठन या पंचायती राज संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

6.5.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) {PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI (PM-KISAN)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक **RTI-आवेदन** के उत्तर में प्रदत्त जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि **पीएम-किसान** योजना के अंतर्गत **1,364 करोड़ रुपये का भुगतान त्रुटिपूर्ण तरीके से 20 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों को कर दिया गया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **आंकड़ों के अनुसार, अपात्र लाभार्थियों की दो श्रेणियों को चिन्हित किया गया है** – अपात्र कृषक (44.41 %) तथा आयकर भुगतान करने वाले कृषक (55.58%)।
- इन अपात्र लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा पांच राज्यों से संबंधित है, ये हैं- **पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश।**

पीएम-किसान योजना के बारे में

- इस योजना के अंतर्गत **6,000 रुपये प्रति वर्ष का आय समर्थन प्रति चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किश्तों** के माध्यम से देश भर के **सभी जोतधारक (कृषि योग्य भूमि) किसान परिवारों (भू-जोतों के आकार से निरपेक्ष)** को प्रदान किया जाता है।
- **इस योजना का उद्देश्य है:**
    - देश में **कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व रखने वाले किसान परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना** (भले ही उनकी भू-जोतों का आकार कुछ भी हो)।
    - कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के लिए **विभिन्न आदानों की खरीद हेतु किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना।**

चिन्हित समस्याएं

- **किसानों से संबंधित डेटा बेस का अभाव:** इस योजना की घोषणा जल्दबाजी में की गई थी और सरकार के पास किसानों का पर्याप्त डेटाबेस नहीं था। पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों ने किसानों से संबंधित आंकड़े या तो जमा नहीं किए या जमा करने में अत्यधिक विलंब किया।
- **लाभार्थी किसानों को पहचानने में कठिनाई:** जोतभूमि देश में विद्यमान किसान परिवारों की संख्या को निर्धारित नहीं करती है क्योंकि एक ही जोत के कई स्वामी होते हैं या मल्टीप्ल (एक से अधिक) जोत का केवल एक स्वामी भी हो सकता है।
- **बैंकों की भूमिका:** कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई बैंक शाखाओं ने कुछ किसानों की पिछली देनदारियों के सापेक्ष इस योजना के तहत जमा हुए धन को समायोजित कर लिया। इस तरह के मामलों से आय समर्थन योजना के उद्देश्य समाप्त हो सकते हैं।
- **पट्टेदार किसानों की उपेक्षा:** पीएम-किसान के अंतर्गत पट्टेदार किसानों या काश्तकारों को प्राप्त होने वाले लाभ का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, इन पट्टेदार काश्तकारों को चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती है।
- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता:** पीएम-किसान द्वारा प्रदान की गई राशि, सुभेद्य किसानों के न्यूनतम भरण-पोषण के लिए भी अपर्याप्त है।
- **शिकायत निवारण तंत्र का अभाव:** यह योजना प्रभावी शिकायत निवारण के लिए कोई रूपरेखा प्रदान नहीं करती है। इस स्थिति में, राज्य सरकारों को शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

VISION IAS

आगे की राह

- **सूचना-प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करना:** सुदृढ़ सूचना-प्रौद्योगिकी अवसंरचना वाले राज्य **पीएम-किसान** को क्रियान्वित करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।
- **भूमि रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण:** यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र किसान लाभ से वंचित न हों। इस तरह, धोखाधड़ीपूर्ण दावों से भी बचा जा सकेगा।
- **अन्य सुधारों पर ध्यान देना:** कोई भी आय सहायता योजना सभी कृषक परिवारों को अपने दायरे में नहीं ला सकती है। इसलिए, ग्रामीण अवसंरचना (सड़क, सिंचाई, विपणन अवसंरचना, इत्यादि) तथा कृषि अनुसंधान व विकास में निवेश में वृद्धि करना उपयोगी सिद्ध होगा।
- **राज्यों को अधिक स्वतंत्रता:** ऊर्ध्वगामी रणनीति तथा सुनियोजित कार्यान्वयन तंत्र कमजोरियों को चिन्हित करने तथा स्थानीय स्तर पर उन्हें सुधारने की अनुमति प्रदान करेगा। इसके बाद सबसे प्रभावी तरीकों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **किश्तों को प्रदान करने का बेहतर समय:** कई रिपोर्ट्स यह रेखांकित करती हैं कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभ यदि कृषि की व्यस्ततम अवधि के दौरान प्राप्त हो, तो किसानों द्वारा उस लाभ को कृषि पर खर्च करने की संभावना अधिक होती है। किंतु जिन्हें यह गैर-फ़सली मौसम के दौरान प्राप्त होता है, उनके द्वारा इस राशि को अन्य मदों पर खर्च करने की संभावना अधिक होती है। परिणामस्वरूप, किश्तों को जारी करने के समय में सुधार से योजनाओं की प्रभावशीलता में भी सुधार होगा।

6.5.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM FASAL BIMA YOJNA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को आरंभ हुए 5 वर्ष हो गए हैं।

इस योजना की उपलब्धियां

एक प्रमुख पहल के रूप में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के किसानों को कम से कम और एक समान प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवर उपलब्ध कराना है।

- **इसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर औसत बीमा राशि बढ़ा दी गई है।** पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में बीमा राशि 15,100 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 40,700 रुपये कर दिया गया है।
- **इस योजना के अंतर्गत किसानों की ओर से प्रति वर्ष 5.5 करोड़ से ज्यादा आवेदन** प्राप्त होते हैं और उनका **निराकरण किया जाता है।** जनवरी 2021 तक दावों के रूप में **90,000 करोड़ रुपए का** भुगतान किया गया है।
- **दावे की राशि का भुगतान आधार से जुड़े किसानों के खाते में सीधे किया जाता है।** इससे दावों का निपटान तेजी से होता है।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, **70 लाख किसानों** ने इसका लाभ उठाया और दावे के रूप में 8741.30 करोड़ रुपये की राशि अंतरित (ट्रांसफर) की गई।
- फरवरी 2020 में इस योजना में सुधार किया गया है। उसके बाद, **इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है** (जो इस योजना की सफलता के समक्ष मौजूद चुनौतियों में से एक था)। इसके अतिरिक्त, **राज्यों ने आवश्यकतानुसार बीमा राशि के लिए लचीलापन प्रदान किया है,** ताकि किसानों द्वारा इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके।

भारत में फसल बीमा का औचित्य

- **भारत के कुल कृषकों में से 86.2 प्रतिशत लघु और सीमांत कृषक** हैं। उनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है। उनके पास सिर्फ 47.3 प्रतिशत फसली क्षेत्र है। इतनी कम भूमि होने के कारण उनकी आय इतनी नहीं होती, जिससे कि वे अपने परिवार का उचित भरण-पोषण कर सकें।
- **70 प्रतिशत कृषि उत्पाद मानसून पर निर्भर हैं।** कुल उपज में साठ प्रतिशत उतार-चढ़ाव मौसम के कारण उत्पन्न प्रतिकूलताओं से होता है। इससे आय में भी उतार-चढ़ाव उत्पन्न होता है और आजीविका अर्जित करना कठिन हो जाता है।
- कृषि के व्यवसायीकरण से ऋण की आवश्यकता बढ़ गई है। परंतु, अनेक **लघु और सीमांत किसानों** को औपचारिक संस्थानों से **ऋण नहीं मिल पाता है।** बार-बार फसल नष्ट होने से वे ऋण चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण उनको आगे ऋण नहीं मिलता है।

इस योजना से संबंधित समस्याएं/मुद्दे

- **संरचनात्मक समस्याएं:**
  - **राज्य सरकारों के पास विवेकाधीन शक्तियां:** इसके लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है कि राज्यों द्वारा अलग-अलग जिले के लिए किसी ऋतु के दौरान प्रमुख फसलों का चयन कैसे किया जाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि जो किसान गैर-अधिसूचित फसल उगाते हैं, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है।
  - **किसानों की आमदनी की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं:** इस बीमा योजना में उपज नष्ट होने की स्थिति में लाभ मिलता है। उसके विक्रय से होने वाली आय में किसी तरह के उतार-चढ़ाव के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है।
  - **फसल नुकसान के आकलन की पद्धति विश्वसनीय नहीं है:** फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiments: CCEs) के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है और मौजूदा तकनीक विश्वसनीय नहीं है। इससे दावों के मूल्यांकन एवं निपटान में विलंब होता है।

- **किसानों में जागरूकता की कमी:** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग/CAG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब 5,993 किसानों के मध्य एक सर्वेक्षण किया गया, तो उनमें से केवल 37 प्रतिशत को योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी थी।
- **काश्तकारों और बंटाईदारों की कम भागीदारी:** ऐसा राज्य सरकारों की असमान नीतियों के कारण है।
- **प्रतिस्पर्धी कीमतों का प्रावधान नहीं:** इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक क्लस्टर (सामान्यतः आस-पास के गाँवों का एक समूह) के लिए एक विशेष बीमा कंपनी निर्धारित कर दी जाती है। वही कंपनी तीन वर्षों तक उस क्लस्टर में बीमा का विक्रय करती है, अवसंरचना निर्माण करती है और मानवश्रम उपलब्ध कराती है। प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण, बीमा कंपनियां अपने उत्पादों में सुधार करने या बेहतर प्रतिस्पर्धी कीमत प्रदान करने के लिए प्रेरित नहीं होती हैं। इस तरह योजना पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार हो जाता है।
- **"सभी समस्याओं के लिए एक उपाय" का दृष्टिकोण:** देश के सभी किसानों को एक समान समझा जाता है। सबको एक ही बीमा प्रदान किया जाता है। उनके पास अपने क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम किसी अन्य बीमा को चुनने का विकल्प नहीं होता है।

- **वित्तीय समस्याएं:**
  - **दावों के निपटान में देरी:** बीमा कंपनियों द्वारा उस नियम का पालन नहीं किया जाता है, जिसके अनुसार दावे का निपटान 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नवंबर 2019 तक, 25.11 अरब रुपये के बीमा दावों का भुगतान विगत 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से शेष है। इससे किसानों के बीच योजना को लेकर विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो गया है।
    - दावों के भुगतान में कुछ कारणों से विलंब हो जाता है। इन कारणों में पैदावार से संबंधित आंकड़ों को देरी से प्रेषित किया जाना, कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम की सब्सिडी का अपना हिस्सा जारी करने में विलंब करना, बीमा कंपनियों एवं राज्यों के बीच पैदावार से संबंधित विवाद आदि।
  - **राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव:** बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले दावे की तुलना में प्रीमियम बहुत ज्यादा होने के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018-19 के खरीफ के मौसम से बिहार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन बंद कर दिया और बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) के नाम से एक फसल बीमा योजना शुरू की।
  - **लाभ के अनुपात का विषम प्रतिरूप:** यह देखा गया है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निपटान किए गए सभी दावों का 50 प्रतिशत मात्र 50 जिलों में बार-बार जारी किया गया।

योजना में सुधार करने के लिए आगे की राह

- **दावों के निपटान की समयसीमा तय की जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए।** इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसानों को पर्याप्त और समय पर मुआवजा प्राप्त हो। दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए निपटान की संपूर्ण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जाएं।
- **योजना को समावेशी बनाया जाए:** इसमें महिला किसानों, काश्तकारों और बंटाईदारों को भी शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि इस अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाया जा सके, आय और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **तकनीक के विकास एवं प्रयोग के लिए प्रोत्साहन:** रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, उपग्रह से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल और भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन हो सके।
- **प्रतिस्पर्धी मूल्य:** एक राज्य में कुछ ग्रामों के एक क्लस्टर (समूह) के लिए कम से कम दो बीमा कंपनियों की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे, बीमा उत्पादों के मूल्य प्रतिस्पर्धी होंगे। इसका लाभ किसानों को प्राप्त होगा।
- **फसल बीमा की पैठ बढ़ाने पर जोर:** फसल बीमा के लाभों पर एक अनिवार्य जागरूकता कार्यक्रम निर्मित किया जाए और इसकी संपूर्ण जानकारी किसानों को उपलब्ध करायी जाए। फसल बीमा को लेकर किसानों में जागरूकता और उनको बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करने में ग्रामीण स्तर की संस्थाओं की अहम भूमिका होती है।
- **फसल बीमा को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, बीमा उत्पादों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि वे न केवल जोखिम की प्रतिपूर्ति करने वाले साधन की भूमिका में नजर आयें, बल्कि वे फसलों के जोखिम और नुकसान को भी कम करें।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार (Priority Sector Lending: PSL) की तर्ज पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए बीमा के तौर पर बीमा उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।**

6.6. कृषि एवं प्रौद्योगिकी (AGRICULTURE AND TECHNOLOGY)

मुख्य लक्ष्य

- मात्रा, गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन तथा विभिन्न प्रकार के भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- एक ऐसी कृषि और खाद्य प्रणाली का निर्माण करना जो दक्ष, पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय, न्यायसंगत और खेतों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में सक्षम हो।
- बढ़ते एग्रीटेक स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र का फायदा उठाना।

वर्तमान स्थिति

- तकनीकी पैठ प्रायोगिक और पायलट परियोजनाओं तक ही सीमित है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों की **वहनीयता तथा उपलब्धता** अभी भी एक **औसत किसान की पहुंच से बाहर** है।
- स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट प्रयोग में वृद्धि के कारण पिछले एक दशक में **सूचना प्रवाह में वृद्धि** हुई है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- मुफ्त सरकारी एप्प, **किसान सुविधा।**
- इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के सहयोग से विकसित **कृत्रिम बुद्धिमत्ता–बुआई एप्प।**
- **इसरो का जिओ–प्लेटफॉर्म, भुवन,** वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और इसके अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शन और क्षमता विकास (TADA-CD)** के साथ अधिदेशित कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs)।
- किसानों को विशेषज्ञ सलाह देने के लिए **ई–सागु (e-sagu)।**

कृषि एवं प्रौद्योगिकी – एक नज़र में

आगे की राह

- आधारभूत डेटा तक पहुंच को मजबूत करना और डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना।
- उन विनियमों की समीक्षा करना जो प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा डाल सकते हैं।
- डिजिटल उद्यमिता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए स्वयं सहायता समूहों और किसान क्लबों जैसे प्रभावी पारस्परिक समूहों की आवश्यकता है।
- स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए **नवाचारी वित्तीय व्यवस्था और छोटे ऋण** की आवश्यकता हो सकती है।

बाधाएं

- छोटे पैमाने की कृषि संरचनाएं, खराब सार्वजनिक अवसंरचना और अपर्याप्त मानव पूंजी निवेश के कारण **उच्च लेन–देन लागत।**
- तकनीकी समाधानों में निवेश करने को लेकर **किसानों की अनिच्छा।**
- कृषि अनुसंधान एवं विकास में **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश कम** है।
- छोटे और सीमांत किसानों के पास डिजिटल अनुप्रयोगों का लाभ उठाने के लिए कौशल तथा ज्ञान का अभाव हो सकता है।
- कृषि क्षेत्र को कम श्रम प्रधान बनाकर **श्रम बाजार की असमानताओं को कायम रखना।**

6.6.1. कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण (DIGITISATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से 'एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस' बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण की आवश्यकता

- **समावेशी विकास:** डिजिटलीकरण परिवर्तनकारी विकास ला सकता है और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। इससे समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
- **कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** पिछले कुछ वर्षों में, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निहित अक्षमताओं के कारण राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 1983-84 के 34% से घटकर वर्ष 2018-19 में 16% पर पहुँच गया था।
    - उपग्रहों, सेंसरों, डेटा विश्लेषणों और संपर्क के बेहतर साधनों जैसे नवाचारों से किसानों को असंख्य चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बाजारों तक पहुंच, सूचना, इनपुट, विशेषज्ञ सलाह आदि।
- **विचारपूर्ण निर्णय लेना:** सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसानों को ठोस आंकड़ों के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तियों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सामान्य नीति अवलोकन की बजाय विशेषीकृत समाधान तथा प्रत्यक्ष उपयोग की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** यह संस्थागत ऋण तक पहुंच की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने की समग्र सुगमता को बढ़ाकर किसानों को (विशेष रूप से काश्तकार किसानों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और भूमिहीन मजदूरों को) सशक्त बना सकता है।
- **डिजिटल वित्तीय सेवाओं (DFS) की प्रदायगी:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं में वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग, भुगतान, बीमा और बचत आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस तरह की सेवाएं कृषि क्षेत्र की कई बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती हैं, जैसे पूंजी तक सीमित पहुंच, जलवायु जोखिम, आदि।

बाधाएं और प्रमुख चुनौतियां

- **उपयुक्त डिजिटल उत्पादों की अनुपलब्धता:** डिजिटलीकरण के प्रयास अक्सर खराब उत्पाद डिजाइन, ग्रामीण संदर्भ में अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रमुख कृषि हितधारकों की जरूरतों की अपर्याप्त समझ का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश डिजिटल उत्पाद अंग्रेजी या हिंदी में कार्य करते हैं और अन्य स्थानीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की पहुंच बहुत कम है (2018 में 25%) और इंटरनेट की पहुंच सीमित है। मार्च 2020 में ग्रामीण ब्रॉडबैंड की पहुंच केवल 29% थी।
    - साथ ही, हो सकता है कि किसानों के पास डिजिटल तकनीक में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन न हों तथा न ही नई और आने वाली तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साधन हों।
- **सूचना अंतराल:** कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक चरण में सूचना विषमता मौजूद है। उदाहरण के लिए उर्वरकों के इष्टतम उपयोग के बारे में; बाजार में विभिन्न किस्मों के बीजों की गुणवत्ता और लाभों के महत्व के बारे में तथा फसलों की सही बाजार मांग के बारे में जानकारी व समझ की कमी।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिम** भुगतान निर्देशों (उदाहरण के लिए, ड्रॉप हुए संदेशों के कारण) सहित बाधित सेवा और डेटा की हानि का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डेटा के डिजिटल संचरण और भंडारण के परिणामस्वरूप गोपनीयता या सुरक्षा संबंधी जोखिम भी विद्यमान हैं।
- **निजी कृषि प्रौद्योगिकियों (AgTechs) के लिए सीमित वित्त पोषण:** निवेशकों के बीच उच्च जोखिम धारणा, परियोजना पूरी होने की लंबी अवधि, जलवायु जोखिम, लाभ की कमी आदि कृषि में शामिल तकनीकी स्टार्टअप (AgTechs) के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं।
- **कृषि-डेटा की सीमित उपलब्धता और उस तक पहुंच:** AgTech क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों के लिए सरकार के स्वामित्व वाले विश्वसनीय कृषि-डेटा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, केवल कुछ ही राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया हुआ है।
- **किसानों के डेटा को निजी कंपनियों के साथ साझा करने से संबंधित चिंताएं:** उचित सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में निजी संस्थाएं किसानों के डेटा का जितना चाहें उतना दोहन करने में सक्षम होंगी। इससे कृषि और किसान डेटा को केवल एक उत्पाद बन कर ही रह जाएगा।

कृषि में डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-बुवाई ऐप (AI-Sowing App):** माइक्रोसॉफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) के सहयोग से यह ऐप विकसित किया है। यह ऐप किसानों को बीज की बुवाई करने की इष्टतम तिथि के संबंध में परामर्श प्रेषित करता है।
- नीति आयोग ने वास्तविक समय आधारित आंकड़े प्रदान करने और किसानों को आवश्यक परामर्श देने के लिए AI द्वारा समर्थित **फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल** विकसित करने के लिए **आई.बी.एम.** के साथ भागीदारी की है।
- **किसान सुविधा:** यह एक सर्वव्यापी स्मार्टफोन ऐप है जो किसानों को मौसम, डीलरों, बाजार मूल्यों, पादप संरक्षण, कृषि संबंधी परामर्श, एकीकृत पीड़क प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों आदि के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करता है।

- **एम. किसान (MKisan) एप्लीकेशन:** यह ऐप किसानों और हितधारकों को एम. किसान पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रेषित सलाह और अन्य जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **फार्म-ओ-पीडिया:** यह सीडैक मुंबई द्वारा विकसित एक बहुभाषी एंड्रॉइड ऐप है जो ग्रामीण गुजरात के किसानों को लक्षित करता है। इस ऐप का प्रमुख कार्य किसानों को मृदा और मौसम के अनुसार उपयुक्त फसल उगाने, फसलवार जानकारी प्रदान करने, मौसम संबंधी निगरानी और पशु प्रबंधन में सहायता करना है।
- **फसल बीमा ऐप:** इस ऐप का उपयोग क्षेत्र, बीमा सुरक्षा की राशि और ऋण राशि के आधार पर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए किया जाता है।
- **शेतकरी (Shetkari) मासिक ऐप:** यह शेतकरी मासिक नामक कृषि पत्रिका को डाउनलोड करने में सहायता करता है और इसे पढ़ने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- **एग्री मार्केट ऐप:** यह डिवाइस की लोकेशन के 50 किलोमीटर की त्रिज्या/दायरे में अवस्थित बाजारों में समस्त फसलों के बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करता है।
- **पूसा कृषि ऐप:** विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

आगे की राह

- **हाइब्रिड 'फिजिटल' (भौतिक प्लस डिजिटल) मॉडल:** यह लंबे समय में डिजिटलीकरण के परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऐसे मॉडल किसानों को यह तय करने में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं कि किस सेवा का उपयोग किया जाए।
- **एक समेकित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण (एक 360-डिग्री समाधान):** उदाहरण के लिए एक सामान्य मंच, ऋण प्राप्त करने, फसल बेचने, भुगतान प्राप्त करने आदि में सहायक हो सकता है।
- **फिनटेक और बैंकों के बीच सहयोग:** फिनटेक किसानों और बड़े बैंकों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य कर सकता है और बैंकों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसके आधार पर किसानों को ऋण दिया जा सकता है।
    - उदाहरण - एसबीआई का योनो ऐप: योनो एसबीआई कृषि।
- **डेटा की पारदर्शिता और उपलब्धता:** ऐसे सभी सरकारी डेटा की ओपन सोर्सिंग के लिए एक प्रणाली बनाना और शोधकर्ताओं/ निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के उपयोग के लिए एपीआई बनाना, शायद एक शुल्क के साथ, एक प्रभावी कृषि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को शुरू करने में मदद कर सकता है।
    - आंकड़ों के विश्लेषण से फसल पैटर्न, कमी/ अधिशेष की भविष्यवाणी, कृत्रिम सिंचाई की कमी/ प्रचुरता का मानचित्रण, मौसम परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।
- **कृषि-तकनीकी क्षेत्र के उत्थान के लिए एक विशेष कोष की स्थापना:** नए विचारों और नवीन दृष्टिकोणों से युक्त फिलहाल कृषि-तकनीक से संबंधित कई स्टार्टअप हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाली पूंजी की उपलब्धता की कमी के कारण ये विकसित होने में असमर्थ हैं।
- **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** कर्नाटक राज्य सरकार और स्वामित्व योजना द्वारा विकसित भूमि का डेटाबेस सही दिशा में एक कदम है।
- **कृषि से संबंधित स्टार्ट-अप और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच अधिक सहयोग** दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूचना के अंतर को समाप्त कर सकता है।
    - FPOs किसानों के लिए ऐसे केंद्र बन सकते हैं, जहां उन्हें सीधे बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं और स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं से क्रय-विक्रय का अवसर मिलता है, जिससे एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण होता है।

6.6.1.1. एग्रीस्टैक (AGRISTACK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसानों के अधिकारों और डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार द्वारा 'एग्रीस्टैक' सृजित करने संबंधी योजना पर चिंता व्यक्त की है।

एग्रीस्टैक (AgriStack) के बारे में

- एग्रीस्टैक वस्तुतः केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित **प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है,** जिसका उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **एग्रीस्टैक** में एकल प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म पर **किसान स्टैक, फार्म स्टैक** और **फसल स्टैक** एकीकृत रूप में हो सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म मौजूदा डिजिटल भूमि अभिलेखों, खेतों के भूसंपत्ति मानचित्रों (cadastral maps) और अन्य जानकारी या डेटा को आपस में लिंक करता या जोड़ता है। यहाँ **स्टैक** का आशय डेटा के ढेर या भंडार से है।

- **किसान स्टैक** में विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में आधार (Aadhaar) सहित किसान से जुड़े डेटा शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार, **फार्म स्टैक** में भूसंपत्ति मानचित्र सहित किसान के स्वामित्व वाले प्रत्येक खेत (खेत की पहचान के साथ) से जुड़ी भू-स्थानिक जानकारी हो सकती है और **फसल स्टैक** में खेतों से संबंधित फसल डेटा शामिल हो सकता है।

- समय के साथ, **सरकार की योजनाओं जैसे कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पी.एम.-किसान और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भूमि अभिलेखों के विवरण** के साथ एक साझा/सामान्य डेटाबेस के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा।

एग्रीस्टैक के लाभ

- **औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच:** यह किसी विशिष्ट भूमि खंड के लिए कृषि संबंधी ऋण प्रवाह का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सक्षम बना सकता है। यह ऋण प्रवाह और ब्याज सहायता को अधिक पारदर्शी बनाने में भी सक्षम करेगा।
- **फसल बीमा उत्पादों और वितरण में सुधार:** यह सुधार विशेष रूप से भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS) और सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **विपणन और मूल्य संबंधी अन्वेषण हेतु निर्बाध तंत्र:** यह जिंसों (commodity) के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में जोखिम को समाप्त करने तथा मांग-आपूर्ति पूर्वानुमान और मौसम सलाह के लिए बाजार आसूचना (market intelligence) के प्रावधान को सक्षम कर सकता है।
  - इसके तहत एक ऐसा बाजार स्थान सृजित किया जा सकता है जहाँ **विभिन्न उद्यमी और उत्पादों एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मिल सकते हैं।**
- **आदान (इनपुट) की बेहतर गुणवत्ता:** एग्रीस्टैक वस्तुतः किसानों और उनकी खेती के बारे में प्रासंगिक हितधारकों (जैसे- बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, मशीनों से संबंधित कंपनियां या फिनटेक कंपनियां) के संदर्भ में आसानी से समस्त जानकारी प्रदान करके सूचना प्रवाह में व्याप्त विषमता को दूर कर सकता है।
- **हितधारकों को फीडबैक देने के लिए GIS और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।** उदाहरण के लिए, फसल की कटाई के बाद के चरण में फसल कटाई उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को सूचित किया जा सकता है, जो सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान से संपर्क कर सकते हैं।
- यह सटीक लक्ष्यीकरण के माध्यम से प्रदान की जा रही **सहायता में किसी प्रकार की त्रुटि को निषिद्ध करता है।**

आगे की राह

- **डिजिटल सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना:** जिन किसानों के डेटा का उपयोग किया जा रहा है, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार को एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।
- **व्यापक परामर्श:** चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए **राज्य सरकारों को बोर्ड में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।** अंतर-मंत्रालयी/केंद्र-राज्य परामर्शों के माध्यम से साझा कृषि डेटा मानकों और सहभाजन प्रणालियों को सृजित करने की आवश्यकता है।
- **सूचना का बाधा रहित प्रवाह सुनिश्चित करना:** इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेटा और प्रौद्योगिकी में किसानों को सशक्त बनाने की क्षमता है, लेकिन यह तभी संभव है जब सूचना का प्रवाह संतुलित एवं बाधा रहित हो।

एग्रीस्टैक से संबद्ध चिंताएं

डेटा की सुरक्षा

यह ऐसी स्थिति में लागू किया जा रहा है, जब इसे विनियमित करने के लिए कोई डेटा सुरक्षा कानून उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा उपायों के अभाव में, निजी संस्थाएं अपनी इच्छानुसार किसानों के डेटा का दोहन करेंगी।

वित्तीय शोषण

जब फिनटेक (वित्त–प्रौद्योगिकी) कंपनियां किसानों के कामकाज से संबंधित सूक्ष्म डेटा एकत्रित कर लेंगी, उसके बाद वे किसानों से अपनी इच्छानुसार ब्याज दर वसूलेंगी।

बहिष्करण का जोखिम

- किसानों का प्रस्तावित डेटाबेस उन भू–अभिलेखों पर आधारित होगा, जिन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है। इस डेटाबेस में कई कमियां हैं। इसमें भूमिहीन किसानों की सभी श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। यहां तक कि अनेक भू–स्वामी किसानों को भी इस डेटाबेस से बाहर कर दिया गया है।
- भू–अभिलेख को किसान डेटाबेस का आधार बनाने पर केंद्रीय डेटाबेस में काश्तकारों, बंटाईदारों और कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किए जाने की संभावना है।

डिजिटल सुलभता

देश में डिजिटल सुलभता और साक्षरता में व्यापक अंतराल है, जिससे इस प्रकार की परियोजनाएं अलाभकारी हो जाएंगी।

6.7. संबद्ध क्षेत्रक (ALLIED SECTOR)

कृषि से संबद्ध क्षेत्र – एक नज़र में

मुख्य लक्ष्य

- **स्थायी तरीके से पशुधन उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करते हुए** पर्यावरण की रक्षा करना, पशुओं की जैव विविधता को बनाए रखना तथा जैव सुरक्षा के साथ साथ किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना।
- बागवानी उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
- सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए **इंद्रधनुष क्रांति** की शुरुआत करना।

वर्तमान स्थिति

- विगत पांच वर्षों में भारत में **पशुधन क्षेत्र की वृद्धि दर 8.15%** रही है।
- जनसंख्या का **8.8%** पशुधन क्षेत्र में कार्यरत है।
- भारत के कुल निर्यात में बागवानी क्षेत्र का योगदान **37%** है।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
- वैश्विक मछली उत्पादन का **6.3%** भारत में होता है।
- वैश्विक दुग्ध उत्पादन का **22%** भारत में होता है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड।
- **नीली क्रांति**: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NML)।
- राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (NPBBDD)।
- राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन।
- नई तकनीकों जैसे कि फ्रामा कल्चर आदि को प्रोत्साहन देना।

आगे की राह

- **उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण** और इनके क्षेत्रीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- सब्जियों में हाईब्रिड तकनीक का उपयोग।
- फलों के उत्पादन के लिए रूटस्टॉक प्रौद्योगिकी।
- **स्मार्ट बागवानी**: उच्च घनत्व वृक्षारोपण, संरक्षित खेती और जैविक उत्पादन जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
- जैविक उत्पादों के लिए बाजार को सुदृढ़ करना।
- देशी मवेशियों की विदेशी नस्लों के साथ ब्रीडिंग।
- दूध जैसे उत्पाद के लिए ग्राम स्तरीय खरीद प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
- मत्स्य क्षेत्र में योजनाओं का समामेलन।
- मछली प्रजनकों और किसानों के लिए क्षमता निर्माण।

बाधाएं

- **पुरानी तथा अप्रभावी तकनीक का उपयोग** फसलों और पशुधन की कम उत्पादकता का प्रमुख कारण है।
- नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए **पर्याप्त पूंजी का अभाव।**
- **उच्च उपज देने वाली किस्मों, कृषि उपकरण आदि को वहन करने में असमर्थता** महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
- **कृषि में कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतराल** विद्यमान है, जो विविधीकरण में बाधक है।
- सभी संबद्ध गतिविधियों में **उन्नत प्रथाओं को अपनाने का निम्न स्तर** एक गंभीर बाधा है।

6.7.1. भारत का पशुधन क्षेत्रक (LIVESTOCK SECTOR OF INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने "देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु टीकों की उपलब्धता" (Status of Veterinary Services and Availability of Animal Vaccine in the Country) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें भारत में पशुधन क्षेत्रक के विकास में मौजूदा अनेक बाधाओं पर चिंता व्यक्त की गई है।

भारत में पशुधन क्षेत्रक की स्थिति

- भारत में पशुधन क्षेत्रक वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक **8.15%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR) से वृद्धिशील बना रहा।
- पशुधन क्षेत्रक भारत में **लगभग 8.8% आबादी को रोजगार** प्रदान करता है।
- यह **दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को भी आजीविका** संबंधी विकल्प प्रदान करता है।
- यह सभी ग्रामीण परिवारों की आय में औसतन 14% तक सहयोग की तुलना में **लघु जोत वाले कृषक परिवारों की आय अर्जन में 16% तक का सहयोग करता है।**
- **कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद (2019-20) में** पशुधन क्षेत्रक का योगदान **लगभग 34%** है।
- **20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत-**
    - **विश्व में सबसे बड़ा पशुधन वाला देश है।** विश्व में **भैंसों** की कुल आबादी के मामले में भारत का **प्रथम** स्थान है। इसके अतिरिक्त, **बकरी** की आबादी के मामले में भारत का स्थान **दूसरा** और **भेड़ों** की आबादी के मामले में **तीसरा** है।
    - भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा कुक्कुट बाजार** वाला देश है।
    - भारत विश्व में **मत्स्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है।

भारत में पशुधन क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं

- **घरेलू पशुधन की निम्न उत्पादकता:** पशु रोगों का उच्च भार तथा उत्पादन वृद्धि, टीकाकरण, प्रजनन क्षमता वर्धन आदि से संबंधित पशुधन प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों के मध्य अल्प जागरूकता इत्यादि घरेलू पशुधन की निम्न उत्पादकता हेतु उत्तरदायी हैं।
- **अपर्याप्त पशु चिकित्सा अवसंरचना तथा निम्न गुणवत्ता:** विगत कई वर्षों से पशु चिकित्सकीय अस्पतालों/पॉलीक्लिनिकों एवं औषधालयों और प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों व पशु चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक कार्मिकों, पशु चिकित्सा शिक्षण संस्थानों आदि की संख्या में भी वृद्धि अपर्याप्त बनी हुई है।

- **टीकों और टीकाकरण व्यवस्था का अभाव:** टीकों और शीत भंडारण सुविधाओं की कमी, सीमित विनिर्माण क्षमता और टीकों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता के कारण अति वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है और टीकाकरण अभियान में सतत विलंब हो रहा है।
- **पोषक चारे की कमी:** भारत में मात्र 5 प्रतिशत फसली क्षेत्र का ही उपयोग चारा उगाने के लिए किया जाता है। भारत में सूखे चारे में 11 प्रतिशत, हरे चारे में 35 प्रतिशत और कंस्ट्रेट (सकेंद्रित) चारे में 28 प्रतिशत की कमी हुई है।
    - इसके अतिरिक्त, सामान्य चराई भूमियों में भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से गिरावट दृष्टिगत हुई है।
- **पशु चिकित्सा सेवाओं में समावेशिता का अभाव:** सरकारें मुख्यतः ऊंट, याक, आदि जैसे दुग्ध के अपरंपरागत स्रोतों तथा उन्हें मुख्यधारा की नीतियों और कार्यक्रमों (पशु चिकित्सा अवसंरचना, शिक्षा और सेवाओं से संबंधित) में शामिल करने में विफल रही हैं।
- **उभरती बाजार शक्तियों पर समायोजन का दबाव:** हालांकि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक भागीदारी हेतु अवसर प्रदान किए हैं, परन्तु कठोर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड भारतीय पशुधन क्षेत्रक में संभावित निर्यात वृद्धि की दिशा में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- **पशुओं को जोखिम से बचाने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र का असमर्थ होना:** वर्तमान में केवल 6 प्रतिशत पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) को ही बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।
- **संस्थागत ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता:** कुल कृषि ऋण में पशुधन का हिस्सा संभवत: ही कभी (सभी को मिलाकर अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अवधि में) 4% से अधिक रहा है।
- **खेत स्तर पर निम्नस्तरीय विस्तार सेवाएं:** इससे अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित भारतीय किसानों की क्षमता सीमित होती है।

आगे की राह

- सहकारी समितियों एवं उत्पादक संघों जैसे संस्थानों और अनुबंध कृषि के माध्यम से **उत्पादन एवं बाजारों के बीच संयोजकता को मजबूत करने पर बल** दिया जाना चाहिए।
- समय बचाने, श्रम आवश्यकता को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उत्पादन, दक्षता, सटीकता एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए **पशुधन फार्म स्वचालन प्रणाली को भी बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्याप्त पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) निधियों आदि के साथ इस क्षेत्रक को जोड़ने सहित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund: RIDF) इत्यादि जैसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत अधिक निधि प्राप्त करने की संभावना का भी पता लगाया जाना चाहिए।
- **प्रसारण सेवाओं का विस्तार:** नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के उद्भव के साथ हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने तथा किसानों तक व्यापक पहुंच विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से दूरस्थ/सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की प्रत्येक घर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **सचल पशु चिकित्सा क्लिनिकों (Mobile Veterinary Clinic: MVC) के नेटवर्क स्थापित करने पर अत्यधिक बल** दिया जाना चाहिए।
- पशु चिकित्सा सेवाओं में प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव को समाप्त करने के लिए **पशु चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की वर्तमान संख्या में वृद्धि** की जानी चाहिए।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना:** पशु चिकित्सा अवसंरचना के संवर्धन हेतु निजी कंपनियों, सहकारी समितियों आदि द्वारा किए गए निवेश का उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि गुजरात में सचल औषधालयों के मामले में किया गया है।
- पशुधन के मुद्दों के समाधान के लिए **'वन-स्टॉप सेंटर'** और देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सूचना का प्रसार **संक्रामक रोगों के उन्मूलन को सुनिश्चित कर सकता है।**

पशुधन क्षेत्रक के विकास हेतु संचालित प्रमुख सरकारी योजनाएं	
विकास कार्यक्रम	• **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इसका उद्देश्य संधारणीय, सुरक्षित और न्यायसंगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुपालकों एवं किसानों, विशेष रूप से लघु जोत धारकों के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर का संवर्धन करना है। इसमें **चारा और आहार विकास, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार आदि पर उप-मिशन** को शामिल किया गया है। • **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** इसे साधारण (nondescript) गोजातीय आबादी के प्रजनन पथ में चयनात्मक प्रजनन और आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देशज नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। • **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
रोग नियंत्रण कार्यक्रम	• **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना (Scheme on Livestock Health & Disease Control: LH&DC):** केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य संक्रामक गोजातीय प्लियूरोन्यूमोनिया (Contagious Bovine Pleuropneumonia: CBPP), क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) आदि जैसे पशु रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। • **राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (National Animal Disease Reporting System: NADRS):** यह LH&DC का एक उप-घटक है। यह वास्तविक समय आधार पर ब्लॉक पशु चिकित्सा संस्थान के स्तर से पशु रोग की सूचना के लिए एक वेब आधारित मंच के रूप में कार्य करता है।
अवसंरचना विकास निधियाँ	• व्यक्तिगत उद्यमियों; निजी कंपनियों; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों; किसान उत्पादक संगठनों आदि द्वारा निवेश (डेयरी, मांस प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना हेतु) को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ **पशुपालन अवसंरचना विकास (Animal Husbandry Infrastructure Development: AHIDF)** जैसी पहल आरंभ की गई है। • 8,004 करोड़ रूपये के कोष के साथ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष का भी प्रावधान किया गया है। यह राज्य डेयरी संघों, जिला दुग्ध संघों आदि जैसे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं (Eligible End Borrowers: EEB) को दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण करने तथा अधिक दुग्ध प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करने हेतु ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

6.8. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (FOOD PROCESSING SECTOR)

मुख्य लक्ष्य

- **अर्थव्यवस्था और कृषि** को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से एकीकृत करना।
- दूध, दालें, अदरक, केला और आम जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करना।
- भारत को वैश्विक खाद्य विनिर्माण के क्षेत्र में चैंपियन बनाना।
- विदेशों में भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन करना।
- वर्तमान में **खाद्य उत्पादों के खराब प्रसंस्करण स्तर और आपूर्ति शृंखला में अत्यधिक अपव्यय की समस्याओं का समाधान** करना।

वर्तमान स्थिति

- पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्रक की विकास दर **10%** रही है।
- कुल सकल मूल्यवर्धित (GVA) का **9%** विनिर्माण क्षेत्रक में है।
- देश में अनुमोदित 37 मेगा फूड पार्क में से फरवरी 2021 तक **22 परिचालन** में थे।
- **19.3 लाख** लोग इस क्षेत्रक में नियोजित हैं।
- भारतीय निर्यात में इस क्षेत्रक का योगदान **10.7%** है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- पी.एम. किसान संपदा योजना
  - मेगा फूड पार्क योजना
  - एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना
  - कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना
  - खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- ऑपरेशन ग्रीन्स
- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME), एक जिला एक उत्पाद (ODOP)
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019 का मसौदा

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक – एक नज़र में

आगे की राह

- किसान–उत्पादक संपर्क को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उचित कर प्रोत्साहन और अवकाश प्रदान करना। बाजार संवर्धन और सहायक गतिविधियों पर व्यय का ध्यान रखना।
- आपूर्ति पक्ष और अवसंरचना संबंधी बाधाओं का निवारण करने के लिए नीतिगत पहल।
- नियामक संरचना को सुव्यवस्थित करना।
- **मानसिकता में परिवर्तन**– मांग और लाभ आधारित उत्पादन के प्रति हितधारकों को प्रेरित करना।
- कुशल मानव शक्ति की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए **मानव संसाधन विकास।**

बाधाएं

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में **अनौपचारीकरण।**
- कुशल आपूर्ति शृंखला व **बुनियादी ढांचे का अभाव।**
- कच्चे माल तक पहुंच में बाधाएं।
- **कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता,** नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों एवं औजारों की कम उपलब्धता, अपर्याप्त स्वचालन।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के मध्य अविकसित संबंधों का होना।
- कोल्ड चेन क्षमता में महत्वपूर्ण अंतर।
- किसानों के साथ प्रोसेसर, निर्यातकों और थोक खरीददारों का अपर्याप्त जुड़ाव।
- खराब ऋण सुविधाएं, नौकरशाही संबंधी बाधाएं और कठोर श्रम कानून।
- अपर्याप्त प्रशिक्षण और कुशल विकास।
- गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता।

6.9. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCE ORGANIZATIONS: FPOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने देश भर में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के निर्माण पर पुनः जोर दिया है।

'10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन' योजना के बारे में

- यह देश में **10,000 नए FPOs के निर्माण** और उनके प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
- **इकोनॉमी ऑफ स्केल (आकारिक मितव्ययिता) का लाभ उठाने** और सदस्यों के **बाजार पहुंच** में सुधार करने के लिए FPO को **क्लस्टर में विकसित** किया जाएगा। **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर मुख्य रूप से विशेषज्ञता एवं बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देगा।
- संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **क्रेडिट गारंटी सुविधा (प्रति FPO 2 करोड़ रुपये की परियोजना ऋण)** प्रदान की गई है।

FPO के समक्ष चुनौतियां

- **किसानों की लामबंदी:** जनशक्ति की कमी के कारण FPO का गठन और विकास कर पाना अत्यधिक कठिन है। साथ ही, किसानों की कमी के कारण FPO की शेयर पूंजी अपर्याप्त हो जाती है और इससे वित्तीय समस्याओं को बढावा मिलता है।
- **अक्षम प्रबंधन:** FPOs किसानों द्वारा संचालित होते हैं। इनके सी.ई.ओ. और निदेशक मंडल लोकतांत्रिक तरीके से उनके बीच से ही चुने जाते हैं। खराब प्रबंधकीय कौशल एवं उद्यमिता और व्यवसाय विकास की सीमित जानकारी अक्सर इनके विफलता के कारण बनते हैं।
- **ऋण तक अपर्याप्त पहुंच:** किसान सदस्यों की इक्विटी के अलावा प्रायः FPO के पास कोई अन्य राजस्व स्रोत नहीं होता है और वे ऋण से लाभ प्राप्त करने में विफल रह जाते हैं। किफायती ऋण तक पहुंच का अभाव (जमानत रखने और क्रेडिट हिस्ट्री के चलते) इसके समक्ष मौजूद प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- **जानकारी का अभाव:** जानकारी के अभाव में किसान उत्पादक संगठन, SFAC और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।
- **FPO के लिए जोखिम न्यूनीकरण का अभाव:** किसानों के स्तर पर उत्पादन से संबंधित जोखिम आंशिक रूप से मौजूदा फसल/ पशुधन/ अन्य बीमा योजनाओं के तहत कवर किए जाते हैं, परंतु FPO के व्यावसायिक जोखिमों को कवर करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- **अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुंच:** परिवहन सुविधाओं, भंडारण, मूल्यवर्धन (सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, आदि) और प्रसंस्करण, ब्रांड निर्माण और विपणन जैसे समुच्चयन (aggregation) के लिए आवश्यक अवसंरचना तक FPO की पहुंच अपर्याप्त है।
- **बाजार तक अपर्याप्त पहुंच:** FPO की सफलता के लिए लाभकारी कीमतों पर उपज का विपणन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जटिल बाजार तंत्र और कॉर्पोरेट उत्पादकों द्वारा निवेश/आगत का मूल्य निर्धारण, किसानों की बाजार पहुंच को कम करते हैं।

आगे की राह

- **कारोबार में सुगमता:** किसान उत्पादक संगठनों को कम से कम प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए विभिन्न वैधानिक अनुपालनों से आवश्यक छूट प्रदान की जा सकती है ताकि उन्हें नियामक व्यावसायिक वातावरण के साथ तालमेल बैठाने और व्यवसाय संचालन को स्थिर करने में मदद मिल सके।
- **सदस्यों के मध्य क्षमता निर्माण:** कौशल विकास, व्यवसाय योजना, प्रशिक्षित प्रबंधन, तकनीकी प्लेटफॉर्म, बाजार आसूचना (विपणन संबंधी जानकारी) और एक्सपोजर यात्राओं (Exposure visits) के माध्यम से क्षमता निर्माण विशेषरूप से FPO के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत कर सकता है।
- **ऋण तक पहुंच:** ब्याज मुक्त ऋण, क्रेडिट गारंटी योजनाओं का विस्तार, निजी इक्विटी भागीदारी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और बैंक लिंकेज कार्यक्रमों के तहत मूल्यवर्धन (नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, 1992 के समान) आदि FPO को भरोसेमंद संस्था बनने और क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
- **FPO पर विशेष पाठ्यक्रम:** निजी संस्थान/ कृषि विश्वविद्यालय महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखते हुए FPO प्रोत्साहन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं ताकि FPO गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेवरों का एक बड़ा पूल तैयार किया जा सके।
- **सिंगल-विंडो लाइसेंस:** FPO द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न लाइसेंस जारी करने की प्रणाली को सिंगल-विंडो राज्य-व्यापी लाइसेंस में बदलकर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।

- **निजी निवेशकों के लिए प्रावधान:** FPO की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा निजी निवेशकों द्वारा निजी इक्विटी भागीदारी/वापसी योग्य दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए।
- **संसाधनों का अभिसरण:** कृषि-वस्तुओं के मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और परिवहन तथा FPO स्तर पर कृषि स्तरीय अवसंरचना निर्माण हेतु संसाधनों का अभिसरण किया जाना चाहिए।
- **राज्य सरकारों की उदार नीति:** राज्य सरकारें FPOs को प्रोत्साहन देने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम के रूप में स्थापित होने के लिए उपयुक्त लचीली नीति ला सकती हैं।

6.10. कृषि निर्यात (AGRICULTURAL EXPORT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत वर्ष की तुलना में **18 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

भारत का कृषि-निर्यात पारितंत्र

- वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होने के उपरांत से, भारत **कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक** रहा है।
- भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में अग्रणी स्थान है।
- हालांकि, इसकी **संपूर्ण कृषि निर्यात बास्केट की विश्व कृषि व्यापार में हिस्सेदारी 2.5% से कुछ अधिक** ही है।
- भारत के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश हैं।
- भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में **समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली (oil meal), चीनी, अरंडी का तेल और चाय** शामिल हैं।

भारत के कृषि निर्यात में हुए हालिया वृद्धि को प्रेरित करने वाले कदम

- **नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप:** भारत में चावल की कृषि में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले **ट्राईसाइक्लाज़ोल** (Tricyclazol) और **बुप्रोफेज़िन** (Buprofezin) जैसे रसायनों के लिए कठोर मानदंड अधिरोपित किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि इन रसायनों की उपस्थिति व कीटनाशक अवशेषों की समस्याओं के कारण **यूरोपीय संघ को किया जाने वाला बासमती चावल (प्रमुख पारंपरिक निर्यात उत्पाद)** का निर्यात प्रभावित हुआ था।
    - इसलिए, यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल का **निर्यात निरीक्षण परिषद** द्वारा परीक्षण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण चेतावनियों की संख्या में कमी आई है।
        - **निर्यात निरीक्षण परिषद** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत का आधिकारिक निर्यात-प्रमाणन निकाय है।
- **नए बाजारों में उत्पादों का विस्तार:** वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्यान्न की मांग अधिक थी। इसी दौरान **पहली बार विभिन्न देशों को खेप भेजी गई,** यथा- तिमोर-लेस्ते, प्यूर्टो रिको और ब्राजील जैसे देशों को चावल तथा यमन, इंडोनेशिया, भूटान आदि देशों को गेहूं का निर्यात किया गया था।
- **कोविड-19 द्वारा प्रदत्त अवसर:** गैर-बासमती चावल के निर्यात में तीव्र वृद्धि के लिए **थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रमुख चावल निर्यातकों की तुलना में कम कीमतों** को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निर्यात में वृद्धि का एक और कारक यह भी है कि इन देशों ने लॉकडाउन के कारण निर्यात रोक दिया था।
- **जैविक उत्पादों की माँग में वृद्धि:** जैविक उत्पादों के निर्यात में वर्ष दर वर्ष **51 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है। इनमें खाद्यान्न और मोटा अनाज, मसाले एवं चटनियां, चाय, औषधीय पादप उत्पाद, सूखे मेवे व चीनी जैसे उत्पाद शामिल हैं। महामारी के कारण इस प्रकार के उत्पादों की माँग में बढ़ोतरी को इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

भारत के कृषि निर्यात क्षेत्रक में चुनौतियां

- **स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था का अभाव:** कुछ कृषि जिंसों की घरेलू कीमत और उत्पादन में अस्थिरता को देखते हुए, **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक साधन के रूप में व्यापार नीति का उपयोग करने की प्रवृत्ति** रही है। इस प्रकार के परिस्थितिजन्य उपाय, निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को भंग कर देते हैं और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को क्षति पहुंचाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति प्रभावित होती है।
- **अवसंरचना और संभार तंत्र:** पत्तनों या टर्मिनलों से स्थल-रुद्ध उत्पादन क्षेत्रों (जैसे- बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी क्षेत्र आदि) की निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है।

VISION IAS

- **बागवानी वस्तुओं की कम मात्रा:** बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए एक ही किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त मानकीकृत उत्पादों की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में लघु आकार की भूमि-जोतों और किसानों में जागरूकता की कमी का परिणाम प्रायः कम या अनुपस्थित मानकीकरण के साथ कई फसलों की विभिन्न किस्मों की सीमित मात्रा के रूप में परिणत होता है।
- **निम्न स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल स्तर का विकास:**
  - **खेत स्तर पर:** फसल कटाई पूर्व और उपरांत अपर्याप्त प्रबंधन से आयातक देशों द्वारा **स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)** को सख्ती से लागू करके तथा **व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते (Technical Barriers to Trade: TBT)** के माध्यम से उत्पादों को अस्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
  - **निर्यातकों के स्तर पर:** निर्यातकों में निर्यात से संबंधित मौजूदा योजनाओं और नीतियों के साथ-साथ निर्यात के लिए अपनाए जाने वाले प्रलेखन एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- **राज्यों की निम्न भागीदारी:** कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि "व्यापार और वाणिज्य" संघ सूची में शामिल हैं। इस प्रकार राज्य प्राय: देश के कृषि निर्यात में अपने लिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं देखते हैं।
- **15वें वित्त आयोग द्वारा रेखांकित की गई चुनौतियाँ:** अल्प उत्पादन और कृषि उत्पादकता; मूल्य वर्धन पर कम ध्यान तथा बड़ा घरेलू बाजार भारत की कृषि निर्यात क्षमता में बाधक हैं।

आगे की राह

कृषि निर्यात नीति, 2018 में वर्ष 2022 तक 60 अरब डॉलर से अधिक के कृषि निर्यात और आगामी कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:

- **स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था:** अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संकेत प्रेषित करने के लिए राज्य के सीमित हस्तक्षेप के साथ स्थायी और पूर्वानुमान योग्य नीति निर्माण करना अनिवार्य है। ऐसा करने का एक तरीका यह तय करना है कि निर्यात प्रतिबंध का उपयोग केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही किया जाए। इस एकमात्र उपाय से ही किसानों को विदेशी बाजारों के लिए योजना निर्माण हेतु कुछ आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है।
- **अवसंरचना और संभार-तंत्र:** प्रमुख पत्तनों की पहचान की जानी चाहिए, जहां वर्तमान/अनुमानित बल्क और कंटेनर कृषि यातायात द्वारा अवसंरचना एवं आधुनिकीकरण पहलों की मांग की जाती है।
  - **समुद्री पत्तन:** समर्पित पेरिशेबल बर्थ (शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए विशिष्ट लदान बिंदु), कृषि उत्पादों के लिए जेट्टी का विकास।
  - **रेलवे:** कृषि उत्पादों व रीफर वैगनों का संचालन करने के लिए स्टेशनों पर अवसंरचना निर्माण।
  - **विमानपत्तन:** पत्तनों पर मौजूदा निष्क्रिय अवसंरचनाओं, जैसे- सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (CPC) को संचालित करने में विद्यमान चुनौतियों को दूर करना तथा नए CPCs, लोडर्स, क्वारंटाइन क्षेत्रों एवं भीतरी भागों से बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता की पहचान करना।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण:** समग्र सरकारी दृष्टिकोण उन्नत किस्मों के लिए अनुसंधान और विकास, मूल्य वर्धन एवं पैकेजिंग तथा उत्तम मानक विधान की स्थापना से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। साथ ही, यह भारतीय उत्पादों द्वारा सामना की जाने वाली स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) तथा व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (TBT) के प्रति प्रतिक्रिया, वृद्धि कर रहे क्षेत्रों की पहचान करने और उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीतियों से संबंधित मुद्दों का भी निपटान करेगा।
- **कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की अधिकाधिक भागीदारी:** कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नोडल विभाग/एजेंसी की पहचान करने; राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात को शामिल करने; अवसंरचना और संभार-तंत्र द्वारा कृषि निर्यात को सुगम बनाने; निर्यात में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करने आदि जैसी पहलों के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करना:** निर्यात केंद्रित क्लस्टरों के परिणामस्वरूप उत्पादन का फसल कटाई पूर्व और उपरांत अधिक केंद्रित प्रबंधन होना अपेक्षित है। साथ ही, उन क्लस्टरों से निर्यात का अत्यंत उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का उन्नयन होने की भी संभावना है।
- **"ब्रांड इंडिया" का विपणन एवं प्रचार:** जैविक, मूल्य वर्धित, नृजातीय, भौगोलिक संकेतक, क्षेत्र विशिष्ट और ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के लिए समर्पित पृथक निधि का गठन किया जाना चाहिए।

7. उद्योग और अवसंरचना (INDUSTRY AND INFRASTRUCTURE)

7.1. औद्योगिक नीति (INDUSTRIAL POLICY)

मुख्य लक्ष्य

- वर्ष 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान विकास दर को दोगुना करना।
- नियोजित तरीके से "उद्योग 4.0" को अपनाना।
- फॉर्च्यून 500 श्रेणी में वैश्विक भारतीय फर्मों की संख्या बढ़ाना।
- वार्षिक रूप से 200 अरब डॉलर की एफ.डी.आई. अंतर्वाह आकर्षित करना और विश्व बाजार में भारतीय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एफ.डी.आई. बहिर्वाह का समर्थन करना।

वर्तमान स्थिति

- 1991 से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का 16% के आसपास स्थिर योगदान रहा है।
- हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक आदि में भारत के प्रदर्शन में सुधार दर्ज हुआ है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान (2014 के 142वें स्थान से)।
- फॉर्च्यून 500 की वर्ष 2021 की सूची में सात भारतीय कंपनियां शामिल।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011
- दूसरे देशों से प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते।
- GST सुधार, IBC संहिता, मेक इन इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया, DTI योजना।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए PLI योजना (PLI-SFPI)
- SEZ, NIMZ, प्रौद्योगिकी पार्क, मेगा पार्क, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs)

औद्योगिक नीति – एक नज़र में

आगे की राह

- मांग सृजन, औद्योगिक संरचना का संवर्धन और MSME का संवर्धन।
- विनिर्माण में और FDI को प्रोत्साहन।
- श्रम गहन क्षेत्रों में मेगा पार्कों और विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना।
- इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ करना।
- सभी राज्यों में सिंगल विंडो रेगुलेटरी सिस्टम लागू करना।
- नई औद्योगिक नीति के हिस्से के रूप में हरित औद्योगिक नीति लागू करना।
- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से कर संरचना में सुधार करना।

बाधाएं

- केवल चयनित क्षेत्र में FDI अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न में विकृति।
- वर्ष 2011–12 से नए निवेश में गिरावट की स्थिति।
- नियामकीय अनिश्चितता और प्रतिबंधात्मक श्रम कानून।
- डेटा सुरक्षा, डेटा की विश्वसनीयता और संचार/प्रसारण में स्थिरता सहित प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित चुनौतियां।
- गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक अवसंरचना के अभाव के परिणामस्वरूप उच्च रसद लागत और वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। निर्यात संचालित औद्योगिक विकास का अभाव।
- विद्युत की अपर्याप्तता और उच्च दरें।
- ऋण की कमी, उच्च श्रम लागत और अन्य
- नियामकीय बोझ निरंतर चुनौतियां बने हुए हैं।

7.1.1. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (EASE OF DOING BUSINESS: EODB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह ने निर्णय लिया है कि वह अब "डूइंग बिज़नेस" रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर देगा। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक समूह अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से देशों के व्यापार परिवेश के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है।

EoDB रैंकिंग की आवश्यकता क्यों हैं?

- कई विशेषज्ञ इस विचार का सदैव समर्थन करते हैं कि **व्यापार से जुड़े विनियमों, व्यापारिक माहौल और आर्थिक परिणामों के मध्य एक अहम और मजबूत संबंध होता है।**
  - व्यापार के लिए विनियामक माहौल **उत्पादकता, वृद्धि, रोजगार, व्यापार, निवेश, वित्त की सुलभता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को प्रभावित करता है।**
- EoDB वस्तुतः कुशल बाजारों को बढ़ावा देने, उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा माल ढुलाई व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु ज़मीनी स्तर पर विद्यमान पारदर्शी नियमों का उल्लेख करता है। इससे निवेशकों की सोच और भावनाएं बदलने में मदद मिलती है।
- किसी व्यापार पर नियम-कानून संबंधी अत्यधिक बाध्यताएं उसके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इन नियम-कानूनों का पालन करने में समय और लागत दोनों का व्यय होता है। इससे व्यापार की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होती है।
  - कम नियन-कानूनों के होने से उद्यमी अपना समय उत्पादक गतिविधियों में लगा सकते हैं।
- नीति आयोग द्वारा भी राज्य स्तर पर EoDB रैंकिंग व्यवस्था को भी आरंभ किया गया है। यह वार्षिक सुधार कार्य योजना को पूरा करने में राज्यों की प्रगति पर आधारित है।
  - राज्यों को प्रदान की जाने वाली इस रैंकिंग से **निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।**

EoDB रैंकिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- **रैंकिंग में अनियमितताएं: वर्ष 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा से जुड़ी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद** इस रैंकिंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
- **उदारवादी पक्षपात:** यह पाया गया है कि इसमें उदारवादी पक्षपात के कारण आर्थिक गतिविधियों की जटिलता को कम करके कुछ मात्रात्मक मैट्रिक्स (quantifiable metrics) तक ही सीमित कर दिया है।
  - **इसके चलते उन देशों को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है जिनकी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन के अनुरूप हैं।** विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन में निवेश के लिए नियम-कानूनों और बाधाओं को समाप्त करना, बाज़ार अनुकूल सुधार को बढ़ावा देना, श्रम संरक्षणवाद को कम करना आदि शामिल हैं।
- **स्थायी संरचनात्मक, सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा:** इस रैंकिंग की इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि यह वास्तविक और टिकाऊ संरचनात्मक सुधारों पर बल देने के बजाए सिस्टम में व्याप्त कमियों का उपयोग करता है। इसके चलते अनेक देश केवल उन कमियों को दूर कर रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहने की होड़ में लगे रहते हैं।
- **सभी के लिए एक दृष्टिकोण:** इसके अंतर्गत आर्थिक संवृद्धि और विकास को मापने एवं समझने के लिए "सभी के लिए एक दृष्टिकोण" को अपनाया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से संस्थानों और हितधारकों की वैचारिक प्राथमिकता पर आधारित है। इस तरह के तरीकों को अपनाए जाने से हमेशा कुछ अहम खामियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है।

भारत में व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के सम्मुख चुनौतियाँ

भारत कई महत्वपूर्ण मानदंडों (पैरामीटर) के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है

- वैसे तो अनेक मामले में भारत में प्रगति हुई है लेकिन व्यवसाय आरंभ करने, अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति का पंजीकरकण करने जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के मामले में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है।

उच्च प्रशुल्क या टैरिफ संरचना तथा संरक्षणवादी नीतियां

- भारत में प्रशुल्क संरचना और व्यापार संबंधी विनियमन पहले से ही गैर–पारदर्शी हैं तथा इनके बारे में अनुमान लगाना भी कठिन कार्य है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के कई निवेशकों और निर्यातकों की बाजार तक पहुंच सीमित हो जाती है।
- भारत में लागू औसत प्रशुल्क दर, विश्व व्यापार संगठन के देशों के मध्य सबसे अधिक दरों में से एक है।

अस्थिर नीतिगत माहौल

- कुछ साल पहले की एक घटना इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के बाद कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापक पैमाने प्रवेश हुआ था। लेकिन निरंतर बदलती नीतियों के कारण जल्द ही कई कंपनियों ने स्वयं को इस क्षेत्रक से अलग कर लिया।

अवसंरचना

- भारत में सड़क, रेल–मार्ग, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड और दूरसंचार अवसंरचना की वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है। इससे व्यापार करने में सुगमता के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं।

बौद्धिक संपदा से संबंधित सुरक्षात्मक उपाय

- वैसे तो भारत में स्थानीय कानून व्यापक स्वरूप में निर्मित किए गए हैं और वे सामान्य रूप से यूरोपीय यूनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बौद्धिक संपदा कानूनों के सुसंगत भी हैं। फिर भी इन कानूनों को लागू करने के संबंध में कुछ चिंताएं व्यापत हैं।
- संवेदनशील बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण करने के संबंध में अधिकारी तंत्र की ओर से किए जाने वाले विलंब तथा पारदर्शिता का अभाव चिंता का मुख्य विषय है।

भारत द्वारा अपनी रैंकिंग में सुधार करने हेतु लागू किए गए कुछ EoDB सुधार:

- **मेक इन इंडिया** की सहायता से कई सुधारों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापारिक माहौल से संबंधित अप्रासंगिक नीतियों और नियम-कानूनों को समाप्त करना, अवसंरचना विकास इत्यादि।
- **वेब आधारित स्पाइस प्लस (SPICe+) और एजाइल प्रोफॉर्म (AGILE PROform)** को आरंभ किया गया है। यह 3-चरणों में नई कंपनी के निगमीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले वर्ष 2014 तक 14 चरणों की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।
- भारत में कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार करने हेतु व्यापक रणनीति के भाग के रूप में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016** के माध्यम से एक आधुनिक दिवालिया व्यवस्था को स्थापित किया गया है।
- मुंबई और दिल्ली में **वन स्टॉप शॉप पोर्टल** का भी शुभारंभ किया गया है।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए दिल्ली और मुंबई में **आधुनिक सुविधाओं साथ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की गई है।**
- **सभी प्रकार के आयात और निर्यात संबंधी लेन-देनों के लिए सिंगल विंडो,** सभी हितधारकों जैसे कि पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर को एक सामान्य मंच पर एकीकृत किया गया है। बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट के फ़ास्ट ट्रैकिंग क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है।
- कराधान विधि (संशोधन) क़ानून, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसने कराधान कानूनों में निश्चितता लाते हुए भूतलक्षी या पूर्वव्यापी (retrospective) कराधान व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
- **एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल:** यह पोर्टल "अनुबंध प्रवर्तन" के पैरामीटर्स पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी का एक व्यापक स्रोत बनेगा।

7.1.2. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (AMENDMENTS TO PUBLIC PROCUREMENT ORDER, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिक वरीयता देने के लिए **सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 {Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017}** में संशोधन किया गया। **सार्वजनिक अधिप्राप्ति का तात्पर्य सरकारी खरीद से है।**

इस संशोधित आदेश के प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से नोडल मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाया गया है कि वे **वर्ग-I एवं वर्ग-II** के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम 'स्थानीय सामग्री' (local content) की सीमा को बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
- जिस दस्तावेज़ के माध्यम से बोली (bid document) लगायी जा रही है, उसमें विदेशी प्रमाण-पत्रों / तर्कहीन तकनीकी विशेषताओं/ ब्रांड्स / मॉडल के उल्लेख को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाता है।
  - हालांकि, विदेशी प्रमाणन को केवल संबंधित विभाग के सचिव के **अनुमोदन के पश्चात् ही** अंकित किया जाएगा।
- **जिन देशों में भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उन देशों की कंपनियों को भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी है।** हालांकि, कुछ मामलों में केवल संबंधित नोडल मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् ही उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, वे केवल उन अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके लिए मंत्रालय या विभाग ने अनुमति प्रदान की है।
- वे सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग जो **एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद** करते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए अपने अनुमानित खरीद के बारे में अपनी वेबसाइट्स पर अधिसूचना जारी करेंगे।
- **सरकारी खरीद के लिए एक ऊपरी सीमा (अर्थात् मूल्य)** को अधिसूचित किया जाएगा। इससे ऊपर की खरीद के लिए विदेशी कंपनियां एक भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम गठित कर सरकारी निविदाओं में भाग ले सकेंगी।

"सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017" के बारे में

- इसे सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए **सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (General Financial Rules 2017)** के अंतर्गत जारी किया गया था।
- जून 2020 में इसमें एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार, **200 करोड़ रुपये से कम मूल्य** वाली खरीद {वस्तुओं, सेवाओं या निर्माण कार्य (works) की खरीद} के लिए **केवल वर्ग-I एवं वर्ग-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता** ही बोली लगाने के लिए पात्र हैं।
- **यह वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों (टर्न-की निर्माण कार्यों सहित) की अधिप्राप्ति के लिए** लागू होता है।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए **स्व-प्रमाणन** (self-certification) को अनिवार्य बनाया गया है। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक व बाह्य सदस्यों से मिलकर बनी समितियों का गठन कर सकते हैं।

- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)** की एक समिति इस आदेश के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- कुछ विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए **अनिवार्य पात्रता** निर्धारित करते हैं, जैसे कि कुल टर्नओवर, सरकारी खरीद संबंधी विगत अनुभव आदि।
- **निविदा (टेंडर) प्राप्त करने में समय, लागत एवं श्रम की बर्बादी होती है तथा क्रेता-विक्रेता के मध्य बातचीत के अपर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं।** इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त जानकारी, जटिल विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया आदि आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं।
- कई MSMEs की शिकायत है कि **अनेक व्यापारी GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रेता बन गए हैं,** जिससे वास्तविक MSEs के हित प्रभावित हो रहे हैं।

सुझाव

MSEs से सरकारी खरीद में प्रत्येक वर्ष 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सरकारी खरीद वित्तीय वर्ष 2017-18 के 23.11 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.95 प्रतिशत हो गई। इसमें और सुधार करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- देश भर में **MSEs विक्रेताओं का एक डिजिटल व सरलता से उपलब्ध केंद्रीय डेटाबेस** तैयार करने की आवश्यकता है। सभी को उचित अवसर देने के लिए अधिकारियों को बड़े कॉर्पोरेट समकक्षों की तुलना में MSMEs के लिए पात्रता मानदंडों (qualification criteria) में छूट प्रदान करनी चाहिए।
- अधिक सरकारी खरीद करने वाले मंत्रालयों को MSEs विक्रेताओं के साथ-साथ PSUs के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उपाय करने चाहिए।
- उत्पादों के निष्पक्ष एवं त्वरित परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में **अर्ध-स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएं (Semi-independent testing labs)** स्थापित की जानी चाहिए।
- **फीडबैक प्राप्त करने और शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल** की स्थापना के साथ-साथ एक ऑन-ग्राउंड टीम का गठन किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात् सरकारी खरीद में स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **"सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आदेश (MSEs), 2018" के संदर्भ में सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति:**
    - इसके अंतर्गत, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम को यह आदेश दिया गया था कि वे MSEs से अपनी वार्षिक अधिप्राप्ति के **25 प्रतिशत हिस्से की खरीदारी** करेंगे।
    - इसके अतिरिक्त, 358 वस्तुएं (मद) भी **MSEs क्षेत्रक से अनन्य अधिप्राप्ति (exclusive purchase)** के लिए आरक्षित हैं।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):**
    - वर्ष 2016 में GeM का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपने सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DPP) 2020**
    - इसमें 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की अधिप्राप्ति में **स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content: IC)** को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
    - इसमें कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री वाली **एक नई श्रेणी (वैश्विक - भारत में विनिर्माण)** (Global – Manufacture in India) का भी प्रस्ताव किया गया है।

7.1.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना में 10 क्षेत्रकों को शामिल करने की घोषणा की है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI) क्या है?

- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन से तात्पर्य उत्पादकों को दी जाने वाली छूट से है। इस छूट की गणना उत्पादक की बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है (इसमें उल्लिखित बिक्री, कुल बिक्री या वृद्धिशील बिक्री हो सकती है)। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के लिए PLI योजना ने विनिर्माता की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% की छूट प्रदान की है।
    - PLI योजना के अंतर्गत भारत में विनिर्मित वस्तुओं (जिन्हें इस योजना के तहत कवर किया गया है) की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को कुछ वर्ष के लिए एक निश्चित प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना की प्रकृति के संबंध में, निम्नलिखित को PLI की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है-

- यह **योजना परिणाम आधारित है,** जिसका अर्थ है कि उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहनों का वितरण किया जाएगा।
- इसके तहत प्रोत्साहन की गणना उच्च वृद्धि दर से **वृद्धिशील उत्पादन पर आधारित होती है।**
- इस योजना के तहत प्रतिभागियों का चयन उनके आकार और व्यापकता के आधार पर किया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में माल का वितरण कर सकें।
- **इसके तहत क्षेत्रकों का चयन,** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए क्षेत्रकों, रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबद्ध क्षेत्रकों के प्रति **अत्यधिक उन्मुख रहते हुए किया जाता है।**
- साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहले की PLI योजना की अभिकल्पना में समर्थन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से निर्यातों या मूल्यवर्धन से जुड़ी नहीं थी ताकि यह **विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुकूल हो सके।**

योजना से होने वाले संभावित लाभ क्या हो सकते हैं?

- **रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि:** रणनीतिक महत्व के क्षेत्रकों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए-
    - **दूरसंचार उपकरण,** सुरक्षित दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण का महत्वपूर्ण और रणनीतिक तत्व है तथा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में भारत एक प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माता बनने की इच्छा रखता है।
- **तुलनात्मक लाभ का उपयोग:** भारत के घरेलू उद्योग के कुछ क्षेत्रकों में अन्य देशों के सापेक्ष तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, अतः इन क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करने से उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए-
    - **भारतीय औषधि उद्योग,** विश्व में परिमाण की दृष्टि से तीसरा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। यह वैश्विक रूप से निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों में 3.5% का योगदान देता है।
- **उच्च वैश्विक और घरेलू मांग का सदुपयोग करने की क्षमता में वृद्धि करना:** इससे संबंधित क्षेत्रकों में **बढ़ती घरेलू मांग पूरा करने** में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही **निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।**
- **नवोद्भित लेकिन उच्च क्षमता वाले क्षेत्रकों का विकास:** वर्तमान सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में हो सकता है कि ये क्षेत्रक महत्वपूर्ण नहीं हों, लेकिन उच्च संभावनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
    - **प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग** के विकास से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होते हैं और उच्च स्तर पर होने वाली खाद्य बर्बादी भी कम होती है।
- इस कदम को विनिर्माण क्षेत्रक में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले निर्णय के रूप में देखा गया है क्योंकि इससे **विदेशी प्रतिभागियों को आकर्षित करने,** देश में **रोजगार उत्पन्न करने** (वस्त्र उद्योग जैसे श्रम गहन क्षेत्रकों पर ध्यान देना), **निर्यात में वृद्धि** और इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक आपूर्ति शृंखला के साथ एकीकृत होने की आशा की गई है।
- उद्योग के दृष्टिकोण से, यह योजना बड़े उद्योगों की सोच को **'हतोत्साहन' से 'प्रोत्साहन' की दिशा में परिवर्तन को इंगित करती है** और साथ ही साथ वैश्विक महामारी के दौरान अत्यधिक आवश्यक राजकोषीय सहायता की संभावना प्रदान करती है।

इस योजना से जुड़े संभावित मुद्दे क्या हैं?

- **दीर्घकालिक विकास हेतु, योजना से धीरे-धीरे विरत होना महत्वपूर्ण है:** प्रोत्साहन संरचना को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और यह अस्थायी होनी चाहिए ताकि समर्थन प्राप्त करने वाले उद्योग परिपक्व हो सकें तथा संरक्षण का सहारा प्राप्त किए बिना आर्थिक रूप से दक्ष हो सकें। इन योजनाओं को लंबे समय तक जारी रखने से इन क्षेत्रकों में त्वरित विकास होने के स्थान पर, विकास की गति मंद हो सकती है।
- **क्षेत्रक विशिष्ट प्रोत्साहनों की अभिकल्पना करना:** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक और औषध (फार्मास्युटिकल) क्षेत्रक में PLI योजना के कार्यान्वयन ने इस तथ्य को उजागर किया है कि प्रत्येक क्षेत्रक के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की पात्रता सीमाएं होनी चाहिए। 10 क्षेत्रकों में समाविष्ट की गई व्यापक शृंखला की गतिविधियों को देखते हुए, प्रत्येक के लिए प्रभावी रूप से सीमाओं का निर्धारण करना एक कठिन कार्य बन सकता है।
- **स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं:** दीर्घावधि में देखें तो कोई अर्थव्यवस्था केवल तभी प्रतिस्पर्धात्मक बनी रह सकती है जब विभिन्न क्षेत्रकों को अपने अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। उन क्षेत्रकों के लिए संसाधन पुन:आवंटित हो जाते हैं जिनमें उच्चतर उत्पादकता संवृद्धि देखी जाती है। बाहरी हस्तक्षेप से संसाधनों के अनुकूलित आवंटन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **प्रोत्साहन रहित क्षेत्रकों को हानि:** इसके तहत पूंजी और मानव संसाधनों के रूप में अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहन प्राप्त क्षेत्रकों की ओर प्रेरित किया जाएगा जिससे अन्य क्षेत्रक अप्रत्यक्ष रूप से हतोत्साहित होंगे।

इन समस्याओं का समाधान करने और योजना में और अधिक सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **योजना पर पूर्व-निर्धारित समापक खंड (Sunset clause):** यह न केवल दीर्घावधि के लिए क्षेत्रक हेतु लाभकारी होगा, बल्कि यह वैयक्तिक प्रतिभागियों को क्षमता निर्माण हेतु केवल एक बार मिलने वाले अवसर के रूप में देखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

- **तकनीकी क्षमता में सुधार:** इन प्रोत्साहनों द्वारा विकसित की गई अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग उद्योग के प्रतिभागियों द्वारा अपनी तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी करने और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनने की दिशा में अग्रसर होने के लिए किया जा सकता है।
- **कारोबारी माहौल में सुधार करना:** यह कार्य नीतिगत ढांचे की पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता में सुधार करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कराधान व्यवस्था का सरलीकरण करना या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाना आदि। यह उन उद्योगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की परिधि के बाहर हैं।
- **निर्यात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वास्तविक विनिमय दर को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना:** पिछले दशक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) दोनों के कारण भारत में वास्तविक विनिमय दर (मुद्रास्फ़ीति के लिए समायोजित) में 19% की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि ने समग्र निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP) को पुनः सक्रिय करना:** कई उद्योग विशेषज्ञों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि व्यापक पैमाने पर उत्पादन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अवसंरचना के आपूर्ति-पक्ष संबंधी अवरोधों को समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन द्वारा प्रस्तावित योजना आगे की राह प्रशस्त कर सकती है।

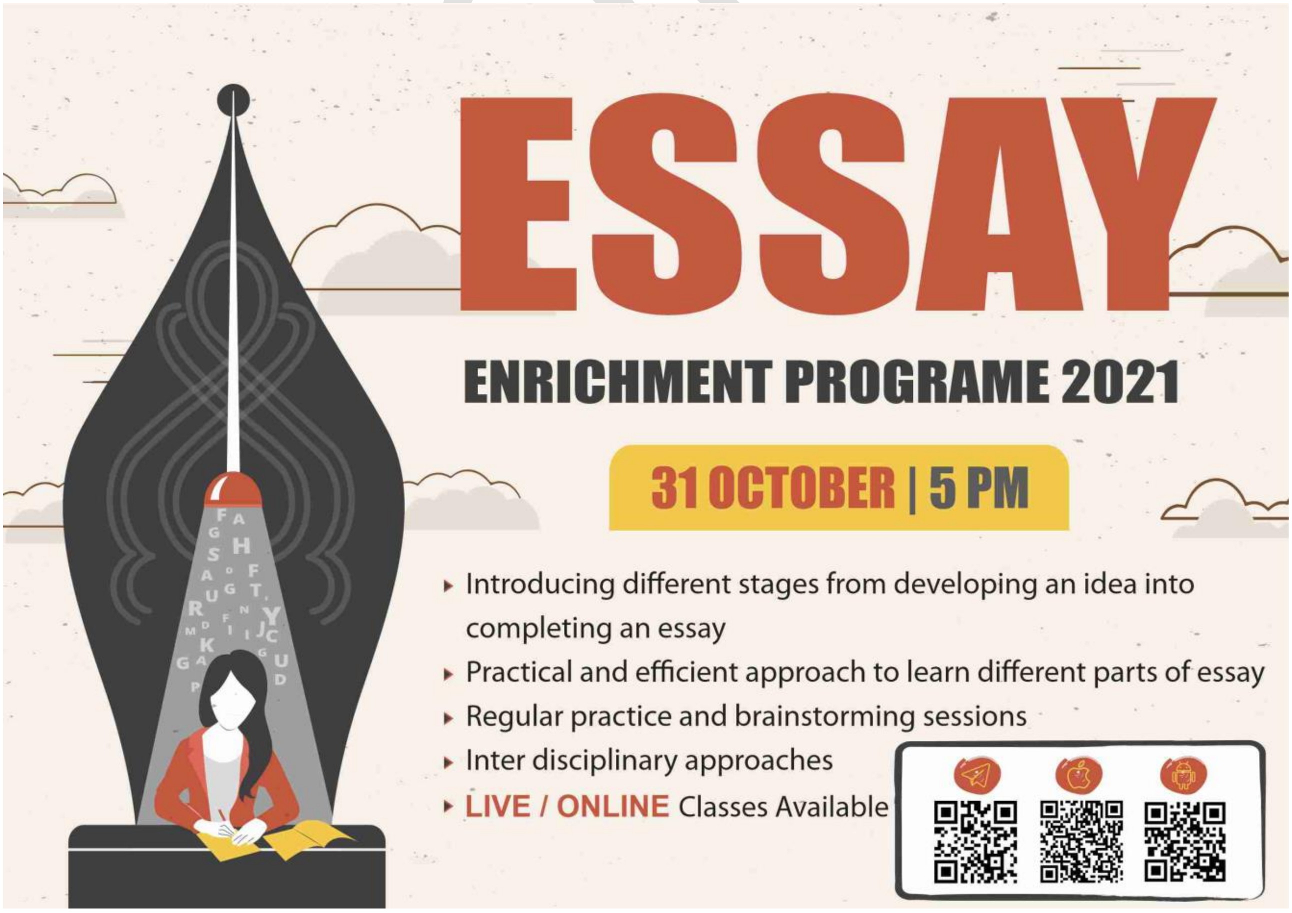

7.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME SECTOR)

मुख्य लक्ष्य

- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का विजन तभी संभव होगा, जब MSME क्षेत्रक GDP में 50% का योगदान देगा।
- सरकार वर्ष 2020–2024 तक **MSME के योगदान को GDP के 50% तक बढ़ाने** और तब तक लगभग **50 करोड़ रोजगार सृजित करने** की योजना बना रही है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारत में 6.3 करोड़ MSMEs कार्यशील हैं।
- MSMEs में 110 मिलियन लोग कार्यरत हैं।
- देशों के सकल घरेलू उत्पाद में MSMEs का योगदान 30% है।
- विनिर्माण संबंधी उत्पादन में MSMEs का योगदान 45% है।
- कुल निर्यात में MSMEs का योगदान 40% है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
- MSME की नवीन परिभाषा तथा विनिर्माण और सेवा संबंधी MSMEs के बीच कृत्रिम पृथक्करण को समाप्त करना।
- NIC-ARISE
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
- ऋण से संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी–अपग्रेडेशन स्कीम।
- MSME–क्लस्टर विकास कार्यक्रम।
- शून्य दोष और शून्य प्रभाव योजना।
- शहद मिशन, सौर चरखा मिशन।
- एस्पायर (ASPIRE), स्फूर्ति (SFURTI), मुद्रा (MUDRA)
- उद्यमी मित्र पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, समाधान (SAMADHAAN), संपर्क (SAMPARK) और संबंध (SAMBANDH) पोर्टल।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक – एक नज़र में

आगे की राह

- बड़ा एवं पर्याप्त आर्थिक पैकेज, आसान ऋण उपलब्धता और महामारी के कारण हुई क्षति का आकलन।
- सरलीकृत ऋण प्रक्रिया और मूल्यांकन।
- MSME क्षेत्रक को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना।
- वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों के साथ सहयोग हेतु ऋणदाता।
- उद्यमों और उद्यमिता के लिए एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना।
- श्रम गहन क्षेत्र में मेगा पार्क और विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना।

बाधाएं

- कोविड–19 महामारी के कारण 50% से अधिक शटडाउन (तालाबंदी) या उत्पादन में गिरावट।
- विशेष रूप से डिजिटल और संस्थागत ढांचे से संबंधित अवसंरचनात्मक बाधाएं।
- पूंजी तक सीमित पहुंच और ज्ञान का सीमित आधार।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण धीमी उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता में कमी।
- श्रम संबंधी चुनौतियां, जैसे अत्यधिक श्रम अनुपालन और कुशल श्रमिकों की कमी।

7.3. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (SEMICONDUCTORS MANUFACTURING IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार कथित तौर पर देश में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाली प्रत्येक कंपनी को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद प्रदान करने की योजना पर कार्य कर रही है।

भारत अर्धचालकों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास क्यों कर रहा है?

- **वैश्विक आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए:** विगत वर्ष कोविड-19 महामारी के प्रकोप के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई देश स्वयं चिप विनिर्माण इकाईयां विकसित करने के लिए प्रेरित हुए हैं।
    - वर्ष 2020 में अर्धचालकों की मांग में व्यापक वृद्धि हुई है। इससे विश्व भर में उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड-19 के कारण विश्व भर में चिप की बिक्री, वर्ष 2019 के 412.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 439 बिलियन डॉलर हो गई थी।
- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण:** भारत, चीन के पश्चात् विश्व में स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है और चिप्स इन उपकरणों का प्रमुख घटक है।
- **सामरिक आवश्यकता:** अर्धचालक निर्माण के कुछ सामरिक लाभ भी हैं, क्योंकि देश रक्षा और विद्युत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता है।
- **आयात पर होने वाले व्यय में कमी:** वर्तमान में भारत चिप्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 21 बिलियन डॉलर मूल्य के सेमीकंडक्टर्स की खपत की है।
- **नवाचार को प्रोत्साहन:** वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन और निर्यात, भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा व नवोन्मेषों के संपर्क में लाएगा। इससे भविष्य के लिए नवाचार की अपनी क्षमताओं में सुधार करने हेतु भारत को सहायता प्राप्त होगी।

अर्धचालक विनिर्माण में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **जटिल विनिर्माण प्रक्रिया:** चिप विनिर्माण एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल केवल कुछ देशों के पास ही है।
    - भारत ने अर्धचालक उद्योग में डिजाइन और वेरिफिकेशन में सराहनीय कार्य किया है। अधिकांश वैश्विक अर्धचालक कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अप्रत्यक्ष रूप से भारत का भी कुछ योगदान है। किंतु फिर भी अधिकांश चिप्स, मेमोरी और डिस्प्ले उपकरण देश में आयात किए जाते हैं।
- **बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता:** अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए दो से तीन वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 75,000 करोड़ रुपये तक के बड़े निवेश की आवश्यकता होती है।
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** योग्य कार्यबल की उपलब्धता अर्धचालक फर्मों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है और इस मामले में भी भारत की कमी स्पष्टतः प्रकट हो जाती है।
- **अति विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता:** सिलिकॉन के अतिरिक्त, अर्धचालक निर्माण में कई प्रकार के रसायन और गैसें भी शामिल हैं, जो अब तक भारत में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं और इनका आयात करना पड़ता है।
- **सहायक अवसंरचना में व्याप्त अंतराल:** चिप विनिर्माण इकाइयों को भारी मात्रा में जल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो भारत में एक समस्या हो सकती है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल

- इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत **100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** प्रदान की गई है।
- भारत में वृद्धिशील **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)** क्षेत्र में निवेश हेतु वैश्विक और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करने के लिए **वर्ष 2012 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लागू की गई थी।**
- **इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना** आरंभ की गई है। यह ग्रीनफील्ड क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए लागत का 50% तथा ब्राउनफील्ड क्लस्टर के लिए लागत का 75% प्रदान करती है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में **सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन** किया है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** हमारे लिए पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी कठिन है, जो बेहतर लागत-दक्षता और प्रथम प्रस्तावक लाभ के कारण वैश्विक चिप निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थान बन गए हैं।

आगे की राह

- **सहायक अवसंरचना:** तीव्र परिवहन, शुद्ध जल की व्यापक उपलब्धता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, संचार, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि के साथ एक विश्व स्तरीय संधारणीय अवसंरचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

VISIONIAS

- **असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (ATMP) से प्रारम्भ करना:** ATMP कंपनियां अधिक रोजगार सृजन करती हैं और इनमें पूर्ण फैब्रिकेशन प्लांट (fabs) की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है।
- **स्थायी एवं दीर्घकालीन नीति:** वर्तमान में लागू की गई नीति (जिसमें सभी प्रकार की सब्सिडी शामिल है) कम से कम 10 से 15 वर्षों के लिए वैध और स्थायी होनी चाहिए। इसे एक ठोस दीर्घकालिक योजना एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- **उद्योग एवं शिक्षा जगत के मध्य सहयोग:** नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में अनुसंधान और नवाचार पर अधिक बल देने के साथ, अब भारत में अर्धचालक निर्माता कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योग और शिक्षाविदों के बीच बेहतर समन्वय की संभावना है।

7.4. अवसंरचना वित्त पोषण (INFRASTRUCTURE FINANCING)

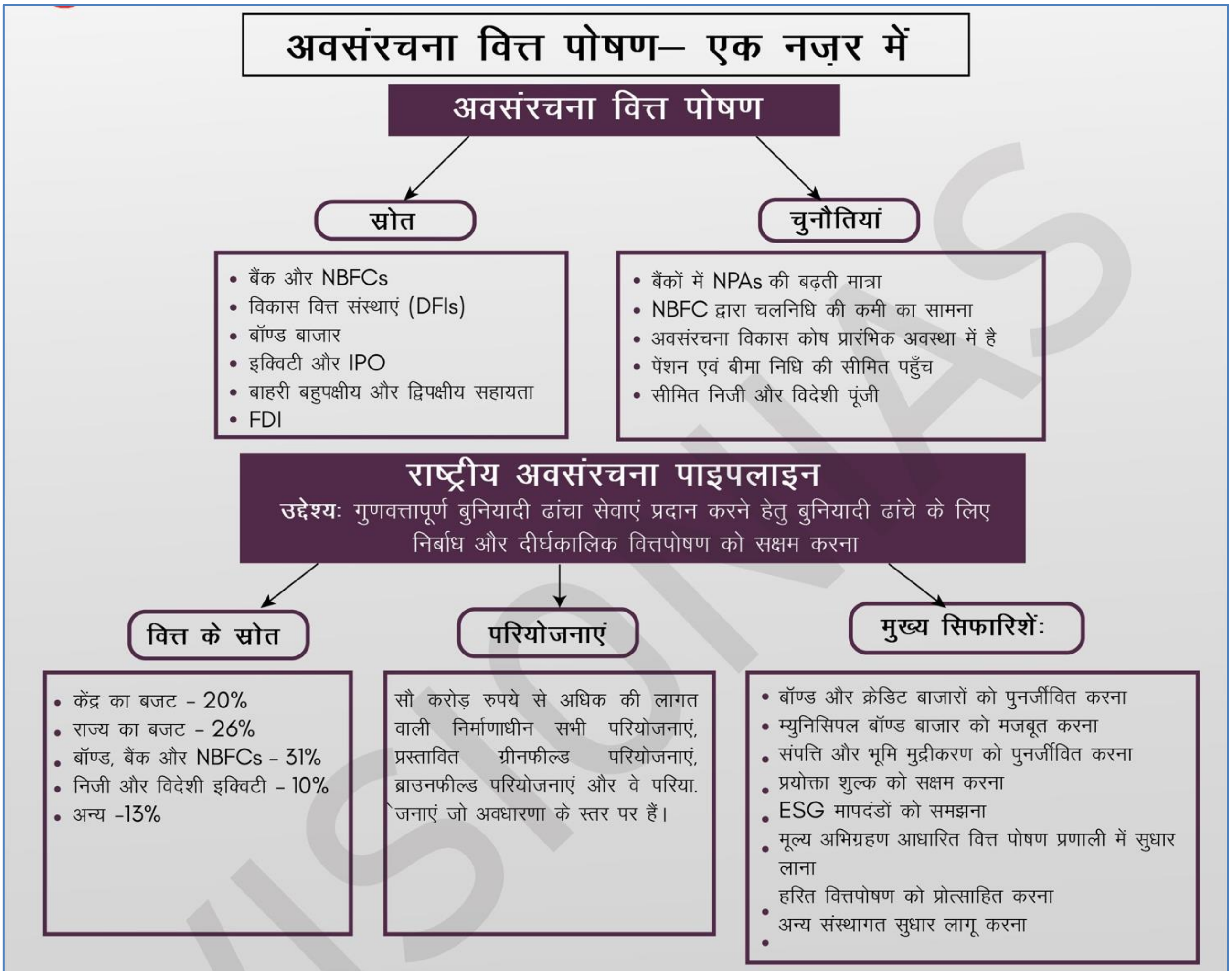

विभिन्न व्यवसाय मॉडल की तुलना का चार्ट

मॉडल	परिसंपत्ति का स्वामित्व	रियायत अवधि	पूंजी निवेश की जिम्मेदारी	निजी भागीदार का राजस्व संबंधी जोखिम	निजी कर्ता की जिम्मेदारी
इंजीनियरिंग,खरीद और निर्माण(EPC)	सार्वजनिक	लागू नहीं	निजी – उच्च	परिवर्तनशील	इंजीनियरिंग,खरीद, और निर्माण
पट्टा आधारित अनुबंध (लीज़िंग कॉन्ट्रैक्ट)	सार्वजनिक	सामान्यतः 10–15 वर्ष	निजी – अत्यंत निम्न	उच्च	परिचालन एवं प्रबंधन
बिल्ड – ऑपरेट – ट्रांसफर (BOT)	परिचालन की दृष्टि से निजी	सामान्यतः 15–30 वर्ष	निजी – उच्च	उच्च	वित्त पोषण, निर्माण एवं परिचालन
प्रबंधन अनुबंध	सार्वजनिक	सामान्यतः 3–10 वर्ष	सार्वजनिक या निजी – निम्न	नगण्य से लेकर निम्न तक	परिचालन एवं प्रबंधन
संयुक्त उद्यम (JV)	सार्वजनिक एवं निजी	सामान्यतः 20– 30 वष	निजी – उच्च	मध्यम से लेकर उच्च तक	वित्त पोषण, निर्माण एवं परिचालन
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)	परिचालन की दृष्टि से निजी	सामान्यतः 15–30 वर्ष	निजी – उच्च	परिवर्तनशील	वित्त पोषण, निर्माण एवं परिचालन

7.4.1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक {NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT (NABFID)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) विधेयक, 2021** पारित किया।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) विधेयक, 2021 के बारे में

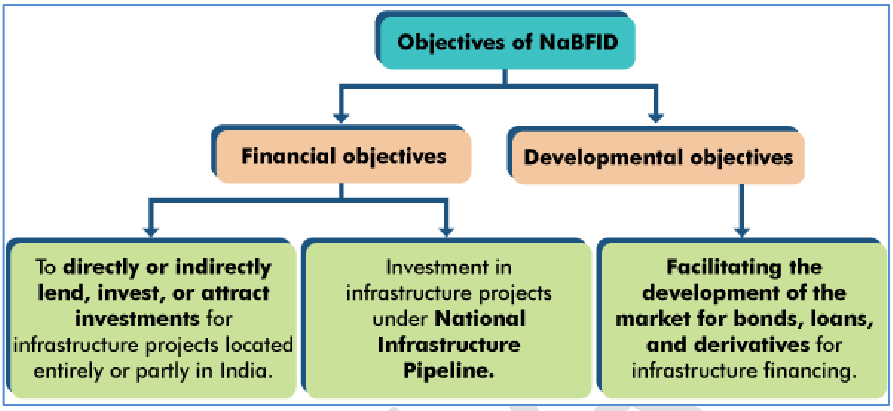

- यह विधेयक **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)** को एक विकास वित्त संस्थान (Development Financial Institution: DFI) के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि वित्तपोषण की समस्या से ग्रस्त दीर्घ अवधि वाली अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्राप्त हो सके।
- **NaBFID की शेयरधारिता:** NaBFID को एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख करोड़ रुपये होगी। इसके शेयर केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, संप्रभु संपत्ति निधियों (sovereign wealth funds), पेंशन निधियों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा धारित की जाएंगी।
- **वित्त या निधि के स्रोत:** NaBFID भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में ऋण प्राप्त कर या बॉण्ड्स और डिबेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों/लिखतों को जारी कर अथवा उनका विक्रय कर धन जुटा सकता है।

- **प्रबंधन:** NaBFID एक **निदेशक मंडल (Board of Directors)** द्वारा शासित होगा तथा इसके **अध्यक्ष** को भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- **सरकारी सहायता:** केंद्र सरकार **NaBFID** को पहले वित्त वर्ष के अंत तक **5,000 करोड़ रुपये का अनुदान** प्रदान करेगी।
- **जांच और अभियोजन:** न्यायालयों को भी NaBFID के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों पर संज्ञान लेने के लिए पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित से पूर्व स्वीकृति लिए बिना NaBFID के कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है:
  - अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में **केंद्र सरकार;** तथा
  - अन्य कर्मचारियों के मामले में **प्रबंध निदेशक।**
- **लाइसेंस:** भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार से परामर्श करके निजी क्षेत्रक के **विकास वित्त संस्थान (DFIs)** स्थापित करने के लिए **लाइसेंस जारी करने एवं शर्तों का निर्धारण करने का कार्य करती है।** भारतीय रिज़र्व बैंक इन **DFIs** के लिए विनियमन भी निर्धारित करता है।

विकास वित्त संस्थानों (DFIs) के बारे में

- DFIs को एक **विकास बैंक या विकास वित्त कंपनी** के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे संस्थान होते हैं, जो **उद्योग, कृषि, आवास और अवसंरचना** जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **दीर्घकालिक विकास हेतु दीर्घ अवधि वाले वित्त/ऋण प्रदान करते हैं।**
- DFIs विशेष रूप से विकासशील देशों में **ऋण प्रदान करने और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।**
- DFIs **पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व में** हो सकते हैं तथा **कुछ में निजी स्वामित्व या शेयरधारिता अधिक होती है, जिसका निर्धारण** वित्तपोषित होने वाली गतिविधियों की प्रकृति और उनके संबंधित जोखिम-रिटर्न प्रोफाइल द्वारा होता है।

- DFI शब्द का **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 1956** में या DFI की स्थापना करने वाले विभिन्न क़ानूनों में **कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है,** जबकि भारतीय रिज़र्व बैक अधिनियम और कंपनी अधिनियम के तहत कुछ वित्तीय संस्थान व्यापक अर्थों में DFIs की भूमिका निभाते हैं।

विकास वित्त संस्थानों (DFIs) की आवश्यकता और लाभ

- **दीर्घकालिक वित्त:** DFIs अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में गतिविधियों के लिए संपार्श्विक आधारित वित्तपोषण और सहायता के बजाय किसी परियोजना के दीर्घकालिक वित्तपोषण पर जोर देते हैं, जहां जोखिम अधिक हो सकते हैं और जिनका वित्तपोषण करना वाणिज्यिक बैंकों के लिए व्यवहार्य नहीं हो सकता है।
- **ऋण अंतराल को भरने में सहायक:** वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः लंबी अवधि की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसी परियोजनाओं से प्रतिफल प्राप्त होने में काफी लंबा समय लगता है। ऐसे में DFIs वाणिज्यिक बैंकों की अक्षमता के कारण उपजे अंतराल को भरने का कार्य करते हैं।
- **पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए:** NaBFID विधेयक के अंतर्गत उल्लेख किए गए **कर लाभ और भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए सुधार** बॉण्ड्स बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
- **जोखिम की घटनाओं को कम करेंगे:** DFIs परियोजनाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सम्भाव्यता का अध्ययन करते हैं। जब परियोजना लागत अधिक हो और एक DFI द्वारा वित्तपोषित नहीं की जा सकती हो तो, एक DFI द्वारा वित्त पोषण किए जाने के स्थान पर वे वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऋण संघ बनाते हैं, जिससे जोखिम की घटनाओं में कमी आती है।
- **तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता:** DFIs परियोजनाओं को कौशल, तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जिससे परियोजनाएं अधिक सफल होती हैं।

विकास वित्त संस्थान (DFIs) के समक्ष संभावित चुनौतियां

- **कार्रवाई योग्य रणनीति:** DFIs से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए सबसे आगे रहकर काम करेंगे। इसके लिए उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन पाने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करना उनके शासन (गवर्नेंस) की प्रकृति के कारण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनका शासन अक्सर जटिल होता है और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा होता है।
- **ऋण देने के विषय में निर्णय:** गैर-निष्पादित ऋणों के उच्च स्तर से बचना 'विकास वित्त संस्थान' (DFI) के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए। इसके अलावा, ऋण देने के विषय में अच्छे निर्णय लेने के कई अन्य भी पहलू होते हैं और इनमें विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे- ऋण प्रदान करने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अस्थिर ऋणों का जोखिम अंकन (अंडरराइटिंग या हामीदारी अंकन / डूबंत घोषित करना) और भ्रष्टाचार।
- **गैर-लाभकारी प्रतिस्पर्धा:** ऐसे मामले हो सकते हैं जहां बहुत अधिक धन कुछ ही अच्छी परियोजनाओं में लगा होता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधन आवंटन अच्छी प्रकार से वितरित नहीं हो पाता है। यह गैर-लाभकारी प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाता है।
- **निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों के बीच संतुलन:** निजी क्षेत्रक की प्रकृति के DFI के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्रक पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी और उस पर भरोसा होने पर भी उस संस्थान को ऐसे लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो सरकार सामान्य रूप से किसी राज्य के स्वामित्व वाले DFI को प्रदान करती।
- **सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना:** DFIs को प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, लेकिन जब पारिश्रमिक के निरपेक्ष स्तरों पर प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। इसके कारण DFIs में दक्षता, प्रेरणा और क्षमता का ह्रास हो सकता है।

आगे की राह

- **मानकीकृत विनियमन:** मानकीकृत और सुव्यवस्थित नियामक ढाँचों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है, जहां सरकार की भागीदारी के बावजूद, निर्णय लेने और कार्यकारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती हो।
- **कार्य-प्रदर्शन विश्लेषण:** कर्मचारियों को संस्थान में कार्यरत बनाए रखने के लिए कार्य-प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक का निर्धारण करना और तकनीकी क्षमताएं बनाए रखने और DFIs की दक्षता बनाए रखने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- **परामर्श और समन्वय:** रणनीति को विस्तृत स्वरूप प्रदान करने के दौरान DFIs के मध्य परामर्श, सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सह-वित्तपोषण के माध्यम से विशिष्ट संचालन के बारे में परस्पर सहयोग करने की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक-दूसरे के कार्यक्षेत्रों में प्रवेश नहीं हो तथा बाजार में किसी भी तरह का अंतराल न आ पाए।
- **नवाचार की सुदृढ़ संस्कृति:** नवाचार की सुदृढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने से विशेष रूप से अनछुए क्षेत्रों में उद्यमिता में मूल्यवर्धन और निजी निवेश को बढ़ाने में मदद मिलती है।

8. सेवा क्षेत्रक (SERVICES SECTOR)

8.1. ई वाणिज्यिक क्षेत्रक (E-COMMERCE SECTOR)

मुख्य लक्ष्य

- **कीमतों की तुलना को** आसान बनाकर कीमत में **पारदर्शिता** लाना।
- **छोटे उद्यमों** के लिए **भारतीय** और **वैश्विक बाजारों** तक **पहुंच सुनिश्चित करना।**
- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा** देने, **लॉजिस्टिक्स क्षेत्र** में विकास या भुगतान, सेवा वितरण आदि जैसे डिजिटल स्पेस में नए नवाचारों का समर्थन करने में सहायता करना।
- ग्राहकों के लिए **बेहतर डील और ऑफर** आदि।

वर्तमान स्थिति

- भारत विश्व स्तर पर **8वां सबसे बड़ा** ई–कॉमर्स बाजार है।
- भारत के खुदरा बाजार में ई–कॉमर्स का **केवल** 5% हिस्सा है।
- इस उद्योग द्वारा वर्ष 2021 में **55.6 बिलियन डॉलर** मूल्य का उत्पादन किया गया था।
- मासिक आधार पर **इंटरनेट के 1 करोड़ नए** उपयोगकर्ता जोड़े जाते हैं (मुख्य रूप से टियर–II शहरों से)।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) परियोजना।**
- गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल।
- **राष्ट्रीय खुदरा नीति।**
- **डिजिटल इंडिया** के तहत उमंग, स्टार्ट–अप, भीम आदि जैसी पहल।
- समानता शुल्क नियम, 2016 और 2020 में इसका संशोधन।
- **ई–कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में** FDI की सीमा को 100% तक बढ़ाना (B2B मॉडल में)

ई–कॉमर्स क्षेत्र – एक नज़र में

आगे की राह

- **डेटा संरक्षण** कानून का निर्माण और प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- **अनुचित व्यापार व्यवहार** (फ्लैश सेल, मिस–सेलिंग सहित) की **स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करना।**
- एल्गोरिदम में हेरफेर, उत्पादों के गलत रिव्यू आदि सहित **भ्रामक रणनीति को हतोत्साहित करने के लिए सुधारात्मक तंत्र लागू करना।**
- उपभोक्ताओं के लिए **उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र** सुनिश्चित करना।
- इंटरनेट की **पहुँच बढ़ाना, भुगतानों का डिजिटलीकरण करना;** साथ ही परिवहन **अवसंरचना में सुधार करना, रसद और सुवितरित वेयरहाउसिंग समर्थन प्रदान करना।**

बाधाएं

- इंटरनेट, विद्युत, उपकरणों आदि की उपलब्धता संबंधी **अवसंरचनात्मक समस्याएं।**
- **साइबर कानूनों** के ढांचे में **स्पष्टता का अभाव**
- **गोपनीयता और सुरक्षा** संबंधी चिंताएं।
- **भुगतान और कर संबंधी मुद्दे।**
- **डिजिटल निरक्षरता।**

8.1.1. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 {CONSUMER PROTECTION (E-COMMERCE) RULES, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020** में प्रस्तावित संशोधनों पर जनता की राय मांगी गई थी।

ई-कॉमर्स सुरक्षा नियमों के निर्माण की आवश्यकता

अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, आदि जैसे बड़े ई-कॉमर्स अभिकर्ताओं पर अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि वे अनुचित प्रथाओं या साधनों का प्रयोग कर **कानून का उल्लंघन** करते हैं, जिससे पारंपरिक दुकानों या छोटे विक्रेताओं का हित बुरी तरह से प्रभावित होता है। अनुचित प्रथाओं या साधनों में शामिल हैं:

- इन्वेंटरी मॉडल में व्याप्त कमियों का लाभ उठाकर **हाइब्रिड मॉडल** का उपयोग करना।
- किसी भी प्रकार के **प्लेटफार्म न्यूट्रिलिटी** या पसंदीदा विक्रेता या निजी लेबल का समर्थन न करना।
- बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रिडेटरी प्राइसिंग (प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कीमतों को कम रखना) या भारी छूट जैसी **प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं** का उपयोग करना।
- विशिष्ट उत्पादों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च कर **बाजार हिस्सेदारी का दुरुपयोग** करना, जैसे- कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च करना।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के लिए पैनल का गठन

DPIIT ने **ONDC के कार्यान्वयन** पर सलाह देने के लिए 9-सदस्यीय पैनल (नंदन नीलेकणी और आर. एस. शर्मा सहित) का गठन किया है।

- एक सॉफ्टवेयर या किसी प्रक्रिया को ओपन-सोर्स के रूप में स्थापित करने का आशय कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को दूसरों के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने से है, जैसे कि गूगल द्वारा एंड्राइड।
- **खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल** के माध्यम से, ONDC ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रोटोकॉल के मानकीकरण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सभी ऑनबोर्ड विक्रेताओं के लिए समान मानक तय करना।
- **यूपीआई** ओपन सोर्स का एक पुराना उदाहरण है, जिसका डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन

- **पंजीकरण:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के साथ ई-टेलर का अनिवार्य पंजीकरण।
- **विदेशी उत्पादों की पहचान:** 'मूल देश' के आधार पर माल/वस्तुओं की पहचान करना और घरेलू सामग्रियों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने हेतु एक फिल्टर तंत्र निर्मित करना।
- एक **मुख्य अनुपालन अधिकारी** (अधिनियम का पालन करने के लिए), **नोडल संपर्क व्यक्ति** (कानून एजेंसियों के साथ 24X7 समन्वय के लिए) और **निवासी शिकायत अधिकारी** (ग्राहकों की शिकायत के लिए) को नियुक्त करना।
- इसके मंच के माध्यम से एकत्र की गई **जानकारी का कोई अनुचित उपयोग न करना** और **संबंधित पक्षों या संबद्ध उद्यमों** द्वारा ऐसे किसी भी कृत्यों को सम्पादित न करना जिसके लिए ई-कॉमर्स इकाई स्वयं अधिकृत नहीं है।
- **नियमों के अंतर्गत शामिल अन्य प्रमुख घटक:**
  - माल और सेवाओं की भ्रामक/त्रुटिपूर्ण बिक्री या भ्रामक विज्ञापन का प्रदर्शन से बचना।
  - माल और सेवाओं की क्रॉस-सेलिंग (परस्पर बिक्री) में शामिल होने पर पर्याप्त प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना।
  - पारंपरिक बिक्री के अलावा वस्तुओं और सेवाओं के फ्लैश सेल (सीमित समय के लिए अत्यंत कम कीमतों पर वस्तुओं का विक्रय) पर रोक लगाना।
  - लॉजिस्टिक्स (संचालन और क्रियान्वयन संबंधी) सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना।

प्रस्तावित प्रमुख संशोधन से जुड़े मुद्दे/ चिंताएं

- **कारोबार सुगमता में गिरावट:** नए प्रस्ताव, नियामक अनुपालन दायित्वों में और नियामक ढांचे की सख्ती में वृद्धि करते हैं जिसका पालन छोटे ई-टेलर्स के लिए मुश्किल हो सकता है।
- **जिम्मेदारी से जुड़े प्रावधान (Fall-back-liability clause):** प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, विक्रेताओं की ओर की गयी गलती की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनियों पर है। यह प्रावधान उन्हें **"सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन"** (कानूनी या नियामक दायित्व से मुक्त) से वंचित करता है।
- **इसके कई प्रावधान दूसरे के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों से संबंधित हैं:** इसमें उपभोक्ता हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। इसके बजाये ये नियम व्यवसाय प्रथाओं और अन्य प्रावधानों, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधीन हैं या डेटा पर आई.टी. मध्यवर्ती दिशा-निर्देश आदि के अधीन हैं, पर विशेष रूप से केन्द्रित हैं। यह भ्रम और संस्थागत संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है।
- **उपभोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम मूल्य:** ई-कॉमर्स बिक्री दिवस यानी सेल्स डे पर उच्च बिक्री के आंकड़े, कम कीमतों पर खरीदारी रुझानों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में फ्लैश बिक्री को सीमित करना उपभोक्ताओं के रुझानों (कम कीमतों पर खरीदारी करने की प्रवृत्ति) के विरुद्ध हो सकता है।

आगे की राह

ई-कॉमर्स हेतु एक **स्वतंत्र नियामक** की स्थापना से उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे। यह नियामक व्यापार मॉडल, बेहद सस्ते दाम पर सामान बेचने आदि जैसे मुद्दों से निपट सकेगा और **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा** करने में सहायक साबित हो सकता है।

8.2. दूरसंचार क्षेत्रक (TELECOM SECTOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **दूरसंचार क्षेत्रक** में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक (structural and procedural) सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है।

दूरसंचार क्षेत्रक के बारे में

- **भारत में दूरसंचार क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख तथ्य:**
    - भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार** बाजार है। दूरसंचार बाजार को **तीन खंडों, यथा-** वायरलेस, वायरलाइन आधारित और इंटरनेट सेवाओं में विभाजित किया जा सकता है।
    - भारत में दूरसंचार उद्योग का ग्राहक आधार (Subscriber Base) लगभग 1.17 बिलियन है।
    - दूरसंचार की पहुंच को **टेली-घनत्व (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या)** के रूप में संदर्भित किया जाता है। **वित्त वर्ष 2021 में भारत का टेली-घनत्व बढ़कर 88%** हो गया है।
    - विश्व स्तर पर भारत, **इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में दूसरे स्थान पर** है।
    - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने के मामले में दूरसंचार तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक** है। कुल FDI प्रवाह में इसकी हिस्सेदारी लगभग 7.1% है।
    - यह क्षेत्रक **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।
- इस उद्योग में **विगत कुछ वर्षों में निम्नलिखित कारकों के कारण तीव्र विकास** हुआ है:
    - किफायती प्रशुल्क दरें,
    - व्यापक रूप से उपलब्धता,
    - मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को आरंभ करना,
    - 3G और 4G कवरेज का विस्तार,
    - ग्राहकों का विकसित होता उपभोग पैटर्न, और
    - अनुकूल विनियामकीय माहौल।
- वर्तमान में, संपूर्ण देश में 5G तकनीक के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए भारत में **5G स्पेक्ट्रम का परीक्षण किया जा रहा है।**
- यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि **वर्ष 2023-2040** की अवधि के दौरान **5G तकनीक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 450 बिलियन डॉलर का योगदान करेगी।**

दूरसंचार क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अत्यधिक ऋण के बोझ तले दबा क्षेत्र:** विश्लेषकों का अनुमान है कि इस उद्योग पर लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बकाया है। इस वित्तीय दबाव के लिए विभिन्न कारक जैसे कि घटता प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU), ओवर द टॉप (OTT) सेवाएं, अलाभकारी राजस्व साझाकरण व्यवस्था आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।
- **कराधान से संबंधित मुद्दे:** दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देय शुल्क की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा पर **14 वर्षों से मुकदमेबाजी** जारी है। हालांकि जहाँ दूरसंचार कंपनियों द्वारा तर्क दिया जाता रहा है कि इसमें केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए, वहीं दूरसंचार विभाग इस तथ्य पर बल देता रहा है कि **AGR में गैर-प्रमुख दूरसंचार परिचालनों से अर्जित राजस्व सहित ऑपरेटर द्वारा अर्जित सभी राजस्व को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।**
    - वर्ष 2019 में, उच्चतम न्यायालय ने AGR के सबंध में दूरसंचार विभाग (DoT) के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके चलते दूरसंचार क्षेत्रक पर **लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व बकाया हो गया।** हाल ही में, सरकार ने भूतलक्षी कर (retrospective tax) को समाप्त कर इस विवाद को ख़त्म कर दिया है।
- **राइट-ऑफ-वे (RoW) नियमों में एकरूपता का अभाव:** केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों (वर्ष 2016 में अधिसूचित) को लागू न करने के कारण दूरसंचार और अवसंरचना प्रदाताओं को **नेटवर्क विस्तार पर आवश्यकता से अधिक खर्च करना पड़ा** है।
    - कुछ मामलों में, कंपनियों को 1,000 रुपये प्रति कि.मी. के **निर्धारित शुल्क से 1,000% अधिक तक का भुगतान** करना पड़ा है।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ पर दबाव:** रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद प्रतिस्पर्धा में अधिक वृद्धि हुई है। वॉयस और डेटा दोनों के लिए **टैरिफ दरों में अत्यधिक गिरावट** (जो कि डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए लाभकारी है) के कारण अन्य दूरसंचार कंपनियों के लाभ पर दबाव पड़ा है।
- **5G अवसंरचना में अत्यधिक निवेश:** भारत में 5G को लागू करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय अवसंरचना की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेलुलर टावर, एंटीना, रिपीटर्स आदि में **अत्यधिक निवेश करना पड़ेगा।**
  - **यह एक पूंजी-गहन क्षेत्रक है।** दूरसंचार क्षेत्रक को स्पेक्ट्रम अधिग्रहण, नेटवर्क विकसित करने, विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना आदि के लिए भी अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है।
- **स्पेक्ट्रम उपयोग हेतु उच्च शुल्क:** संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को केवल उतना ही रखा गया है जिससे स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और विनियमन की लागत को पूरा किया जा सके। हालांकि, भारत में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को **AGR के 3% से 6% की सीमा के मध्य** रखा गया है।
- **अवैध मोबाइल बूस्टर:** अवैध सिग्नल बूस्टरों और रिपीटर्स के कारण मोबाइल टावरों से प्राप्त होने वाले सिग्नल बाधित होते हैं, जिससे सेलुलर नेटवर्क की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभाव:** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु **शुरू में बहुत अधिक लागत** का वहन करना पड़ेगा। इन लागतों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण विद्युत और सड़कों जैसे **आधारभूत अवसंरचना की कमी** है, जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना विकसित करने में **अत्यधिक समय** लग जाता है।
  - सेलुलर अवसंरचना के संचालन और रखरखाव के लिए **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी** भी एक बड़ी समस्या है।

हालिया सुधार दूरसंचार क्षेत्रक को कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं:

हालिया सुधार	प्रभाव
• पिछली नीलामी में बोली जीतने वालों के लिए **AGR के भुगतान** और **स्पेक्ट्रम बकाया पर चार वर्ष की अधिस्थगन अवधि (moratorium) प्रदान की गयी है।** सरकार अधिस्थगन अवधि के समापन पर **ऋण को इक्विटी में बदलने के विकल्प** का प्रयोग कर सकती है। • लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी होने पर अब SBI की **मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) और उसके ऊपर दो प्रतिशत** का ब्याज वसूला जाएगा। पहले यह MCLR के अलावा चार प्रतिशत था। • AGR की परिभाषा के दायरे से अब गैर-दूरसंचार राजस्व को हटाकर **AGR को तर्कसंगत बनाया गया है।**	• इससे दूरसंचार कंपनियों पर **मौजूदा वित्तीय दबाव कम होगा।** अधिस्थगन अवधि से उद्योग को **ऋण चुकाने और पूंजीगत व्यय** में सहायता मिलेगी। • ICRA के अनुसार, अधिस्थगन अवधि से उद्योग को **46,000 करोड़ रुपये का वार्षिक नकदी प्रवाह का लाभ** प्राप्त होगा। • हालांकि, सरकार को **एक दीर्घकालिक समाधान** सुनिश्चित करने के लिए **दूरसंचार कंपनियों पर लगने वाले शुल्क और करों को कम करना चाहिए।** • बाजार के रुझान के अनुरूप **स्पेक्ट्रम हेतु आरक्षित मूल्य (reserve price)** को भी **कम करने** की आवश्यकता है।
• दूरसंचार कंपनियों को आगामी नीलामी में अर्जित किए जाने वाले एयरवेव्स के लिए **कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं** देना होगा। वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के **स्पेक्ट्रम साझा कर सकते** हैं, और **नीलामी के दौरान अर्जित एयरवेव्स 20 की बजाए 30 वर्षों तक** रख सकते हैं। • वायरलेस उपकरणों के लिए **वर्ष 1953** के सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत **लाइसेंस की अनुपयोगी आवश्यकता** को **स्व-घोषणा** के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। • **नीलामी कैलेण्डर / अवधि को भी निर्धारित किया गया है** अर्थात् स्पेक्ट्रम की नीलामी सामान्यतः: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में की जाएगी।	• इन प्रयासों से **प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम करने** में सहायता मिलेगी। इन प्रक्रियात्मक बाधाओं से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती थी। • भावी प्रयासों के रूप में, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह क्षेत्र केवल दो आपूर्तिकर्ताओं के प्रभुत्व तक सीमित न हो जाए। साथ ही, ग्राहक सेवा और इससे संबंधित नई तकनीक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए **अधिक से अधिक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** • इस क्षेत्रक में बड़ी कंपनियों द्वारा सेवाओं का अत्यंत कम मूल्य निर्धारित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा **दूरसंचार सेवाओं के लिए (विशेष रूप से डेटा के लिए) निम्नतम निर्धारित मूल्य** घोषित किए जाने की मांग की जा रही है।
• कैबिनेट ने सुरक्षा उपायों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** देकर दूरसंचार क्षेत्रक में विदेशी स्वामित्व संबंधी नियमों को भी उदार बनाया है।	• इससे पहले, स्वचालित मार्ग से केवल 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति थी, और 49 प्रतिशत के स्तर से अधिक विदेशी निवेश के लिए **संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति की आवश्यकता** होती थी। • स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति से **निवेशकों के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करने में सहायता मिलेगी** तथा यह स्थिति निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

इन सुधारों का सरकार के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- सभी अधिस्थगन (moratorium) की पेशकश, निवल वर्तमान मूल्य के संरक्षण के साथ की गई है। हालांकि, तीन में से दो निजी अभिकर्ताओं द्वारा इस विकल्प का चयन करने के बाद भी सरकार को **अगले चार वित्तीय वर्षों के दौरान कुछ राजस्व हानि** का सामना करना पड़ेगा।
- चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस शुल्क करारोपण और अन्य करारोपण से **लगभग 54,000 करोड़ रुपये राशि के प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की** है।
  - हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अधिस्थगन का विकल्प चुनने के बाद इस राशि का बड़ा **हिस्सा अगले चार वित्तीय वर्षों के लिए छोड़ना होगा।**
- अधिस्थगन (Moratorium) अवधि के अंत में, सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह कंपनी की ओर से देय राशि को इक्विटी में बदल सके। हालांकि, यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यदि बाजार की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो सरकार इस इक्विटी को बाजार में उचित दर पर नहीं बेच सकेगी।

आगे की राह

मजबूत दूरसंचार क्षेत्रक, भारत के डिजिटल संचार क्षेत्रक की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **डिजिटल इंडिया** मिशन का मुख्य आधार बन सकता है। वर्तमान विश्व दूरसंचार क्षेत्रक में आधुनिक तकनीकी प्रगति जैसे 5G, IoT आदि के युग में प्रवेश कर चुका है। इस क्षेत्रक को अधिक **ग्राहक केंद्रित** और **एप्लीकेशन संचालित** बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 द्वारा प्रदान किए गए विजन को अपनाया जा सकता है।

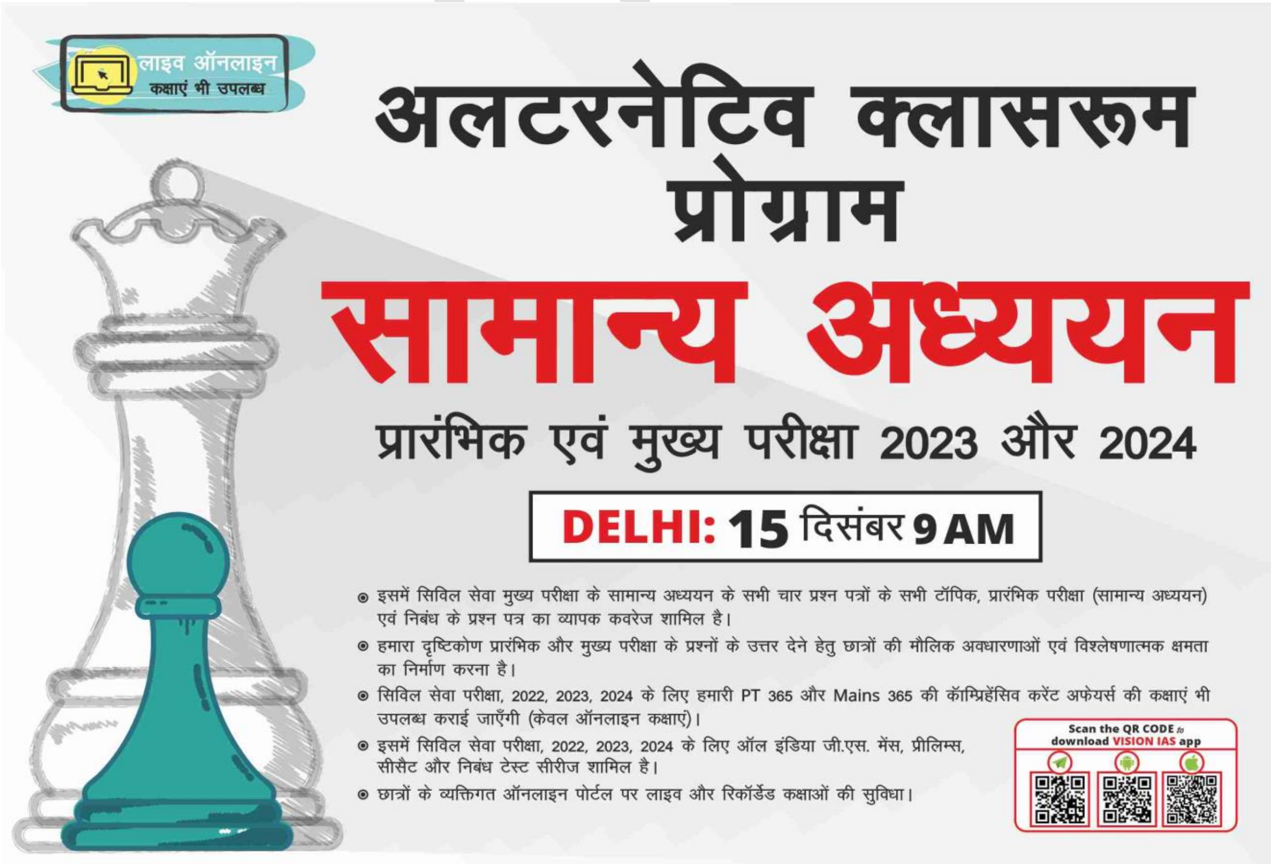

8.3. बीमा क्षेत्रक (INSURANCE SECTOR)

मुख्य लक्ष्य

- स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि के रूप में **सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- गंभीर बीमारियों के मामले में **आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी करना।**
- देश में प्रत्येक नागरिक के लिए **बीमा की पहुंच और वहनीयता में सुधार** करना।

वर्तमान स्थिति

- भारत की बीमा पैठ **सकल घरेलू उत्पाद का 3.7%** है जबकि वैश्विक औसत 6.3% है।
- भारत में बीमा क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर **12%** है।
- **भारत में बीमा घनत्व** वर्ष 2001 में 11.5 डॉलर से **बढ़कर** वर्ष 2019 में 78 डॉलर हो गया।
- बीमा उद्योग में **83%** सुरक्षा अंतराल (प्रोटेक्शन गैप) है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़े अवसर की ओर संकेत करता है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021
- बजट 2021 में बीमा में FDI की सीमा **49% से बढ़ाकर 74%** की गई।
- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- प्रधान मंत्री–जन आरोग्य योजना।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना।
- महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना।
- कोरोना रक्षक नीति और कोरोना कवच नीति।

बीमा क्षेत्रक – एक नज़र में

आगे की राह

- वाणिज्यिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से **निजी स्वैच्छिक बीमा** का विस्तार करना।
- परिचालन और वितरण लागत को कम करने के लिए **सरकारी डेटा और बुनियादी ढांचे** को सार्वजनिक वस्तु के रूप में साझा करना।
- **सेवाओं के गारंटीकृत बुनियादी न्यूनतम पैकेज** के माध्यम से मानकीकरण सुनिश्चित करना और सरलता में सुधार करना।
- सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करके **उपभोक्ता विश्वास** का निर्माण करना।
- **तीव्र शिकायत निवारण तंत्र,** और सुदृढ़ लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं।

बाधाएं

- **सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं की बहुलता** के परिणामस्वरूप जोखिम पूल का विखंडन हुआ है।
- वंचित निर्धन वर्गों और अपेक्षाकृत संपन्न लोगों के बीच **'लापता मध्य (missing middle)'** न तो सब्सिडी युक्त स्वास्थ्य बीमा (गरीबों के लिए) और न ही सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (संगठित क्षेत्र के लिए) योजनाओं के तहत योग्य हैं।
- कम जागरूकता और उत्पाद को समझने में कठिनाई।

8.3.1. महामारी जोखिम पूल (PANDEMIC RISK POOL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक कार्यदल ने भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से होनी वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान करने हेतु सार्वजनिक-निजी-सरकारी भागीदारी के साथ एक भारतीय महामारी जोखिम पूल (Indian Pandemic Risk Pool) स्थापित करने की सिफारिश की है।

महामारी जोखिम पूल क्या है?

- **पूल का तात्पर्य बीमा कंपनियों के एक साथ आने से है।** जब बीमित व्यक्ति के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा किए गए दावों को पूरा करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अपने व्यवसाय के अनुपात में धन एकत्रित की हुई होती हैं। इस तरीके को अपनाने से, दावों का भुगतान पूल के सभी प्रतिभागियों के बीच साझा हो जाता है।
- इस पद्धति का अनुसरण तब किया जाता है **जब किसी बीमा कंपनी के लिए जोखिम के विषय में बहुत अधिक अनिश्चितता होती है,** जैसे कि परमाणु जोखिम, या जब नुकसान बहुत अधिक होता है। ऐसे में कंपनियां पॉलिसी जारी करना नहीं चाहती हैं।
- वर्तमान में, कोविड-19 की पृष्ठभूमि में इसका सुझाव दिया गया था, जिसने **न केवल स्वास्थ्य बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।** इनमें विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, परिवहन, निर्माण, सेवाएं, कृषि एवं कई अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, तथा इसका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है।
- इस प्रकार, एक जोखिम पूल **भौतिक क्षति, आय व आजीविका की हानि** तथा अन्य महामारी संबंधी क्षति, जो वर्तमान में भारत में बीमित नहीं की जाती है, को बिना **व्यावसायिक रुकावट से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।**

इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं

- **गठन एवं संरचना:** वैश्विक महामारी / स्थानीय महामारी के कारण होने वाली क्षति की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा यह अकेले सार्वजनिक एवं/ या निजी कंपनियों एवं/ या सरकार की क्षमता से परे भी रहती है। इस कारण **सार्वजनिक-निजी-सरकारी भागीदारी** वाला जोखिम पूल तंत्र अधिक उपयुक्त होगा।
- **प्रशासन:** भारतीय साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation of India: GIC Re) के पास भारत में आतंकवाद पूल एवं भारतीय परमाणु पूल के प्रबंधन का अनुभव है। अत; प्रस्तावित महामारी पूल को **GIC Re** के द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- **आकार एवं वित्तीय क्षमता:** प्रारंभिक चरण में **सरकार की ओर से 75,000 करोड़ रुपये के योगदान (सुरक्षा के रूप में) से एक महामारी जोखिम पूल** की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) के कर्मियों एवं प्रवासी मजदूरों को आय की हानि का सामना करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।

पूल संरचना के लाभ

- **कवरेज की वहनीयता:** महामारी जैसी घटना के जोखिम से प्रभावित देश के एक बड़े हिस्से को शामिल किए जाने से एक बीमा कंपनी की कुल लागत कम हो जाएगी।
- **जोखिम विविधीकरण:** अनिवार्य आधार पर देश के सभी MSMEs के लिए कवरेज प्रदान करने वाला एक एकल पूल जोखिमों के अधिक विविध पोर्टफोलियो का निर्माण करेगा।
- **पुनर्बीमा की कम लागत:** सरकार की भागीदारी के स्तर में वृद्धि के कारण पुनर्बीमा की लागत में गिरावट आती है। अतः, सार्वजनिक भागीदारी के चलते जोखिमों के एकल व विविध पूल के पुनर्बीमा की लागत भी कम होगी।
- **निजी बीमा कंपनियों की भूमिका को अधिकतम करना:** महामारी पूल का उद्देश्य समय के साथ, कवरेज प्रदान करने में निजी बाजारों के योगदान को अधिकतम करना होना चाहिए।
- **एंटी-सेलेक्शन (विरोधी/प्रतिकूल चयन):** एक महामारी पूल के माध्यम से अनिवार्य कवर का प्रावधान एंटी-सेलेक्शन की संभावना को समाप्त कर सकता है। एंटी-सेलेक्शन तब होता है, जब एक कर्मचारी या कर्मचारियों का एक समूह एक बीमा कंपनी की कीमत पर संभावित नुकसान से अधिक का कवर खरीदता है या चुनता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

हाल ही में, DICGC (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। इसके तहत DICGC अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

- इस अधिनियम के तहत जमाकर्ताओं (उनके बैंक जमा तक पहुंचने से प्रतिबंधित होने की स्थिति में) को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध पहुंच प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- इस संशोधन के तहत विफल या दबावग्रस्त बैंकों के ग्राहकों को अधिस्थगन (मोरेटोरियम) के आरंभ होने के 90 दिनों के भीतर अपनी जमा राशि (5 लाख रुपये तक) को वापस पाने का प्रावधान किया गया है।
- यह उन लाखों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करेगा, जिनका पैसा दबावग्रस्त ऋणप्रदाताओं जैसे PMC बैंक और अन्य छोटे सहकारी बैंकों में जमा है।

8.4. पर्यटन (TOURISM)

मुख्य लक्ष्य

- **पर्यटन को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्य क्रमांक 8, 12 और 14 में** शामिल किया गया है और इसे समग्र विकास के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।
- **रोजगार सृजन और समावेशी विकास** के लिए पर्यटन का एक साधन के रूप में उपयोग करना।
- चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक **ब्रांड इंडिया** विकसित करना।
- MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी को लगभग 1% के वर्तमान हिस्से से **पांच वर्षों में 2% तक** बढ़ाना।

वर्तमान स्थिति

- देश के सकल घरेलू उत्पाद इस क्षेत्र का योगदान **5%** है।
- कुल रोजगार में इस क्षेत्र का योगदान **13%** है।
- वर्ष 2017 से देश में **विदेशी पर्यटकों के आगमन में गिरावट** आई है।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत, विश्व में **23वें** स्थान पर है।
- विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में देश का **12वां स्थान है।**

योजनाएं/नीतियां/पहल

- स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास।
- प्रसाद (PRASHAD)– तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान।
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना।
- संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप का प्रारूप।
- MICE पर्यटन, **चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन** के लिए राष्ट्रीय रणनीति का प्रारूप।
- पर्यटन पर्व।
- 'अडॉप्ट ए हेरिटेज' पहल।
- अतुल्य भारत 2.0

पर्यटन क्षेत्रक – एक नज़र में

आगे की राह

- पर्यटन को कोविड–अनुकूल बनाने के लिए टीकाकरण अभियान।
- **ई–वीजा जागरूकता** बढ़ाना और प्रक्रिया को और सरल बनाना।
- 1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना को **बुनियादी ढाँचे** का दर्जा प्रदान करना।
- समुद्री अवकाश उद्योग, नदी क्रूज पर्यटन, डीप वाटर मरीना आदि जैसे **पर्यटन सर्किट या खंड विकसित करना।**
- गाइडों, संपत्ति प्रबंधकों आदि का प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- **प्रचार और विपणन,** विशेष रूप से सांस्कृतिक स्थलों के संबंध में।

बाधाएं

- संपर्क–संवेदनशील क्षेत्र।
- विश्वसनीय आंकड़ों और सांख्यिकी का अभाव।
- अत्यधिक करारोपण वाला उद्योग।
- प्रचार और विपणन अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं है।
- खराब बुनियादी ढांचा, जिसके कारण कई क्षेत्र महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए दुर्गम हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
- सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा।

अतः पर्यटन क्षेत्रक की अपार संभावनाओं को देखते हुए, मंत्रालय ने पर्यटन के निकेत (बाजार विशिष्ट) क्षेत्रों {ग्रामीण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, MICE (Meetings-बैठक, Incentives-प्रोत्साहन, Conferences-सम्मेलन और Exhibitions-प्रदर्शनी)} के विकास के लिए रणनीति और कार्ययोजना के साथ संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के प्रारूप को जारी किया है।

8.4.1. संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (DRAFT NATIONAL STRATEGY AND ROADMAP FOR SUSTAINABLE TOURISM)

संधारणीय पर्यटन क्या है?

- ऐसा पर्यटन जो आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण और आतिथेय (मेज़बान या होस्ट) समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने **वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण करे,** उसे संधारणीय पर्यटन की संज्ञा दी गयी है।

संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए कदम

- प्रमुख शहरों और विरासत स्थलों के साथ-साथ ग्रामीण भारत की ओर भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए **'अतुल्य भारत' ब्रांड को बढ़ावा** देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- वर्ष 2010 में ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल (GSTC) के संस्थानीकरण के साथ ही **भारत द्वारा भारतीय संदर्भ में संधारणीय पर्यटन के लिए GSTC मानदंड को अंगीकृत किया गया।**
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन उद्योग में पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **भारत के लिए संधारणीय पर्यटन मानदंड (Sustainable Tourism Criteria for India: STCI)** को आरंभ किया गया है।
- **विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के तहत** होटलों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपायों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होता है।
- मंत्रालय ने यह भी निर्धारित किया है कि **पहाड़ी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में होटल की इमारतों की वास्तुकला** संधारणीय और ऊर्जा कुशल होनी चाहिए।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटरों को **सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन और संधारणीय पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक प्रतिज्ञापत्र** पर हस्ताक्षर करना होता है।

संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना के प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं

उद्देश्य	• **संधारणीय पर्यटन विकास को मुख्यधारा में लाना** और पारस्थितिकी पर्यटन व साहसिक पर्यटन (ecotourism and adventure tourism) के गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
चिन्हित किए गए रणनीतिक स्तंभ	• भारत के संधारणीय पर्यटन मानदंड पर आधारित **संधारणीय पर्यटन के लिए प्रमाणीकरण योजना,** इकोटूरिज्म व एडवेंचर टूरिज्म के टूर ऑपरेटरों, गाइडों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमाणीकरण योजना, प्रमाणीकरण योजनाओं का डिजिटलीकरण और ब्रांडिंग आदि। • संधारणीय पर्यटन के बारे में जागरूकता, समझ और स्वीकृति बनाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार अभियान।** • **क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और संरक्षण एजेंसियों में क्षमता का निर्माण करना,** स्थानीय समुदायों को कौशल विकास और उद्यमिता में सहयोग करना आदि। • **एडवेंचर टूरिज्म और इकोटूरिज्म के आधार पर एक उप-ब्रांड का निर्माण कर विपणन और प्रचार करना,** राज्य विशिष्ट/गंतव्य विशिष्ट आधारित अभियान विकसित करना आदि। • 15 स्थल आधारित, 7 हवाई आधारित और 7 जल आधारित गतिविधियों के लिए **सुरक्षा मानक और विनियम तैयार किए गए हैं,** जो भारत में उपलब्ध साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म) के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं।

	• प्रत्येक राज्य सॉफ्ट (जिसमें न के बराबर या कम जोखिम हो), हार्ड (जिसमें जोखिम और चुनौतियां शामिल हों) तथा अन्य श्रेणियों (स्थल, हवाई और जल आधारित गतिविधियों) के माध्यम से **साहसिक स्थलों की पहचान करेंगे** और एक विस्तृत विवरण पुस्तिका तैयार करेंगे।
	• विपणन, परिचालन, उत्पाद निर्माण और अनुभव, गुणवत्ता का आश्वासन, वित्त आदि के क्षेत्रों में **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को सुदृढ़ करना।**
	  ○ राज्य सरकारों को विकास और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्रक के परिचालकों हेतु क्षेत्रों, जिन्हें इकोटूरिज्म ब्लॉक कहा जाएगा, को नामित करना चाहिए।
	• पर्यटन मंत्रालय इस **रणनीति के क्रियान्वयन** के लिए एक **विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना** तैयार करेगा।
	  ○ संधारणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म) और पारिस्थितिक पर्यटन (इकोटूरिज्म) के विकास हेतु पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के सचिव अधीन **संधारणीय पर्यटन पर राष्ट्रीय बोर्ड (National Board on Sustainable Tourism)** का गठन किया जाएगा।

8.4.2. ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (DRAFT NATIONAL STRATEGY AND ROADMAP FOR DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM)

ग्रामीण पर्यटन के बारे में

- पर्यटन का कोई भी रूप जो ग्रामीण स्थानों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता हो, जिससे स्थानीय समुदाय लाभान्वित होते हों तथा जो अधिक समृद्ध पर्यटन संबंधी अनुभव के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के मध्य अंत:क्रिया को सक्षम बनाता हो, उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है।
- **भारत में की गईं पहलें:**
  - **राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002** में ग्रामीण पर्यटन को फोकस एरिया (जिस पर ध्यान दिया जाए) के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - वर्ष 2003 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा **एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट-ग्रामीण पर्यटन योजना** आरंभ की गई थी।
  - **हेल्प टूरिज्म संगठन** द्वारा **ग्रामीण होम-स्टे** की व्यवस्था करके पश्चिम सिक्किम में गांव-आधारित पर्यटन पहल को आरंभ किया गया।

8.4.3. चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप (DRAFT NATIONAL STRATEGY AND ROADMAP FOR MEDICAL AND WELLNESS TOURISM)

चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के बारे में

- चिकित्सा पर्यटन को 'विदेशी पर्यटक की यात्रा और आतिथेय (मेज़बानी या होस्ट) से संबंधित गतिविधियों के रूप में' परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत पर्यटक चिकित्सीय सहायता के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने, उसमें सुधार करने या पहले जैसी स्वस्थ स्थिति को प्राप्त करने के लिए गंतव्य क्षेत्र में कम से कम एक रात ठहरता है।
- **इसे निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:**
    - **चिकित्सीय उपचार (Medical Treatment):** इसमें आरोग्यता के उद्देश्य से उपचार कराया जाता है, जैसे- हृदय संबंधी सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण आदि।
    - **खुशहाली और कायाकल्प (Wellness & Rejuvenation):** इसमें कायाकल्प या सौंदर्यीकरण से संबंधित सेवाएं, जैसे- कॉस्मेटिक सर्जरी, तनाव से राहत, स्पा आदि सम्मिलित हैं।
    - **वैकल्पिक उपचार (Alternative Cures):** औषधि की वैकल्पिक प्रणाली सुलभ कराना जैसे कि भारत द्वारा आयुष (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **चिकित्सा पर्यटन को अब प्रायः चिकित्सा मूल्य यात्रा (Medical Value Travel: MVT) के रूप में संदर्भित किया जाता है** क्योंकि इसमें रोगी के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपेक्षित व्यवहार के साथ-साथ उसका आतिथेय करने वाले राष्ट्रों पर इस तरह की यात्रा के व्यापक आर्थिक प्रभाव भी शामिल होते हैं।

SWOT विश्लेषण

क्षमता (Strength)

- अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ।
- प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर (चिकित्सक, शल्यचिकित्सक और नर्सें)।
- अन्य प्रतिस्पर्धियों से तुलना करने पर भारत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय प्रक्रियाओं और सेवाओं की लागत कम है।
- चिकित्सकों से शीघ्र अपॉइंटमेंट की उपलब्धता है।
- आरोग्य में वृद्धि करने तथा उपचार हेतु योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने से लाभ प्राप्त हुआ है।
- भारत में बड़ी संख्या में ज्वॉइंट कमीशन इंटरनेशल (JCI) से मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं और एशिया के अन्य देशों के साथ तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं।
- पर्यटन उत्पादों और प्राप्त अनुभवों में व्यापक विविधता विद्यमान है।

व्याप्त कमियाँ (Weakness)

- चिकित्सा मूल्य यात्रा (Medical Value Travel: MVT) क्षेत्रक में सरकारी विनियमन का अभाव है, जिससे यह क्षेत्रक असंगठित रह गया है। हितधारकों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी का अभाव भी विद्यमान है।
- चिकित्सा मूल्य यात्रा संबंधी मामलों की देखरेख के लिए नोडल निकाय का अभाव है, जिससे विभिन्न हितधारकों में समन्वय की कमी होती है।
- चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए भारत को ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने के लिए कोई प्रभावी अभियान संचालित नहीं किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड" के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- अस्पतालों में एक समान मूल्यनिर्धारण नीति का अभाव है। भारत को लेकर ग्राहकों के मन में एक अस्वच्छ देश की धारणा विद्यमान है।
- कुशल श्रमबल की भर्ती और प्रतिधारण का अभाव।
- मानकीकृत और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों वाले श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव है।

संभावित अवसर (Opportunities)

- अधिकांशतः वृद्ध आबादी वाले देशों से माँग बढ़ रही है।
- तीव्र और आधुनिक जीवनशैली के कारण आरोग्य और वैकल्पिक उपचारों की बहुत अधिक माँग है।
- विकसित देशों में आपूर्ति पक्ष में व्याप्त कमियों के कारण प्रतीक्षा अवधि लंबी होती है।
- जब पर्यटक देश की यात्रा करते हैं, तो विभिन्न स्रोत बाजारों से देश का बेहतर संपर्क स्थापित होता है।
- कोविड–19 के उपरांत स्वास्थ्य यात्राओं की माँग बढ़ेगी और विभिन्न विकल्पों की उपलब्धता के साथ यह भारत के लिए बहुमूल्य अवसर होगा।

संबद्ध जोखिम (Threat)

- क्षेत्रीय स्तर पर मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत की प्रतिस्पर्धा है।
- भारत में अभी भी JCI मान्यता प्राप्त अस्पतालों की अपेक्षाकृत कम संख्या है।
- बीमाकर्ताओं द्वारा विदेशों में चिकित्सीय देखभाल को बीमारक्षित नहीं किया जाता है, जिससे चिकित्सा मूल्य यात्रा कम आकर्षक बन जाती है।
- मध्यस्थों द्वारा शोषण की संभावना है।

8.4.4. बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप {DRAFT NATIONAL STRATEGY AND ROADMAP FOR MICE (MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCES AND EXHIBITIONS)}

MICE (बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों) के बारे में

- MICE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय, उद्योग, सरकार तथा अकादमिक समुदाय के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार करना और उन्हें अर्थपूर्ण संवाद में संलग्न करना है।
- MICE को 'मीटिंग इंडस्ट्री' या 'इवेंट इंडस्ट्री' के रूप में जाना जाता है। सामान्यत: इसके तहत किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वृहद समूहों को एक साथ एकत्रित किया जाता है।
    - MICE के चार तत्व हैं- बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां।

SWOT विश्लेषण

क्षमता (Strength)
- भारत का विविधतापूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य।
- कोर MICE अवसंरचना सुविधाएँ अधिकांश विकसित देशों के समतुल्य है।
- बेहतर निवेश परिवेश का विकास (व्यापार सुगमता रैंकिंग में निरंतर सुधार)
- सूचना प्राद्यौगिकी, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में ज्ञान आधारित संसाधन उपलब्ध हैं।

व्याप्त कमियाँ (Weakness)
- उद्योग के रूप में MICE पर केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव (कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति उपलब्ध नहीं है)।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय MICE कार्यक्रमों के बारे में उचित सूचना, आसूचना और बिडिंग सहायता का अभाव है।
- उच्च कर–ढांचा और लागत।
- MICE के प्रत्येक स्पर्शबिंदु के लिए प्रक्रियाओं और सेवाओं के मानकीकरण का अभाव।

संभावित अवसर (Opportunities)
- बेहतर अवसंरचना और वृद्धिशील अर्थव्यवस्था।
- वैश्विक MICE बाजार में भविष्य के गंतव्य के रूप में एशिया प्रशांत का उद्भव।

संबद्ध जोखिम (Threat)
- सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मकाऊ और मलेशिया से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा।
- भारत के बारे में वैश्विक धारणा (सुरक्षित स्थान का मुद्दा) को बदलने की आवश्यकता है।

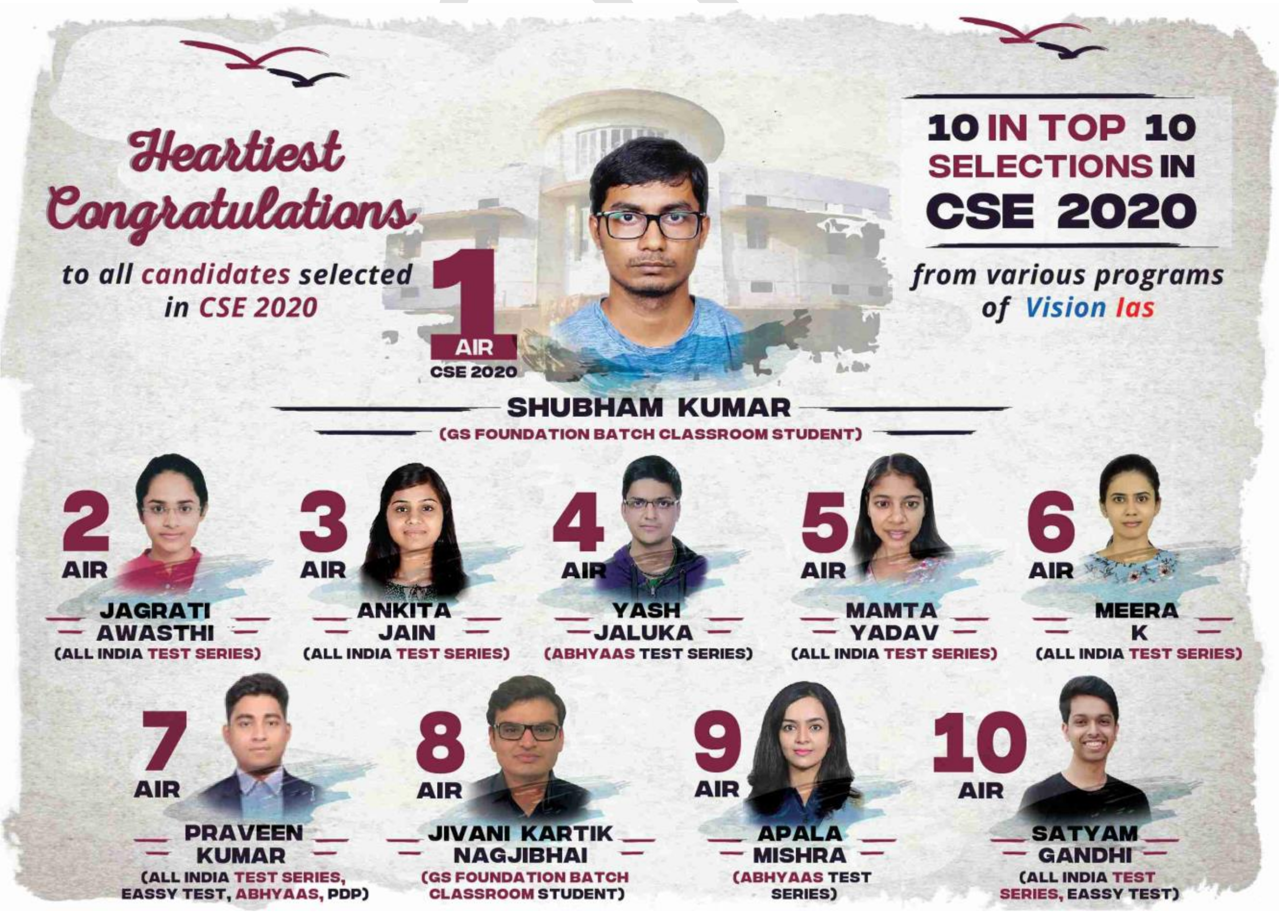

9. परिवहन (TRANSPORT)

9.1. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (LOGISTICS SECTOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने **'फ्रेट स्मार्ट सिटीज'** के लिए योजनाओं का अनावरण (या उद्घाटित) किया है।

भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग

- सामान्य रूप से परिभाषित करें तो, लॉजिस्टिक्स में **विनिर्माण प्रक्रिया के पूर्ण होने से आरंभ होकर उपभोग के लिए वितरण करने तक** व्यापार, परिवहन और वाणिज्य के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं।
- वर्तमान में, **परिवहन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक गतिविधि माना जाता है,** जो लॉजिस्टिक्स लागत का लगभग 50-60% है। इसके बाद भंडारण (माल को गोदामों में रखना) का स्थान आता है। (इन्फोग्राफिक देखें)

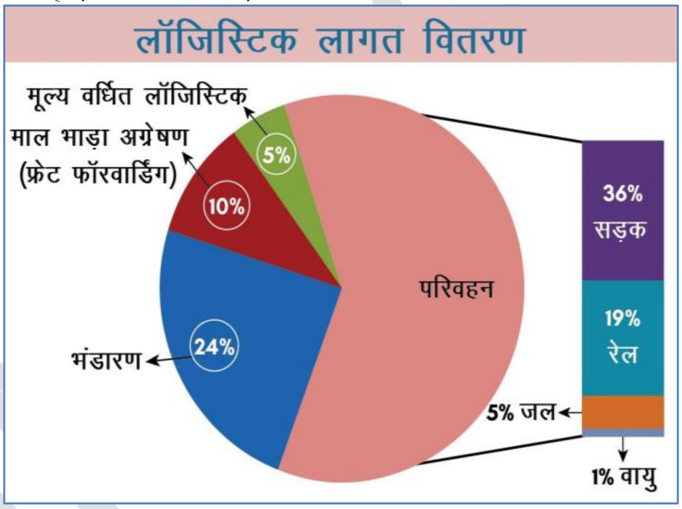

- भारत में **लॉजिस्टिक्स** उद्योग का आकार 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
    - **यह 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है** और इस क्षेत्रक में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे **निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।**
    - वर्ष 2022 तक **बंदरगाह की क्षमता** में 5% से 6% की CAGR से वृद्धि होना अपेक्षित है।
    - **भारतीय रेलवे** का लक्ष्य अपनी माल ढुलाई क्षमता को वर्ष 2017 के 1.1 बिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 2030 में 3.3 बिलियन टन करना है।
    - भारत में वित्त वर्ष 2040 तक **हवाई अड्डों पर माल ढूलाई क्षमता** 17 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।

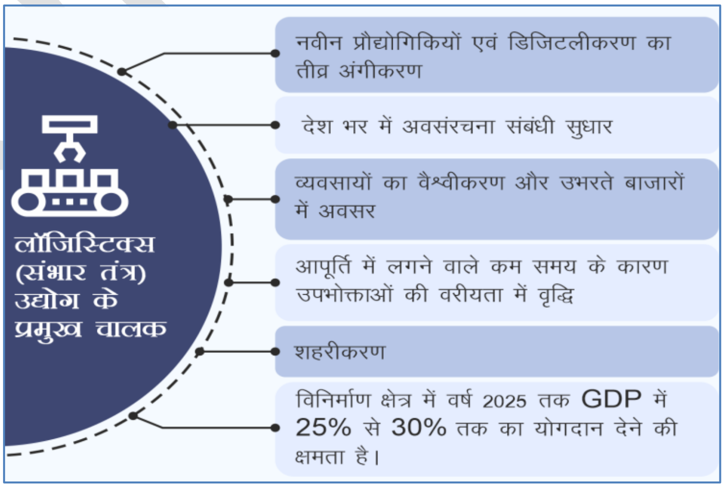

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की चुनौतियां

- **अवसंरचना:** अवसंरचना चुनौतियां **अपर्याप्त एवं निम्न-गुणवत्ता** वाले मॉडल में और टर्मिनल परिवहन अवसंरचना, कार्गो तथा कंटेनरों के लिए **अक्षम और अकुशल डिजाइन** वाली भंडारण सुविधाओं आदि में परिलक्षित होती हैं।
- **उप-इष्टतम मॉडल मिश्रण (Suboptimal modal mix):** एक **व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण के अभाव में,** परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग **विषम (60% परिवहन गतिविधियां सड़क के माध्यम से होती हैं) और अक्षम** बना हुआ है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में **देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% लॉजिस्टिक्स पर व्यय करता है** जो जापान (11%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (9-10%) की तुलना में बहुत अधिक है।
- **विसंगत एवं असंगठित क्षेत्रक:** लॉजिस्टिक्स उद्योग अत्यधिक विसंगत बना हुआ है और इसमें **1,000 से अधिक सक्रिय अभिकर्ता सम्मिलित हैं।** इसमें वृहद पैमाने पर घरेलू अभिकर्ता, वैश्विक अभिकर्ताओं की अग्रणी संस्थाएं, सरकारी डाक सेवा की एक्सप्रेस शाखा और ई-कॉमर्स डिलीवरी में विशेषज्ञता वाले उभरते स्टार्ट-अप सम्मिलित हैं।
    - इसके अतिरिक्त, 215 अरब डॉलर के भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार का **केवल 10-15 प्रतिशत ही संगठित अभिकर्ताओं के स्वामित्व में है।**
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** इस क्षेत्रक में अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं उचित नेतृत्व तथा समर्थन के अभाव के कारण कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता है। व्यावहारिक कौशल तथा परिचालन और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सीमित संस्थान हैं। साथ ही, कार्य करने की निम्नस्तरीय दशाएं और कम वेतनमान (असंगठित प्रकृति) के कारण कुशल कर्मी इस क्षेत्रक में संलग्न होने को प्राथमिकता नहीं देते हैं।

- **नई तकनीकी का मंद अंगीकरण:** डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता का अभाव है और हितधारकों के मध्य सहयोग का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। परिणामस्वरूप, लॉजिस्टिक्स पारितंत्र **परिचालन अक्षमताओं और परिसंपत्तियों के निम्नस्तरीय उपयोग** से ग्रस्त है।

उठाये गए कदम

- **लॉजिस्टिक क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना:** यह निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर **ऋण प्रदान** करने में सहायता करता है, जिससे **लॉजिस्टिक संबंधी लागतें कम होती हैं।**
- **GST का लागू होना:** बहुस्तरीय **वस्तु और सेवा कर (GST)** के एकीकरण ने भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को **एकीकृत** कर दिया है और परिवहन परिचालकों के लिए **वृहद्तर आकारिक मितव्ययिता** को संभव किया है।
    - **GST व्यवस्था के अंतर्गत ई-वे बिल** (ऑनलाइन सृजित दस्तावेज) द्वारा **माल का वाहनों में इष्टतम रूप से लोड करना, शिपमेंट ट्रैकिंग, परिचालन में पारदर्शिता और उनकी सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार** कर लॉजिस्टिक फर्मों की सहायता की जा रही है।
- **लॉजिस्टिक्स डिविजन का सृजन:** वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स डिवीजन/संभारतंत्र प्रभाग का सृजन **भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961** में संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसके द्वारा वाणिज्य विभाग को **"लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के एकीकृत विकास"** का कार्य आवंटित किया गया था।
    - लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने **सूचना प्रौद्योगिकी आधार का सृजन करने और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स सूचना पोर्टल विकसित करने की योजना** निर्मित की है। यह एक ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स मार्केटप्लेस/बजारस्थल भी होगा और इसके द्वारा विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाने का कार्य भी किया जाएगा।
- **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण:** इस दिशा में महत्वपूर्ण पहलों में **भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs)** का नियोजित विकास, **सागरमाला परियोजना** के अंतर्गत अनेक बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं, अंतर्देशीय टर्मिनलों के साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और देश के प्रमुख क्लस्टरों में विभिन्न **औद्योगिक और समर्पित माल-ढुलाई गलियारे** की योजना निर्मित की जा रही है।
- **लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स:** यह **उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के अनुभव** के आधार पर राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में प्रदर्शन की आधार-रेखा स्थापित करने का एक प्रयास है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार:** इन पुरस्कारों का उद्देश्य **शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की पहलों और उपलब्धियों को उजागर करके** लॉजिस्टिक्स में **सर्वोत्तम प्रथाओं को लोकप्रिय बनाकर** भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रक के **सुनियोजित रूपांतरण** को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक विधि:** वर्तमान में हितधारकों के साथ परामर्श कर **"एक राष्ट्र-एक बाजार" एजेंडा** का समर्थन करने वाले **"एक राष्ट्र-एक अनुबंध" के प्रतिमान** (सभी माध्यमों के लदान हेतु एकल बिल) के लिए एकीकृत विधिक रूपरेखा के माध्यम से एक कुशल विनियामक परिवेश प्रदान किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का प्रारूप:** इसका उद्देश्य देश भर में **माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना** है और यह अंतिम चरण में है। इसमें प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप के निम्नलिखित पांच स्तंभ हैं:

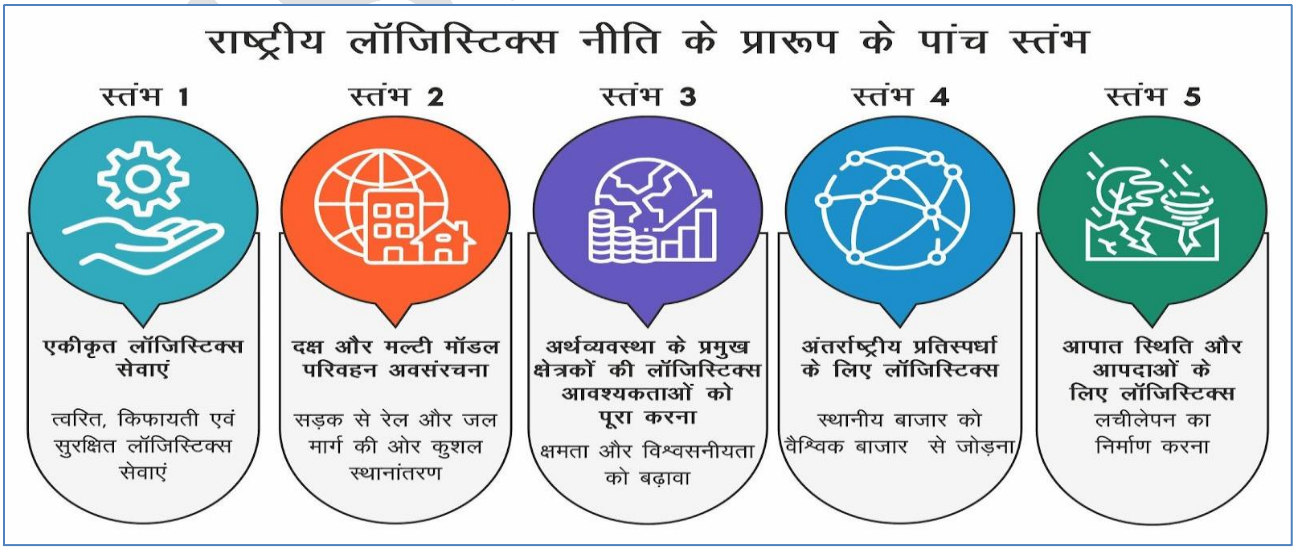

9.2. सड़क मार्ग (ROADWAYS)

मुख्य लक्ष्य

- भारतमाला परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को 80% तक बढ़ाना।
- वर्ष 2022–23 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करके 2 लाख कि.मी. करना।
- एकल/मध्यवर्ती लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना और वर्ष 2022–2023 तक इन्हें कुल लंबाई के 10% से भी कम के स्तर पर लाना।
- सड़कों के लिए विनियामक ढांचे में सुधार करना।
- ब्रासीलिया घोषणा–पत्र के अनुसार वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों की संख्या में 50% तक की कमी लाना।

वर्तमान स्थिति

- यात्रियों और माल ढुलाई दोनों में सबसे बड़ा भागीदार।
- देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
- भारत में पंजीकृत वाहनों में 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही है।
- भारत के कुल यातायात का 40% राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- भारतमाला परियोजना
- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
- सेतु–भारतम योजना

सड़क मार्ग – एक नज़र में

आगे की राह

- 65% से अधिक सड़क यातायात का वहन करने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पहले से ही अत्यधिक दबाव है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए निर्धारित वार्षिक परिव्यय की राशि, आवश्यक धनराशि का केवल 40% के लगभग है।
- देश में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 400 मृत्युएं दर्ज की जाती हैं।
- भूमि अधिग्रहण में देरी से परियोजना की लागत प्रभावित होती है, क्योंकि भूमि की औसत लागत वर्ष 2012–13 के दौरान 0.80 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2017–18 के दौरान 3.20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत वाहनों का परिवहन के रूप में बढ़ते उपयोग से सड़क पर भीड़–भाड़, यात्रा में अधिक समय लगना एवं वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है।
- वाहनों की कम आपूर्ति के कारण सार्वजनिक परिवहन बेड़े का विस्तार बाधित हुआ है।

बाधाएं

- केंद्रीय सड़क निधि (CRF) से एक कोष का निर्धारण सड़कों के नियमित रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए करना चाहिए।
- विकास संबंधी लागत को कम करने के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाना चाहिए।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सड़क निर्माण के संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस देने से पूर्व ड्राइविंग कौशल संबंधी कड़े परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
- सार्वजनिक परिवहन की क्षमता और पहुंच में वृद्धि करने के साथ–साथ उन्हें किफायती भी बनाना चाहिए।
- परिवहन के विभिन्न साधनों के मध्य तकनीक को अपनाने एवं सुगम आवाजाही में वृद्धि करना चाहिए।

9.2.1. सड़क सुरक्षा (ROAD SAFETY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **'यातायात दुर्घटना चोट और विकलांगता: भारतीय समाज पर बोझ' (Traffic Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **भारत में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्यु: प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं** होती हैं, और इनसे लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है।
- **किस सारे सुभेद्य सड़क उपयोगकर्ता** (अर्थात् कार्यशील आयु के पुरुष सड़क उपयोगकर्ता) सड़क दुर्घटनाओं का अनुपातहीन तरीके शिकार हो जाते हैं।
- **लिंग विशिष्ट प्रभाव**: दुर्घटना के बाद लगभग 50% महिलाएं अपनी घरेलू आय में गिरावट से गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।
- **आर्थिक लागत:** अनुमानित दुर्घटना लागत, सकल घरेलू उत्पाद का 3.14 प्रतिशत है।
- **सामाजिक प्रभाव:** प्रत्येक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ित निर्धन परिवारों में लगभग सात महीने की घरेलू आय में गिरावट आ जाती है।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण

- **वाहनों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर बढ़ता यातायात:** सड़कों की क्षमता में समानुपातिक वृद्धि के बगैर बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक वृद्धि जैसे कारकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **कानूनों का निम्नस्तरीय प्रवर्तन:** भारत के यातायात कानून अन्य देशों की तुलना में कठोर हैं, लेकिन इन कानूनों के प्रवर्तन की दर अव्यावहारिक रही है। इसके अलावा, भारत **यातायात पुलिस बल के अभाव से ग्रसित रहा** है।
- **शहरी नियोजन का मानक के अनुरूप न होना:** कई सड़कों पर, यातायात प्रबंधन संबंधी उपाय उपयुक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, जैसे कि चौराहों या मीडियन बैरियर (median barriers) से पहले गति अवरोधक (speed humps) की अनुपलब्धता।
- **चालकों में वाहन चलाने से संबंधित प्रशिक्षण का अभाव:** वर्ष 2018 में हुई सभी सड़क दुर्घटनाओं के 26% मामलों में, जो चालक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उनके पास या तो वैध लाइसेंस नहीं था या वे लर्निंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर रहे थे।
- **अनुचित सड़क इंजीनियरिंग:** भारत में सड़क अवसंरचना मुख्यतः खराब गुणवत्तापूर्ण डिजाइन तथा निम्नस्तरीय दृश्यता से ग्रसित है, जिससे दुर्घटनाओं के घटित होने की अधिक संभावना बनी रहती है।

भारत में सड़क सुरक्षा में आवश्यक सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010:** इस नीति के तहत विभिन्न उपायों की एक रूपरेखा तैयार की गई है, जैसे कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना; सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस तैयार करना; डिजाइन व निर्माण के चरण में ही अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना; चालक लाइसेंस और प्रशिक्षण आदि की प्रणाली को मजबूत करना।
- सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत फैसले लेने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद** का गठन।
- **सड़क सुरक्षा पर हुए ब्रासीलिया घोषणा-पत्र (वर्ष 2015) पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत का शामिल होना, जो सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु की संख्या को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है।**
- **समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना**: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की चतुर्भुज रेल कनेक्टिविटी को निर्मित करने पर जोर दिया गया है। यह **पहले से ही सघन सड़क नेटवर्क पर भीड़ को कम करेगा** और माल परिवहन को अधिक-से-अधिक रेल परिवहन में स्थानांतरित करने को बढ़ावा देगा।
- **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** को भी अधिनियमित किया गया है।

सड़क सुरक्षा में वृद्धि के सुझावों में शामिल हैं:

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के तहत** निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:
  - भारत भर में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर, **यातायात उल्लंघन कानून के सख्त प्रवर्तन के लिए एक समर्पित और पृथक एजेंसी का गठन।**
  - राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए प्रस्तावित **राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सुरक्षा पुलिस,** राज्य राजमार्ग सड़क सुरक्षा पुलिस का गठन।

- ○ **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना:** जिसके तहत संवेदनशील और संगठित तरीके से, राजमार्गों की निगरानी, संचालन और प्रबंधन तथा संचार प्रक्रिया के लिए इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली (Intelligent Transportation System: ITS) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **सड़क सुरक्षा पर वर्ष 2007 में गठित एस. सुंदर समिति** ने सड़क अवसंरचना के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसमें डिजाइन के चरण में ही प्रभावी सड़क इंजीनियरिंग समाधान, दुर्घटना वाले हॉट स्पॉट में सुधार आदि शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के **सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण** के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि सड़क सुरक्षा में लोगों की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण को समाज के सभी वर्गों में शिक्षा और जागरूकता की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- **वाहन प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण** किया जाना चाहिए, जैसे- टक्कर-रोधी प्रणाली (collision-avoidance systems), सेमी-ऑटोमेटिक वाहन, स्थिरता नियंत्रण, बेहतर सड़क-वाहन संपर्क, स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम और एयर कुशन तकनीक और बेड़े के वाहनों पर गति सीमा आदि के अनुपालन पर बल दिया जाना चाहिए।

9.2.2. वाहन स्क्रैपिंग नीति (VEHICLE SCRAPPING POLICY: VSP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति (VSP) की घोषणा की है।

इस नीति के उद्देश्य

- पुराने और खराब हो चुके वाहनों की संख्या को कम करना।
- भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाना।
- सड़क और वाहन संबंधी सुरक्षा में सुधार करना।
- बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त करना।
- वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप प्रदान करना।
- मोटरवाहन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

वाहन स्क्रैपिंग नीति (VSP) में मुख्य प्रस्ताव

- **वाहनों का वि-पंजीकरण:**
    - ○ **15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहन** यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उन्हें **वि-पंजीकृत (de-registered)** कर दिया जाएगा।
    - ○ **20 वर्ष पुराने निजी वाहन** यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहते हैं या पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहते हैं तो उन्हें **वि-पंजीकृत कर दिया जाएगा।**
    - ○ **सभी सरकारी वाहनों** को पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष बाद वि-पंजीकृत या स्क्रैप किया जा सकता है।
- पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों (Registered Scrapping Centres: RSCs) के माध्यम से **पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।**
    - ○ स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नए निजी वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्रमशः 25% और 15% तक की सड़क कर की छूट राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी।
    - ○ नए वाहनों की खरीद करते समय स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विनिर्माताओं द्वारा 5% की छूट प्रदान की जाएगी।
    - ○ स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क भी माफ हो सकता है।
- सार्वजनिक और निजी भागीदारी प्रोत्साहित कर संपूर्ण भारत में **अत्यधिक विशेषीकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (Registered Vehicle Scrapping Facilities: RVSF) की स्थापना करना।**
    - ○ MoRTH ने संपूर्ण भारत में **पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप नियमों की भी घोषणा की है।**

वाहन स्क्रैपिंग क्या है?

इस प्रक्रिया में सामान्यतः अपनी कार्यशील अवधि पूर्ण (अर्थात् जो वैध रूप से पंजीकृत नहीं रह गए हैं या जिन्हें स्वचालित फिटनेस केन्द्रों के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है) कर चुके वाहनों {End of life – vehicles (ELV)} को सामान्यतः कतरनी मशीन का उपयोग कर धातु के छोटे-छोटे टुकड़ों में कतर दिया जाता ताकि इनका पुनर्चक्रण किया जा सके। इसमें **प्रदुषण समाप्त करने वाली, विघटन, सामग्री का पृथक्करण, गैर-पुन:प्रयोज्य भागों का सुरक्षित निस्तारण** आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इस नीति के समक्ष चुनौतियां

- **संबद्ध अवसंरचना का अभाव:** भारत में वर्तमान में बहुत कम स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र हैं इस प्रकार यह बाजार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं।

- **जटिल विपंजीकरण प्रक्रिया:** वाहनों को विपंजीकृत कराने की वर्तमान प्रक्रिया कई वाहन मालिकों को हतोत्साहित करती है, जो अपने पुराने वाहनों को बेचने या स्क्रैप करने के इच्छुक होते हैं।
- **पर्यावरणीय चुनौतियां:** भारी धातुओं, अपशिष्ट तेल, शीतलक, ओजोन क्षयकारी पदार्थों आदि की उपस्थिति के कारण **ELV** से निकलने वाली लगभग **25%** अपशिष्ट सामग्री संभावित पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करती है।
- **आम सहमति का अभाव:** वर्ष 2018 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **वर्ष 2020** से वाहन स्क्रैपिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रधान मंत्री कार्यालय इससे सहमत नहीं था और PMO द्वारा MoRTH को इस योजना को स्वैच्छिक बनाने और राज्यों से परामर्श करने का निर्देश दिया गया।
- **अनिश्चित संख्या:** पुराने और ELV वाहनों की निश्चित संख्या निर्धारित करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि भारत में वाहन पंजीकरण संबंधी डेटाबेस में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसे सामान्यतः गैर-प्रयोज्य और स्क्रैपेज वाहनों के अनुसार दक्षतापूर्वक संशोधित नहीं किया जाता है।
- **प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर प्रभाव:** पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से प्रयुक्त वाहनों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इससे सभी निर्धन कार मालिक प्रभावित होंगे।

आगे की राह

- इस नीति के तहत **पुराने हैवी ड्यूटी वाहनों को BS-VI वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज** प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **विनिर्माता/उत्पादक के उत्तरदायित्व के संदर्भ में नवीन नियमों को अधिसूचित करना चाहिए** ताकि वाहनों में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा सीसा, पारा, कैडमियम या हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसी विषैली धातुएं न हों।
- अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिए इस्पात, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक आदि जैसी सामग्री की पुन: प्राप्ति के लिए **संपूर्ण देश में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल वाहन स्क्रैपेज अवसंरचना में वृद्धि करना चाहिए।**
- **अनौपचारिक क्षेत्रक को एकीकृत करना चाहिए,** क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रक ELV के संग्रहण, विघटन और पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सभी क्षेत्रों में पुराने वाहनों की सटीक संख्या का अनुमान लगाने के लिए **वाहन पंजीकरण संबंधी डेटाबेस को अद्यतित करना चाहिए।** क्रियाशील वाहन के परमिट और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन VAHAN डेटाबेस सृजित करने की MoRTH की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।
- संबंधित विनियामक ढांचे और इसके कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MoRTH और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य **बेहतर समन्वय** होना चाहिए।

VISION IAS

9.3. रेलवे (RAILWAYS)

मुख्य लक्ष्य

- मौजूदा रेलवे अवसंरचना की क्षमता में वृद्धि करना।
- वर्ष 2016–17 में 40 प्रतिशत के स्तर से वर्ष 2022–23 तक ब्रॉड गेज ट्रैक का 100% विद्युतीकरण करना।
- मालगाड़ी और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति बढ़ाकर क्रमशः 50 कि.मी./घंटा और 80 कि.मी./घंटा करना।
- रेलवे परिवहन में शून्य मृत्यु को सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2022–23 तक 95% समय पर आगमन प्राप्त करते हुए सेवा वितरण में सुधार करना।
- कुल राजस्व में गैर–किराया राजस्व का हिस्सा बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।

वर्तमान स्थिति

- भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है।
- भारतीय रेलवे का विश्व स्तर पर यात्री और माल–ढुलाई परिवहन में क्रमशः पहला और चौथा स्थान है।
- रेलवे द्वारा प्रतिदिन 22.24 मिलियन लोग यात्रा करते हैं।
- वर्ष 2007 और वर्ष 2017 के बीच 1.1 बिलियन टन माल–ढुलाई की गई है।
- वर्ष 2017 में रेलवे द्वारा 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (समर्पित माल–ढुलाई गलियारा)
- आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत, रेल कौशल विकास योजना
- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

रेलवे – एक नज़र में

आगे की राह

- भीड़–भाड़ से निपटने हेतु वर्तमान बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग।
- संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से संगठनात्मक कठोरता को कम करना।
- किराया संरचना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना एवं राजस्व का निर्माण करने हेतु संपत्ति का मौद्रीकरण करना।
- दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रेनों की सुरक्षा में वृद्धि करना और स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना।
- साथ ही, भारतीय रेलवे के लिए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित किया जा सकता है।

बाधाएं

- भीड़–भाड़ वाले नेटवर्क और अधिक फैला हुआ बुनियादी ढांचा।
- निर्णय लेने में देरी, अपर्याप्त बाजार अभिविन्यास और परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में लगने वाला अधिक समय।
- नगण्य गैर–किराया राजस्व एवं उच्च माल भाड़ा शुल्क के साथ संसाधनों से आंतरिक उत्पादन कम बना हुआ है।
- सुरक्षा और सेवा वितरण की खराब गुणवत्ता।
- खराब टर्मिनल सुविधाओं के कारण लोडिंग और अनलोडिंग करने में अधिक समय लग जाता है।
- स्केल इकोनॉमी का अभाव प्रबंधन की गुणवत्ता और प्रणाली की जवाबदेही को विशेष रूप से प्रभावित करता है।

9.3.1. रेलवे में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (PRIVATE SECTOR PARTICIPATION IN RAILWAYS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यात्री रेलगाड़ी के परिचालनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** परियोजना के लिए **निविदाएं** खोली गई हैं।

रेलवे में हुए अन्य सुधार

- **राष्ट्रीय रेल योजना (NRP):** NRP के आधार पर, वर्ष 2024 तक अवसंरचना विकसित करने के लिए **एक विजन-2024 दस्तावेज** तैयार किया गया है। **इसका उद्देश्य माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40 प्रतिशत से अधिक करना है** और वर्ष 2030 तक ट्रैफिक संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
- **परियोजना निष्पादन में सुधार और संगठनात्मक कुशलता: ई-कार्य संविदा प्रबंधन प्रणाली, ई-श्रमिक कल्याण पोर्टल और एक केंद्रीय भुगतान प्रणाली** (भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से) के अपनाने से बहुत हद तक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में **पारदर्शिता** आई है।
- **रेलवे के विद्युतीकरण और मिशन हरियाली की गति को बढ़ाना:** वर्ष 2023 तक रेलवे के पूरे ब्रॉड गॉज नेटवर्क के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से नवंबर 2020 तक **कुल ट्रैक लंबाई में से 66% का विद्युतीकरण हो गया है।**
- **हाई स्पीड रेल:** वर्तमान में, **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR)** परियोजना ही देश में **हाई स्पीड रेल** (HSR) की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है। इस पर **जापान सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता** से कार्य जारी है।
- इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (NHSRCL) के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया गया है।

रेलवे में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की आवश्यकता

- **बढ़ती हुई मांग पूरी करना: शहरीकरण के** बढ़ने और आय में वृद्धि से यात्री रेलगाड़ी खंड में संवृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष **2050 तक कुल वैश्विक रेल संचालन में लगभग 40 प्रतिशत** का प्रतिनिधित्व भारत का होगा।
- **संसाधन जुटाने हेतु: राकेश मोहन समिति ने** उल्लेख किया था कि **भारतीय रेलवे अल्प निवेश, दुर्लभ संसाधनों के अकुशल आवंटन, बढ़ता ऋण, निम्नस्तरीय ग्राहक सेवा और तेजी से बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण दुष्चक्र में फंस गया है।**
  - रोलिंग स्टॉक और अन्य व्यय के माध्यम से रेलवे प्रणाली में लगभग 30,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसे निजी अभिकर्ताओं द्वारा वहन किया जाना है।
- **ट्रैफिक का अन्य परिवहन माध्यमों की ओर स्थानांतरण:** स्थलीय माध्यम से माल ढुलाई में रेलवे की भागीदारी में गिरावट आई है। यह वर्ष 1950-51 में 86.2 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2020 में घटकर केवल 18 प्रतिशत रह गई है।
  - वर्ष 2013 और वर्ष 2018 के मध्य भारतीय रेलवे के आरक्षित यात्री ट्रैफिक में **5% से भी कम की वृद्धि हुई** जबकि उसी अवधि में **हवाई ट्रैफिक में 13% की वृद्धि हुई है।**
- **आर्थिक संवृद्धि के लिए: आर्थिक सर्वेक्षण** द्वारा विश्लेषण से पता चला है कि परिवहन के अन्य माध्यमों की ओर नियमित स्थानांतरण से **GDP के लगभग 4.5% के बराबर आर्थिक संवृद्धि प्रभावित हो रही है।**
- **यात्री कारोबार में घाटा:** ये घाटा रेलवे **टिकटों का किराया, लागत से कम होने और यात्रियों को मिलने वाली छूट** (जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सस्ती टिकट) के कारण होता है। रेलवे पुनर्संरचना के लिए गठित समिति ने उल्लेख किया था कि यात्री कारोबार का परिचालन करने के लिए **लागत संबंधी गणना की विधि वैज्ञानिक और सटीक नहीं है।**
- **सुरक्षा संवर्धन हेतु:** रेलवे पर स्थायी समिती (वर्ष 2016) ने उल्लेख किया था कि रेलवे में अल्प निवेश के कारण **अधिक रेल दुर्घटनाएं** होती हैं।
  - उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति (HLSRc) ने **पांच वर्ष की अवधि (वर्ष 2012-17) में सुरक्षा संबंधी उपायों पर कुल वित्तीय व्यय** लगभग **एक लाख करोड़ रुपये** होने की संभावना व्यक्त की थी।
- **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना:** प्रतिस्पर्धा संबंधी अभाव के कारण रेलवे **एक अकुशल और नौकरशाही की जड़ता से प्रभावित विभाग** बन गया है। साथ ही यह आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाली सेवाएं, मंद गति आदि जैसी समस्याओं से ग्रसित है।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी से संबंधित मुद्दे

- **स्वतंत्र विनियामक का अभाव:** बिबेक देबरॉय समिति के अनुसार रेलवे बोर्ड को **नियम-निर्माता, परिचालक और विनियामक के संबंध में विशिष्ट स्थान प्राप्त है,** जो स्पष्ट रूप से **हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव: राकेश मोहन समिति** रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि रेलवे के निजीकरण के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि यह **"अत्यधिक कठिन और विवादित"** है।

- उदाहरण के लिए, जब ब्रिटेन ने अपने रेलवे का निजीकरण किया, तो वहां ट्रैक और मार्गों समेत सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया, जिस कारण **अवसंरचना पर अल्प निवेश** की स्थिति का सामना करना पड़ा।

- **सामाजिक कल्याण की चिंताएं:** चूंकि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य लाभार्जन होता है, इस कारण देश में **रेल किरायों में बढ़ोतरी** हो सकती है जो अब तक देश में पर्याप्त सीमा तक सब्सिडी आधारित है।
- **संतृप्ति और क्षमतागत बाधाएं:** रेल नेटवर्क वर्तमान में अत्यधिक क्षमतागत बाधाओं का सामना कर रहा है और उच्च घनत्व वाला नेटवर्क (महानगरों को जोड़ने वाला नेटवर्क) भी **संतृप्ति की सीमा को पार** कर गया है। क्षमता के अत्यधिक उपयोग और नई रेलगाड़ियों के परिचालन से रेलगाड़ियां की रफ्तार धीमी हुई है और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र नियामक की स्थापना:** एक स्वतंत्र नियामक अन्य घटकों के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगा कि **ट्रैक, स्टेशन, गोदाम, टर्मिनल एवं अन्य अवसंरचनाएं और सेवाएं निष्पक्ष रूप से उपलब्ध हों।**
- **अधिक स्पष्टता:** संस्थाओं के बीच **स्पष्ट रूप से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का बंटवारा, पूर्व निर्धारित समय सीमा के** अंदर प्रदेय वस्तुओं या सेवाओं का आवंटन और निविदा निगरानी प्रक्रिया में **पारदर्शिता और जवाबदेही** सुनिश्चित करना ही निजी क्षेत्रक की सफल भागीदारी के लिए आगे की राह है।
- **उपयुक्त किराया संरचना:** नीति आयोग ने **समकक्ष परिवहन माध्यमों में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार** यात्री किराया रखने का सुझाव दिया है।
- **यात्री सुविधाओं में वृद्धि:** राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में **रेलवे पर स्थायी समिति** ने इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं।
  - रेलवे को **यथार्थपरक बजट** तैयार करना चाहिए, ताकि वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को **अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए।**
  - यात्री सुविधा के लिए सृजित परि**संपत्तियों के अनुरक्षण** और समारक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है।
  - **मशीनीकृत सफाई प्रणाली** के अंतर्गत अधिकतम सफाई गतिविधियों को पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

9.4. पोत परिवहन (SHIPPING)

शिपिंग सेक्टर या पोत परिवहन क्षेत्र – एक नज़र में

बंदरगाहों के प्रकार

- **कार्गो के संचालन के आधार पर**
  - औद्योगिक बंदरगाह
  - वाणिज्यिक बंदरगाह
  - विस्तृत बंदरगाह
- **अवस्थिति के आधार पर**
  - अंतर्देशीय बंदरगाह
  - आउट पोर्ट्स
- **विशिष्ट कार्यों के आधार पर**
  - नौसेना बंदरगाह
  - औद्योगिक बंदरगाह
  - आंत्रपो बंदरगाह
  - पैकेट स्टेशन
  - मार्ग बंदरगाह (विश्राम बंदरगाह)/पोर्ट्स ऑफ कॉल
  - तेल बंदरगाह

बंदरगाह विकास का महत्व

- **अर्थव्यवस्था**
  - लॉजिस्टिक लागत को कम करने में
  - ब्लू इकोनॉमी में
- **सुरक्षा**
  - सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना में
  - समुद्री अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में
  - समुद्री यातायात पर नजर रखने में
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध**
  - चीन के प्रभाव को कम करने में
  - क्षेत्रीय एकता स्थापित करने में
  - हिंद महासागर क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में
- **पर्यावरण**
  - सतत विकास के लिए बंदरगाहों का कुशल निर्माण करने में
- **सामाजिक**
  - समावेशी विकास में
  - सतत आजीविका प्रदान करने में

भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार करने के सामने मौजूद बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाएं:** उथले बंदरगाह, बंदरगाहों की क्षमता का कम उपयोग, लॉजिस्टिक्स सम्बन्धी बाधाएं।
- **विनियामक बाधाएं:** बड़े और छोटे बंदरगाहों के मध्य समान अवसर का अभाव, नौकरशाही संबंधी चुनौतियां।
- **निवेश से संबंधित मुद्दे:** वित्तपोषण की कमी, निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी।
- **श्रम संबंधी मुद्दे:** कर्मियों की अधिकता, अकुशल और अप्रशिक्षित श्रमिक।
- वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी होना।

बंदरगाहों का शासन

- **महापत्तन/प्रमुख बंदरगाह:** ये संविधान की संघ सूची में आते हैं और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत प्रशासित होते हैं।
- **छोटे बंदरगाह:** छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य स्तर पर किया जाता है।
- **शासन मॉडल:** महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के लागू होने तक, भारत सरकार के स्वामित्व वाले 11 बंदरगाहों ने व्यापक रूप से सर्विस पोर्ट मॉडल और लैंडलॉर्ड मॉडल के हाइब्रिड प्रारूप का पालन किया है।

भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **व्यवसाय करने की सुगमता:** निवेश को प्रोत्साहित करना, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS), पोर्ट आधारित उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति का निर्माण किया गया है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाओं का निपटान:** सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम, प्रोजेक्ट उन्नति-परिचालन क्षमता में सुधार करना। वर्तमान के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता विस्तार, नवीन बंदरगाह विकास, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (हब) का विकास करना।
- **विधायी सुधार:** महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग।**

आगे की राह

- **विनियामक सुधार:** ड्रेजिंग (तलकर्षण) बाजार तक पहुँच प्रदान करना, बंदरगाहों को अंतिम छोर तक जोड़ **भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।**
- **वित्त पोषण के मुद्दों से निपटना:** राजस्व स्रोत के रूप में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना, बंकरिंग में निवेश के अवसर तलाशना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** सागरमाला के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, स्मार्ट पोर्ट और ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स को स्थापित करना।
- **अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप:** नौगम्य मार्ग विकास करना, औद्योगिक गलियारों का विकास करना, अंतिम-छोर तक संपर्क को बढ़ाना, यात्री परिवहन को बढ़ावा देना, पर्याप्त हवाई स्वीकृति को सुनिश्चित करना।

9.4.1. भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति का प्रारूप (DRAFT BLUE ECONOMY POLICY FOR INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने **भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था नीति का प्रारूप** तैयार किया है। MoES ने इस प्रारूप को सार्वजनिक डोमेन में रखा है ताकि उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणी आमंत्रित की जा सके।

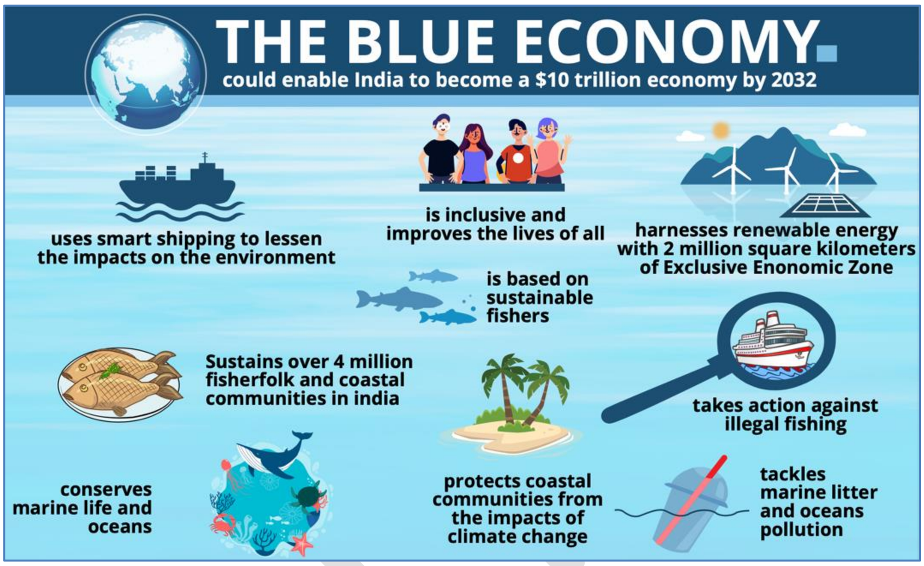

नीली अर्थव्यवस्था के बारे में

- विश्व बैंक के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था का आशय आजीविका एवं रोजगार और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ **आर्थिक संवृद्धि** के लिए **महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग** से है।
- नीली अर्थव्यवस्था के तहत **आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक समावेश और आजीविका का परिरक्षण या सुधार के साथ-साथ** महासागरों और तटीय क्षेत्रों की **पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने** का प्रयास किया जाता है।

नीली अर्थव्यवस्था नीति का प्रारूप:

- नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप संबंधी दस्तावेज में **भारत सरकार द्वारा देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों की प्रचुरता का उपयोग करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीति और विजन (दृष्टिकोण) को रेखांकित किया गया है।**
- **इस नीति से संबंधित दस्तावेज के उद्देश्य हैं:**
  - भारत की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान में वृद्धि करना,
  - तटीय समुदायों के लोगों के जीवन में सुधार लाना,
  - समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, तथा
  - समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना।
- भारत की नीली अर्थव्यवस्था को **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक उपसमूह के रूप में समझा जाता है।** इसमें देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री, समुद्रतटीय और तटवर्ती क्षेत्रों में **संपूर्ण महासागर संसाधन प्रणाली और मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचा शामिल होता है।**
- यह प्रारूप राष्ट्रीय संवृद्धि के **दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था को रेखांकित करता है।**
- इस नीति के प्रारूप का फ्रेमवर्क **भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रकों में** अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों पर बल देता है।
- यह दस्तावेज़ निम्नलिखित **सात विषयगत क्षेत्रों** को मान्यता प्रदान करता है:
  - **नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय अभिशासन के लिए राष्ट्रीय लेखांकन ढांचा (National accounting framework for the blue economy and ocean governance)**
  - भारत को यूनेस्को (UNESCO) के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) के दिशा-निर्देशों के तहत समुद्र तटीय स्थानिक योजना निर्माण और पर्यटन (Coastal marine spatial planning and tourism) संबंधी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
  - संधारणीय समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि, और मत्स्य प्रसंस्करण।
  - विनिर्माण, उभरते उद्योगों, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
  - ट्रांस-शिपमेंट सहित लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे और पोत परिवहन के लिए दीर्घकालिक योजना।
  - गहरे समुद्र में खनन के लिए राष्ट्रीय प्लेसर मिशन और साथ ही, हिंद महासागर में कोबाल्ट समृद्ध सी माउंट फेरो मैंगनीज क्रस्ट (SFMC) की खोज में प्रमुख भूमिका निभाना।
  - राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना ढांचे और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को एकीकृत करना। साथ ही, प्रमुख भागीदार देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी करना।

नीली अर्थव्यवस्था के विकास में चुनौतियां

- अत्यधिक मछली पकड़ने/गैर-संधारणीय मछली पकड़ने की प्रथाएं।
- प्रदूषण, पर्यावास और जैव विविधता का नुकसान, समुद्री डाकू, अपराध और जलवायु परिवर्तन।
- समुद्री उद्योग में महिलाओं का लगभग 1 प्रतिशत के प्रतिनिधित्व के साथ लैंगिक असमानता की स्थिति है।
- प्लास्टिक प्रदूषण।
- समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद आदि जैसे सुरक्षा मुद्दे।

भारत द्वारा की गई कुछ अन्य पहल

- **मत्स्य संपदा योजना** का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करने के साथ-साथ मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करना।
- **बहुधात्विक नोड्यूल्स:** भारत को मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है।
- **तटीय आर्थिक क्षेत्र:** ये सभी समुद्री राज्यों को कवर करते हुए सागरमाला पहल के तहत विकसित किए जा रहे हैं।
  - CEZs एक स्थानिक आर्थिक क्षेत्र हैं। इनमें तटीय जिले या उस क्षेत्र के बंदरगाहों से मजबूत जुड़ाव वाले जिले शामिल हैं।

आगे की राह

- **उभरते हुए उद्योगों को प्रोत्साहित करना:** जलीय कृषि (aquaculture), समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री ऊर्जा और समुद्र-तल खनन जैसे अन्य उभरते हुए उद्योगों को प्रोत्साहित करना जिनमें रोजगार सृजित करने तथा विश्व भर में आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करने की क्षमता है।
- **समावेशी ढांचा:** हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हेतु संधारणीय और समावेशी ढांचे की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के देशों को न केवल इस क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समन्वय और प्रबंधन करने की आवश्यकता है बल्कि साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में उपलब्ध महत्वपूर्ण आर्थिक संभावना को साकार करने की भी आवश्यकता है।
- **सहयोग:** भारत, क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने और साथ ही अपनी घरेलू वृहद-आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ कुशलतापूर्वक संरेखित संधारणीय महासागर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के प्रति भी प्रतिबद्ध है। यह भारत को महासागर आधारित नीली अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में सक्षम बनाएगा।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** समुद्री पर्यावास और उत्पादकता पुनः प्राप्त करने के लिए छोटे मछुआरों को संधारणीय प्रथाएँ अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना या संरक्षित समुद्री क्षेत्रों में वृद्धि करनी चाहिए।

9.4.2. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम (MARINE AIDS TO NAVIGATION ACT, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में **वाणिज्यिक पोतों की रजिस्ट्री (Flagging in merchant ships)** की एक योजना को अनुमोदित किया है। साथ ही, संसद ने **नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021** पारित किया है।

अर्थव्यवस्था में पोत परिवहन उद्योग की क्या भूमिका है?

भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, पोत परिवहन द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

- **परिमाण (वॉल्यूम) के आधार पर देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार** (मूल्य की दृष्टि से 70 प्रतिशत) समुद्र के माध्यम से होता है।
- **लगभग 7,517 कि.मी. के समुद्र तट और 12 प्रमुख पत्तनों एवं 187 लघु पत्तनों** के साथ, भारत में भविष्य में पोत परिवहन और ट्रांस शिपमेंट के लिए एक संभावित प्रमुख गंतव्य बनने की क्षमता विद्यमान है।
- इस उद्योग के विभिन्न लाभ हैं, जैसे- **वृहद माल-ढुलाई परिवहन क्षमता, लागत प्रभावी, पर्यावरण के प्रति अनुकूल, तटीय क्षेत्रों में रोजगार** सृजित करने की क्षमता आदि।
- अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित क्षेत्रों में पोत परिवहन उद्योग द्वारा केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया जाता है:
  - भारत द्वारा प्रतिवर्ष पोत परिवहन मार्ग से (मुख्यतः खाड़ी देशों, मलेशिया और नाइजीरिया से) **लगभग 40 मिलियन टन कच्चे तेल और 20 मिलियन टन उत्पादों का आयात किया जाता है।**
  - भारत से पूर्वी एशिया में **लौह अयस्क का निर्यात।**
  - ऑस्ट्रेलिया से विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया तक **कोर्किंग कोल का आयात।**

इस क्षेत्रक द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे?

- **जलपोतों के बेड़े का छोटा आकार:** भारतीय पोत परिवहन उद्योग और इसके जलपोतों के बेड़े का आकार अपने समकक्षों की तुलना में कमतर है (1,431 जलपोतों के साथ 16वें स्थान पर, या विश्व का लगभग 1.2%)।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव:** उच्च कराधान, अनुपालन संबंधी बोझ और कुशल कार्यबल की कमी के कारण भारतीय जलपोतों की परिचालन लागत अधिक है।

- **निम्न क्षमता: परिमाण के आधार पर 90% और मूल्य के के आधार पर 70% आयात-निर्यात कार्गो** का प्रबंधन करने के बावजूद, बंदरगाहों पर यातायात **क्षमता से बहुत कम** है।
- बंदरगाहों के रखरखाव और संचालन में लगे **उद्यमों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) की अनुमति और **10 वर्षों तक कर से राहत** मिलने के बावजूद, अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक केवल **1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का संचयी FDI प्राप्त हुआ।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक (Marine Aids to Navigation Bill), 2021 इस उद्योग के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है?

यह **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मिलित** करके और निम्नलिखित के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का **अनुपालन** करने को लक्षित है:

- **समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Safety of Life at Sea), 1974.**
- **इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स एंड लाइट हाउस अथार्टीज मैरीटाइम बोएज सिस्टम।**

यह निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से संपूर्ण भारत में नौचालन हेतु सहायता के **विकास, रखरखाव और प्रबंधन** के लिए **उपयोगकर्ता के अनुकूल एक विधिक ढांचा** प्रदान करता है:

- समुद्री नौचालन की आधुनिकतम अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर नौचालन सहायता और **जलपोतों की** परिभाषा।
- नौचालन सहायता (Aids to Navigation) से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए **नौचालन सहायता महानिदेशक** की नियुक्ति और **केंद्रीय सलाहकार समिति का** प्रावधान।
- नौचालन सहायता को **विरासत प्रकाशस्तंभ (Heritage Lighthouse)** के रूप में नामित करना।
- किसी भी नौचालन सहायता को **साशय बाधित करने या क्षति पहुंचाने** पर जुर्माना और दंड के साथ अपराध एवं शास्तियों (offences and penalties) की पहचान करना।
- किसी भी नौचालन सहायता तथा जलपोत यातायात सेवा के परिचालन के लिए **प्रशिक्षण और प्रमाणन।**

संभावित लाभ

- पर्यावरण के संरक्षण के साथ बेहतर नौचालन **सुरक्षा और दक्षता।**
- **कौशल विकास** तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संस्थानों की लेखा परीक्षा और प्रत्यायन का सुदृढ़ीकरण।
- **शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों** के लिए **विरासत प्रकाशस्तंभों** के विकास के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन।

9.4.3. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (MAJOR PORT AUTHORITIES ACT, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया गया।

इस अधिनियम के बारे में

- इस **अधिनियम** में **प्रमुख पत्तनों (या महापत्तनों) के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान** शामिल किए गए हैं। साथ ही, यह अधिनियम इन पत्तनों को **अधिक स्वायत्तता प्रदान** करने का प्रयास भी करता है।
    - यह **महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (Major Port Trusts Act, 1963)** को **प्रतिस्थापित** करेगा।
- **प्रमुख पत्तन, जिन पर यह लागू होगा:** चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलोर, मोरमुगाओ, पारादीप, वी. ओ. चिदम्बरनार (तूतीकोरिन) और विशाखापत्तनम।
- **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:**

	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021	**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963**
महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड	• प्रत्येक महापत्तन के लिए एक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड बनाया जाएगा। • ये बोर्ड मौजूदा पत्तन न्यास की जगह लेंगे।	इस अधिनियम के तहत सभी प्रमुख पत्तन संबंधित बोर्ड ऑफ़ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए जाते थे।

बोर्ड की शक्तियाँ	• यह अधिनियम प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए संबंधित बोर्ड को उसकी संपत्ति, आस्तियों और निधि का उपयोग करने की अनुमति देता है। • बोर्ड निम्नलिखित के बारे में नियम भी बना सकता है: ○ पत्तन संबंधी गतिविधियों और सेवाओं के लिए पत्तन की आस्तियों की उपलब्धता की घोषणा करना। ○ नए पत्तनों, जैट्टियों (jetties) को स्थापित करने जैसी अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना। • किसी माल या जलयानों पर किसी भी प्रभार के भुगतान से छूट या परिहार प्रदान करना।	• ऋण लेने की शक्ति। • कर्मचारियों के संदर्भ में विनियमन बनाने की शक्ति। • कार्य निष्पादित करने और साधित्रों (appliances) का प्रबंधन करने की शक्ति। • लैंडिंग स्थलों और स्नान घाटों के संदर्भ में शक्ति। • समुद्र में जाने वाले जलपोतों को डॉक, घाटों, आदि का उपयोग करने का आदेश देने की बोर्ड की शक्ति।
दरों का निर्धारण	• न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त बोर्ड या समितियां पत्तनों पर उपलब्ध संपत्ति और सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण करेंगी। • दरों का ऐसा निर्धारण पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव के साथ नहीं होगा।	• वर्तमान में, वर्ष 1963 के अधिनियम के तहत गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, पत्तनों पर उपलब्ध संपत्ति और सेवाओं के लिए दरों को निर्धारित करता है।
बोर्ड की वित्तीय शक्तियां	• बोर्ड भारत के अंदर किसी भी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थान या भारत के बाहर किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकता है। • हालांकि, अपने पूंजी भंडार के 50% से अधिक ऋण के लिए, बोर्ड को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।	• बोर्ड को कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती थी।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं	• यह अधिनियम बोर्ड द्वारा रियायती अनुबंध पर ली गई परियोजनाओं को PPP परियोजनाओ के रूप में परिभाषित करता है। • ऐसी परियोजनाओं के लिए, बोर्ड आरंभिक निविदा उद्देश्यों हेतु शुल्क निर्धारित कर सकता है।	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)	• बोर्ड अपनी निधियों का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना सम्मिलित है।	

इस अधिनियम का महत्व

- इस अधिनियम का उद्देश्य प्रमुख पत्तनों में अभिशासन मॉडल (governance model) को वैश्विक अभ्यास के अनुरूप लैंड-लॉर्ड पोर्ट मॉडल के रूप में पुन: प्रस्तुत करना है।
- पत्तन अवसंरचना के विस्तार को बढ़ावा देने और व्यापार तथा वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने के के क्रम में इस **अधिनियम के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण और प्रमुख पत्तनों के नियंत्रण व्यवस्था को पेशेवर** बनाने पर बल दिया गया है।
- **यह तीव्र और पारदर्शी निर्णय** लेने में सहयोग करेगा, जिससे हितधारकों को लाभ होगा तथा परियोजना की निष्पादन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- यह प्रमुख पत्तनों के **परिचालन में पारदर्शिता लाने** में भी मदद करेगा।

यह अधिनियम, पूर्ववर्ती महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की तुलना में अधिक सुगठित है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग करने वाले और पुराने हो चुके अनुच्छेदों को समाप्त करके अनुच्छेदों की कुल संख्या 134 से घटाकर 76 कर दी गई है।

9.5. नागरिक उड्डयन (CIVIL AVIATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय विकास योजना की घोषणा की है।

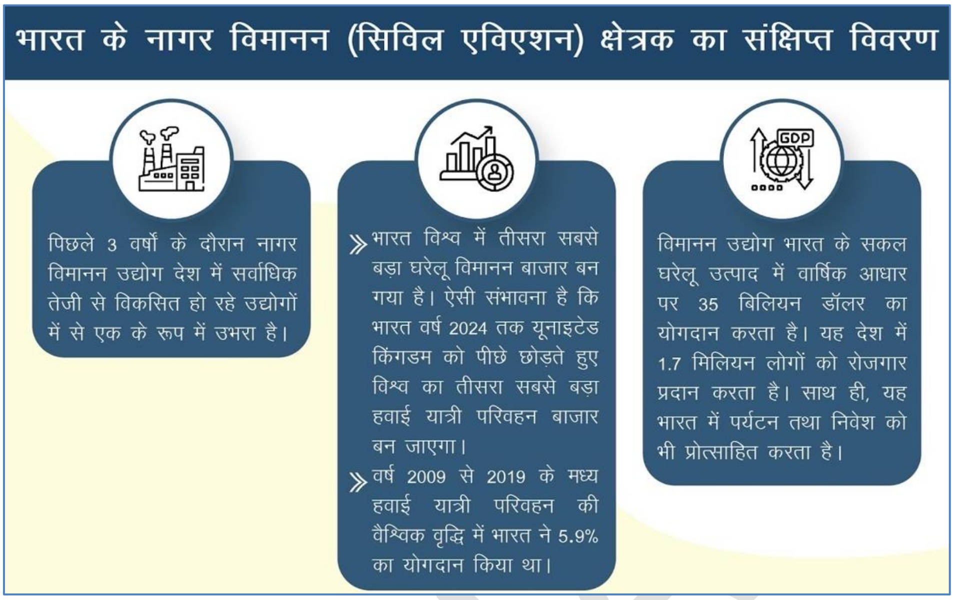

अन्य संबंधित तथ्य

* नागरिक उड्डयन/विमानन क्षेत्रक पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप उड़ानों का संचालन बाधित हुआ है और यात्रियों एवं माल ढुलाई की मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई है। हालांकि, यह क्षेत्रक सुधार की दिशा में प्रगतिशील है।
* 100 दिनों की इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्रक को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों, यथा- अवसंरचना, नीतिगत लक्ष्य और सुधार संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    * इसके तहत अगले 100 दिनों में **चार नए हवाई अड्डों का निर्माण किया** जाएगा। इसमें **अगरतला, कुशीनगर, जेवर (ग्रेटर नोएडा) हवाई अड्डा** और **देहरादून में दूसरा टर्मिनल बिल्डिंग** का निर्माण इत्यादि शामिल हैं। साथ ही, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी **छह हेलीपोर्ट** और उड़ान (UDAN) योजना के तहत **50 नए उड़ान मार्गों** को शामिल किया जाएगा।
    * **रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार सेवाओं के लिए भी नई नीति** की घोषणा की गई है।

रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) सेवाओं के बारे में

* विमानन क्षेत्रक में MRO सेवा का आशय विमान या विमान के कलपुर्जों की मरम्मत, सेवा तथा जांच या निरीक्षण से है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होता है जिससे सभी विमानों की सुरक्षा और उनकी सफल उड़ान को सुनिश्चित किया जाता है।
* MRO बाजार विमानन क्षेत्रक से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरफ्रेम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEMs) द्वारा मुख्य रूप से विमान के विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है न कि विमानों के लिए आवश्यक कलपुर्जे और अन्य घटकों पर।
* कुछ समय पहले तक, MRO सेवाओं पर 18% कर लगाया जाता था, जबकि इन सेवाओं पर विदेशों में 5% कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों से MRO सेवाओं के आयात पर भी कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस स्थिति ने भारत के MROs बाजार की प्रतिस्पर्धा क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।
* इस क्षेत्र के लिए योग्य प्रतिभा के साथ श्रम के संबंध में लाभप्रद स्थिति और एयरलाइन के बेड़े में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी भारतीय **MROs सेवाएं अभी भी अलाभकारी बनी हुई हैं। भारत के 90% MRO संबंधी कार्यों को देश के बाहर किया जाता है, जिनसे अंततः परिचालन लागत में वृद्धि होती है।**
* **नई नीति में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है:**
    * खुली बोली (निविदाओं) के माध्यम से भूमि को पट्टे पर देना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वसूली जाने वाले रॉयल्टी को समाप्त करना।
    * खुली निविदाओं के माध्यम से MRO सुविधाएं स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए 3 से 5 वर्ष की मौजूदा अल्पावधि की जगह 30 वर्षों के लिए भूमि आवंटित करना।
    * MRO गतिविधियों के संबंध में सैन्य और नागरिक सेवाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए वार्ता करना।
* **मंत्रालय ने MRO सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु आठ हवाई अड्डों की पहचान की है, ताकि** MRO गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इन हवाई अड्डों में बेगमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता और तिरुपति शामिल हैं।
* विमान से संबंधित **MRO सेवाओं के बाजार के आकार में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गयी है। इसके लिए मुख्य रूप से विमानन कंपनियों द्वारा अपने परिचालन को पुनः व्यवस्थित करना और कोविड-19 प्रभाव से उबरने हेतु किए गए प्रयास उत्तरदायी हैं।** साथ ही, नई नीति संभवतः भारत को एक वैश्विक MRO हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायता करेगी।

इस क्षेत्रक के विकास हेतु उत्तरदायी कारक

- **नीतिगत कारक:** राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 द्वारा FDI मानदंडों में ढील देकर और उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाकर हवाई यात्रा को सुलभ एवं वहनीय बनाया गया है। इसने विमानन क्षेत्रक में अनुकूल माहौल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के निम्नलिखित परिणाम हुए हैं:
    - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के अंतर्गत शामिल 53 हवाई अड्डों में से **22 हवाई अड्डों को वंचित और असेवित क्षेत्रों** में संचालित किया जा रहा है।
    - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत के औसत घरेलू हवाई किराए में** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में **70% तक** की गिरावट हुई है।
    - **यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग** वर्ष 2015 में 52 थी, जो वर्ष 2019 में 34 हो गई।
- **आर्थिक कारक:** भारत के मध्यम वर्ग का बढ़ता आकार, सीमा-पार व्यापार में वृद्धि, विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, ईंधन की कीमतों में गिरावट और कम लागत वाली विमान सेवाओं की क्षमता में वृद्धि इत्यादि इस क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल हैं।

इस क्षेत्रक के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ

- **अवसंरचना का अभाव:** हवाई अड्डों पर अपर्याप्त हैंगर स्थान (विमानों को रखने की जगह) और हवाई अड्डों के विस्तार हेतु भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति इस क्षेत्र के सम्मुख दो प्रमुख बाधाएं हैं।
    - इसके अतिरिक्त, PPP मॉडल के तहत हवाई अड्डे के विकास के लिए धन की आवश्यकता और सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी अन्य बाधाओं में शामिल हैं।
- **ईंधन की अधिक लागत:** भारत में ईंधन लागत की हिस्सेदारी कम लागत वाले विमान सेवाओं की **कुल परिचालन लागत का 45%** है, जो वैश्विक औसत (30%) की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा, भारत में केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले उच्च करों के कारण **आसियान और मध्य-पूर्व देशों** की तुलना में विमानन ईंधन का मूल्य लगभग **60% अधिक** है।
    - यह नागर विमानन उद्योग की लाभप्रदता स्थिति को वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रति सुभेद्य बनाती है।
- **कौशल की कमी:** इस उद्योग लिए मान्यता प्राप्त कुशल लोगों (जैसे कि एयरलाइन पायलटों और चालक दल से लेकर रखरखाव और ग्राउंड हैंडलिंग कर्मियों) की अनुपलब्धता भी इस क्षेत्रक के विभिन्न भागों के विकास को बाधित करती है।

आगे की राह

भारत का विमानन उद्योग बड़े पैमाने पर मौजूद विकास के अवसरों का लाभ उठाने में प्रायः असफल रहा है। वर्तमान में भी देश की अधिकांश आबादी के लिए हवाई परिवहन एक महंगा विकल्प बना हुआ है।

- उड़ान पहल के तहत जारी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है।
- विमानन प्रौद्योगिकियों में बेहतर अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। इससे देश में विनिर्माण पारितंत्र तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कराधान और मूल्य निर्धारण संरचना को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप करना चाहिए। इसलिए इसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, भारत इस क्षेत्र में स्वयं को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित करके कई अन्य लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस क्षेत्रक की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और कार्बन तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए **संधारणीय विमानन की दिशा में बढ़ना।** उदाहरण के लिए, इंडिगो एयरलाइन संधारणीय विमानन में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ESG) रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन बन गया है।

10. विद्युत क्षेत्रक (POWER SECTOR)

10.1. विद्युत वितरण (POWER DISTRIBUTION)

मुख्य लक्ष्य

- देश भर में उपभोक्ताओं को सुलभ, किफायती और ऑन–डिमांड पहुंच प्रदान करना।
- ऊर्जा की मांग में वृद्धि को पर्याप्त रूप से पूरा करना।
- उत्पादन के स्तर या निरंतरता से समझौता किए बिना उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाना।
- कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करके वितरण दक्षता में वृद्धि करना।

वर्तमान स्थिति

- देश की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 388 गीगावाट है।
- प्रति वर्ष 20,000 मेगावाट क्षमता जोड़ी जाती है।
- मार्च 2019 तक बिजली कवरेज 99.93% था।
- भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1181 kWh है, जबकि विश्व औसत खपत 3,260 kWh है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- उदय योजना के तहत भारत के डिस्कॉम्स के वित्तीय और प्रदर्शन में बदलाव की परिकल्पना की गई है।
- सभी, 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य
- ग्रीन टर्म अहेड मार्केट
- पी.एम. उज्ज्वला योजना
- स्मार्ट मीटर को अपनाना
- विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2021 का मसौदा जारी किया गया है।

विद्युत वितरण – एक नज़र में

आगे की राह

- प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहनों के माध्यम से डिस्कॉम्स की राजस्व वसूली में सुधार करना। कर्मचारियों की क्षमता में सुधार और राजस्व संग्रह क्षमता का निर्माण।
- सब्सिडी को लक्षित करते हुए इन्हें राजकोषीय रूप से और अधिक सुसंगत बनाना।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ सरकारी बकाये
- को कम करना।
  नियमित रूप से टैरिफ में संशोधन करना और मौद्रीकरण के माध्यम से निष्क्रिय विनियामक परिसंपत्तियों का समाधान करना।

बाधाएं

- भारत में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता, 7% से 8% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- राज्य बिजली बोर्डों को बिजली का अकुशल पारेषण, अलाभकारी मूल्य निर्धारण और अन्य अक्षमताओं के कारण 500 मिलियन रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
- निजी क्षेत्र की भूमिका का अभाव है और इसमें विदेशी निवेशक की अनुपस्थिति है। बिजली उत्पादन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग एकाधिकार है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक बिजली कटौती के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में बिजली की अत्यधिक उच्च दरें।
- विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत तापीय विद्युत संयंत्र वस्तुतः कोयले और कच्चे माल की आपूर्ति की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

10.1.1. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (REFORMS-BASED AND RESULTS-LINKED, REVAMPED DISTRIBUTION SECTOR SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सुधार-आधारित तथा परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना" को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस योजना के बारे में

- **योजना का लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य सभी विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs) तथा विद्युत विभाग की **परिचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय संधारणीयता में सुधार** करना है। हालांकि, **इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रक की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को शामिल नहीं किया गया है।**
  - इस योजना के तहत आपूर्ति अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए **डिस्कॉम्स को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान** की जाएगी।
- **वित्तीय सहायता:**
  - **प्रीपेड-स्मार्ट मीटर हेतु:** इस योजना के अंतर्गत समग्र परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15% या 900 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - **स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए:** डिस्कॉम्स को प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता, अनुमोदित लागत का 60% (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90%) होगी।

भारत में डिस्कॉम्स (DISCOMs) क्षेत्रक के समक्ष मौजूदा चुनौतियां

- **उच्च ऋणग्रस्तता:** अनेक डिस्कॉम्स, उत्पादकों को पिछले बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं।
- **उच्च AT&C क्षति:** भारत की औसत AT&C क्षति लगभग 21.4 % है, जबकि तुलनात्मक रूप से देखें तो यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में AT&C क्षति लगभग 6-7 % है।
- **बिलिंग संबंधी समस्या:** डिस्कॉम्स सभी ग्राहकों की कुशलतापूर्वक बिलिंग करने में अक्षम रहे हैं तथा ये नियमित मीटर रीडिंग की अपेक्षा अनुमानित तथा अनंतिम बिलिंग पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
  - कई स्थानों पर/क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा गैर-कानूनी रूप से विद्युत की चोरी की जाती है।
  - डिस्कॉम्स, उपभोक्ताओं से समय पर बिल की राशि को एकत्रित करने में भी असमर्थ रहे हैं।

प्रशुल्क (टैरिफ) संबंधी समस्याएं:

- **वास्तविक लागत संबंधी टैरिफ का अभाव:** सैद्धांतिक रूप से टैरिफ/प्रशुल्क का डिजाइन वास्तविक लागत पर केन्द्रित होना चाहिए। इसे वोल्टेज (विद्युत) के उपभोग के अनुपात में विभिन्न उपयोगकर्ताओं, जैसे- औद्योगिक, वाणिज्यिक इत्यादि के लिए आपूर्ति की अलग-अलग लागत के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

- **अनुचित/विकृत क्रॉस-सब्सिडी:** क्रॉस सब्सिडी के परिणामस्वरूप व्यवसायों और उद्योगों को अत्यधिक टैरिफ/प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार, उद्योग "कैप्टिव पवार प्लांट" आधारित विद्युत उत्पादन की ओर स्थानांतरण कर रहें हैं, जिसके कारण राज्य उपयोगिताओं (utilities अर्थात् वितरण कंपनियों) के राजस्व में और गिरावट आएगी।

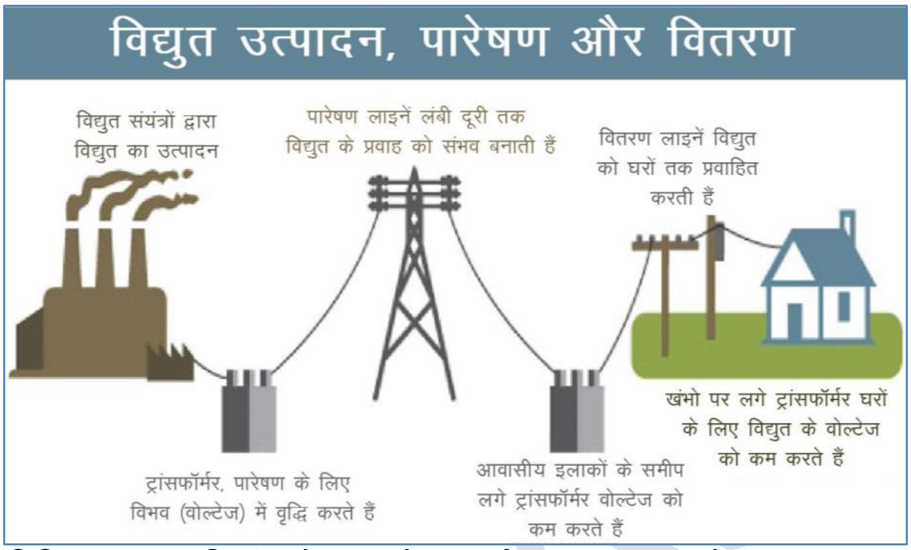

- **टैरिफ में वृद्धि का अभाव:** प्रशुल्क में अपर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य संबद्ध लागतों में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021 में, अधिकांश विद्युत विनियामकों को उपभोक्ता टैरिफ में वृद्धि न करने देने से वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुई थी।
- **राज्य का एकाधिकार:** डिस्कॉम क्षेत्रक में राज्य का एकाधिकार, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प को सीमित करता है। यह वाणिज्यिक आधार पर डिस्कॉम्स में बदलाव के समक्ष भी बाधा उत्पन्न करता है।
- **सब्सिडी तथा अन्य भुगतान संवितरण में विलंब:** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा तेलंगाना जैसे राज्यों ने पूर्ण सब्सिडी भुगतान में लगातार चूक की है। ऐसे विलंब से डिस्कॉम्स की अल्प-अवधि वाली कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।
- **वैश्विक महामारी के दौरान मांग में कमी:** वैश्विक महामारी तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव ने उच्च भुगतान वाले वाणिज्यिक व औद्योगिक (Commercial and Industrial: C&I) उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी मांग को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स के राजस्व घाटे में वृद्धि हुई है। साथ ही, इसके कारण C&I उपभोक्ताओं द्वारा होने वाले क्रॉस-सब्सिडी अंतर्वाह में भी कमी आई है।
- **अन्य क्षति:** इसमें महंगे ताप विद्युत खरीद समझौते, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना विकास का अभाव आदि शामिल हैं।

आगे की राह

डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- **डिस्कॉम्स की राजस्व वसूली में निम्नलिखित के माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं:**
  - डिस्कॉम्स कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन-बद्ध प्रोत्साहन तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली।
  - ऑनलाइन और समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहन।
  - बिलिंग तथा संग्रहण में सुधार के लिए कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना।
  - गैर-भुगतान के मामले पर ध्यान देने के लिए बिल संग्रहण अवसंरचना तथा सामुदायिक भागीदारी में निवेश को बढ़ाना।
- **सब्सिडी में कमी के जरिए राजकोषीय विस्तार करना:**
  - आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इत्यादि राज्यों में संचालानरत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल से सीख लेना।
  - घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं तक सब्सिडी पहुँच के लिए रूपरेखा विकसित करना।
- **सरकारी बकाया राशि को निम्नलिखित के माध्यम से कम करना:**
  - लंबित बकाया राशि तथा एरियर के भुगतान के लिए समय-बद्ध योजना को लागू करना।
  - बकाया राशि में वृद्धि को रोकने के लिए राज्य के विभागों हेतु अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificates) अनिवार्य करना।
- **निम्नलिखित के माध्यम से नियमित टैरिफ संशोधन और निष्क्रिय विनियामक संपत्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना:**
  - डिस्कॉम्स की परिसंपत्तियों के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि (receivables) का प्रतिभूतिकरण कर बॉण्ड जारी करना जैसा कि राजस्थान में किया गया है।
  - मुद्रास्फीति समायोजित टैरिफ में वृद्धि करना।

10.1.2. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {ELECTRICITY (RIGHTS OF CONSUMERS) RULES, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने **विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020** जारी किए, जो उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाओं तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के बारे में

- ये नियम **विद्युत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसका एक उपभोक्ता चार्टर है।
- ये नियम भारत में उपभोक्ताओं के लिए **गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध करवाकर** विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं।
- ये **ऐसे अधिकारों का निर्धारण करते हैं, जो कि डिस्कॉम्स या विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs)** को उपभोक्ताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाते हैं।
- **ये अधिकार:**
    - **विद्युत उपभोक्ताओं** को सशक्त बनाएंगे तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव घरेलू उपयोग वाले उपकरणों पर होता है।
    - **उपभोक्ता की बचत** सुनिश्चित करेंगे। निम्न ऊर्जा लागत तथा प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रशुल्क से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बचत प्राप्त होती है। **अप्रत्यक्ष बचत** कुछ परिस्थितियों, जैसे कि उपकरणों की क्षति तथा समय-पूर्व उनका खराब हो जाना, उत्पादन की हानि अथवा डेटा व कार्य की हानि से बचकर प्राप्त की जाती है।
    - आगे देश भर में **कारोबार में सुगमता (ease of doing business)** सुनिश्चित करेंगे।

उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- **प्रभावी निगरानी के लिए कारगर तंत्र का अभाव:** प्रभावी तंत्र के अभाव के कारण, डिस्कॉम्स (DISCOMs) की जवाबदेही तय कर पाना कठिन है। यही कारण है कि कई राज्य, नियमों के होने के बावजूद, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वे मुआवज़े के प्रावधान को उसके मूल उद्देश्य के साथ क्रियान्वित नहीं कर पाए।
- **तथाकथित हितों का टकराव:** प्रस्तावित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जिसे डिस्कॉम्स के विरूद्ध शिकायतों का समाधान करने के लिए स्थापित किया जाना है, का नेतृत्व **डिस्कॉम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी** द्वारा किया जाएगा। यह हितों के टकराव का कारण बन सकता है तथा ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों के विरूद्ध जा सकते हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता का क्षय होगा।
- **राज्यों के मध्य असमानता:** कई राज्य विशेषकर ग्रामीण तथा छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रहे हैं।
    - इन नियमों में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी के प्रावधान पर बल दिया गया है, किंतु राज्य के विनियमों में इनका अभाव हो सकता है।
- **नेट मीटरिंग पर अस्पष्टता:** नेट मीटरिंग **एक बिलिंग तंत्र है,** जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के बदले लाभ प्रदान किया जाता है।
    - ये नियम 10 किलोवाट (kW) से कम की रूफटॉप सौर इकाई के लिए नेट मीटरिंग (माप) की गारंटी प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि 10 kW से ऊपर वाले भी नेट मीटरिंग का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। यह कई राज्यों द्वारा प्रावधानों की इच्छानुसार व्याख्या के आधार पर नियमों में बदलाव का कारण बन सकता है। इससे क़ानूनी विवादों में वृद्धि हो सकती है।
- **आम लोगों द्वारा शिकायत तंत्र का अल्प-उपयोग:** जन जागरूकता के अभाव के कारण उपभोक्ता शिकायत तंत्र का उपयोग सामान्यतः, केवल कुछ संसाधन संपन्न लोगों द्वारा ही किया जाता है।

"विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम" में सम्मिलित प्रमुख बिंदु हैं:

- उपभोक्ताओं के अधिकार और वितरण लाइसेंस धारकों की बाध्यताएं।
- नया कनेक्शन प्रदान करना और विद्यमान कनेक्शन को परिवर्तित करना।
- मीटर संबंधी प्रबंधन।
- बिलिंग और भुगतान के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान विकल्पों की उपलब्धता।
- डिस्कनेक्शन और री-कनेक्शन का प्रावधान।
- आपूर्ति की विश्वसनीयता।
- प्रोज्यूमर (वे जो उपभोग के साथ-साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं) के रूप में उपभोक्ता।
- लाइसेंस धारक के निष्पादन के मानक।
- मुआवजा तंत्र।
- उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटर।
- शिकायत निवारण तंत्र।

आगे की राह

- **डिस्कॉम्स के प्रदर्शन का आकलन:** यह **विद्युत् गुणवत्ता सूचंकाकों (Power Quality Indices)** के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

  - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को **डिस्कॉम्स से आपूर्ति की गुणवत्ता के आंकड़े एकत्र करने, ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रस्तुत करने** तथा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
- **उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच:** यह कार्यालय उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए शिकायतों के दौरान उनकी प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** दिल्ली में राज्य के विनियमन ऐसे डिस्कॉम्स कर्मी को फोरम का सदस्य नियुक्त होने से प्रतिबंधित करते हैं, जो कि विगत दो वर्षों से सेवारत था।
- **स्मार्ट प्रणालियों के साथ रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग:** उन नेटवर्कों के लिए स्मार्ट प्रणालियों को अधिदेशित करना, जो सभी हितधारकों के लिए **अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में विद्यमान रियल टाइम जानकारी तथा विद्युत गुणवत्ता विचलन** संबंधी जानकारी प्रेषित करते हैं।
  - **विद्युत् गुणवत्ता निगरानी प्रणाली:** पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण सब स्टेशन पर विद्युत गुणवत्ता के लिए निगरानी उपकरणों की स्थापना को अधिदेशित करना। निगरानी की आवृत्ति तथा जिम्मेदारियों को विद्यमान रूपरेखाओं में स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, डिस्कॉम्स को कम से कम 11 kV फीडर स्तर पर स्वचालित माप (मीटरिंग) सुनिश्चित करने तथा इस डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
- **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम:** राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ **उनके द्वारा अपनी चिंताओं को प्रकट करने** के लिए सार्वजनिक प्रक्रियाओं (शिविरों) का आयोजन करना चाहिए।

निष्कर्ष

सतत विकास लक्ष्य क्रमांक-7 (SDG-7) के अंतर्गत सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय, संधारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु, उत्तम गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति, पूर्व की तुलना में वर्तमान में अधिक अपेक्षित है। 21वीं सदी के प्रतिस्पर्धी वातावरण में **उपभोक्ता संतुष्टि** सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी। चूंकि जवाबदेही के बिना, उपभोक्ता मुआवजा भ्रांतिजनक प्रतीत होता है, इसलिए जवाबदेही तय करने के लिए एक प्रभावी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए।

10.2. कोयला, तेल और गैस (COAL, OIL AND GAS)

मुख्य लक्ष्य

- भूवैज्ञानिक रूप से खोजे गए क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर 20% करना।
- वर्ष 2023 तक खनन क्षेत्र की वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 14% करना।
- वर्ष 2022–23 तक तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत की कमी करना।
- वर्ष 2022–23 तक नौकरी के योगदान (प्रत्यक्ष, संबद्ध और अप्रत्यक्ष) को मौजूदा 10 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन करना।

वर्तमान स्थिति

- भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण का 50% कोयले से आता है।
- भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण का 28% तेल से आता है।
- भारत प्रतिवर्ष 729 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है।
- भारत की 80% तेल की आवश्यकताएं, आयात से पूरी होती हैं।
- भारत की 70% ऊर्जा आवश्यकताएं, पश्चिम एशिया से पूरी होती हैं।

योजनाएं/नीतियां/पहल

- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल)
- प्रधान मंत्री 'जी–वन' योजना (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड
- शक्ति (भारत में पारदर्शी ढंग से कोयले के दोहन एवं आवंटन की योजना)

कोयला, तेल और गैस क्षेत्र – एक नज़र में

आगे की राह

- जहां तक संभव हो आयात के स्रोतों में विविधता लाना और आयात को सीमित करना।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट को सक्षम करने के लिए तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयले को GST के दायरे में लाया जा सकता है।
- उत्पादन/राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर खोज–सह–खनन पट्टों के माध्यम से विस्तृत अन्वेषण को शीघ्रता से पूर्ण करना।
- स्ट्रैंडेड तेल और गैस संपत्तियों को क्रियाशील बनाने के लिए अनुबंध की शर्तों की समीक्षा कर आवश्यक लचीलापन प्रदान करना।
- छोटे तथा बिखरे हुए तटवर्ती एवं अपतटीय क्षेत्रों से तेल और गैस को निकालने के लिए साझा बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
- पाइप के माध्यम प्राकृतिक गैस (PNG) की पहुंच बढ़ाने के लिए सिटी गैस वितरण को बढ़ावा देना।

बाधाएं

- कोयला खनन के लिए भूमि की व्यवस्था करना एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
- बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला भंडार के लिए भी ओपन कास्ट माइनिंग का विस्तार करना और भूमिगत खनन को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति।
- कोयला बाजार में सीमित प्रतिस्पर्धा और सीमित निजी भागीदारी।
- सभी तीनों क्षेत्रों में कच्चे माल हेतु आयात पर अधिक निर्भरता।

10.2.1. व्यावसायिक कोयला खनन (COMMERCIAL COAL MINING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्यिक उपयोग या खनन के लिए नीलाम किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की पहली किश्त** (अर्थात् प्रथम दौर) के लिए हस्ताक्षर समारोह के दौरान कोयला खदानों के परिचालन को गति देने के लिए एक नया ऑनलाइन एकल-खिड़की मंजूरी (सिंगल-विंडो क्लीयरेंस) पोर्टल आरंभ किया गया।

नई वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था के बारे में- नई व्यवस्था की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए **खनन के पूर्व-अनुभव की आवश्यकता नहीं** है।
- कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- **राजस्व का साझाकरण मूल्यानुसार (ad valorem)** (लेन-देन के मूल्य के आधार पर) होगा, न कि एक निश्चित राशि के आधार पर।
- वर्तमान में बोली लगाने की शर्तें **इन ब्लॉकों से अन्य खनिजों के निष्कर्षण की भी अनुमति** देती हैं।
- पर्यावरण संबंधी वैधानिक अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त करने में **कोयला मंत्रालय निजी क्षेत्र की मदद करेगा।**

वाणिज्यिक कोयला खनन से लाभ

- **आयात पर भारत की निर्भरता में कमी:** भारत आयात के माध्यम से कोयले की अपनी वार्षिक आवश्यकता के पांचवे हिस्से की पूर्ति करता है, जिसकी लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। वाणिज्यिक कोयला खनन से आयात पर होने वाले व्यय में 30,000 करोड़ रुपये की कटौती हो सकती है।
- **कोयला क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** नई एवं बड़ी खनन कंपनियों से मशीनीकरण, स्वचालन, खनन प्रथाओं आदि के मामले में नए मानदंड स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, नई व्यवस्था से पूरे उद्योग में सुधार आएगा।
- **कोयला क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि:** CIL का एकाधिकार समाप्त होने और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, पहले स्वपयोगी कोयला खनन संस्थाओं के पास अपनी आवश्यकताओं से परे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।
- **मांग को पूरा करना:** अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए, भारत को प्रति वर्ष अपने उत्पादन का 1,500 मिलियन टन तक विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **राज्य को राजस्व प्राप्ति:** स्वपयोगी कोयला खनन कंपनियों को राज्यों को रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि खनन किए गए कोयले का उपयोग उनके स्वयं के अंतिम उपयोग के लिए था। परंतु, नए मानदंडों के अंतर्गत खदानों की नीलामी से राज्यों को प्रति वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
- **आकांक्षी जिलों का विकास:** नए मानदंडों के अंतर्गत नीलाम की गई अधिकांश खदानें आकांक्षी जिलों में अवस्थित हैं। इन खदानों से खनन शुरू होते ही 69,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में अवसंरचना तैयार करने में भी व्यय करेगी, जिसका तात्पर्य है कि ऐसे जिलों में अतिरिक्त रोजगार और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे।

भारत की नई वाणिज्यिक कोयला व्यवस्था में बाधाएं

- **राज्य सरकारों द्वारा विरोध, जो कानूनी विवादों को बढ़ावा दे सकता है:** झारखंड सरकार ने यह तर्क देते हुए नई व्यवस्था के अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी है, कि इससे महत्वपूर्ण वन आवरण नष्ट होगा। इसके कारण जनजातीय समुदाय विस्थापित होंगे। इन सबके बावजूद उनसे परामर्श नहीं किया गया है।
- **सोद्देश्य उथली प्रतिस्पर्धा, जो बोली की कीमतों को कम रख सकती है:** ऐसा बोलीदाताओं की एक छोटी संख्या के कारण है, क्योंकि नीलामी कोविड-19 महामारी के मध्य में आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी विदेशी फर्म ने बोली नहीं लगाई है, क्योंकि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण कोयला क्षेत्र के प्रति कॉर्पोरेट और वित्तीय रूझानों में गिरावट आ रही है।
- **पात्रता मानदंड गैर-गंभीर बोली-प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हैं:** गैर-गंभीर बोलीदाता वास्तव में खनन न करते हुए केवल बाजार में लाभ उठाने के लिए कोयले की खदानों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि 2000 के दशक के दौरान हुआ था।
- **उत्पादन आरंभ करने के लिए बड़ी पूंजी और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की आवश्यकता होती है:** नीलामी में कोयला खनन के अधिकार प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकारों से खनन परमिट लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही, पुनर्वास और पुनःस्थापन के प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। भारत में बहुत कम कंपनियों के पास इन सब प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए आवश्यक वित्तीय और जोखिम प्रबंधन क्षमता है।

नई वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:

- **घटती राजस्व हिस्सेदारी को लेकर राज्यों की चिंताओं को दूर करना:** उन राज्यों को कोयला खनन की सामुदायिक और पर्यावरणीय बाह्यताओं (प्रतिकूल परिणामों) को वहन करना पड़ता है, जहां ये खदानें अवस्थित हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को प्रति टन अनुमानित 48 से 115 रुपये का नुकसान होगा।
    - इसलिए, राज्यों की राजस्व संबंधी चिंता को दूर करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। राज्यों को साथ लेने से उनके द्वारा किसी भी संभावित कानूनी चुनौती की आशंका भी दूर होगी।
- **कई निकायों के क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन की समस्या से बचने के लिए 'संधारणीय कोयला खनन संहिता' का अधिनियमन:** ऐसी संहिता में कोयला खदानों से संबंधित शुरुआत / समापन और पर्यावरण / वन मामलों के संचालन से जुड़े सभी वैधानिक प्रावधानों को समेकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंजूरी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र, बहुविषयी एकीकृत प्राधिकरण भी स्थापित करना चाहिए।

VISION IAS

- **भूगर्भीय भंडारों की बजाय पुनर्प्राप्त किए जा सकने वाले भंडारों का संकेत अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित करेगा:** वर्तमान में कोयला ब्लॉकों के लिए प्रस्तावित दस्तावेज (offer document) भूवैज्ञानिक भंडार का संकेत देते हैं। यह किसी ब्लॉक में कोयला भंडार का एक अर्ध-वैज्ञानिक अनुमान है, जो सामान्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से निष्कर्षण योग्य हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।
- **कोयला खनन को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन:** कोयला उत्पादन के लिए विस्फोट करने की तकनीक की बजाय कटिंग की तकनीक अपनाने, इन-पिट क्रशिंग आरंभ करने, रेलवे तक कोयले के परिवहन के लिए पाइप बेल्ट कन्वेयर को अपनाने और पूरे भारत में केवल धुले हुए कोयले के उपयोग से इस क्षेत्र को मदद मिलेगी।
  - **अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बोलीदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।** यह कोयला खनन क्षेत्र में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकास को सुनिश्चित करेगा।

10.2.2. प्राकृतिक गैस का विपणन (NATURAL GAS MARKETING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए **'प्राकृतिक गैस विपणन सुधार'** को अनुमोदन प्रदान किया है।

प्राकृतिक गैस विपणन सुधार (Natural Gas Marketing Reforms)

- **मानकीकृत ई-बोली प्रक्रिया:** हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (Director General of Hydrocarbon: DGH) प्राकृतिक गैस के बाज़ार मूल्यों का पता लगाने का एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीका प्रदान करने के लिए **ई-बोली (e-bidding)** प्लेटफॉर्म का सुझाव देंगे।
- **उत्पादकों को बोली में भाग लेने से रोक दिया जाएगा:** गैस उत्पादक कंपनियों को स्वयं बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन संबद्ध कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति होगी।
- **क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए विपणन स्वतंत्रता:** यह उन प्रखण्डों (ब्लॉकों) के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें उत्पादन साझाकरण अनुबंध पहले से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह अस्पष्टता से बचने के लिए विभिन्न संविदात्मक व्यवस्थाओं और नीतियों में एकरूपता लाने के लिए है।

घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

- **प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism: APM)**
  - मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक छह माह में किया जाता है।
  - यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और रूस में प्रचलित मूल्यों का भारित औसत है।
  - वर्तमान में, यह 1.79 डॉलर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और आयातित द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (LNG) के मूल्य से कहीं कम है।
  - यह मूल्य निर्धारण व्यवस्था, घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लगभग 80% भाग को शामिल करती है।
- **गैर-प्रशासित मूल्य तंत्र (Non-APM) या मुक्त बाजार गैस**
  - यह तंत्र, अनुबंधित समझौते (contractual agreements) पर आधारित गैस उत्पादन पर लागू है।
  - यह व्यवस्था घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के केवल 20% भाग को शामिल करती है।
  - नया सुधार इस व्यवस्था में आने वाले लाभार्थियों को भी शामिल करेगा।

इन सुधारों से अपेक्षित लाभ

- **व्यापार करने में सुगमता (Ease of doing business):** इसमें निम्नलिखित कारणों से बढ़ोतरी होगी:
  - **बोली प्रक्रिया में एकरूपता।**
  - नए निवेशकों के लिए **विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।**
  - उत्पादकों को **चयन की स्वतंत्रता** क्योंकि एक से अधिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे।
  - **नियामक की भूमिका को परिभाषित किया गया है।**
- **आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम:** ये सुधार प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और आयात निर्भरता को कम करने में सहायता करेंगे।
  - घरेलू उत्पादन से नगर गैस वितरण (City Gas Distribution) और संबंधित उद्योगों जैसे अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों में निवेश बढ़ाने में और अधिक सहायता मिलेगी।
- **गैस आधारित अर्थव्यवस्था:** घरेलू उत्पादन के माध्यम से प्रतिदिन 40 मिलियन स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर और अधिक प्राकृतिक गैस का योगदान किए जाने की संभावना है।
- **प्रदूषण में कमी:** गैस के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से पर्यावरण के सुधार में सहायता मिलेगी।
- **रोजगार सृजन:** ये सुधार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित गैस खपत करने वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता करेंगे।

इन सुधारों से संबंधित मुद्दे

- **बहुत सीमित प्रभाव:** वर्तमान में भारत के गैस उत्पादन के लगभग 80% नामित क्षेत्र, नई नीति के लाभ क्षेत्र से बाहर होंगे।

- **पुराने प्रतिभागियों के लिए हतोत्साहन:** क्योंकि इसके माध्यम से केवल नए प्रवेशकों को लाभ दिया जाना है। नई संस्थाएं ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएंगी और व्यवहार्य मूल्य का निर्धारण करेंगी। इससे पुराने प्रतिभागियों के लिए अलाभकर स्थिति उत्पन्न होगी।
- **केवल संबद्ध कंपनियों को अनुमति देना:** इसका अंतर्निहित सिद्धांत बहुत स्पष्ट नहीं है और केवल समय ही बताएगा कि मुख्य गैस उत्पादक कंपनियों को इस क्षेत्रक में प्रवेश न देना कितना लाभदायक होगा।

आगे की राह

हाल ही में उठाया गया कदम, सिद्धांत रूप में, प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि, अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए इस कदम के साथ अनुपूरक के रूप में निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए:

- **प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) की व्यवस्था को समाप्त करना:** APM व्यवस्था के अंतर्गत मूल्य, LNG के आयात के लिए भारत द्वारा किए गए भुगतान का आधा होता है। इस तरह के मूल्य निर्धारण तंत्र ने आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए घरेलू उत्पादकों को हतोत्साहित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यह मूल्य तंत्र, भारत में घरेलू आपूर्ति-मांग संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिए, बाजार-आधारित प्रणाली के निर्माण के स्थान पर मूल्य स्तर को कम करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- **कर सुधार:** चूंकि प्राकृतिक गैस वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए **गैस की खपत कर के सोपानी प्रभाव (cascading effect) से पीड़ित होती है।** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, "प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लाने और पोस्टेज स्टाम्प आधारित गैस परिवहन प्रशुल्क प्रस्तुत करने से इन लागतों में कमी आएगी और अन्य ईंधनों के साथ समान स्तर का प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र तैयार होगा।"
- **गैस विनिमय हब (IGX):** इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार (ट्रेडिंग) केवल आयातित LNG के लिए खुला है। घरेलू उत्पादकों को इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने की अनुमति देने से, खुले बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य अंतर्क्रिया (बातचीत) के आधार पर **पारदर्शी मूल्य के अन्वेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, इससे एकाधिक मूल्य व्यवस्थाओं को समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

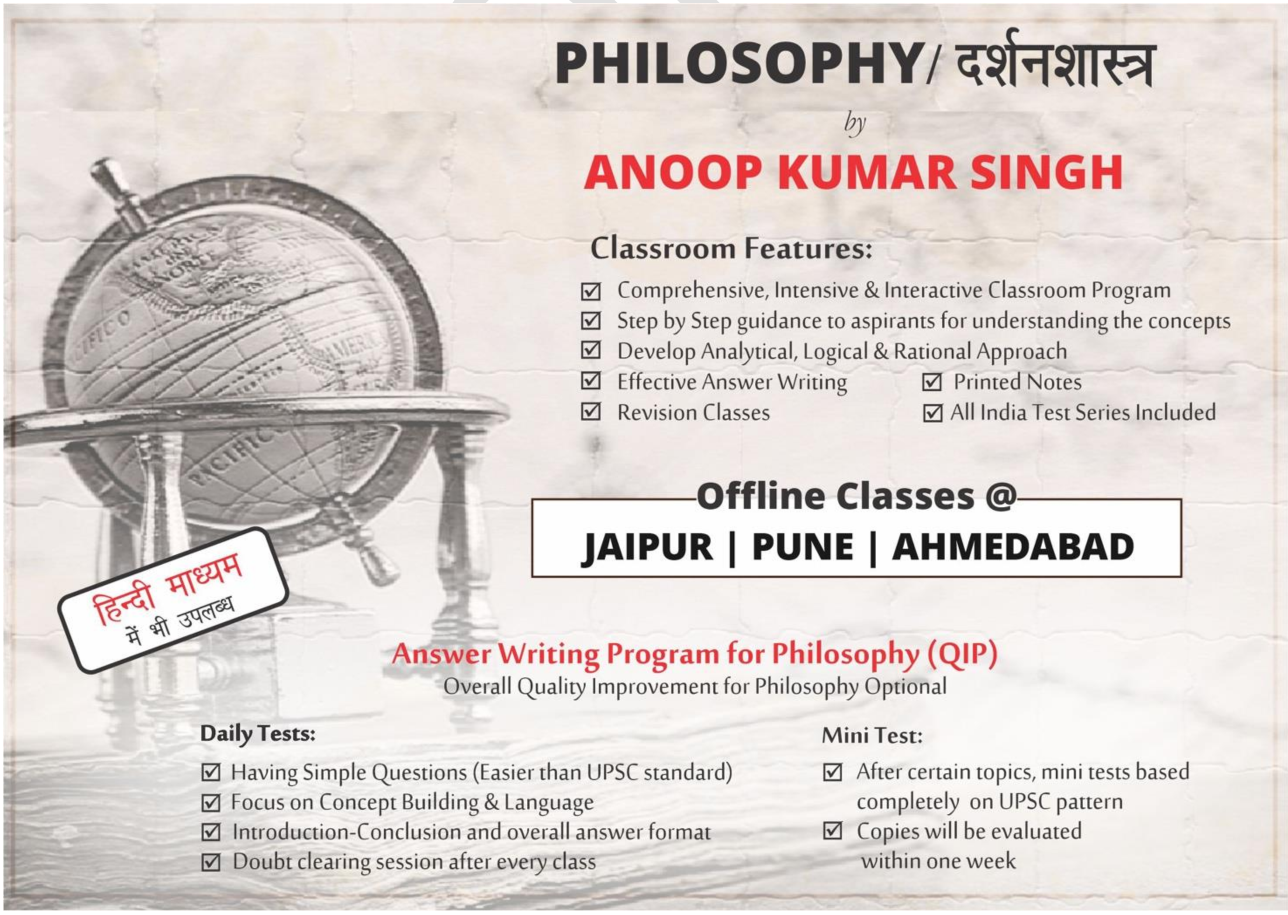

10.3. नवीकरणीय ऊर्जा (RENEWABLE ENERGY)

मुख्य लक्ष्य

- सरकार ने वर्ष 2022 तक 227 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (114 GW सौर क्षमता और 67 GW पवन ऊर्जा क्षमता सहित) प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 500 MW क्षमता और इससे अधिक के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का निर्माण करना।

वर्तमान स्थिति

- भारत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में की विश्व में चौथे स्थान पर है।
- भारत में 1000+GW नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है।
- भारत में अगस्त 2021 तक 100 GW स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है।
- भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 22% की भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा की है।
- वर्ष 2014 से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।
- वर्ष 2016–20 की अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 17.33% थीं।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान।
- सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण योजना।
- भारत 10 GW सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता की स्थापना कर रहा है।
- सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना।
- हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा का विकास।
- राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति।
- एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना।
- भारत H2 गठबंधन।

नवीकरणीय ऊर्जा – एक नज़र में

आगे की राह

- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **दिन के अलग–अलग समय पर बिजली के उपयोग के लिए अलग–अलग दरें (time-of-day tariff) लागू करना।**
- **लागत प्रभावी पावर ग्रिड संतुलन** (गैस आधारित, जलविद्युत या भंडारण) के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्वों** को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और **नवीकरणीय ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री** की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- **ऊर्जा संतुलन के लिए राष्ट्रीय स्तर के बाजारों** और विनियमों का होना आवश्यक है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कॉम के ग्रिड के साथ** विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विश्वसनीयता प्रदान कर सकती है।
- सौर PV + बायोमास जैसे हाइब्रिड **नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का दोहन करना** चाहिए।
- **उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान** करके वाणिज्यिक स्तर पर बायोगैस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

बाधाएं

- **पुराने बिजली खरीद समझौतों (PPA) से पीछे हट जाने से ऊर्जा लागत उच्च** हो जाती है।
- इससे **विद्युत ऑफटेक** में अनिश्चितता उत्पन्न होती है और इसके परिणामस्वरूप आगे के निवेश के सामने खतरा पैदा हो जाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के **एकीकरण के लिए** उत्पादन में लचीलापन और **अनिवार्यताओं को संतुलित करना** प्रमुख मुद्दे हैं।
- **बायोमास विद्युत** उत्पादन जैसे क्षेत्रों में **आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं मौजूद** हैं।

10.3.1. हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा (HYBRID RENEWABLE ENERGY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** ने **'विंड पार्क/पवन-सौर हाइब्रिड पार्क का विकास'** करने की योजना का प्रस्ताव रखा है।

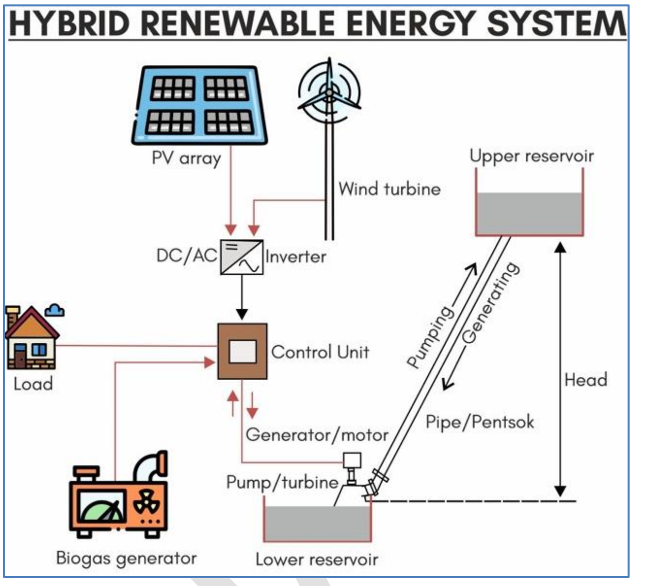

हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा क्या है?

- हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा में आमतौर पर **दो या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों को आपस में संयोजित किया जाता है, ताकि एक सक्षम प्रणाली प्राप्त हो सके।** इसमें, स्थानीय लोड या ग्रिड को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए **ऊर्जा रुपांतरण की उचित प्रौद्योगिकी** के माध्यम से दोनों स्रोतों को एक-दूसरे से जोड़ा जाता है।
- हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा, **अक्षय ऊर्जा का विश्वसनीय, वहनीय एवं प्रेषण योग्य एकीकरण वाला समाधान है।** इसके लिए, अक्षय ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों जैसे कि **पवन एवं सौर ऊर्जा** के स्रोतों को आपस में एक-दूसरे से संयोजित एवं एकीकृत किया जाता है।
- हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, **जैसे- जैव ईंधन-पवन-ईंधन सेल, फोटोवोल्टायिक-पवन, जलविद्युत-पवन एवं फोटोवोल्टायिक-जैव ईंधन** आदि।

हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्कों के लाभ

- **विद्यु उत्पादन में वृद्धि और व्यवस्था में सुधार:** हाइब्रिड पार्क, एकल पवन या एकल सौर संयंत्र की तुलना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि और व्यवस्था में सुधार में सहायक होगा। इससे विद्युत ग्रिड में तेजी से होने वाले वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या को समाप्त किया जा सकेगा, जिससे विद्युत का प्रेषण अधिक निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकेगा।
- **नेटवर्क का अधिकतम प्रयोग:** कनेक्ट होने वाले उपकरणों की संख्या सीमित है और इसलिए वर्तमान नेटवर्कों/उपकरणों के अधिकतम प्रयोग की आवश्यकता है।
- **अनवरत विद्युत आपूर्ति:** हाइब्रिड प्रणाली अनेक अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे- सौर, पवन, जलविद्युत आदि के एकीकरण के कारण अनवरत रूप से ऊर्जा प्रदान करती है।
- **भूमि का सक्षम प्रयोग:** हाइब्रिड ऊर्जा पार्क में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के लिए भूमि के सामान्य प्रयोग के कारण भूमि के उपयोग की क्षमता में सुधार होता है।
- **विद्युत की निम्न उपभोक्ता कीमत:** हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्कों में कम निवेश, परिचालन एवं संचार लागत के कम होने से उत्पादित विद्युत की कीमत भी कम हो जाती है।
- **नुकसान में कमी:** वे लाभदायक हैं क्योंकि लाइन एवं ट्रांसफॉर्मर की क्षति कम हो जाती है, पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाता है, प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, विद्युत की गुणवत्ता में सुधार होता है एवं समग्र सामर्थ्य बढ़ता है।

हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्कों को लेकर चिंताएं

- **उच्च स्थापना लागत:** एकल पवन अथवा सौर प्रणालियों की स्थापना की तुलना में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रारंभिक निवेश अत्यधिक होता है।
- **ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता:** इन प्रणालियों को **उपयोगिता ग्रिड (utility grid)** से जोड़ा जा सकता है एवं दोनों प्रणालियों के मध्य प्रायः आवृत्ति के मिलान नहीं होने की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इससे, पूरी प्रणाली के लिए अस्थिरता का खतरा उत्पन्न होता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** अक्षय ऊर्जा पार्कों से किसी क्षेत्र विशेष के पारितंत्र एवं वन्यजीव पर प्रभाव पड़ने का खतरा है।
- **संसाधन संकट:** हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इतने बड़े क्षेत्र की उपलब्धता एवं अधिग्रहण में विलंब होने के कारण पार्कों की स्थापना में भी विलंब होता है।
- **मौसम की स्थिति:** चूंकि पार्क से ऊर्जा का उत्पादन संबंधित स्थानीय मौसम पर निर्भर रहता है। अगर मौसम अनुकूल नहीं होता है, तो पार्क की परिचालन क्षमता अदक्ष एवं अव्यवहार्य हो जाती है।

आगे की राह

- **वित्तीय सहायता:** अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इससे, प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने एवं अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को पूरे देश में लागू करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **अंतर्विराम (Intermittency) की समस्या का समाधान:** पवन एवं सौर के अंतर्विराम की समस्या को, ऊर्जा के तीव्रता से चलने वाले स्रोत; उदाहरण के लिए, एक खुली चक्रीय गैस टर्बाइन, जोड़कर संतुलित किया जा सकता है।
- **तकनीकी उन्नति:** इस प्रकार की प्रणाली का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए उचित अनुसंधान एवं विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
- **प्रणालीगत रूपांतरण को प्रोत्साहित करना:** संपूर्ण ऊर्जा पारितंत्र में नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करना।

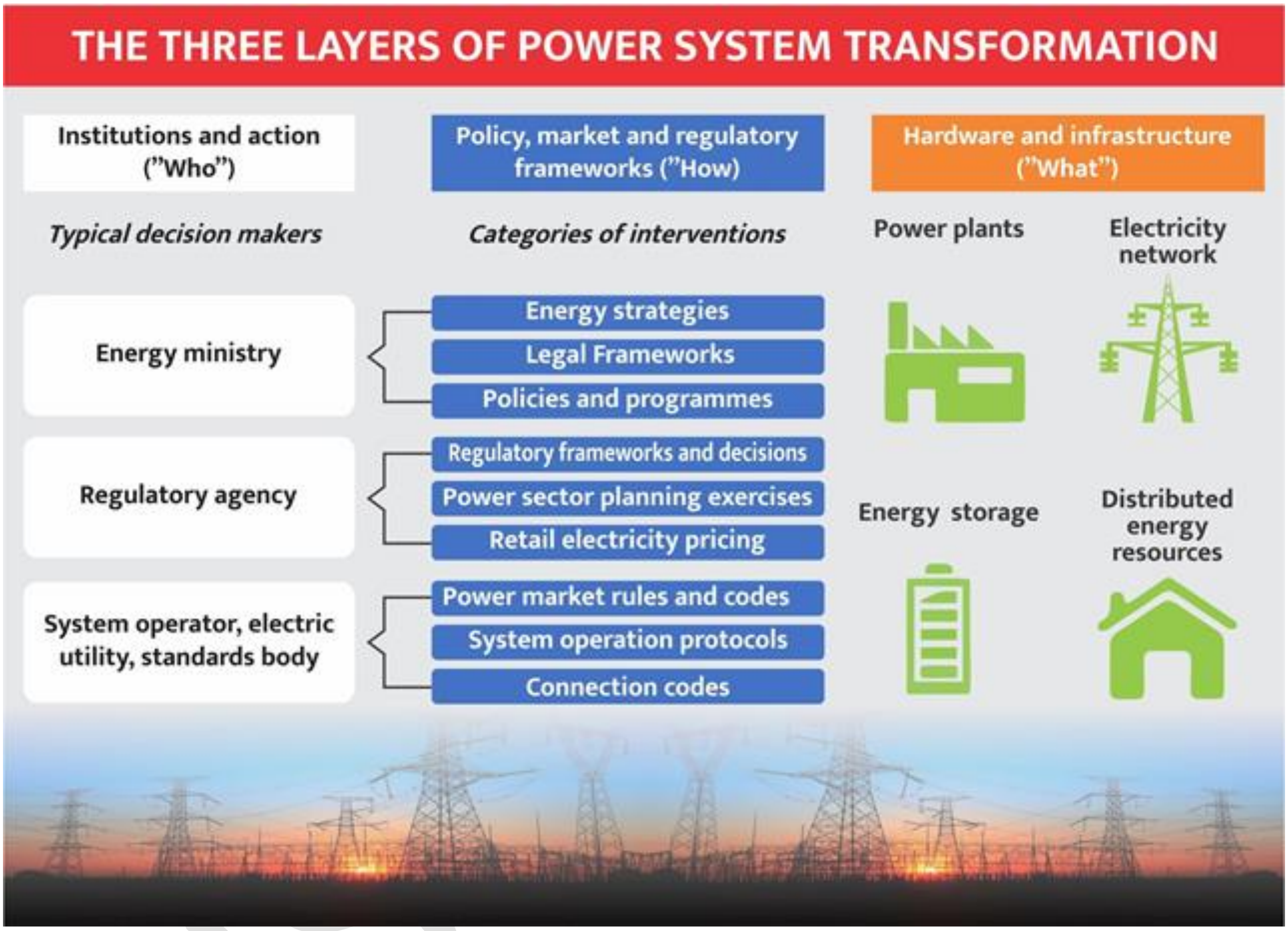

10.3.2. भारत में सौर विनिर्माण (SOLAR MANUFACTURING IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को **10 गीगावाट सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता** की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सौर विनिर्माण की वर्तमान क्षमता

- **अक्षय (या नवीकरणीय) ऊर्जा उत्पादन क्षमता** (वर्तमान में 136 गीगावाट क्षमता है, जो कुल क्षमता का 36 प्रतिशत है) **के संदर्भ में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है।** यह सभी प्रमुख देशों के मध्य अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है।

भारत में सौर विनिर्माण की क्षमता

- **रोजगार सृजन:** इसके अंदर अगले 5 वर्षों में **50,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ एवं कम से कम 1,25,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ** सृजित करने की क्षमता है।
- **विस्तारशील विदेशी बाजार:** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस गठबंधन के माध्यम से **सदस्यों के बीच सौर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता** प्राप्त होगी।

- भारत में सौर सेल विनिर्माण की वर्तमान क्षमता लगभग 2,500 मेगावाट है। सौर मॉड्यूल के लिए भी वर्तमान क्षमता के साथ 7,000 मेगावाट क्षमता अतिरिक्त रूप से बढ़ाई जा रही है।
- भारत की **लगभग 9 गीगावाट वार्षिक सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता एवं लगभग 3 गीगावाट वार्षिक सौर सेल उत्पादन** क्षमता है।
    - **एक सौर सेल,** सौर मॉड्यूल **की मूल निर्माण इकाई होता है।**

सौर विनिर्माण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **क्षमता का उपयोग करना एवं आत्मनिर्भर बनना:** भारत को अपनी सौर ऊर्जा क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक **सौर सेल एवं मॉड्यूल, बैटरी तथा सहायक उपकरण के विनिर्माण** में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है।
- **आयात निर्भरता कम करने के लिए:** वर्तमान में, भारत में प्रयुक्त होने वाले 80 प्रतिशत सौर सेल एवं मॉड्यूल चीन से आयातित होते हैं। वर्ष 2018-19 में आयात की राशि 2.16 अरब डॉलर थी।
- **घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए:** भारत की सौर विनिर्माण क्षमता अपर्याप्त, अप्रयुक्त एवं अलाभकारी है, क्योंकि वर्ष 2020 में 2.5 गीगावाट की मांग की तुलना में घरेलू विनिर्माण से केवल 15 प्रतिशत की ही पूर्ति हो रही है।
- **अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (INDC) लक्ष्य प्राप्ति के लिए:** भारत की वर्तमान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35.73 गीगावाट है। अतः, वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा के लिए 175 गीगावाट के निर्धारित लक्ष्य को घरेलू विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसमें 100 गीगावाट को सौर ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त किया जाना है।

भारत में सौर विनिर्माण के समक्ष चुनौतियां

- **निवेश संकट:** प्रथम तो यह कि 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को अगले चार वर्षों में 65 अरब डॉलर निवेश की आवश्यकता है, परंतु निवेश का बड़ा भाग देश के अंदर से ही उपलब्ध कराया जा रहा है एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से बहुत कम निवेश प्राप्त हो रहा है।
- **प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान तथा विकास:** चीन की तुलना में भारत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीनतम (अगली पीढ़ी की) प्रौद्योगिकी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जिससे भारत में सौर विनिर्माण का विकास बाधित हो रहा है।
- **अप्रतिस्पर्धी लागत:** भारत में निर्मित सौर सेल, चीन में निर्मित सेल की तुलना में औसतन 20-30 प्रतिशत महंगे होते हैं। अतः, विनिर्माता चीन से आयातित सस्ते उपकरणों को प्राथमिकता देते है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या:** कुछ कंपनियों ने भारत में विनिर्मित सेल की गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की है तथा शिकायत की है कि कुछ विनिर्माता गलत तरीके से **380 वाट पीक वाले सेल पर 400 वॉट पीक का लेबल** लगाते हैं (सौर सेल की क्षमता **"वॉट पीक"** में अभिव्यक्त), क्योंकि इन सेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है।
- **नीतिगत समस्या:** केवल वे मॉड्यूल और विनिर्माता सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित परियोजना में भाग लेने के पात्र होंगे, जिन्हें सौर फोटोवोल्टायिक सेल के **मॉडलों एवं विनिर्माता की स्वीकृत सूची (Approved List of Models and Manufacturers: ALMM)** में सम्मिलित किया गया होगा।
- **विश्व व्यापार संगठन में चुनौती:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत की सौर ऊर्जा नीति को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के समक्ष चुनौती दी गई है। अमेरिका ने सौर पैनलों में घरेलू आपूर्ति की प्राथमिकता को चुनौती दी है, जिसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा सही करार दिया गया है।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियां

- **सौर फोटोवोल्टायिक (PV):** यह फोटोवोल्टायिक प्रभाव पर आधारित होती है, जिसकी सहायता से एक विशिष्ट सामग्री से बने पृष्ठ से टकराने वाला फोटॉन (प्रकाश की मूल इकाई) इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है।
- **संकेंद्रित सौर ऊर्जा (Concentrating Solar Power: CSP):** इसमें किसी तरल पदार्थ (विशेष प्रयोग के अनुसार, यह जल अथवा कोई अन्य तरल पदार्थ हो सकता है) को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है।

भारत में सौर विनिर्माण क्षेत्रक के लिए उठाए गए कदम

- **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance Linked Incentive: PLI):** यह घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सौर पैनल विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के अंतर्गत एक पहल है।
- **प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने एवं चीनी सौर सेल, मॉड्यूल एवं इन्वर्टर के भारत में आयात पर अंकुश लगाने के लिए **भारत ने प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क आधारित अवरोधक** प्रयुक्त किए हैं।
- **सौर फोटोवोल्टायिक विनिर्माण योजना:** सोलर पीवी मॉड्यूल्स की विनिर्माण क्षमता के माध्यम से भारत में एंड टू एंड सोलर पीवी विनिर्माण क्षमता सृजित करना।
- **घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement: DCR):** इसके अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित सौर फोटोवोल्टायिक सेल एवं मॉड्यूल का ही उपयोग हो।
- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश:** स्वचालित मार्ग से अक्षय ऊर्जा क्षेत्रक में (सौर ऊर्जा में भी) 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, तथा इसके लिए **सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं** है।

आगे की राह

- **पारितंत्र का विकास:** भारत सरकार को पूरे देश में **सौर पार्क के समान विनिर्माण समूह** बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जहां संपूर्ण आपूर्ति शृंखला, अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र, उपकरण विनिर्माण, विश्वविद्यालय, एवं प्रयोगशालाएं उपलब्ध हों।

- **व्यापक सौर विनिर्माण नीति:** ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क, सस्ती आपूर्ति व्यवस्था, विद्युत लागत पर सब्सिडी, वित्तपोषण एवं पूंजीगत व्यय, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए प्रोत्साहन राशि का उल्लेख किया गया हो।
- **लागत प्रतिस्पर्धा:** सौर विनिर्माण के लिए भारी लागत की समस्या से निपटना होगा। इसके लिए संयोजन (असेंबली) इकाई की स्थापना करनी होगी, भूमि अधिग्रहण करना होगा, श्रमिकों से संबंधित आवश्यकताओं, कर, विद्युत संबंधी व्यय एवं अन्य कार्यशील पूंजी संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। अतः, सरकार द्वारा कंपनियों को **सौर घटक विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने या नया संयंत्र स्थापित करने** के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी चाहिए।
- **विनिर्माण उत्कृष्टता:** भारत को **"बनाओ और भूल जाओ (build and forget)"** दृष्टिकोण के स्थान पर **बनाओ एवं निरंतर नवीन व अत्याधुनिक विनिर्माण सिद्धांत** का पालन करो, के दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा, जिससे विनिर्माण उत्कृष्टता प्राप्त हो सके।

VISION IAS

11. व्यापार और नवाचार (BUSINESS AND INNOVATION)

11.1. व्यापार नीति (BUSINESS POLICY)

मुख्य लक्ष्य

- व्यापार–समर्थक नीति को प्रोत्साहित करना, जो धन सृजन करने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को प्रोत्साहित करें।
- विशिष्ट निजी हितों, विशेष रूप से शक्तिशाली लोगों के पक्ष में प्रो–क्रोनी नीति बनाने से बचना।
- व्यापार प्रक्रियाओं और माहौल में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) संबंधी मानकों को शामिल करना।

वर्तमान स्थिति

- उदारीकरण के पश्चात् भारत में नई कंपनियां, नए विचार, नई प्रौद्योगिकियां और नई परिचालन प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या पिछले एक दशक में 13 से घटकर 10 हो गई हैं।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अब 18 दिनों की आवश्यकता है, जबकि वर्ष 2009 में इसके लिए 30 दिन का समय लगता था।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- वस्तु एवं सेवा कर
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 और संशोधन (2020)
- कंपनी अधिनियम, 2013 और इसमें संशोधन (2020)
- व्यापार सुधार कार्य योजना, 2020
- भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना
- मध्यम आकार की कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% करना, न्यूनतम वैकल्पिक कर में राहत जैसे कर सुधार।
- कंपनी (CSR नीति) संशोधन नियम, 2021

व्यापार नीति – एक नज़र में

आगे की राह

- **व्यवसाय के माहौल को नया रूप प्रदान करने के लिए नए–नए नवाचार करना।**
- सभी बाजार भागीदारों को **समान अवसर प्रदान** करना।
- नीलामी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधनों का **इष्टतम आवंटन करना।**
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** में सुधार करने के लिए संरचनात्मक बदलाव करना।
- लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

बाधाएं

- कानूनों की बहुलता **और वैधानिक अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं।**
- **विवाद समाधान** और अनुबंधों को लागू करने में देरी। समग्र कारोबारी माहौल **में बुनियादी ढांचे की कमी।**
- **बाजार की विफलता,** जब व्यापक समष्टि आर्थिक (macroeconomics) माहौल खराब होता है।
- **बाजार की गतिशीलता में अत्यधिक हस्तक्षेप,** बाजार को अक्रियाशील और अक्षम बनाता है।
- क्रोनी कैपिटलिज्म, नौकरशाही सम्बन्धी बाधाएं, भ्रष्टाचार।

11.1.1. कंपनी {कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीति} संशोधन नियम, 2021 [COMPANIES {CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY} AMENDMENT RULES, 2021]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने "कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014" को संशोधित करके **"कंपनी (CSR नीति) संशोधन नियम, 2021"** को लागू किया है।

निगमित/कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- यह एक प्रबंधन अवधारणा है, जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय के परिचालनों तथा हितधारकों के साथ किए जाने वाले क्रियाकलापों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के समाधानों को एकीकृत करती हैं।
- वर्ष 2013 में, **कंपनी अधिनियम, 2013** ने कंपनी के गठन, प्रशासन और शासन के संबंध में **कुछ संशोधन प्रस्तुत किए** और भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक **अतिरिक्त उपबंध अर्थात् CSR दायित्वों से संबंधित धारा 135** को शामिल किया।
  - इसके साथ, **भारत** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **CSR गतिविधियों को विधिक रूप देने वाला प्रथम देश बन गया था।**
- इसके अंतर्गत अर्हता प्राप्त प्रत्येक कंपनी को **अपने तात्कालिक पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ (कर लगाए जाने से पहले के लाभ) के कम से कम 2% हिस्से को** भारत में CSR गतिविधियों पर **व्यय करना अनिवार्य** है।
- CSR संबंधी उपबंध भारत में अवस्थित किसी विदेशी कंपनी की शाखा और परियोजना कार्यालयों पर भी लागू होते हैं।
- इसमें वर्ष 2019 में एक संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि कंपनियों को CSR के लिए व्यय न की जाने वाली राशि (अर्थात् शेष राशि) को वित्तीय वर्ष के अंत तक इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कोष में जमा करना होगा।

संशोधित किए गए नए नियम (Newly amended rules)

- **CSR के दायरे से बाहर वाली गतिविधियां (Exclusion from CSR activities):**
  - **कंपनी के सामान्य कारोबार के अनुपालन में की जाने वाली गतिविधियाँ।**
    - **अपवाद:** अपने सामान्य कारोबार के संचालन के दौरान कोविड-19 से संबंधित नई वैक्सीन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के शोध एवं विकास में संलग्न कंपनियों के कार्यों को, वित्त वर्ष 2021, 2021-22 और 2022-23 के लिए CSR के रूप माना जाएगा।
  - **भारत के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ** (अपवाद- राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों का प्रशिक्षण)।
  - **किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राशि का योगदान;**
  - मजदूरी संहिता, 2019 के तहत **कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधियाँ।**
  - अपने उत्पादों/ सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने हेतु **प्रायोजन के आधार पर कंपनी द्वारा समर्थित गतिविधियाँ।**
  - भारत में लागू किसी भी कानून के तहत **किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ।**
- **अनिवार्य पंजीकरण:** कंपनियों द्वारा स्वयं को केंद्र सरकार के अंतर्गत पंजीकृत करना होगा और 1 अप्रैल 2021 से कंपनियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से CSR-1 फॉर्म भरना होगा।
- CSR परियोजनाओं के डिजाइन निर्माण, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और निगरानी के लिए **बाह्य संगठनों को नियोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है।**
- **वार्षिक कार्य योजना:** कंपनियों की CSR समितियों को **वार्षिक कार्य योजना तैयार करने** और कंपनी के बोर्ड के समक्ष उसकी अनुशंसा करने की अनिवार्यता होगी।

- **प्रशासनिक व्यय:** कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की अनिवार्यता है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक व्यय, कुल CSR खर्च के 5% से अधिक न हो।
    - प्रशासनिक व्यय से तात्पर्य **कंपनी में CSR कार्यों के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन** के लिए किए गए खर्चों से है। इसमें किसी विशेष CSR परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए किया गया व्यय स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होता है।
- **अधिशेष का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:** किसी भी परियोजना के अधिशेष का उपयोग किसी भी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। उसे उसी CSR परियोजना में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए या उसे निधि/फंड में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **प्रभाव का आकलन:** 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के CSR दायित्व वाले किसी भी निगम को, 1 करोड़ या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
- **CSR परियोजनाओं का अनिवार्य प्रकटीकरण:** इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा, ताकि कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और नियमों के अनुपालन की सूक्ष्मता से जांच हो सके।

CSR से संबंधित चुनौतियां और आलोचना

- **कर आरोपण के लिए आधार:** देश में पहले से ही उच्च कराधान का सामना करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों पर और अधिक कर लगाने के उपकरण के रूप में भी CSR की आलोचना की जाती है, जो भारत को व्यापार के लिए एक अनाकर्षक गंतव्य बनाता है।
- **CSR व्यय का विषम प्रतिरूप:** CSR व्यय का लगभग 65% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया गया है, जबकि हंगर की समाप्ति, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण पर कम व्यय किया जाता रहा है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** कंपनियां आमतौर पर उन क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का संचालन करती हैं जहां बिना किसी कठिनाई के काम किया जा सकता है। संभवतः यही कारण है खराब बुनियादी ढांचे वाले और कम विकसित आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कंपनियों द्वारा ध्यान नहीं नहीं दिया गया है।
- **गैर-अनुपालन:** यह पाया गया है कि 50% कंपनियां CSR पर अनिवार्य राशि व्यय करने में असमर्थ थीं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद विगत पांच वर्षों में, 70% कंपनियों ने अभी भी CSR गतिविधियों को लागू करने की रणनीति तैयार नहीं की है।
- **धोखाधड़ी करना और अपने पसंदीदा समर्थकों को दान देना:** यह भी पता चला है कि कंपनियों ने प्रसिद्ध धर्मार्थ ट्रस्टों को दान दिया और फिर मामूली कमीशन की कटौती करवाकर उस दान को वापस प्राप्त कर लिया।

CSR SPENDING

CAUSES ESPOUSED

Corporates felt strongly about education, health and rural development

CAUSE	Total CSR Spends (₹ cr)	% Share
Education	30,710	39
Health	20,945	26
Rural Development	8,750	11
Environment	6,566	8
Total FY15-FY20	79,293	

STATE-WISE CSR SPENDING

STATE	Total CSR Spends (₹ cr)	% Share
Maharashtra	12,700	16
Karnataka	4,919	6.2
Gujarat	3,925	4.9
Tamil Nadhu	3,415	4.3
Odisha	2,565	
Total FY15-FY20	79,293	

आगे की राह

- **सामुदायिक और कर्मचारियों की भागीदारी:** सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाना, CSR में कर्मचारियों को शामिल करना, उन्हें प्रेरित करना तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समावेश करके उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करना सहायक हो सकता है।
- **दक्षता के लिए सहयोग:** गैर-सरकारी संगठनों तथा पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में शामिल एजेंसियों के बीच सहयोग को सुगम बनाने से CSR निधियों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
- **मूल्यांकन और निगरानी:** धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों को रोकने तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए CSR गतिविधियों की आवधिक रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।
- **उचित और संतुलित व्यय:** सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय समानता बनाए रखने के लिए आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर भारत जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में व्यय करने के लिए कॉर्पोरेट जगत को प्रोत्साहित करना।
- **छूट और प्रोत्साहन:** सरकार को CSR विनियमों का अनुपालन करने वाले कॉर्पोरेट्स को निगम कर में और अधिक छूट एवं प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

11.2. नवाचार और उद्यमशीलता (INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

मुख्य लक्ष्य

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर उपलब्ध कराना।
- देश के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र का निरीक्षण करने के लिए एक छत्रक संरचना निर्मित करना।

वर्तमान स्थिति

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2021 में 131 देशों में भारत का 46वां स्थान है।
- भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद के आकार के संदर्भ में नवाचार के क्षेत्र में अपेक्षाओं से कम प्रदर्शन कर रहा है।
- भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका (2.8%), इजराइल (4.3%) और दक्षिण कोरिया (4.2%) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.69% ही अनुसंधान और नवाचार में निवेश किया गया है।
- भारत में 95% उद्यमशीलता प्रतिष्ठान, लघु उद्यम हैं।
- भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप पारितंत्र है।

योजनाएं / नीतियां / पहल

- मेक इन इंडिया और स्टार्ट–अप इंडिया पहल जैसे "उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि के लिए MeitY का स्टार्टअप एक्सीलरेटर (समृद्ध)" कार्यक्रम, स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, स्टार्ट–अप इंडिया सीड फंड स्कीम, उभरते सितारे फंड, आदि।
- ऐक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ़ न्यू इंडियाज इनोवेशन (AGNIi)
- उच्चतर आविष्कार योजना
- अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM)
- AIM-PRIME (नवाचार, बाजार परकता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम) विज्ञान आधारित डीप–टेक स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने और समर्थन करने हेतु एक पहल।
- नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA)
- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP), 2020।
- महिला उद्यमिता मंच

नवाचार और उद्यमिता – एक नज़र में

आगे की राह

- **संस्थागत और मानव संसाधन विकास** के माध्यम से नवाचार क्षमता का निर्माण करना।
- सहायक नीतियों, ICT अवसंरचना, अनुसंधान पारितंत्र आदि के द्वारा नवाचार माहौल **को सक्षम बनाना।**
- **कौशल, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा में निवेश** आदि के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास और मानव पूंजी विकास में सहयोग करना।
- इनक्यूबेटर आदि के रूप में उद्यमियों और **नवोन्मेषकों** को **सहायता** प्रदान करना।
- नवोदित नवोन्मेषकों की सफलता की सराहना करके **आर्थिक जोखिम लेने और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।**

बाधाएं

- मध्यम वर्ग में **जोखिम से बचने की प्रवृत्ति,** प्रतिभावान लोगों का अन्य देशों में जाना या ब्रेन–ड्रेन।
- **वित्तीय बाधाएं,** जैसे– वित्त तक पहुंच और ऋण संबंधी सुविधाओं का अभाव आदि।
- **नीतियों में उतार–चढ़ाव,** उद्यमिता को और भी जोखिम भरा कार्य बना रहा है।
- गैर–वित्तीय बाधाएं जैसे– **कुशल टीम की कमी, गलत पूर्वानुमान लगाना, सामाजिक बाधाएं** आदि।
- भारतीय नवाचार माहौल **अधिकांशतः वृद्धिशील** है और इसमें और सुधार शेष है।
- कमजोर विश्वविद्यालय अनुसंधान और **उद्योग– शिक्षा जगत के मध्य ख़राब संपर्क।**

11.2.1. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (INNOVATION ECOSYSTEM: WHAT, WHY AND HOW?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII)- 2020** में भारत की रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार देखने को मिला तथा इसे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 में इसमें भारत का 52वाँ स्थान था।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **कोविड-19 संकट नवाचार पारितंत्र को प्रभावित करेगा।** इसलिए रिकवरी संबंधी प्रयासों के लिए राजनेताओं को सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
  - **फार्मास्यूटिकल्स एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक** में R&D (अर्थात् अनुसंधान एवं विकास) को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अन्य प्रमुख क्षेत्रकों, जैसे कि परिवहन, को शीघ्रता से अनुकूल बनाना होगा क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा की खोज में नए सिरे से रूचि बढ़ रही है।
- वित्तीय प्रणाली अभी तक सुदृढ़ बनी हुई है, लेकिन **नवाचारी उद्यमों के लिए फंड्स की उपलब्धता में कमी आ रही है।** उत्तर अमेरिका, एशिया एवं यूरोप में वेंचर कैपिटल समझौतों में तीव्रता से गिरावट आ रही है।
- GII रैंकिंग से ज्ञात होता है कि **नवाचार का भूगोल निरंतर स्थानांतरित हो रहा है।** इन वर्षों में, **चीन, वियतनाम, भारत एवं फिलीपींस GII नवाचार रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।** वर्तमान में ये चारों देश शीर्ष 50 में शामिल हैं।
- **कुछ नवाचारों में प्रगति के बावजूद राष्ट्रीय नवाचार प्रदर्शन के संबंध में क्षेत्रीय विभाजन विद्यमान हैं:** उत्तर अमेरिका तथा यूरोप इसमें अग्रणी हैं। इनके पश्चात् दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया का स्थान है। इसके उपरांत इन सबसे काफी पीछे क्रमशः उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका व कैरीबियन, मध्य व दक्षिणी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका हैं।

नवाचार (नवोन्मेष) पारितंत्र (Innovation Ecosystem) क्या है?

- एक नवाचार पारितंत्र **कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं के एक-दूसरे से जुड़े नेटवर्क** को संदर्भित करता है। ये कॉमन (साझे) **प्रौद्योगिकी, ज्ञान, या कौशल के आधार पर नवाचार क्षमताओं को सह-विकसित** करते हैं, एवं नए उत्पादों व सेवाओं को विकसित करने के लिए सहयोगपूर्ण व प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करते हैं।
  - यह **विभिन्न अभिकर्ताओं (अर्थात् पारितंत्र से जुड़े लोग), उनके मध्य के आपसी संबंधों एवं संसाधनों से निर्मित होता है।** ये सभी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
  - **इस पारितंत्र से जुड़े प्रत्येक अंग की सफलता दूसरे प्रतिभागी के निर्णय से जुड़ी होती है** (जैसे- अधिकांश उद्यमी अपने कार्यकलापों के लिए वित्त-पोषण करने वालों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं)।
  - **किसी एक भाग में परिवर्तन आने से नवाचार पारितंत्र के अन्य भागों में भी परिवर्तन होता है** (जैसे- इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन व परीक्षण में गति को प्रोत्साहित करती है)।
- **इस प्रकार, एक नवाचार पारितंत्र की तीन परिभाषित विशेषताएं हैं:** (i) इसमें शामिल अभिकर्ता या सदस्य एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, (ii) उनके साझे लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं, तथा (iii) उनके ज्ञान एवं कौशल का भी एक साझा समुच्चय (shared set) होता है।

नवाचार (या नवोन्मेष) पारितंत्र महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र **विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए सूचना एवं संसाधनों के सक्रिय प्रवाह** को सक्षम बनाता है। यह वास्तविक जगत की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए एक उचित समाधान विकसित व कार्यान्वित कर सकता है।
- दूसरी ओर, वर्तमान समय में तकनीकी नवाचार को **आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख स्रोत** माना जाता है। यह उत्पादकता को बढ़ावा देकर, समान आगत (इनपुट) से ही अत्यधिक उत्पादन (आउटपुट) को संभव बनाता है।
- वर्तमान समय में अनेक देश एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र पर इसलिए अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, क्योंकि नई डिजिटल तकनीकें एवं अभिनव समाधान **अनेक रोगों तथा गरीबी एवं भूख की समस्या से लड़ने के लिए अनेक अवसर** सृजित करते हैं।
- एक प्रभावी नवाचार पारितंत्र उद्यमियों, कंपनियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, निवेशकों व सरकारी एजेंसियों को उनके **अनुसंधान व नवाचार के आर्थिक प्रभाव एवं क्षमता को अधिकतम करने** के लिए प्रभावी ढंग से अंत:क्रिया करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार **नवाचार** स्टार्ट-अप्स, विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी तथा सरकारों की **उपजीविका व समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक** है, जो उनके सेवा वितरण एवं निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

भारत में नवाचार पारितंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **भारत केंद्रित पारितंत्र:** जहाँ एक ओर, भारतीय नवाचार पारितंत्र में **पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है तथा यह विघटनकारी भी नहीं है,** वहीं दूसरी ओर यह मुख्यत: 'भारत केंद्रित' है, न कि 'विश्व केंद्रित'।
- **विस्तार का अभाव:** प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैश्विक बाजार के लिए उचित उत्पादों को बनाने के संदर्भ में इसके पास गति, विस्तार एवं संधारणीयता का अभाव है।
- **धीमी प्रगति:** यद्यपि, भारत विश्व के शीर्ष 50 नवाचारी देशों की कतार के निकट पहुंच चुका है, तथापि यह अब भी चीन जैसे एक विकासशील देश से बहुत पीछे है। उदाहरण के लिए, चीन ने वर्ष 2018 में WIPO के समक्ष 53,345 पेटेंट आवेदन दायर किए थे, जबकि भारत की ओर से केवल 2,013 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे।
- **विश्वविद्यालयी अनुसंधान की निम्न स्थिति:** भारत ने जहाँ एक ओर चंद्रयान एवं डिजिटल भुगतान जैसी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों तथा सीमित स्वायत्तता वाले अनुसंधान संस्थानों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। इसके अतिरिक्त, जहां हमारे शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों (जैसे- IIT दिल्ली एवं मुंबई तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु) का क्षेत्रीय रूप से अच्छा प्रदर्शन है, वहीं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने विफल रहे हैं।
- **एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रतिभा पूल की गुणवत्ता (Quality of the STEM talent pool):** भारत में तृतीयक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बहुत कम (26%) है, जिसका अर्थ है कि संभावित शोध प्रतिभा का एक विशाल भंडार नष्ट हो रहा है।

नवाचार पारितंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **भारत नवोन्मेष विकास कार्यक्रम (India Innovation Growth Programme: IIGP) 2.0 :** यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), लॉकहीड मार्टिन एवं टाटा ट्रस्ट की एक अद्वितीय त्रिपक्षीय पहल है। यह पहल भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने में अन्वेषकों (innovators) एवं उद्यमियों को उनके विचारों एवं नवोन्मेष (नावाचार) को गति प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाती है।
- **भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research: DSIR) द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन:** यह विभाग संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा उनके नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **भारत नवोन्मेष कोष (India Innovation Fund):** यह नवाचार का नेतृत्व करने वाली, प्रारंभिक चरण की भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाला एक वेंचर कैपिटल फंड है। इस कोष का प्रबंधन **सिडबी (SIDBI)** द्वारा किया जाता है।
- **इनोवेट इंडिया (Innovate India):** यह संपूर्ण देश में घटित नवाचारों को प्रदर्शित करने, बढ़ावा देने एवं पहचान करने का एक अद्वितीय मंच है। इसे 'अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग' एवं MyGov के सहयोग से आरंभ किया गया है। देश के सभी हिस्सों के नागरिक इस मंच पर अपने नवाचार को साझा करने के लिए पात्र हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board: TDB)** नवाचार के क्षेत्र में सुलभ ऋण प्रदान करता है। यह स्वदेशी तकनीक के विकास एवं व्यवसायीकरण के माध्यम से और घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाकर भारतीय उद्योग जगत के सामर्थ्य को बढ़ावा देता है।
- **नए भारत के नवाचारों का तेज़ी से विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations: AGNIi):** इसका उद्देश्य सभी उद्योगों, व्यक्तियों एवं जमीनी स्तर के अन्वेषकों को बाजार से जोड़ने तथा उनके नवाचारों का व्यवसायीकरण करने में सहायता करके देश में नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए जारी प्रयासों का समर्थन करना है।
- **विभिन्न योजनाएं:** रामानुजन अध्येतावृत्ति (Fellowship) योजना; इंस्पायर फैकल्टी स्कीम अर्थात् अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research: INSPIRE/इंस्पायर); रामलिंगस्वामी पुनः-प्रवेश अध्येतावृत्ति (Ramalingaswami Re-entry Fellowship); विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र) फ़ैकल्टी स्कीम; पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing: KIRAN); अटल नवोन्मेष मिशन (ATAL Innovation Mission: AIM); स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) आदि।

निष्कर्ष

भारत में अपने नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने की क्षमता है, यदि यह अपने सभी हितधारकों का एक ही समय पर लाभ उठाए। इसके लिए सरकार, औद्योगिक, शैक्षिक एवं सामाजिक जैसे क्षेत्रकों को मिलकर काम करना होगा। समकालिक सक्रियता से उपजा तालमेल स्वयं

ही **उद्योग, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच अधिक वांछित संबंध** प्रदान करेगा। यह संबंध निवेश को भी बढ़ाएगा तथा नवाचार पारितंत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

11.2.2. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (STARTUP ECOSYSTEM IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **'प्रारंभ: स्टार्ट-अप इंडिया इंटरनेशनल समिट'** का उद्घाटन किया। **वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया पहल के शुरू होने के बाद,** यह भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई सबसे बड़ी स्टार्ट-अप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।

स्टार्ट-अप्स द्वारा निर्मित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

स्टार्ट-अप्स ने रोज़गार को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को तीव्र करने और वर्तमान आर्थिक अंतराल को समाप्त करने के साथ आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनकारी प्रभाव दर्शाया है। इसके साथ ही, **स्टार्ट-अप्स वर्तमान के कारोबार की जनांकिक विशेषताओं को भी बदल रहे हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं:**

- **44 प्रतिशत** मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप्स में महिला निदेशक हैं** तथा इन स्टार्ट-अप्स में महिला कर्मचारियों की संख्या भी काफी अधिक है।
- **45 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के शहरों में स्थित हैं,** जो स्थानीय उत्पादों के **ब्रांड एंबेसडर** के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **प्रत्येक राज्य स्थानीय संभावनाओं के अनुसार स्टार्ट-अप्स का समर्थन एवं पालन-पोषण कर रहा है** तथा देश के 80 प्रतिशत जिले अब स्टार्ट-अप इंडिया मिशन का हिस्सा हैं।
- **सभी पृष्ठभूमि के युवा इस पारितंत्र में अपनी क्षमता को आकार देने में सक्षम हैं,** जिसके परिणामस्वरूप **नौकरी चाहने (job seeker)** की मानसिकता से **नौकरी देने (Job Creator)** की मानसिकता की तरफ बदलाव हो रहा है।

स्टार्ट-अप क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT ने स्टार्ट-अप को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया है, जिसे भारत में एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** (जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) या पंजीकृत **पार्टनरशिप फर्म** (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत) या **लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप** (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में निगमित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, DPIIT ने उल्लेख किया है कि किसी संस्था को निम्नलिखित परिस्तिथियों में एक स्टार्ट-अप माना जाएगा:

- निगमन/पंजीकरण की तारीख से **10 वर्ष** की अवधि तक ही किसी संस्था को एक स्टार्ट-अप माना जाएगा अर्थात् 10 वर्ष से अधिक पुरानी संस्थाओं को स्टार्ट-अप नहीं माना जाएगा;
- पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर **100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं** होना चाहिए;
- वैसी कंपनी जो **प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, उन्नयन या व्यवसायीकरण** की दिशा में कार्य करती है।

भारत में स्टार्ट-अप्स का महत्व

- **रोजगार में वृद्धि:** देश में स्टार्ट-अप पारितंत्र से निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होता है। एक स्टार्ट-अप औसतन 12 नौकरियां प्रदान करता है। इस प्रकार इन्होंने कुल मिलाकर 3.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं।
- **विकास की अधिक संभावना:** यह अनुमान है कि भारत में यूनीकॉर्न (unicorns) की संख्या तीन गुना बढ़कर वर्ष 2025 में 95 हो जाएगी, जिसका कुल नेट वर्थ लगभग 390 बिलियन डॉलर होगा।
- **सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति:** स्टार्टअप में सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय समावेशन आदि जैसे क्षेत्रों में देश की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी की संस्कृति को बढ़ावा देना:** स्टार्ट-अप्स बदलते प्रौद्योगिकी माहौल में काम करते हैं और नवाचार द्वारा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी प्रेरित करते हैं, जो देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
- **विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वदेशी स्टार्टअप में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उद्यमों के रूप में विकसित होने की क्षमता है। इस प्रकार ये एक आकर्षक और निवेश योग्य माहौल को स्थापित कर सकते हैं।

भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वर्तमान में भारत के पास विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र** है, जिसमें लगभग **38 यूनिकॉर्न्स** हैं। इनका सामूहिक आकार लगभग **130 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य का है।
- **वर्ष-दर-वर्ष स्टार्ट-अप के विकास में 15 प्रतिशत की औसत दर** से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह विकास एक या दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि **सभी क्षेत्रकों में फैला हुआ है।**
    - स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र इत्यादि में **प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप्स में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है,** जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों का नियोजन हो रहा है

वर्तमान पारितंत्र में स्टार्ट-अप्स कौन-सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

- **फंड जुटाना:** हाल की एक रिपोर्ट इंगित करती है कि भारतीय स्टार्ट-अप्स में **85 प्रतिशत नई कंपनियां फंड की कमी** से जूझ रही हैं। इसके मुख्य कारण कमज़ोर वेंचर कैपिटलिस्ट और कमज़ोर एंजल इनवेस्टर फ्रेमवर्क के साथ-साथ जोखिम उठाने के संबंध में भारतीय बाजार की निम्न प्रवृत्ति आदि हैं।
- **राजस्व सृजन:** सामान्यत: स्टार्ट-अप्स को राजस्व सृजन करने से पहले एक निश्चित ऊष्मायन अवधि (Incubation period) या समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह समर्थन सतत नहीं होता है और साथ ही ऑर्डर प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे राजस्व की समस्या और बढ़ जाती है।
- **अपर्याप्त सहयोगात्मक अवसंरचना:** तकनीकी पार्क्स, लॉजिस्टिक उपलब्धता, व्यवसाय विकास केंद्र के रूप में अवसंरचना समर्थन अब भी नाममात्र ही है।
- **नौकरशाही की बाधाएं:** बड़ी संख्या में विनियामकीय अनुपालन शर्तें, जटिल श्रम कानून आदि के कारण **कारोबार करने की सुगमता का निम्नस्तरीय होना** जैसी बाधाएं और क्रिप्टोकरेंसी, 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सरकार के असंगत रुख ने विकास प्रक्रिया को अधिक जटिल बना दिया है।
- **संरक्षण और समर्थन का अभाव:** अधिकांश स्टार्ट-अप्स के पास शानदार विचार और/या उत्पाद हैं, लेकिन उनके पास **उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए उद्योग, कारोबार और बाजार का बहुत कम या बिल्कुल भी अनुभव नहीं** है। इस संबंध में, एक संस्थागत पारितंत्र का अभाव एक अच्छे विचार को वास्तविक आकार लेने से पहले ही समाप्त कर सकता है।

किस प्रकार स्टार्ट-अप इंडिया पहल इन चुनौतियों का समाधान करती है और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करती है?

वर्ष 2016 में आरंभ की गई, स्टार्ट-अप इंडिया पहल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना है।

- स्टार्ट-अप इंडिया पहल ने कई कार्यक्रमों को शुरू किया है। इन कार्यक्रमों का प्रबंधन एक समर्पित **स्टार्ट-अप इंडिया टीम** करती है, जो **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT) को रिपोर्ट** करती है।
- स्टार्ट-अप इंडिया का लक्ष्य **त्रि-स्तरीय रणनीति** के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना है।

स्टार्ट-अप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर स्टार्ट-अप पारितंत्र में इसके योगदान को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

- वर्ष 2016 से अगस्त 2020 तक स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम ने **34,800 से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता** प्रदान की है।
- स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा आयोजित **150 से अधिक स्टार्ट-अप नवाचार कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं** के चलते 5,500 स्टार्ट-अप्स को 1 मिलियन डॉलर से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्क्यूबेटर्स और उत्प्रेरकों की संख्या 11 प्रतिशत बढ़कर लगभग 5,000 तक पहुंच गई है।
- सरकार द्वारा 47 वेंचर कैपिटल फर्म के लिए **3,000 करोड़ रुपये से अधिक** की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस राशि को इनवेस्ट इंडिया के माध्यम से स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड कॉर्पस से निकालकर 323 स्टार्ट-अप्स में पहले ही निवेश किया जा चुका है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया** ने रूस, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ़िनलैंड, इज़रायल और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सरकारी सहयोग के माध्यम से **भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए वैश्विक बाजार उपलब्धता तथा ज्ञान को सक्षम बनाया है।**
  - **ये पारस्परिक सहयोग स्टार्ट-अप ब्रिज के रूप में भी ज्ञात हैं।** ये दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स, निवेशक, इन्क्यूबेटर्स, उत्प्रेरकों और इच्छुक उद्यमियों को विस्तार प्रदान करने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाकर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं, ताकि वे वैश्विक संस्था बन सकें।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM portal) पर 8,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स पंजीकृत किए गए हैं,** जिनके साथ सरकार ने **2,300 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।**
- स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा निर्मित आधारशिला ने कोविड संकट के दौरान भी स्टार्ट-अप्स के विकास को सक्षम बनाया। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में 11 स्टार्ट-अप 'यूनिकॉर्न क्लब' में सम्मिलित हुए।

इन पहलों के बावजूद अब भी स्टार्ट-अप पारितंत्र प्रणालीगत चुनौतियों से बाधित है, जैसे कि- नौकरशाही बाधा के कारण कारोबार की सुगमता का निम्नस्तरीय होना, बाजार में सीमित पूंजी की उपलब्धता, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में नवाचार संस्कृति का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण उद्यमियों द्वारा वहन की जाने वाले जोखिम का असंगत स्तर।

VISION IAS

आगे की राह

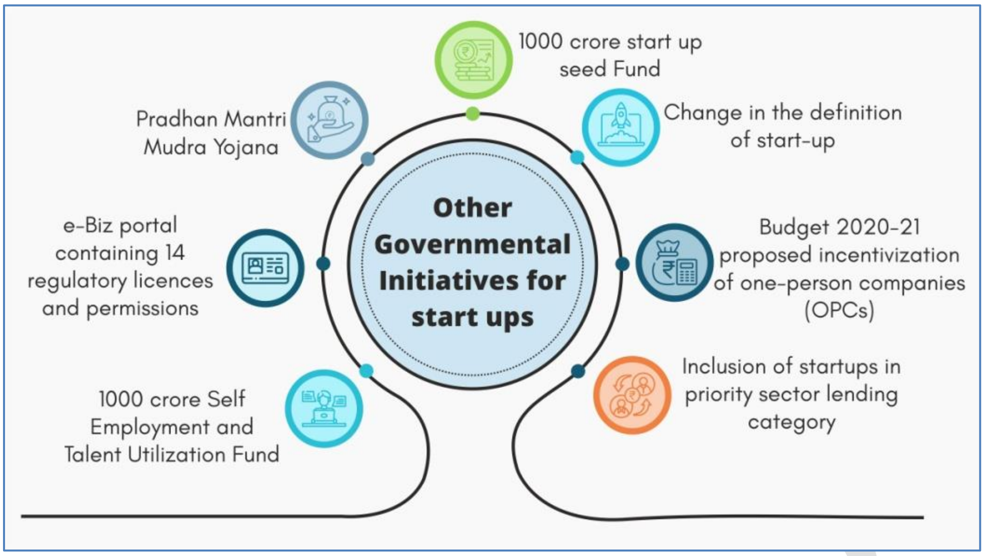

इन चुनौतियों को देखते हुए स्टार्ट-अप्स के लिए होने वाली पहलों को संरचनात्मक बदलावों का पूरक होना चाहिए, जैसे कि- बड़े पैमाने पर अवसंरचना का सृजन, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा जगत के संबंध को मजबूत करना तथा क्षेत्र, लिंग, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सापेक्ष उद्यमिता को समावेशी बनाना। **'युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए' स्टार्ट-अप पारितंत्र** - के विचार को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट-अप पारितंत्र में इन संपर्कों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

12. विविध (MISCELLANEOUS)

12.1. एक राष्ट्र एक मानक (ONE NATION ONE STANDARD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (Research Design and Standards Organisation: RDSO), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के "एक राष्ट्र एक मानक मिशन" के अंतर्गत **मानक विकास संगठन (Standard Developing Organization: SDO)** घोषित होने वाला प्रथम संस्थान बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन** को WTO-TBT [विश्व व्यापार संगठन-व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं {WTO-Technical Barriers to Trade (WTO-TBT)}] के अंतर्गत उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम (code of good practices) के अनुसार अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करेगा।
- **BIS-SDO मान्यता योजना के तहत** RDSO ने SDO के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया था।
    - इस योजना के तहत **"एक राष्ट्र एक मानक"** के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए BIS, अन्य मानक विकास संगठनों (SDOs) की मान्यता की परिकल्पना करता है।

उत्पाद मानकीकरण (Product standardization) क्या है?

- यह विभिन्न बाजारों में उपलब्ध किसी विशेष वस्तु या सेवा के विभिन्न दोहराव या पुनरावृत्तियों के बीच **एकरूपता और निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया** को संदर्भित करता है।
- यह **किसी विशिष्ट उद्योग में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की सतत गुणवत्ता** को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि उत्पादित वस्तुएं उसी उद्योग में उत्पादित अन्य तुलनीय उत्पादों या सेवाओं के समतुल्य हैं या नहीं।
- मानकीकरण **उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता (interoperability) और अनुकूलता को सुनिश्चित** करने में भी सहयोग करता है।
- यह **व्यापार एवं वाणिज्य को भी प्रोत्साहित करता** है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाता है तथा संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ **वस्तुओं और सेवाओं की तुलना को भी सरल** बनाता है।

संबंधित तथ्य

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग:

- इसे **16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा तथा साथ ही **आभूषण विक्रेता को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों के विक्रय की अनुमति** प्रदान की गई है।
- स्वर्ण हॉलमार्किंग **शुद्धता प्रमाणित करने का एक तरीका है तथा अब तक इसकी प्रकृति स्वैच्छिक रही है।**
    - वर्ष 2000 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग की योजना को संचालित किया जा रहा है। **वर्तमान में लगभग 40% स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।**
- **हालमार्किंग के लाभ:** इससे आभूषणों की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होगी, लोगों को मानक के विपरीत कम कैरेट (सोने की शुद्धता) वाले स्वर्ण आभूषणों के विक्रय आदि से संरक्षण प्राप्त होगा।

एक राष्ट्र एक मानक (ONOS) के बारे में:

- इसका लक्ष्य देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों (SDOs) द्वारा अपनाए गए मानकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। साथ ही, इस ONOS अवधारणा के तहत **विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पादों के मानकों के निर्धारण की बजाय, एक उत्पाद के लिए एक मानक दस्तावेज के निर्माण पर बल देना है।**
- वर्तमान में, **BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है, जो मानकों का निर्धारण** करता है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा भी विशिष्ट डोमेन में मानक विकसित किए जाते रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पदार्थों से संबंधित मानकों का निर्धारण करता है, जबकि ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबद्ध मानकों का निर्धारण करता है।

ONOS के लाभ

- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** मानक निर्धारण करने वाले विभिन्न निकायों के एकीकरण से देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी तथा 'ब्रांड इंडिया' की छवि को प्रोत्साहन मिलेगा।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

* **वैश्विक बाजार तक पहुंच:** यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने वाली संस्थाओं के मानदंडों के अनुरूप होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में उद्योगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने में भी सहयोग करेगा।
    * यह **भारतीय मानकों के अनुरूप बाजार की प्रासंगिकता को भी सुनिश्चित** करेगा।
* **उपभोक्ताओं को लाभ:** यह भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में उद्योग/विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, लागत को कम करने तथा उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करेगा।
* **उत्पाद नवाचार:** यह एक साथ कार्य करने के लिए एक बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को सुचारू रूप से सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, "मेक-इन-इंडिया" को प्रोत्साहित करते हुए आयात निर्भरता को भी कम करने में मदद करेगा।
* **घरेलू मानकों को बढ़ावा देना:** यह अधिकतम औद्योगिक उत्पादों को भारतीय मानकों के अंतर्गत लाने में मदद करेगा। इससे गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
* **वित्त की सुगम उपलब्धता:** मानकीकृत वस्तुओं के लिए बैंक आसानी से अग्रिम ऋण प्रदान कर देते हैं, क्योंकि मानकीकृत वस्तुओं की कीमतें आसानी से स्थापित की जा सकती हैं।

भारत में मानकीकरण के लिए की गई पहलें:
* **मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय-रणनीति:** यह सभी क्षेत्रों में विकास की वर्तमान स्थिति, मौजूदा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा घरेलू आर्थिक विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के संबंध में नीति निर्देशों पर विचार करती है।
* **भारतीय मानकों का निरूपण BIS की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।** इन गतिविधियों को 17 डिवीजन काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये काउंसिल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोटेक्निकल, केमिकल, सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं।
* **'पहचान' पहल:** भारतीय हस्तशिल्प को संगठित और मानकीकृत करने के लिए, सरकार ने पहचान पहल के तहत लगभग 22.85 लाख शिल्पियों को पंजीकृत किया है।
* **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders: QCOs):** उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा QCOs जारी किए जाते हैं।

भारत में मानकीकरण से संबद्ध चुनौतियां:

* **विनियमों का अभाव:** मशीनरी सुरक्षा और रसायन जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा विनियमों को विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए, भारतीय बाजार में इस क्षेत्र से संबंधित आयात और यहां तक कि घरेलू निर्माता भी विनियमन से मुक्त हैं।
* **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंगीकरण की मंद गति:** उदाहरण के लिए, उद्योग की असंगठित प्रकृति के कारण खाद्य उद्योग में जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) प्रणाली के अंगीकरण का विरोध किया जाता रहा है।
* **निम्नस्तरीय परीक्षण सुविधा:** भारत में परीक्षण सुविधाएं अपर्याप्त हैं, इसलिए निर्माताओं को उत्पादों के परीक्षण हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
* **मानकों का दुरुपयोग:** कई निर्माता अनधिकृत तरीके से मानकों का उपयोग करते हैं। साथ ही, उत्पादकों के मध्य उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा है तथा यह मानकीकरण के विकास में एक बड़ी बाधा है।
* **जागरूकता की कमी:** लोगों में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) मानकों और ग्रेड्स के संबंध में सामान्य जागरूकता की अत्यंत कमी रही है।

आगे की राह

* मानकों के गतिशील और तीव्र विकास के लिए मानक विकास संगठनों (SDOs) की क्षमता में वृद्धि कर तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए SDOs की स्थापना को प्रोत्साहित कर **भारत में मानकों के विकास से संबंधित गतिविधियों के अभिसरण पर बल दिया जाना चाहिए।**
    * BIS, मानक विकास संगठन मान्यता योजना इस दिशा में एक सही कदम है।
* विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के विकास के लिए आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मंचों और प्रक्रियाओं के निर्माण द्वारा **नए मानकों की पहचान, उनके विकास तथा उनमें परिवर्तन के लिए एक गतिशील तंत्र की स्थापना हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।**
* मानक विकसित करने की दिशा में राज्यों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) सहित **सभी हितधारकों की समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
* व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय मानकों के समन्वय/अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
* उन क्षेत्रों की पहचान करना, **जहां भारत** न केवल अपनी व्यावसायिक क्षमता प्रकट करने के लिए बल्कि वैश्विक मानकीकरण प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी **मानकीकरण की दिशा में कार्य** कर सकता है।

12.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (NOBEL PRIZE IN ECONOMICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को **नीलामी सिद्धांत (auction theory)** पर उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उन्हें नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे वस्तुओं और सेवाओं (जैसे कि रेडियो आवृत्तियां) के विक्रय के लिए भी लागू किया जा सकता है, जिन्हें पारंपरिक नीलामी प्रारूपों के माध्यम से विक्रय करना कठिन होता है।
- इन आविष्कारों ने विश्व भर के विक्रेताओं, क्रेताओं और करदाताओं को लाभान्वित किया है।

नीलामी क्या है?

- नीलामी एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को अधिकतम मूल्य अथवा बोली लगाने वालों को बेचा जाता है।
- किसी भी नीलामी में, संभावित खरीदार (बोली लगाने के लिए) या तो खुले या बंद प्रारूप में वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाते हैं।
- सामान्यत:, किसी भी नीलामी में, निजी संस्थाएं अपना राजस्व अधिकतम करना चाहती हैं, जबकि सरकार राजस्व अधिकतम करने से भिन्न अन्य कारकों को प्राथमिकता दे सकती है।
- उदाहरण के लिए, उच्चतम बोलीदाता को स्पेक्ट्रम आवंटित करने की बजाय सरकार उस बोलीदाता को चुन सकती है जो दूरसंचार को निर्धनों के लिए सुलभ बनाए।
  - वास्तव में, नीलामी की प्रक्रिया को अपनाने के पहले सरकार अपने संसाधनों को उन निजी इकाईयों को लाइसेंसिंग के माध्यम से आबंटित करती थी, जो निर्धनों के लिए सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने का वादा करते थे।
  - हालांकि, इस दृष्टिकोण से लॉबिंग का प्रसार हुआ एवं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला था।
- **मुख्य चर (कारक) जो नीलामी के आउटकम (परिणाम) का निर्धारण करते हैं:**
  - नीलामी के नियम;
  - नीलामी के लिए रखी वस्तु या सेवा से संलग्न मूल्य (व्यक्तिगत या व्यवसायिक); तथा
  - बोली लगाने में सम्मिलित अनिश्चितता।

नीलामी सिद्धांत क्या है?

- यह इष्टतम उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता (bidders) को **मुक्त बाजार में संसाधनों या व्यवसाय की मदों के पारदर्शी आवंटन की अवधारणा** है।
- यह अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (applied economics) की एक शाखा है और लेन-देन के लिए नियमों या अभिकल्पनाओं के भिन्न-भिन्न समूह निर्धारित करता है।
- मूलत:, यह इस संबंध में है कि नीलामी से कैसे वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। **नीलामी सिद्धांत अध्ययन करता है:**
  - नीलामी की अभिकल्पना कैसे की जाती है?
  - कौन-से नियम नीलामी को नियंत्रित करते हैं?
  - बोलीदाता नीलामी में कैसे व्यवहार करते हैं?
  - नीलामी के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं?
- **नीलामी सिद्धांत के लाभ:**
  - यह **बोलीदाताओं के व्यवहार को समझने** में सहायता करता है।
  - यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी की **सर्वश्रेष्ठ अभिकल्पना/प्रारूप चुनने** में सहायता करता है।
  - यह किसी देश में या विश्व स्तर पर वस्तुओं और संसाधनों की नीलामी और **मूल्य निर्धारण की उभरती प्रकृति समझने** में भी सहायता करता है।
  - यह **नीलामी के लिए विभिन्न नियमों के परिणामों** और परिणामी अंतिम कीमतों को समझने में सहायता करता है।
  - यह भी समझने में यह सहायता करता है कि **क्यों संपूर्ण विश्व में सरकारों को राजस्व अधिकतम करने पर बहुत अधिक बल नहीं देना चाहिए।**
    - उदाहरण के लिए, भारत में स्पेक्ट्रम सर्वाधिक बोली लगाने वालों को आवंटित किया जाता है। यह एक प्रमुख कारण है जिसके चलते दूरसंचार क्षेत्रक भारी ऋण के बोझ तले दबा हुआ है।
    - नीलामी में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भारत को **'दूसरी कीमत' (second-price) नीलामी सिद्धांत** चुनना चाहिए, जो विजेता बोलीदाता (या उच्चतम बोलीदाता) को उतना भुगतान करने की अनुमति देता है जितना दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाला प्रस्तावित करता है।

सामान्य मूल्य और निजी मूल्य (Common value and Private value)

- इन शब्दावलियों द्वारा किसी विशेष वस्तु या सेवा से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को संदर्भित किया जाता है।
- **सामान्य मूल्य:** सामान्य मूल्य वस्तुओं/सेवाओं का वास्तविक मौद्रिक मूल्य {साधित (realized) और असाधित (unrealized) दोनों} है। यह प्रत्येक के लिए समान होता है।
  - इसके उदाहरणों में रेडियो आवृत्तियों का भविष्य का मूल्य या किसी विशेष क्षेत्र में खनिजों की मात्रा या कोई चित्र बनाने में सम्मिलित लागत सम्मिलित हैं।
- **निजी मूल्य:** यह किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं/सेवाओं के साथ जोड़ा गया व्यक्तिगत मूल्य है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मामले में अलग-अलग होता है।
  - कला प्रेमी व्यक्ति किसी चित्र को साधारण व्यक्ति से अधिक महत्व देगा। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी भी मूल्य पर नीलामी जीतने के लिए उसमें अपना दर्जा (स्टेटस) भी जोड़ देता है।

व्यक्तियों का योगदान

- **विजेता का अभिशाप (Winners curse): रॉबर्ट विल्सन** ने सामान्य मूल्य सिद्धांत पर काम किया और मत व्यक्त किया कि एक तार्किक बोलीदाता **विजेता के अभिशाप** से बचने के लिए सामान्य मूल्य के अपने सर्वश्रेष्ठ अनुमान से कम बोली लगाता है।
    - विभिन्न कारणों से अधिक बोली (वास्तविक मूल्य 25 डॉलर के निकट रहने पर 50 डॉलर) लगाना संभव है, ऐसे मामलों में व्यक्ति नीलामी जीत जाता है, लेकिन वास्तविकता में वह हार जाता है।
- **बहु-चरण बोली (Multi stage bidding): पॉल मिलग्रॉम** ने मत व्यक्त किया कि निजी मूल्य एक बोलीदाता से दूसरे बोलीदाता के मामले में अलग-अलग होता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बोली के दौरान **बोलीदाताओं को एक दूसरे के अनुमानित मूल्य** (जो निजी के साथ-साथ सामान्य मूल्य दोनों पर निर्भर करता है) के संबंध में अधिक जानकारी हो जाने पर नीलामी प्रारूप विक्रेता को उच्च अपेक्षित राजस्व देगा।
    - इसलिए, बहु-चरण बोली की अनुमति देना अधिक मूल्य प्राप्त करने का अच्छा तरीका है क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी को पिछली उच्चतम बोली से मिलान करने/अधिक बोली लगाने के लिए अधिक समय मिलता है।
    - उन्होंने कई प्रसिद्ध नीलामी प्रारूपों में बोली लगाने की रणनीतियों का विश्लेषण किया, और यह प्रदर्शित किया कि बोली के दौरान बोलीदाताओं को एक-दूसरे की अनुमानित बोली के संबंध में अधिक पता चलने पर नीलामी प्रारूप विक्रेता को उच्च अपेक्षित राजस्व देगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR

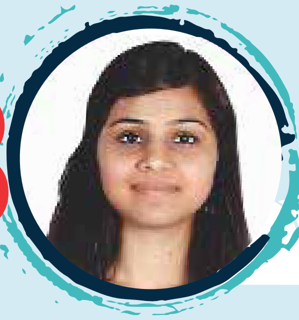

ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES , ESSAY TEST , ABHYAAS , PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES , EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC